आपातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान

डॉ. ज्ञानचन्द शर्मा



दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक लिखने का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में राजस्थान की जनता ने जिस धैर्य और साहस से तानाशाही व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में योग-दान देकर लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है उसे ही उजागर करना है। वैसे तो इस विषय पर अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं लेकिन प्रस्तुत पुस्तक लिखते समय यह ध्यान रखा गया है कि यह भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज सिद्ध हो सके। पाठक गण ही यह निर्णय कर सकते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली है।

राजस्थान की जनता एवं विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं पर किये गये अमानुषिक अत्याचारों का वर्णन उन द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों के आधार पर ही किया गया है। पुस्तक में आपातस्थिति के कारणों का विवेचन पृष्ठ भूमि के रूप में किया गया है। लोक-संघर्ष समिति, कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सर्व सेवा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कम्युनिष्ट पार्टी (लेनिनवादी मार्क्सवादी) दलों ने तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ तथा जनतन्त्र के पक्ष में किस प्रकार जनजागरण कर तानाशाही व्यवस्था को अपनी हार स्वयं कबूल करने को मजबूर किया। इसी घटना-चक्र को चित्रित करने का प्रयास किया गया है।

मेरा यह दावा नहीं है सब सम्बन्धित तथ्य इसमें सम्मिलित किये गये हैं फिर भी एक व्यक्ति के सामर्थ्य से जितना बन पड़ा, उतना करने में मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी है।

पुस्तक के लिखने की प्रेरणा मेरे अभिन्न मित्र डॉ० इन्द्र कुमार तिवारी से प्राप्त हुई और इस हेतु सामग्री के संकलन में भी इनका अत्यधिक सहयोग रहा है। अन्य प्रकार के अनेक सहयोगों का मैं यहां उल्लेख नहीं करुंगा क्योंकि एक सच्चे और कर्मठ कार्यकर्त्ता के रूप में वे प्रदर्शन नापसन्द करते हैं। इसलिए मैं उनका औपचारिक आभार तो नहीं मान रहा हूँ किन्तु इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता तो सम्भवतः मैं पुस्तक को इस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाता।

श्री सुन्दरसिंह भण्डारी, संसद सदस्य ने मूल पाण्डुलिपि का अध्ययन करके न केवल महत्त्वपूर्ण सुझाव ही दिये हैं बल्कि इसे एक अच्छा प्रयास बताते हुए प्रकाशित करवाने के लिए उत्साहित भी किया। उनके इस उत्साहवर्धन के लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ।

सर्वश्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, विद्युत् एवं सिंचाई मन्त्री, राजस्थान सरकार तथा सिद्धराज ढड्ढा, अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने क्रमशः प्राक्कथन और भूमिका लिख कर मुझे उपकृत किया है। श्री त्रिलोकचन्द जी जैन, स्वास्थ्य मन्त्री, राजस्थान सरकार के प्रति भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने राजस्थान की जनता को लोक-संघर्ष में उसकी सफलता के लिए बधाई का सन्देश देकर स्वतन्त्रता की ज्योति जलाए रखने का आह्वान किया है।

पुस्तक के लेखन में जिन महानुभावों ने सामग्री उपलब्ध करवाई है उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। इसके अतिरिक्त इण्डियन ऐक्सप्रेस, राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका, साप्ताहिक उद्‌बोधन, दकाल, इतवारी पत्रिका तथा दिनमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके विभिन्न संस्करणों से मुझे सामग्री प्राप्त हुई।

मैं प्रकाशक तथा प्रिन्टर्स के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अल्प समय में पुस्तक को पाठकों के समक्ष रख कर उनकी जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयास किया है।

अन्त में मैं इस पुस्तक को उन शहीदों तथा राजनैतिक बन्दियों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर तथा यातनाओं को झेलकर भी लोकतन्त्र की रक्षा हेतु संघर्ष जारी रख कर विजय प्राप्त की।

ज्ञानचन्द शर्मा

प्राक्कथन

आपातकाल एक इस प्रकार का भयंकर राक्षस था, जो भारतीय जनता की अस्मिता, आत्मसम्मान और गौरव को कवलित कर उसे सदा सर्वदा के लिए पद-लुण्ठित दासी बना देना चाहता था। इसका कुजन्म एक इस प्रकार की सर्वग्रासी अमानवीय अधिनायकवादी प्रवृत्ति से हुआ था, जो सम्पूर्ण भारतवासियों को अपना क्रीत दासी समझती थी, और पशुवत बनाकर अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहती थी। इस काल में तानाशाही शासकों द्वारा निरीह जनता पर कितना और कैसा अमानवीय अत्याचार किया गया, इसका यत्किंचित अनुमान आयोगों के प्रकट तथ्यों और प्रकाशित ग्रन्थों से लगाया जा सकता है। जिस निरंकुश पाशविकता के ताण्डव नृत्य की कल्पना से ही रोमांच हो जाए, ऐसा अघटित भारत भूमि में घटित हुआ था। फिर भी भारतीय जनता ने अनेक प्रकार के दण्डदाय के प्रतिबन्धों और सीमाओं के बावजूद निर्मम शासक तन्त्र से संघर्ष किया और अन्त में उसे उखाड़ फैंका। यह संघर्ष ठीक ही सन् बयालीस के आन्दोलन से सन्तुलित किया गया है। वस्तुतः पिछले मार्च में ही हमें द्वितीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी।

इस देश व्यापी प्रतिरोध यज्ञ में राजस्थान भी पीछे नहीं रहा और प्रभूत मात्रा में इस संघर्ष-प्राण भूमि के सपूतों ने तन-मन और धन से आहुति दी। राजस्थान की जनता का संघर्ष कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि शताब्दियों से यहां के निवासी अपनी प्राण-प्रिय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हँसते-हँसते शीश न्योछावर करते आये हैं। राणा प्रताप की परम्परा के सुदृढ़ अनुगामी राजस्थान के जन कष्ट, पीड़ा और दमन से भयभीत हो जायें और अपने आत्म-सम्मान एवं स्वातन्त्र्य-भाव की उपेक्षा कर दें, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि राजस्थान की जनता ने अपने विरुद के अनुसार अत्याचारी सरकार के विरुद्ध कठिन संघर्ष और प्रतिरोध किया और अन्ततः उसे उखाड़ फैंका। इस प्रकार भारतव्यापी संघर्ष में बहुमूल्य योगदान किया।

डा० ज्ञानचन्द शर्मा अत्यधिक बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अत्यधिक परिश्रम

और लगन के साथ राजस्थान के आपातकालीन संघर्ष को प्रभावोत्पादक रीति से प्रस्तुत पुस्तक में अंकित किया है। वस्तुतः यह पुस्तक समकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं डा० शर्मा को पुनः एक बार साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह पुस्तक राजस्थान-वासियों को रुचिकर ही नहीं लगेगी, बल्कि कठिनाई से प्राप्त स्वतन्त्रता की उन्हें भविष्य में भी प्रेरणा देती रहेगी।

ललित किशोर चतुर्वेदी
विद्युत् एवं सिचाई मन्त्री
राजस्थान सरकार, जयपुर

भूमिका

सन् 1973 के उत्तरार्द्ध से शुरू होकर 1975 के प्रारम्भ तक का तीन-साढ़े तीन बरस का समय भारत के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सदियों की गुलामी के बाद सन् 1947 में भारत आजाद हुआ था। उस समय ऐसी आशा और आकांक्षा जागृत हुई थी कि अब आम जनता के दु:ख दूर होंगे और उन्मुक्त शक्ति से चालना पाकर देश उन्नति और विकास के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आजादी के बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया आशाएं धूमिल होती गईं। कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से लोगों का समर्थन हांसिल करने के लिए गांधी के नाम का पूरा उपयोग किया लेकिन उसकी क्रान्तिकारी दृष्टि और कार्यपद्धति को छोड़ दिया। कांग्रेस के शासन की गलत नीतियों के कारण देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दिन-ब-दिन बढ़ती गई और जनता का असन्तोष भी बढ़ता गया। जगह-जगह यह असन्तोष हिंसक कार्यवाही में फूट पड़ने लगा।

इन परिस्थितियों में जयप्रकाश जी की आवाज जो आसन्न खतरे की चेतावनी और आगे के कदमों का दिशा-दर्शन और उसके लिए प्रेरणा देती थी। पहले गुजरात और फिर बिहार में छात्रों के आन्दोलन ने व्यापक जन-आन्दोलन का रूप ले लिया। बिहार के छात्रों ने अपने आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी के हाथों में सौंपा। जयप्रकाश जी ने इस आन्दोलन को शिक्षा जगत की मांगों के सीमित दायरे में उठा कर उसे समाज व्यवस्था को बदलने का व्यापक लक्ष्य प्रदान किया। देश भर में घूम-घूम कर उन्होंने जनता को चेतना की नई परिस्थितियों और उससे उत्पन्न खतरों के प्रति सावधान किया। 1975 आते-आते सारे देश में जागृति की लहर दौड़ गई।

इस जागृति के कारण सत्ताधारियों के आसन डोलना स्वाभाविक ही था। 25 जून 1975 की रात को इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करके और सारे देश में दमन और अत्याचार का भयानक दौर शुरू हुआ। जयप्रकाश जी ने

आन्दोलन को पूर्ण रूप से अहिंसक और शान्तिमय मार्ग पर रखते हुए जन-शक्ति का जो अभिनव प्रयोग शुरू किया वह आपातकाल की घोषणा से अचानक बीच में रुक गया। लेकिन 1977 के प्रारम्भ में जब लोक सभा के चुनावों की घोषणा हुई और आपातकाल की निरंकुशता कुछ ढीली हुई तब शक्ति का दबा हुआ प्रवाह फिर उमड़ पड़ा और इस देश की साधारण जनता ने अपनी साधारण प्रतिभा का परिचय देकर देश को तानाशाही के खतरे से बचा लिया।

आपातकाल के डेढ़-दो बरस के असाधारण घटना चक्र के सम्बन्ध में अब पुस्तकों की बाढ़ सी आ गयी है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक का उद्देश्य सीमित है। 1974–75 के गत जन-आन्दोलन और उसके बाद आपातकाल का राजस्थान की जनता पर क्या प्रभाव हुआ और उसने इस स्थिति का किस तरह से मुकाबला किया। इसका सजीव वर्णन डा० ज्ञानचन्द शर्मा ने इस पुस्तक में किया है। वास्तव में यह काम जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को एक प्रोजैक्ट बना कर करना चाहिये था। पर लेखक ने अपने सीमित व्यक्तिगत प्रयत्न और शक्ति से जितना हो सकता था उतना काम इस विषय पर किया है।

इस पुस्तक में जो सामग्री संकलित की गई है उससे जाहिर है कि राजस्थान की जनता ने महाराणा प्रताप की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखा और तानाशाही शासकों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। आशा है कि यह पुस्तक भावी इतिहासकारों के लिए सहायक सिद्ध होगी और स्वतन्त्रता की भावना को जागृत रखने में भी।

1 मार्च 1978

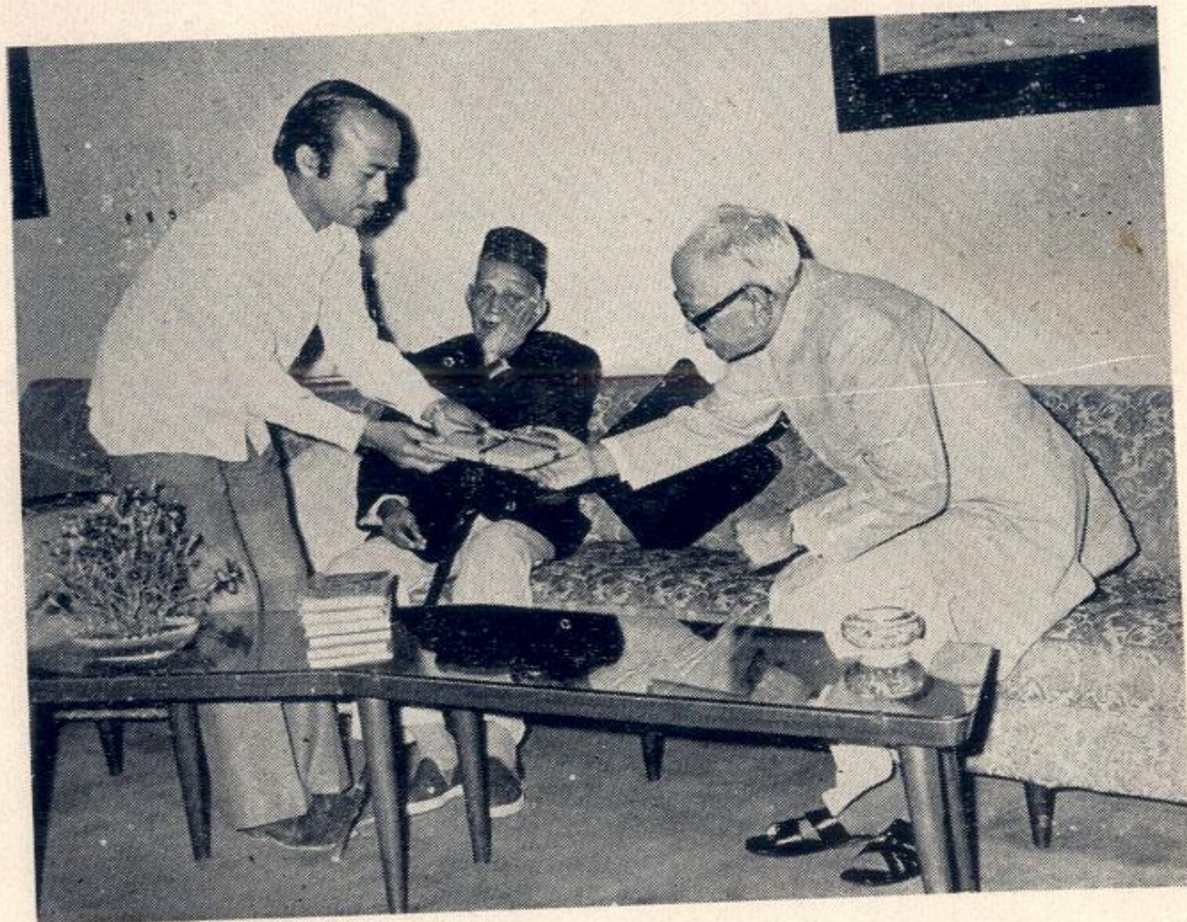
सिद्धराज ढड्ढा

अध्यक्ष

अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ

विमोचन समारोह

दिनांक 24 मार्च, 1978



महामहिम राज्यपाल **श्री रघुकुल तिलक "आपातकालीन अग्नि परीक्षा और राजस्थान"** पुस्तक का विमोचन करते हुए। बीच में
डा० मथुरालाल शर्मा भूतपूर्व उपकुलपति
राजस्थान विश्वविद्यालय
विराजमान है।

विषय-सूची

अध्याय 1

"आपात-स्थिति क्यों ?"

सन् 1971 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को प्रचण्ड बहुमत मिला था। इसका प्रमुख कारण श्रीमती गांधी का "गरीबी हटाओ" नारा था तथा सन् 1972 के प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव में जीत का प्रमुख कारण भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति था जिसके फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी बल्कि पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। परिणाम स्वरूप भारत के पूर्व में एक स्वतन्त्र राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे बंगला देश के नाम से पुकारा जाता है। इस घटना का भारत के प्रत्येक नागरिक ने न केवल स्वागत ही किया बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व की सराहना भी की।

यह सर्वविदित है कि इस युद्ध में भारत की सम्पूर्ण जनता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरकार को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था। विरोधी दलों ने भी एक स्वर में यही घोषणा की थी कि श्रीमती गांधी द्वारा उठाये जाने वाले हर कदम को हम समर्थन प्रदान करते हैं तथा करेंगे। इस अवसर पर भारतीय जन-संघ के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने भी घोषणा की कि इस समय एक देश है, एक ही राजनैतिक दल है तथा एक ही "श्रीमती गांधी" नेता हैं। इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि यह विजय व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि समस्त राष्ट्र की सम्मिलित विजय थी जिसके लिए प्रत्येक नागरिक अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा था।

श्रीमती गांधी समय का सदुपयोग करने में माहिर तो हैं ही इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा अपनी पार्टी को उपलब्ध कराने हेतु चुनाव कराने का निर्णय किया। चुनावों में विजय प्राप्त करके वह अपने एकछत्र नेतृत्व को स्थापित कर सकती थीं।

कांग्रेस पार्टी की चुनाव-सभाओं में श्रीमती गांधी ने अपने भाषणों के माध्यम से यह जाहिर किया कि पाकिस्तान पर विजय उनकी व्यक्तिगत विजय थी। इसका पूर्ण श्रेय उनको तथा उनकी नीतियों को दिया जाना चाहिए। इसके अति-रिक्त श्रीमती गांधी ने भारत की गरीब जनता के सम्मुख 'गरीबी हटाओ' का

नारा देकर अपने आपको गरीबों का शुभचिन्तक एवं उद्धारक सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया।

भावुक भारतीय जनता ने एक नारी के वचनों पर विश्वास किया तथा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके श्रीमती गांधी तथा उनकी पार्टी की नीतियों को समर्थन प्रदान कर दिया। चुनावों के परिणामों की घोषणा ने यह पुष्टि कर दी कि श्रीमती गांधी द्वारा उठाये गये कदम उचित थे। चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का आधार उसकी लोकप्रियता के साथ-साथ साधन-सम्पन्नता भी थी जबकि विरोधी दलों के पास सीमित साधन तो थे ही, सरकारी सहयोग भी उन्हें प्राप्त नहीं था जबकि कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने चुनावों में खुलकर किया था जैसा कि श्रीमती गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण की चुनाव याचिका पर निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज श्री सिन्हा ने भ्रष्ट साधन अपनाने के लिए श्रीमती गांधी को दोषी करार दिया।

इस अप्रत्याशित जीत ने न केवल श्रीमती गांधी के अहंकार में वृद्धि ही की, बल्कि कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के मुख्य नेताओं को भी श्रीमती गांधी के सम्मुख नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप उनका वर्चस्व कांग्रेस पार्टी पर इतना हो गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उनके दैत्याकार व्यक्तित्व के सम्मुख एक बौना व्यक्तित्व बन कर रह गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद केवल अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने के लिए ही रह गया था। राजनैतिक दल की कार्यकारिणी नीति-निर्माण का कार्य करती है जबकि उसकी संसदीय शाखा का नेता उन नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। नीति सम्बन्धी विषयों पर पार्टी एवं संसदीय दल में विचार-विमर्श होना स्वस्थ जनतन्त्र की निशानी है। आपातस्थिति के हटने के पश्चात् श्री चन्द्रशेखर ने जयपुर की आमसभा को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस संसदीय दल से विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया को श्रीमती गांधी ने त्याग दिया था, इसकी पुष्टि श्री अमृत नाहटा ने भी की थी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस-अध्यक्ष का पद प्रभावहीन हो चुका था, फलतः पार्टी का अब श्रीमती गांधी पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रह गया था, वस्तुतः पार्टी ही उनके मार्ग-निर्देशन पर चलने लग गई थी।

ऐसी स्थिति में भी कुछ कांग्रेसी सत्य को पहचानने वाले थे जो अन्धाधुन्ध श्रीमती गांधी को समर्थन देने को तैयार नहीं थे। ऐसे कांग्रेसी उनकी आंखों में खटक रहे थे। यह ग्रुप युवा-तुर्कों के नाम से जाना जाता था। श्रीमती गांधी ने

इन युवा तुर्कों को 'विभाजित करो तथा शासन करो' की नीति अपना कर अपने नियन्त्रण में रख रखा था।

श्री जयप्रकाश नारायण इन परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने 22 जुलाई 1972 को एक समाचार-पत्र को दी गई मुलाकात में कहा था, "अपने देश में निरंकुशतावादी शासन-व्यवस्था का भय बढ़ता जा रहा है। इसमें लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था को हानि पहुंचेगी। एक लोकतन्त्रनिष्ठ नागरिक होने के नाते मुझे दुःख हो रहा है कि यहां के विरोधी दल बहुत दुर्बल हैं और राज्य की सत्ता केवल एक दल के ही नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होती जा रही है.....।"

छब्बीस जून 1975 के बाद की घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन कितना सही था।

श्रीमती गांधी पर न तो पार्टी का और न ही कांग्रेस संसदीय दल का कोई नियन्त्रण रह गया था, इसलिए वे अपने अहम् में एक के बाद एक गलत कदम उठाती चली गई। परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आने लगी, मंहगाई आकाश छूने लगी। अर्थ-व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, परिणामस्वरूप रोजगार के साधन सीमित हो गये और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती चली गई। राजनैतिक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और समाज के हर वर्ग का नैतिक आचरण गिरने लगा। समाज के प्रत्येक वर्ग में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया।

यह स्वाभाविक था कि उपर्युक्त परिस्थितियां समाज के प्रत्येक वर्ग में सरकार की नीतियों के खिलाफ असन्तोष उत्पन्न करें। वास्तव में सारे देश में जनता का असन्तोष एक सूखे बारूद के ढेर के समान जमा हो चुका था जिसमें एक छोटी सी चिनगारी भी भयानक विस्फोट का कार्य कर सकती थी। यह छोटी सी चिनगारी गुजरात के विद्यार्थी थे। बढ़ती हुई मंहगाई के कारण उनके होस्टलों में खाने का खर्च काफी बढ़ चुका था, जो असहनीय था। सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विद्यार्थी वर्ग ने आन्दोलन करने का निश्चय किया।

आन्दोलन आरम्भ करते समय भ्रष्टाचार समाप्त करो की मांग भी इसका एक भाग बन गई थी इस आन्दोलन को चलाने के लिए विद्यार्थियों ने 'नव निर्माण युवक समिति' का गठन किया जो पूर्णरूप से विद्यार्थियों की ही संस्था थी। मंहगाई तथा भ्रष्टाचार के विरोध में समस्त विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में हड़तालों का

आयोजन किया गया। सरकार पर इन हड़तालों का कोई असर न होते देखकर विद्यार्थियों ने विरोध प्रकट करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने का निश्चय किया। लेकिन सरकार भी विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों को कुचलने का निर्णय ले चुकी थी। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिए शक्ति का सहारा लिया। शान्त प्रदर्शनों पर लाठी-चार्ज किया गया और विद्यार्थी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वविद्यालय एवं कालेजों के होस्टल जबरन खाली करवा लिए गये तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिये गये। सरकार की दमन पूर्ण नीति के बावजूद यह आन्दोलन अपना विशाल रूप धारण करता चला गया। गुजरात की जनता निहत्थे विद्यार्थियों पर लाठी तथा गोलियों का चलना सहन नहीं कर सकी। इसलिए जनता ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए विद्यार्थी आन्दोलन को सहयोग देने का निर्णय लेकर इस आन्दोलन को एक जनआन्दोलन में परिवर्तित कर दिया। गुजरात के बड़े-बड़े शहरों में बन्दों का आयोजन कर जनता ने अपने रोष को व्यक्त किया। व्यापारी, मजदूर तथा अन्य वर्गों ने इन बन्दों को सफल बनाकर विद्यार्थियों के प्रति अपना सहयोग प्रदर्शित किया।

सरकारी दमन चक्र तेज हुआ, आन्दोलनकारियों पर लाठियों और गोलियों की बौछार हुई, बहुत से आन्दोलनकारी शहीद हुए। इन आहुतियों ने आन्दोलन-कारियों को आतंकित करने की बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह कैसी विडम्बना थी कि जनकल्याण हेतु जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही जनता को निर्दयतापूर्वक गोलियों का शिकार बना रही थी। क्या वह लोकप्रिय सरकार थी?

इन घटनाओं ने जनता का विश्वास अपने जनप्रतिनिधियों पर से उठा दिया। इसलिए 'जन-प्रतिनिधियों को वापिस बुलाओ' की मांग भी इस आन्दोलन के साथ जुड़ गई। जनता ने उस हत्यारी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अब स्थिति काफी बदल चुकी थी, मंहगाई और भ्रष्टाचार समाप्त करो की मांगें गौण बन कर रह गई थीं तथा सरकार के इस्तीफे की मांग ने प्रमुख रूप धारण कर लिया था।

लेकिन गुजरात प्रान्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने जन-प्रतिनिधियों के इस्तीफे की मांग को अलोकतन्त्रीय बताकर इसकी कटु आलोचना की तथा इस मांग को चन्द असामाजिक तत्त्वों की मांग की संज्ञा देकर प्रान्तीय सरकार के हौसले बुलन्द कर दिये। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने इस जन-आन्दोलन को कुचलने के लिए प्रान्तीय सरकार को हर सम्भव सहायता देने का निर्णय लिया। फलस्वरूप सेना तथा

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को बन्दूकें तथा स्टेनगनें देकर निहत्थे आन्दोलनकारियों को दबाने के लिए गुजरात जाने का आदेश प्रदान कर दिया। गुजरात के मुख्य बड़े-बड़े शहरों में सेना तथा रिजर्व पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया।

लेकिन कांग्रेसी नेता अपने पूर्व इतिहास को भूल चुके थे। वे यह भूल गये थे कि गुजरात उसी राष्ट्रपिता की जन्म-भूमि है जिसने अहिंसा के शस्त्र द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिऐ मजबूर कर दिया था। तो क्या उसी भूमि पर पैदा होने वाले विद्यार्थी सेना के जवानों या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सामने समर्पण कर देंगे? और आखिर यही हुआ कि केन्द्रीय सेना भी श्री चिमन भाई पटेल की अलोकतन्त्रीय सरकार को गिराने से नहीं बचा सकी। अन्त में श्री चिमन भाई पटेल को त्यागपत्र देकर जनता की मांग के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ा। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर विधानसभा को निलम्बित कर दिया गया लेकिन आन्दोलनकारी विधानसभा को भंग कर नये चुनावों की मांग कर रहे थे। श्रीमती गांधी और उनकी सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए चुनावों की घोषणा के प्रश्न को लगातार टाला जा रहा था।

इस मांग के प्रति जनसमर्थन और औचित्य को देखते हुए श्री मोरारजी देसाई ने केन्द्र सरकार पर चुनाव की घोषणा करने हेतु नैतिक दबाव डालने के लिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया। सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित कर अपना अनशन आरम्भ कर दिया। गुजरात की ही नहीं समस्त भारत की जनता की सहानुभूति श्री देसाई के साथ थी। श्रीमती गांधी ने स्थिति को भांप कर शीघ्र ही चुनावों की घोषणा कर दी। इस प्रकार से गुजरात-आन्दोलन जनता की संगठित शक्ति का श्रीमती गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति पर पहला प्रहार था। वह घायल अवश्य हो गई थीं लेकिन समय पाकर इसका बदला लेने का निश्चय कर चुकी थीं।

इस आन्दोलन के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण सन् 1974 के फरवरी मास में गुजरात गये थे। गुजरात की संगठित युवा शक्ति को देख कर उन्होंने कहा था कि गुजरात के युवा वर्ग ने उनको मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा यदि सम्पूर्ण क्रान्ति-आन्दोलन सफलता पूर्वक चलाना है तो उसमें विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग को अग्रसर होना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सामूहिक वृत्ति तब ही सच्चे मायनों में लोकतान्त्रिक कही जा सकती है जब सामान्य जनता उत्साह से बड़े पैमाने पर उसमें सक्रिय तथा शान्तिपूर्ण भाग लेती है।

गुजरात के आन्दोलन को मद्देनजर रखते हुए बिहार की युवा शक्ति ने भ्रष्टाचार मिटाने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण से अपने आन्दोलन का नेतृत्व स्वीकार करने की प्रार्थना की।

इस प्रकार श्री जयप्रकाश नारायण ने इस आन्दोलन को सीमित न रखकर व्यापक बनाने का सुझाव दिया। न्यायोचित मांगों के लिए केवल अहिंसा का ही सहारा लेने का वचन युवावर्ग से प्राप्त कर उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार किया। इसलिए बिहार-आन्दोलन कुछ अर्थों में गुजरात-आन्दोलन से भिन्न था।

प्रथम तो इस आन्दोलन का ध्येय सीमित नहीं था, बल्कि व्यापक था। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल शान्तिमय एवं अहिंसात्मक साधन ही अपनाये जायेंगे जबकि गुजरात के आन्दोलनकारियों ने सरकार के दमन से बचने के लिए कभी कभी हिंसात्मक रूप भी धारण कर लिया था। लेकिन बिहार-आन्दोलन को पूर्ण रूप से अहिंसक रखने का श्री जयप्रकाश जी का अटल निश्चय था।

कानपुर में 3 फरवरी 1974 को विद्यार्थियों के सम्मेलन में बोलते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा..................आज सत्ताईस-अठाईस वर्षों के बाद का जो स्वराज्य है, उसमें जनता कराह रही है। भूख है, मंहगाई है, भ्रष्टाचार है............शिक्षा-संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं। हजारों नौजवानों का भविष्य अन्धेरे में पड़ा हुआ है......... इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि उनका जीवन नष्ट हो रहा है.............दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है.............गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ी है। पिछले वर्षों में भूमिहीनता मिटाने के लिए सीलिंग के कानून, दूसरे कानून बने हैं लेकिन आज पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग भूमिहीन हैं।

विद्यार्थियों के आग्रह पर आन्दोलन का नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने हाथों में लिया। उनके कारण ही आन्दोलन का चरित्र शान्तिमय एवं निर्दलीय रहा। देखते-देखते बिहार में यह आम जनता का आन्दोलन बन गया। विधानसभा पर पिकेटिंग के साथ-साथ शराब की दुकानों पर धरना, दहेज के खिलाफ आन्दोलन, वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों पर अंकुश, जनता सरकार का गांव-गांव में गठन एवं उसके द्वारा रचनात्मक काम इत्यादि अनेक कार्यक्रम इस आन्दोलन के दौरान चले। 5 जून 74 को श्री जयप्रकाश जी ने पटना की एक विशाल जन सभा में इस आन्दोलन का मकसद सम्पूर्ण क्रान्ति घोषित किया। इस के सात पहलुओं पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। सरकार ने इस शान्तिमय आन्दोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की। निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई

गयीं, जिसमें करीब 150 व्यक्ति शहीद हुए। 4 नवम्बर को खुद जयप्रकाश जी पर भी लाठियां चलाई गईं और उस दिन पटना में हवाई जहाज से आंसु गैस के गोले फैंके गये। यह सब देखकर श्री जे० पी० ने पुलिस से कहा कि निहत्थे, निरपराध लोगों पर गोली चलाने का आदेश पुलिस कानून के अनुसार नहीं है, इसलिए ऐसी गलत आज्ञाओं का पालन पुलिस न करे। बिहार की पुलिस को ऐसे अन्याय करने से विरत होती देखकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल बुलाया गया। लेकिन यह आन्दोलन दबने के बजाय देश में फैलने लगा।

चूंकि सारे देश की परिस्थितियां एक ही जैसी थी। इसलिए इन समान परिस्थितियों में श्री जयप्रकाश नारायण ने सारे भारत में इन्हीं मांगों को लेकर जन-आन्दोलन चलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इस जन-आन्दोलन को उन्होंने सम्पूर्ण क्रान्ति की संज्ञा दी। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि उसे सम्पूर्ण क्रान्ति की पूर्ण जानकारी दी जाये। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने देश के भिन्न-भिन्न भागों की यात्राएं की तथा जन-सभाओं को सम्बोधित किया। लगभग 200 से 300 तक जनसभाएं आयोजित की गई। उन्होंने युवकों को राजनैतिक भ्रष्टाचार तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं की हत्या को रोकने के लिए अपना क्रियात्मक सहयोग देने के लिए अह्वान किया। श्री नारायण के इन भाषणों ने युवकों के लिए गीता के उपदेशों जैसा काम किया। उनमें सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए एक नया जोश और उत्साह उमड़ पड़ा।

श्री नारायण के इन भाषणों का संक्षेप में सार इस प्रकार था "यह जो नई राजनीति अर्थात् लोकनीति होगी उसका जन्म जनता की शक्ति में से होगा। समानता, स्वतन्त्रता, बन्धुता, जातिविहीन समाज, हर एक को आवश्यकतानुसार मिले और हर एक अपनी क्षमता भर समाज को दे—ये सब ध्येय अब सिद्ध हों, प्रत्यक्ष व्यवहार में उनका अमल हो, ऐसी आज के युग की मांग है"..........उपर्युक्त भाषणों से श्री जयप्रकाश की भावी भारत की कल्पना का स्पष्ट रूप सामने आता है।

श्री जयप्रकाश जी ने सम्पूर्ण क्रान्ति के उद्देश्यों को भी बिहार आन्दोलन के दौरान दिये गये भाषणों में स्पष्ट कर दिया था। इसके उद्देश्यों को इस प्रकार से प्रकट किया गया था।

"मैं इस आन्दोलन को सम्पूर्ण क्रान्ति के रूप में देखता हूँ समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं नैतिक परिवर्तन हों।"

समाज की बुराइयां दूर हों, और इन्साफ हो, आर्थिक परिवर्तन हो। कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाने से उसमें से तानाशाही निकलेगी। इसलिए मैं तो सोलह आना इसके (हिंसा) के विरुद्ध हूँ।

सबसे नीचे के लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, चाहे वे खेतिहर मजदूर हों, भूमिहीन हों, मुसलमान, हरिजन अथवा आदिवासी हों उनका पहले विकास हो। मैं जब दूर तक देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जो सर्वोदय की मंजिल है वही समाजवाद अथवा साम्यवाद की मंजिल है, सब एक तरह का ध्येय रखते हैं। तरीके, रास्ते अलग-अलग हैं, हो सकते हैं।

सम्पूर्ण क्रान्ति का मतलब है समाज का परिवर्तन। समाज की कुरीतियां नष्ट हों। हिन्दू समाज में, मुस्लिम समाज में भी शायद जिस किसी रूप में हो यह तिलक, दहेज की जो प्रथा है वह बन्द हो ऊंच-नीच का भेद मिटना चाहिए जो हरिजन हैं वह भी इन्सान हैं, इसका भान होना चाहिए।

उपर्युक्त बातों पर यदि मनन किया जाये तो कौन कह सकता है कि ये सुधार क्रांति नहीं हैं? इसलिए ही उन्होंने उन सुधारों को सम्पूर्ण क्रान्ति की संज्ञा दी।

गांधीवादी होने के कारण उनका साध्य और साधन की शुद्धता में अटूट विश्वास है, इसलिए इस सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए जिस मार्ग की घोषणा की वह इस प्रकार थी, "हिंसा मेरा विश्वास नहीं है। क्योंकि मैं लोकतन्त्र को मानता हूं। मैं जनता को मानता हूं। हिंसा का रास्ता वे ही अपनाते हैं, जिन्हें जनता पर विश्वास नहीं होता है। जहां कानून निष्पक्ष होता है वहां अहिंसा से ही आगे बढ़ना होगा। हिंसा से कुछ नहीं होता है, मात्र हिंसा से अराजकता फैलेगी। अगर असन्तोष को शान्तिमय संघर्ष का रास्ता नहीं दिया गया तो छुटपुट हिंसा फैलेगी। उस वक्त कोई भी शासक हों—इन्दिरा जी हो—और कोई हो अथवा अपनी सेना हो—वह कहेगी अब तो देश मे आग लगी हुई है, अब देश मिट जायेगा। इसलिए तानाशाही के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो मैं यह कहता हूं कि हिंसा का रास्ता अपनाने से उसमें से तानाशाही निकलेगी मैं तो सोलह आना इसके (हिंसा) विरुद्ध हूं।

उपर्युक्त भाषण से स्पष्ट है कि श्री नारायण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शान्तिमय संघर्ष को ही उचित समझते थे। वे किसी भी कीमत पर हिंसा को अपनाने को तैयार नहीं थे। फिर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती गांधी के इस आरोप को कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि बाबू जयप्रकाश ने भारत में हिंसा भड़का कर जनतन्त्र-व्यवस्था को समाप्त करने हेतु ही सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया

था। कांग्रेस पार्टी के पास बाबू जयप्रकाश की बढ़ती हुई लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए एक ही हथियार शेष था और वह था झूठे आरोप लगाकर उनकी स्वच्छ तस्वीर को धूमिल करना। लेकिन उन्हें इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन छेड़ने के लिए प्रत्येक राज्य में जनसंघर्ष समितियों का गठन किया गया। अकाली दल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पूर्ण सहयोग इस आन्दोलन को प्रदान किया। इस प्रकार से सम्पूर्ण क्रान्ति का बिगुल भारत के प्रत्येक राज्य में बज चुका था। कुछ राज्यों में तो छुटपुट रूप में आन्दोलन आरम्भ भी हो चुका था। राजस्थान में श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में बनी जनसंघर्ष-समिति ने सरकार द्वारा किसानों से लेवी वसूल करने के विरोध में आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। श्री गोकुल भाई भट्ट के मतानुसार जनसंघर्ष-समिति केवल छोटे किसानों से ही लेवी वसूल करने की विरोधी थी। लेकिन सरकार ने इसे बिहार-आन्दोलन के समान ही चलाये जाने वाले आन्दोलन की भूमिका समझकर इसे सख्ती से दबाने का निश्चय किया, जिसके परिणामस्वरूप भोपालगढ़ में किसानों के लेवी-विरोधी प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गईं। इसमें कई व्यक्ति शहीद हुए। राजस्थान किसान युनियन और विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम की सख्त आलोचना की। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की आलोचनाओं की ओर ध्यान न देकर लेवी-विरोधी आन्दोलन को दबाना जारी रखा। देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस-शासन के खिलाफ धीरे-धीरे आग सुलग रही थी।

बाबू जयप्रकाश लगातार सुधारों की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार सुधार लागू करने की बजाय इस आक्रोश को शक्ति से दबाने पर उतारू थी। सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से विरोधी दलों ने श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में सुधारों की मांगों का एक चार्टर लोकसभा-अध्यक्ष को देने का निश्चय किया। सुधारों के प्रति जनसमर्थन प्रदर्शित करने के लिए छः मार्च 75 को देहली में एक जन-प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया। इस जनता-मार्च में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह जुलूस लाल किले के सामने से आरम्भ होकर बोट क्लब पहुंचा। एक प्रतिनिधि मण्डल श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मांग पत्र लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष को देने के लिए गया। इस मांगपत्र में देश के आर्थिक, सामाजिक पुनरुत्थान, प्रजातान्त्रिक अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा और चुनाव-प्रणालियों में सुधार और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण तथा भ्रष्टाचार-उन्मूलन से सम्बन्धित मांगें थीं।

यह जुलूस ग्राजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जुलूस था। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इस जुलूस में किसी भी राजनैतिक दल की छाप नहीं लगी हुई थी, जबकि सभी विरोधी दल इसमें भाग ले रहे थे। किसी भी दल का न तो कोई ध्वज था ग्रौर न ही ग्रपने नेताग्रों के नारे लगाये जा रहे थे। सही अर्थों में यह एक जनता-मार्च सा दिखाई दे रहा था। सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस जुलूस ने यह प्रदर्शित कर दिया था कि सरकारी ग्रड़चनों के बावजूद भी लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर सम्पूर्ण क्रान्ति के उद्देश्यों का समर्थन किया था। सरकार को जनता की ग्राकांक्षाग्रों की कदर करते हुए कुछ न कुछ ग्रवश्य करना चाहिए था। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया ही कुछ ग्रौर हुई। श्रीमती गांधी ग्रौर उनकी पार्टी ने इसे एक चुनौती समझ कर इस ग्रान्दोलन को पूर्ण रूप से कुचलने का निश्चय कर लिया। ग्रर्थात् ग्रब सरकार का रुख श्री जयप्रकाश के सम्पूर्ण क्रान्ति के ग्रान्दोलन के प्रति और भी कड़ा हो गया था। सरकार के इस रुख को देखते हुए विरोधी दलों के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई विकल्प नहीं रह गया था। यह कार्यक्रम इतना ठोस होना चाहिए कि इसमें सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त कर सरकार को सम्पूर्ण क्रान्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को बाध्य किया जा सके। श्री जय-प्रकाश जी का कहना था कि जब तक विरोधी दल मिलकर एक नहीं हो जाते हैं ग्रर्थात् कांग्रेस के मुकाबले में ग्रपना विलय कर जनता को कांग्रेस का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, उस समय तक सफलता मिलने की सम्भावनाएँ कम नजर ग्राती हैं। लेकिन वे विरोधी दलों पर विलय के लिए दबाव डालने की स्थिति में भी नहीं थे। विरोधी दलों के नेता किन्हीं कारणों से अपने ग्रस्तित्व को समाप्त करने को तो सहमत नहीं थे लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए ग्रावश्यक सहयोग देने को तैयार ग्रवश्य थे। वे श्री जयप्रकाश जी का नेतृत्व भी स्वीकार करने को तैयार थे जिसका प्रमाण जनता-मार्च था।

जिस समय देश में इस प्रकार की राजनैतिक परिस्थितियां थी उसी समय गुजरात में विधान-सभा के चुनावों की तैयारी जोर-शोर से की जा रही थी। कांग्रेस-विरोधी सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। कांग्रेस (संगठन), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, संसोपा इत्यादि दलों ने मिलकर श्री बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में जनता-मोर्चा बनाया। उपर्युक्त सभी विरोधी दलों ने एक ही चुनाव-घोषणा-पत्र के ग्राधार पर चनाव लड़ने का निश्चय किया। यह कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त रूप से शक्ति-प्रदर्शन था। इसके ग्रतिरिक्त विरोधी दलों के लिए एक प्रयोग भी था जिसके ग्राधार पर वे यह देख सकते थे

कि क्या संयुक्त रूप से वे कांग्रेस को पछाड़ सकते हैं? वस्तुतः गुजरात का जनता-मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों के विलय के लिए मार्ग प्रशस्त करने की प्रथम सीढ़ी थी।

उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीमती गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण की चुनाव-याचिका पर न्यायमूर्ति श्री सिन्हा बहस सुन चुके थे। इस चुनाव-याचिका में श्री राजनारायण ने श्रीमती गांधी पर चुनाव जीतने के लिए अनैतिक एवं गैरकानूनी साधन अपनाने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने इस अपील पर निर्णय देना उचित नहीं समझा, चूंकि यह फैसला गुजरात के चुनावों पर प्रभाव डाल सकता था। इसलिए 12 जून 75 तक फैसला सुनाना स्थगित कर दिया गया था।

गुजरात के चुनावों में जनता मोर्चे को स्पष्ट बहुमत मिल गया था। विरोधी दलों के संयुक्त प्रयासों के सामने कांग्रेस की यह एक करारी हार थी। इसके अतिरिक्त विरोधी दलों को यह सबक भी मिल गया था कि यदि वे कांग्रेस के शासन को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपने दलों का विलय कर एक नया राजनैतिक दल गठित कर लेना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण की भविष्यवाणी भी कितनी सत्य निकली कि यदि विरोधी दल एक हो जावें तो कांग्रेस को सत्ताच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार से गुजरात के चुनावों ने न केवल कांग्रेस के मनोबल को ही तोड़ा बल्कि विरोधी दलों को विलय के प्रश्न पर पुनः विचार करने को भी बाध्य किया।

इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सिन्हा ने 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी के खिलाफ श्री राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए निर्णय दिया कि श्रीमती गांधी ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाये, फलस्वरूप श्री राजनारायण की याचिका स्वीकार करते हुए श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट तरीके अपनाने के आरोप में उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बनने के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। श्रीमती गांधी के वकील ने इस निर्णय को तत्काल लागू न किये जाने हेतु स्थगन प्राप्त करने की प्रार्थना की तो न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने 20 दिन का स्थगन आदेश दिया। इससे स्पष्ट था कि या तो कांग्रेस पार्टी 20 दिन में अपना नया नेता चुन ले या फिर श्रीमती गांधी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करें।

बारह जून को दिन के एक बजे तक श्रीमती गांधी का निवास स्थान,

को इसमें सम्मिलित होने के लिए हर सम्भव सुविधा प्रदान करें। यद्यपि अधिकतर प्रदर्शनकारी बसों, ट्रकों तथा रेलगाड़ियों में आये थे, फिर भी भारी संख्या में सरकारी वाहन जो विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित थे इस रैली में उपस्थित थे। रैली कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की गई है या सरकारी स्तर पर इसका आयोजन किया गया ? संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पार्टी और सरकार के बीच तब अन्तर समाप्त हो चुका था तथा सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए ही थी।

सभी प्रदर्शनकारी वोट-क्लब पर एकत्रित हुए। इसको सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि यह प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि जनता का मुझ में विश्वास है। श्रीमती गांधी ने कहा कि बाहरी और भीतरी शक्तियां मेरे चरित्र-हनन में लगी हुई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ ने अपनी और जनता की वफादारी को इन शब्दों में व्यक्त किया, "इन्दिरा तेरी जय हो, सुबह जय हो, शाम को जय हो, तेरे काम की जय हो, तेरे नाम की जय हो।" इसके अतिरिक्त श्रीमती गांधी के प्रधान-मन्त्री पद पर बने रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए यहां तक कह डाला कि इन्दिरा ही भारत है ((Indira is India) उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि कांग्रेस-अध्यक्ष जैसे पद पर आसीन व्यक्ति किस प्रकार मूर्खता भरा तथा बचकाना वक्तव्य दे रहा था। किसी व्यक्ति की खुशामद करने की यह पराकाष्ठा थी तथा राष्ट्र का यह खुले आम अपमान था, जिसके लिए वे सजा के अधिकारी होने चाहिए थे।

रैली में सभी केन्द्रीय मन्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने श्रीमती गांधी के समर्थन में वक्तव्य जारी किये। इसके पश्चात् उन्हें हुक्म दिया गया कि वे राष्ट्रपति को ज्ञापन दें जिसमें श्रीमती गांधी का प्रधान मन्त्री पद पर बने रहने की आवश्यकता दर्शायी जाये। मुख्यमन्त्रियों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने देश के समक्ष एक संकट पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। लेकिन इस संकट की घड़ी में श्रीमती गांधी का मार्ग-दर्शन जरूरी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि "यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है।" इस समय देश की आन्तरिक स्थिति और बाहरी आक्रमण के खतरे को दृष्टि में रखकर अगर इस अवसर पर श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा तो यह महान् राष्ट्रीय त्रासदी होगी। इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कुछ राज्यों में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस प्रदर्शन से ...साहित होकर कांग्रेस पार्टी ने राज्यों की राजधानियों में भी इस प्रकार के प्रदर्शन करने की योजना बनाई। इस सिलसिले में पहला प्रदर्शन कलकत्ता में 8 जुलाई को करने का निश्चय किया गया। इसके

अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों को श्रीमती गांधी के समर्थन में उनकी कोठी पर प्रदर्शन करने को बाध्य किया गया। इन प्रदर्शनों में सरकारी तन्त्र का खुलकर दुरुपयोग किया गया। लेकिन सत्ता के नशे में कांग्रेसी नेता इसे अनुचित नहीं मान रहे थे।

मुख्य मन्त्रियों के वक्तव्यों तथा रैलियों के आधार पर श्रीमती गांधी ने यह कहा कि जनता का उन पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी को भारत की न्याय-व्यवस्था में कतई विश्वास नहीं था तथा वे अपने पद को बनाये रखने के लिए निम्न से निम्न स्तर तक जाने को तैयार थीं। उधर विरोधी दलों ने श्रीमती गांधी से इस्तीफे की मांग की। विरोधी दलों ने त्यागपत्र की मांग का आधार वैधानिक एवं नैतिक बतलाया। लेकिन श्रीमती गांधी तो वैधानिकता एवं नैतिकता को स्वार्थ के वशीभूत होकर त्याग चुकी थीं। इसलिए इस मांग का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। श्रीमती गांधी के इस निर्णय पर हेमवती नन्दन बहुगुणा का वह वक्तव्य याद आता है "श्रीमती गांधी खेल खेलने के पश्चात् नियमों का निर्माण करती हैं, ताकि हमेशा ही उनकी जीत होती रहे।" श्री बहुगुणा द्वारा श्रीमती गांधी के चरित्र का कितना अच्छा विश्लेषण किया गया है।

18 जून को कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करने के लिए मीटिंग की, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे श्रीमती गांधी को ही अपना निर्विवाद नेता मानते हैं। सर्व श्री चन्द्रशेखर, मोहनधारिया तथा उनके सहयोगी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते रहे थे कि श्रीमती गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सम्मिलित नहीं हुए।

श्रीमती गांधी ने विरोधी दलों पर यह आरोप लगाया कि उनका एक मात्र उद्देश्य "इन्दिरा हटाओ" है तथा उन चन्द व्यक्तियों के कहने से भारत की करोड़ों जनता के हितों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। जिन्होंने मेरे समर्थन में प्रदर्शन कर मुझ में पूर्ण आस्था प्रकट की है। विरोधी दलों पर अलोकतन्त्रीय होने का आरोप इस आधार पर लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमन्त्री जैसे गरिमा के पद को विवाद का विषय बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे विरुद्ध एक षड्यन्त्र रचा जा रहा है, मगर प्रश्न यह नहीं कि मैं प्रधानमन्त्री रहती हूं या नहीं। मैंने बचपन से ही अपने देश की सेवा की है और मैं अन्तिम सांस तक करती रहूंगी।

श्री जयप्रकाश नारायण पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बल के साथ

यह कहा कि प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र की मांग एक ऐसा सवाल है कि जिसके पक्ष में विरोधी दल प्रबल लोकमत संगठित कर सकते हैं और कांग्रेस दल के विरुद्ध जनमत का तराजू झुका सकते हैं। लोकतन्त्र शासन-व्यवस्था में श्री जयप्रकाश नारायण की विरोधी दलों को यह सलाह देना कोई अनुचित कार्य नहीं था। चूंकि श्री नारायण ने तो राजनैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बिहार-आन्दोलन के माध्यम से तथा उसके पश्चात् सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा देकर बजा ही दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार श्रीमती गांधी ने चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए सरकारी तन्त्र का प्रयोग कर राजनैतिक भ्रष्टाचार किया था। उनका पद पर बने रहना न्यायालय की गरिमा पर एक आघात तो था ही इसके अलावा राजनैतिक भ्रष्टाचार को वाजिब ठहराने के लिए एक कदम भी था। यदि जयप्रकाश जी के इस प्रकार विचार व्यक्त करने के आधार पर ही उनकी कटु आलोचना की गई तो यह कैसा लोकतन्त्र था जिसमें कि नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतन्त्रता नहीं रहे।

विरोधी दलों की न्यायोचित मांग को ठुकरा कर श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी जिसका अधिकार उन्हें इलाहाबाद हाइकोर्ट से मिल चुका था। इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश होने के कारण अवकाशकालीन न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गांधी के प्रतिवेदन पर सशर्त स्थगन आदेश दिया जिसके अनुसार वह मुकदमें का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के अपने अधिकार से वंचित रहेंगी लेकिन प्रधानमन्त्री के रूप में काम करने का उनका अधिकार बरकरार रहेगा। उन्होंने श्रीमती गांधी के वकील श्री एन० ए० पालखीवाला की यह दलील स्वीकार नहीं की कि दुर्बल आधार पर किये गये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उन्हें बेशर्त स्थगन-आदेश प्राप्त करने का हक है। श्रीमती गांधी और श्री राजनारायण दोनों को ही यह स्वतन्त्रता होगी कि वे यदि चाहें तो 14 जुलाई को न्यायालय खुलने पर उस निर्णय के विरुद्ध दावा दायर कर सकते हैं।

निर्णय सुनाये जाने के तत्काल बाद राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। कांग्रेसी और विरोधी खेमों में अपने-अपने पक्ष में मत व्यक्त किये गये। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पुनः विश्वास प्रकट किया गया लेकिन कांग्रेस दल में भी एक असन्तुष्ट दल था जो उनके द्वारा त्याग-पत्र देना आवश्यक मानता था। उनकी भी अलग से बैठक हुई, जिसमें त्यागपत्र देना उचित है ऐसा निर्णय लिया गया। दूसरी तरफ गैरकम्युनिष्ट पांच प्रतिपक्षी दलों ने

श्रीमती गांधी से त्याग-पत्र मांगने हेतु सत्याग्रह समेत देशव्यापी आन्दोलन करने की घोषणा की। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने श्रीमती गांधी का समर्थन करते हुए उनसे आग्रह किया कि वह दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दबाव के कारण त्यागपत्र न दें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया जिसने विरोधी दलों को अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर देशहित में एक मंच पर बैठकर इस राजनैतिक समस्या पर विचार-विमर्श करने को मजबूर कर दिया। 21 जून से 25 जून तक जनता-मोर्चा के घटकों और अकाली दल की कार्यकारिणी की मिली-जुली बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि इस समान दृष्टि और परस्पर निर्भरता को स्थायित्व देना आवश्यक है और संयुक्त कार्यक्रमों पर अमल के लिए एक सम्पर्क-समिति या ऐसी ही कोई संस्था बनाई जानी चाहिए। इस पर विचार के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह या मध्य में पांचों दलों की कार्यकारिणी के सदस्य एकत्र होंगे। विरोधी दलों ने 22 जून 75 को देहली में एक सार्वजनिक सभा करने का निर्णय भी लिया जिसको सम्बोधित करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण से प्रार्थना की गई। इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। रामलीला-मैदान में यह सभा आयोजित की गई लेकिन श्री नारायण इस सभा को सम्बोधित नहीं कर सके क्योंकि जिस विमान से वह आने वाले थे कुछ 'तकनीकी' कारणों से उस विमान की उड़ान को रद्द कर दिया गया था। इस सभा में श्री मोरारजी देसाई ने ऐलान किया कि पांचदलीय मोर्चा श्रीमती गांधी से इलाहाबाद का फैसला मनवाने के लिए शान्तिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन करेगा। उनका तर्क था यदि श्रीमती गांधी के मन में देशहित सर्वोपरि होता तो वह फैसले के तुरन्त बाद त्यागपत्र दे देतीं। 'अब करो या मरो' की भावना से काम करना आवश्यक है क्योंकि मौजूदा सरकार से देश को खतरा है। श्री राजनारायण ने कहा कि अदालत के फैसले के आधार को तकनीकी बताना जनता की आंख में धूल झोंकना है जबकि श्री लालकृष्ण अडवानी का कहना था कि गुजरात में जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है और अदालत ने श्रीमती गांधी को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया है। श्री मधु लिमये ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा श्रीमती गांधी के समर्थन में जारी किये गये वक्तव्यों की मजाक उड़ाते हुए कहा "इन्दिरा जी के बिना किस का काम नहीं चलेगा? और फिर खुद ने जवाब दिया कि मजदूर, किसान और मध्यवर्ती वर्ग लोग खुश होंगे लेकिन मुनाफाखोर और देश के शोषण करने वालों का काम नहीं चलेगा।" उनका इशारा भारतीय वाणिज्य-व्यापार-संघ से शिष्ट-

मण्डल की ओर था जिसने कांग्रेसियों की तरह श्रीमती गांधी के नेतृत्व को अपरिहार्य बताया था।

विरोधी दलों की संयुक्त बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र का प्रश्न मुख्यतः नैतिक और राजनैतिक है और उसके कानूनी पक्ष को गलियों में तय हो सकने वाले मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है। अकाली दल, भालोद, संगठन कांग्रेस, जनसंघ और सोपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणियों ने 21 जून को संयुक्त बैठक के बाद यह बयान जारी किया—

1. अदालत के फैसले की वजह से श्रीमती गांधी पर जो लांछन आया है उसे उनके समर्थन में सभाएं करवा कर अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है जबकि लोकतन्त्रीय देशों में सत्ताधारी लोग अपने खिलाफ अदालती फैसला आ जाने पर अपना पद त्यागने पर हिचकिचाते नहीं हैं।

2. इस प्रयास के दौरान राज्य और कांग्रेस पार्टी का अन्तर एक दम से मिटा देने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमती गांधी के पक्ष में सरकारी साधनों का बेशरमाई से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस व्यक्ति पर अदालती फैसले के कारण लांछन लगा है रेडियो और टेलीविजन को उस व्यक्ति के पक्ष में शुद्ध प्रचार का साधन बनाया जा रहा है।

3. श्रीमती गांधी और उनके साथी इससे भी बढ़कर श्रीमती गांधी को राष्ट्र और राष्ट्रीय हितों के समकक्ष और उनका प्रतिरूप बता रहे हैं।

22 जून 75 को श्री जयप्रकाश नारायण की देहली यात्रा स्थगित हो चुकी थी। इसलिए 23 जून को श्री नारायण देहली पहुंचे। उनके पहुंचने पर पांच विरोधी दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें श्री नारायण भी सम्मिलित हुए। बैठक में विरोधी दलों द्वारा अपनाई जाने वाली भावी नीति पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव था। श्री जे० पी० ने साफ शब्दों में कहा कि यदि विरोधी दल कांग्रेस पार्टी को सत्ताच्युत करना चाहते हैं तो उन्हें अपना-अपना अस्तित्व त्याग कर एक राष्ट्रीय दल बना लेना चाहिए ताकि चुनाव के समय जनता के सम्मुख सत्ताधारी कांग्रेस का एक विकल्प प्रस्तुत कर मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने विरोधी दलों को यह भी चेतावनी दी कि उनके पास इस पर विचार करने के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार की है कि कभी भी चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय दलों के विलय के अतिरिक्त बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद की परिस्थितियों

तथा श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करने के लिए भावी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श भी किया जाना था। श्रीमती गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी द्वारा रैलियों का आयोजन कर वातावरण तैयार किया ही जा रहा था तथा हर सभा में विरोधी दलों को फासिस्ट तथा प्रतिक्रियावादी बताकर जनता में उनकी छवि को बिगाड़ा जा रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस अभियान पर अंकुश लगाने के लिए तथा जनमानस को अपने पक्ष में बनाने के लिए किसी न किसी कदम की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव की गई। कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा विरोधी दलों के पास साधनों का भी अभाव था तथा बगैर साधन लड़ाई लड़ना असम्भव था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विरोधी दलों ने श्री नारायण की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह तथा सार्वदेशिक आन्दोलन करने का निश्चय किया जिसकी घोषणा श्री लालकृष्ण अडवानी ने 24 जून 75 को की। उन्होंने कहा कि स्थगन-आदेश के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार का लांछन है और राजनैतिक औचित्य तथा लोकतन्त्रीय मूल्यों का तकाजा उनसे इस्तीफे की मांग करता है तथा यह भी घोषणा की कि इस विचार को श्री जे० पी० का समर्थन प्राप्त है।

इस आन्दोलन को चलाने के लिए श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक लोक-संघर्ष-समिति बनाने का निर्णय लिया गया। जनसंघ के श्री नानाजी देशमुख को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया तथा श्री अशोक मेहता को कोषाध्यक्ष। श्री नानाजी देशमुख ने घोषणा की कि लोक संघर्ष-समिति प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय स्तर पर संघर्ष-समिति का गठन करके आन्दोलन आरम्भ करेगी। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। उसके लिए जनता से चन्दे के रूप में धन संग्रह किया जायेगा। इस आन्दोलन के अन्तर्गत सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा ताकि जनमानस को तैयार किया जा सके। 29 जून से 5 जुलाई तक लोक-शिक्षण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत रैली, मीटिंग आदि की जायेंगी। इसके अतिरिक्त समाचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए आकाशवाणी-कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया जायेगा। यदि श्रीमती गांधी ने जनता की मांग का ध्यान नहीं रखा तो फिर विरोधी दलों को सत्याग्रह और धरने का सहारा लेना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम समाज के प्रत्येक वर्ग से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस घोषणा से स्पष्ट है कि विरोधी दलों ने अपनी रणनीति का खाका तैयार कर लिया था वे कांग्रेस पार्टी पर लोकशक्ति का दबाव डाल कर प्रधानमन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर करना चाहते थे।

कांग्रेस पार्टी के प्रचार के मुकाबले में त्यागपत्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए विरोधी दलों के लिए जनसभा करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक सभा आयोजित करने का निश्चय किया गया। इस सभा को श्री नारायण समेत विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं द्वारा सम्बोधित करने का कार्यक्रम रखा गया। सरकार ने विरोधी दलों की इस सभा को असफल बनाने के लिए हर सम्भव कोशिश की। देहली परिवहन की बसों का रामलीला मैदान की ओर जाना रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त देहली के समीप वाले प्रदेशों से आने वाले वाहनों को भी सीमा पर रोक दिया गया था ताकि हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश से लोग नहीं आ सकें। इतनी व्यवस्था करने के बाद भी सरकार को यह आशंका थी कि कहीं विशाल जनसमूह विरोधी नेताओं को सुनने के लिए नहीं पहुंच जाए। इतनी बाधाएं खड़ी करने के बावजूद भी एक विशाल जनसमूह रामलीला-मैदान की तरफ उमड़ पड़ा था। प्रत्येक व्यक्ति रामलीला-मैदान में पहुंचने को आतुर था। वाहनों की कमी के कारण लोग पैदल ही चले आ रहे थे। कुछ लोग तो 15–20 कि० मी० पैदल चल कर आये थे अर्थात् यों कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उत्पन्न बाधाओं का जनता के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रामलीला-मैदान खचाखच भरा हुआ था। देहली निवासियों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन-काल में इतनी विशाल-सभा के बारे में न तो सुना था और न ही पहले देखी थी।

इस सभा को श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्बोधित करते हुए कहा कि वैधानिक और नैतिक आधार पर श्रीमती गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि उनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है। बल्कि वे अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हर सम्भव कदम उठाने को तैयार हैं। हो सकता है कि वह नाम मात्र के लोकतन्त्र को समाप्त कर अपनी तानाशाही पूर्ण रूप से स्थापित कर लें। ऐसी स्थिति में श्रीमती गांधी आप लोगों की छाती पर बैठकर बन्दूकों के बल पर शासन करेंगी। इसलिए आप सब लोगों को चाहिए कि जनसभाओं, प्रदर्शनों, सत्याग्रह तथा धरनों का आयोजन कर श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देने को मजबूर करें। उन्होंने पुलिस और सेना को आह्वान करते हुए कहा था "तानाशाही की ओर ले जाने वाली घटनाओं से भारतीय संविधान की सुरक्षा करना, ऐसे प्रवाहों से देश को बचाना यह कानून की दृष्टि से भी सेना का कर्त्तव्य हो जाता है.........जब संविधान को इस तरह से खतरा हो गया हो तो ऐसे समय यदि सेना संविधान की रक्षा के लिए शासकों से सहयोग करने से इन्कार करती है तो यही कहा जायेगा कि

उसने अपना कर्त्तव्य ही किया। इसमें अनैतिकता अथवा गैर कानूनी बात कुछ भी नहीं है।" संविधान विशेषज्ञों ने उनको यह सलाह दी थी कि सेना को इस तरह का आह्वान करना देशद्रोह नहीं है।

उपर्युक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्री नारायण ने सेना अथवा पुलिस को सरकार के खिलाफ बगावत करने को नहीं कहा था बल्कि उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए अपने कर्त्तव्य की याद दिलाई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने श्री जयप्रकाश पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 25 जून के भाषण में पुलिस और सेना को बगावत के लिए उकसाया था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अन्दाजा लगा सकता है कि कांग्रेस सरकार का प्रजातन्त्र किस प्रकार से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा था। विरोधी दलों के नेताओं ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा कि यदि संविधान के प्रति आस्था है, यदि वे न्यायालय की गरिमा को स्वीकार करती हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अनैतिक कार्यों से अपने पद पर बने रहने का हठ कर रखा है जो अनुचित है। इसलिए इस पुनीति कार्य को सम्पन्न करने के लिए हम आपका सहयोग मांगते हैं।

विरोधी दलों की इस सफल आमसभा ने कांग्रेस-खेमें में एक हलचल उत्पन्न कर दी। श्रीमती गांधी जानती थीं कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है लेकिन जिद्दी स्वभाव की होने के कारण अब उस रास्ते से हटने को भी वे तैयार नहीं थी। वह यह भी जानती थीं कि जनमानस विरोधी दलों के साथ है अर्थात् जनमत उनके त्यागपत्र की मांग को वाजिब समझता है। यदि विरोधी दलों ने अपने कार्यक्रम के अनुसार 29 जून से आन्दोलन आरम्भ कर दिया तो उन्हें अवश्य ही जनता का सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी शक्ति से इस आन्दोलन को कुचलना असम्भव हो जायेगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के संसद-सदस्यों द्वारा उनके त्यागपत्र की मांग दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ती जा रही थी। सर्व श्री चन्द्रशेखर, मोहनधारिया इत्यादि संसद-सदस्यों द्वारा श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की मांग का औचित्य समझाने का अभियान चलाया जा रहा था। इस प्रकार केवल भारतीय जनता ही श्रीमती गांधी के विरुद्ध नहीं हो चुकी थी बल्कि कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्यों में भी बगावत के बीज पड़ चुके थे। यह बगावत कभी भी विशाल रूप धारण कर उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर कर सकती थी।

इन परिस्थितियों से निबटने के लिए जल्दी ही कोई कदम उठाना आवश्यक था। देरी करने का अर्थ था कि विरोधी तत्वों को अपनी रणनीति के अनुसार

कार्य करने का अवसर प्रदान कर उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना। इन परिस्थितियों से निबटने के लिए वह कोई सख्त कदम उठाना चाहती थीं लेकिन वह अपने आपको लोकतन्त्र में विश्वास करने वाली सिद्ध करने के लिए संविधान के अन्तर्गत ही कोई कदम उठाना पसन्द करती थी। इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे, अपने पुत्र श्री संजय तथा उसके साथियों से सलाह-मशविरा किया गया। श्री रे राजनैतिक नेता के साथ संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए उनकी सलाह काफी महत्वपूर्ण समझी जाने वाली थी। उनका सुझाव था कि इन सारी परिस्थितियों से निबटने के लिए केवल एक ही हथियार सक्षम है और वह है भीतरी इमरजैन्सी। यह व्यवस्था संविधान की धारा 352 के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था से सरकार को असीमित अधिकार मिल जायेंगे तथा यह कदम असंवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञात रहे कि बाहरी इमरजैन्सी पहले से ही भारत में लगी हुई थी।

श्रीमती गांधी ने श्री रे के इस सुझाव पर अपने निजी सलाहकारों से विचार-विमर्श किया। सभी ने इस विचार का समर्थन किया। अब श्रीमती गांधी इसे कानूनी रूप प्रदान करना चाहती थीं। इसलिए विधि मन्त्री श्री हरी रामचन्द्र गोखले को इसे कानूनी जामा पहनाने का कार्य सौंपा गया। गृह सचिव से देश की राजनैतिक परिस्थितियों के बारे में नोट तैयार करने को कहा गया जिसमें विरोधी दलों द्वारा हिंसा फैलाने तथा सरकार को कार्य करने से रोकने की सम्भावनाओं पर विशेष जोर डालने को कहा गया ताकि उसको आधार बनाकर भीतरी इमरजैंसी लगाई जा सके। तत्कालीन गृह सचिव ने इस प्रकार का नोट बनाने से इन्कार कर दिया चूंकि उनका कहना था कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं ही नहीं। इसलिए तत्काल ही उनका स्थानान्तरण मध्यप्रदेश में कर दिया गया। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री सुन्दरलाल खुराना को गृह सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया। श्रीमती गांधी ने 60 करोड़ लोगों की स्वतन्त्रता छीन कर भीतरी इमरजैन्सी लगाने का निर्णय इस प्रकार लिया। संविधान की धारा 352 के अन्तर्गत भीतरी इमर-जैन्सी लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को की गई इस कार्य के लिए श्री आर० के० धवन राष्ट्रपति भवन गये। राष्ट्रपति ने इस सिफारिश के आधार पर 11 बजकर 45 मिनट पर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस घोषणा में कहा गया था—आन्तरिक उपद्रवों के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है जिसके कारण आपातस्थिति लागू करना आवश्यक है।

ध्यान देने योग्य बात है कि भीतरी इमरजैन्सी की घोषणा ऐसा महत्वपूर्ण

मुद्दा था जिस पर मन्त्री मण्डल की स्वीकृति राष्ट्रपति को सिफारिश करने से पहले ले लेनी चाहिए थी लेकिन श्रीमती गांधी को अपने मन्त्री-मण्डल के सदस्यों पर विश्वास नहीं था कि क्या वे इस कदम का समर्थन करेंगे ? जैसा कि जनता सरकार के वर्तमान गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह ने लोकसभा को बताया कि श्रीमती गांधी ने भीतरी इमरजैन्सी का निर्णय मन्त्री मण्डल की सलाह के बिना ही ले लिया था। यह वास्तव में एक असंवैधानिक कार्य था ? नियमानुसार महत्वपूर्ण निर्णयों पर मन्त्रीमण्डल की मीटिंग में ही निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन श्रीमती गांधी ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोकतन्त्र की इस स्वच्छ परम्परा को भी त्याग दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमती गांधी ने अपने मन्त्रीमण्डल की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने सूचना दी कि भीतरी इमरजैन्सी लागू कर दी गई है। यह सुनकर पूरा मन्त्रीमण्डल स्तब्ध रह गया। कुछ ने तो मन में इसकी अनावश्यकता जाहिर की, लेकिन स्पष्ट रूप से इस कदम का विरोध करने का उनमें साहस नहीं था। मन्त्रीमण्डल को श्री जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चन्द्रशेखर इत्यादि विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की भी सूचना दे दी गई। मन्त्रीमण्डल की यह मीटिंग चन्द मिनट ही चली अर्थात् सूचना देने के लिए यह केवल एक औपचारिकता ही थी।

आपातस्थिति की घोषणा से पूर्व ही विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की सभी तैयारियां कर ली गई थीं। इसलिए घोषणा के साथ ही साथ उन्हें रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर विभिन्न अनजान स्थानों पर भेज दिया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की "विनाश काले विपरीत बुद्धि।"

दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमती गांधी ने अपने रेडियो भाषण में आपात-स्थिति की घोषणा के औचित्य को सिद्ध करते हुए कहा, कि "सरकार को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है। क्योंकि जब से मैंने जनतन्त्र की खातिर भारत में आम नागरिकों की भलाई के लिए प्रगतिशील कदम उठाने शुरू किए तभी से एक बहुत गहरी और व्यापक साजिश की जा रही थी। चुनी हुई सरकारों को काम करने से रोका जा रहा था। लोक समर्थन के आधार पर चुनी गई सरकारों को असंवैधानिक तरीकों से गिराने का प्रयास किया जा रहा था। विधायकों का घेराव कर उन्हें त्यागपत्र देने को मजबूर किया जा रहा था। इन परिस्थितियों से निबटने के लिए सरकार के पास आपातस्थिति की घोषणा के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं था।"

इस घोषणा से न केवल भारत की जनता ही बल्कि समस्त विश्व की जनता आश्चर्यचकित थी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए 60 करोड़ जनता की आजादी को गुलामी में परिवर्तित कर देगा। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए भगतसिंह, चन्द्रशेखर इत्यादि शहीदों ने खुशी-खुशी मृत्यु का आलिंगन किया था, गांधी जी ने जिस स्वतन्त्रता को प्राप्त कर लोकतन्त्र रूपी पौधा लगाया था, जिसे श्री नेहरू जी ने सींचकर वृक्ष का रूप प्रदान किया था, आज उसी लोकतन्त्र रूपी वृक्ष को श्री नेहरू की पुत्री ने अपने पद को बनाये रखने के लिए जड़ से काट कर उसके नामों-निशान को मिटा दिया था। देश के नागरिकों की स्वतन्त्रता को अपने ही द्वारा चुने गये व्यक्ति ने परतन्त्रता में बदल दिया।

आपातस्थिति लागू करते ही समाचारपत्रों पर सैंसर लगा दिया गया था। चूंकि उस समय तक सैन्सर-बोर्ड का गठन नहीं किया गया था, इसलिए समाचार-पत्रों की बिजली काट दी गई थी ताकि कोई भी समाचार-पत्र छप नहीं सके। सब प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों, जुलूस, प्रदर्शन, सभा, हड़ताल इत्यादि पर पाबन्दी लगा दी गई। कोई भी किसी भी रूप से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इतना करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार को यह विश्वास नहीं था कि क्या शांति बनी रहेगी ? इसलिए बड़े-बड़े शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई जिसके अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते थे। सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को निर्देश दिये गये कि वे किसी भी कीमत पर विरोधी दलों की गतिविधियों को कुचलने की व्यवस्था करें। उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि विरोधी दलों के सभी नेताओं को मीसा या डी० आइ० आर० में गिरफ्तार कर लिया जाये। कहीं ऐसा न हो कि वे बाहर रहकर आपातस्थिति के विरोध में जन-जागरण कर सके।

जब सरकार ने मीसा कानून को स्वीकृति के लिए लोकसभा में रखा था तो विरोधी दलों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि कहीं यह विरोधी दलों को कुचलने के लिए तो प्रयोग में नहीं लाया जायगा या फिर नागरिक स्वतन्त्रताओं पर अंकुश लगाने के लिए तो इसकी स्वीकृति नहीं ली जा रही है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करते हुए यह आश्वासन दिया था कि यह कानून केवल तस्करों की या समाज विरोधी तत्वों की हरकतों

को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन कैसी विडम्बना थी अब वही कानून विरोधी दलों की राजनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयोग में लिया जा रहा था। इससे स्पष्ट है कि विरोधी दलों की इसके प्रति आशंका निर्मूल नहीं थी।

राजस्थान में भी केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार विरोधी दलों के नेता जैसे सर्व श्री भैरोंसिह शेखावत, गिरधारीलाल भार्गव, सतीश चन्द्र अग्रवाल, अजीत सिंह सागर, जीतमल जैन, दौलतराम सारण, भागीरथ सिंह शेखावत, रामकिशन, प्रो. केदार शर्मा, गोकुलभाई भट्ट, मा. आदित्येन्द्र, कुम्भाराम आर्य, चिरंजीलाल गर्ग, महावीर सिंह हाडा, मा० रामशरण अन्त्यानुप्राशी, नाथूसिंह (विद्यार्थी नेता), सोहनलाल मोदी, मक्खन जोशी, रामकिशनदास गुप्ता, श्योपत सिंह, हैतराम बेनीवाल, श्रीकृष्ण स्वामी, कैलाश मेघवाल, त्रिलोकी नाथ शर्मा, मुकुट बिहारी लाल, लक्ष्मी चन्द्र अग्रवाल, महेन्द्र सिंह, सिद्धराज ढड्डा, कृष्णकुमार गोयल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री ढड्डा सर्वोदय के शीर्षस्थ नेताओं में से एक हैं तथा श्री जे० पी० के बहुत नजदीक समझे जाते हैं। उन्होंने श्री जे० पी० की गिरफ्तारी के विरोध में केन्द्रीय सरकार को एक तार भी भेजा था। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक दल जैसे संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, संसोपा, भारतीय लोकदल, मार्क्सवादी पार्टी एवं मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के सदस्यों के अलावा सर्व-सेवा-संघ एवं छात्र नेता भी थे। राजस्थान में लगभग 4000 व्यक्तियों को मीसा या डी० आइ० आर० में गिरफ्तार किया गया।

वैसे तो सर्व-सेवा-संघ कोई राजनैतिक संस्था नहीं थी लेकिन सर्व-सेवा-संघ का एक वर्ग श्री नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति का न केवल समर्थन ही कर रहा था बल्कि उसके लिए हर सम्भव सहयोग भी दे रहा था। इन नेताओं की गिरफ्तारी का आधार भी जे० पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए उनका सहयोग ही था।

गिरफ्तारी का क्रम यहीं नहीं रुका बल्कि यह आपातकाल के दौरान लगातार चलता रहा। विरोधी नेताओं की तलाश जारी थी। जब भी किसी का कोई सुराग मिला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से नेता जिनकी गिरफ्तारी के वारन्ट तो जारी थे लेकिन वे भूमिगत हो चुके थे, ऐसे नेताओं की पुलिस बड़ी मुस्तैदी से तलाश कर रही थी। उनके सम्बन्धियों तथा मित्रों को उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तंग भी किया जाता था। सरकार का उद्देश्य येनकेन प्रकार से अपने राजनैतिक विरोधियों को गिरफ्तार करना था।

राजनैतिक नेताओं, सर्व सेवासंघ के कार्यकर्त्ताओं तथा विद्यार्थियों के अलावा पत्रकारों को भी माफ नहीं किया गया। राजस्थान में 12 पत्रकारों को भी मीसा या डी० आइ० आर० में गिरफ्तार किया। उनका कसूर क्या था? यह तो सरकार ही जानती थी। कुछ को तो निजी द्वेष के कारण पकड़ा गया चूंकि वे आपातकाल से पहले सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते थे या फिर भ्रष्टाचार के मामलों को खोलकर जनता के सम्मुख रखते थे। ऐसे पत्रकारों से बदला लेने के लिए इससे अच्छा वक्त कभी नहीं आ सकता था। पत्रकारों की गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि सरकार विचार-स्वातन्त्र्य की भावना को बिल्कुल त्याग चुकी थी।

क्या आपातस्थित की घोषण करना उचित था? यह एक विचारणीय प्रश्न है। श्रीमती गांधी ने 26 जून के भाषण में विरोधी दलों पर हिंसा एवं अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस और सेना को बगावत करने के लिए उकसाया था। विरोधी दल जनता द्वारा चुनी सरकार को स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करने देना चाहते थे, वे सरकारों को गिराने के लिए आन्दोलनात्मक रवैया अपना रहे थे। लेकिन श्रीमती गांधी के उपर्युक्त आरोप पर विश्वास करने से पहले 25 जून 75 से पूर्व की स्थिति का अवलोकन करना अनुचित नहीं होगा।

गुजरात में नवनिर्माण युवा समिति ने भ्रष्ट सरकार को पलटने के लिए आन्दोलन चलाया था। यदि युवावर्ग भ्रष्टाचार को मिटाने लिए आन्दोलन चलाकर एक शुद्ध समाज की रचना करना चाहता था तो उसमें क्या बुराई थी? यदि श्रीमती गांधी को युवावर्ग का आन्दोलनात्मक रवैया उचित नहीं लग रहा था तो उन्हें चाहिए था कि वे इस आन्दोलन के कारणों की जांच करवाती और भ्रष्ट तत्वों को सरकार से निकाल बाहर करतीं। यदि वे ऐसा करती और विद्यार्थी वर्ग फिर भी आन्दोलन करता तो वास्तव में यह अनुचित था। लेकिन श्रीमती गांधी ने उस आन्दोलन को दबाने के लिए श्री चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में बनी सरकार की सहायतार्थ सेना और पुलिस भेजी, जिससे स्पष्ट है कि वे भ्रष्टाचार की समाप्ति नहीं चाहती थीं।

बिहार में छात्रों एवं युवकों ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के साथ-साथ भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आन्दोलन को प्रारम्भ किया। वह सर्वविदित है कि आन्दोलन छात्रों एवं युवकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक जन-आन्दोलन बन चुना था। श्रीमती गांधी की पार्टी के ही व्यक्ति जैसे सर्व श्री चन्द्रशेखर, मोहनधारिया इत्यादि ने श्रीमती गांधी को श्री

नारायण से बातचीत करने का सुझाव दिया था, ताकि कोई सर्वमान्य हल निकाला जा सके ।

लेकिन श्रीमती गांधी ने उनकी सलाह मानने की बजाय श्री मोहनधारिया को मन्त्री पद से हटाना ही उचित समझा तथा श्री चन्द्रशेखर को आपात स्थिति की घोषणा के तत्काल बाद मीसा के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया । इससे स्पष्ट है कि वे अपने विरोधियों से बातचीत कर समस्या का समाधान ढूंढने की अपेक्षा शक्ति के सहारे उन्हें कुचल देना अधिक ठीक समझती थी ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को अवैध घोषित करने पर विरोधी दलों द्वारा नैतिक एवं वैधानिक आधार पर त्याग-पत्र मांगने में कौनसी गलती थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही उन्हें पूर्ण स्थगन-आदेश देने से मना कर दिया तथा उनकी संसद सदस्यता को इस हद तक अस्वीकार कर दिया कि वे न तो मत दे सकती हैं तथा ने वेतन उठा सकती हैं । श्रीमती गांधी द्वारा विरोधी दलों की इस जायज मांग को ठुकराने के पश्चात ही उन्होंने पूर्णरूप से अहिंसक जन-आन्दोलन लड़ने का निश्चय किया था । क्या लोकतन्त्र में विरोधी दलों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था ? श्री जयप्रकाश पर सेना व पुलिस को बगावत करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था । श्री नारायण के सम्पूर्ण भाषण का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता था कि संविधान की रक्षा हेतु उन्हें सरकार के गैर कानूनी आदेशों की पालना नहीं करनी चाहिए । संविधान-विशेषज्ञों ने इसे अनुचित नहीं ठहराया था । यदि यह अनुचित भी था तो श्री नारायण के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता था । इससे स्पष्ट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उनका अपने पद पर बने रहना अनैतिक एवं अवैधानिक था । इस अनुचित कार्य करने के कारण उनका मनोबल इतना गिर चुका था कि वे जनता का सामना नहीं कर सकती थीं । इस स्थिति में जनता की आवाज को दबाने के लिए एक मात्र साधन भीतरी इमरजैन्सी था ।

इसके अतिरिक्त एक तथ्य और अभी सामने आया है कि देहली के लेफ्टीनेंट गवर्नर श्री किशन चन्द ने शाह आयोग को बताया है कि उन्हें 25 जून 75 को सुबह सात बजे आपातस्थिति की घोषणा किये जाने की जानकारी मिली थी । उन्हें विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने की व्यवस्था करने को कहा गया था । श्री जयप्रकाश नारायण ने तो 25 जून को सांयकाल अपने भाषण में सेना व पुलिस को आह्वान किया था । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती गांधी विरोधी दलों की सभा होने से पहले ही आपात-काल की घोषणा करने का निश्चय

कर चुकी थीं । फिर श्री नारायण को इसके लिए क्यों ग्रारोपित किया गया ? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब नाटक केवल मात्र ग्रपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए तथा विरोधी दलों की आवाज को बन्द करने के लिए ही रचा गया था । ग्रापात-काल की घोषणा के लिए विरोधी दलों को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत था ।

ग्रापात-काल की घोषणा किये जाने की वैंधता की सुनवाई करते समय शाह्-आयोग के सम्मुख निम्नलिखित तथ्य पेश किये गये ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 जून 75 के निर्णय के पश्चात् गैर कम्युनिष्ट विरोधी राजनैतिक दलों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देने हेतु बाध्य करने के लिए कई रैलियों तथा प्रदर्शनों का ग्रायोजन किया था । श्री किशन चन्द देहली के तत्कालीन लैफटीनेंट गवर्नर ने शाह्-ग्रायोग को बताया कि ऐसी सम्भावना थी कि श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 24 जून को एक विशाल रैली का ग्रायोजन किया जावेगा । इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए श्री ग्रार० के० धवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री के निजी सचिव ने महत्वपूर्ण विरोधी नेताग्रों को 24 जून की रैली के पश्चात् गिरफ्तार करने की सम्भावना व्यक्त की थी ।

महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नेताग्रों को गिरफ्तार करने लिए एस० पी० (सी०-आई० डी०) ने प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर ही सूची बनाई थी । इस सूची में भी स्थिति के ग्रनुसार समय-समय पर परिवर्तन होते रहे लेकिन ग्रन्तिम सूची उन्हें दिखाई नहीं गई । चूंकि विरोधी पार्टियों के द्वारा ग्रायोजित की जाने वाली रैली 25 जून के लिए स्थगित कर दी गई थी, इसलिए 24 जून को विरोधी नेताग्रों की गिरफ्तारी की कारवाई भी स्थगित कर दी गई

श्री किशन चन्द ने शाह्-ग्रायोग को यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् प्रधानमन्त्री ने यह निर्णय लिया था कि यदि विरोधी दलों ने उन पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला तो उनके विरुद्ध सख्त कारवाई की जायेगी ।

ग्रान्ध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री वेंन्गल राव ने बताया कि 24 जून को श्री आर० के धवन ने उन्हें टेलीफोन पर सूचना दी कि प्रधानमन्त्री ने उन्हें 25 जून को मिलने के लिए बुलवाया है । प्रधानमन्त्री ने उन्हें बताया कि देश व्यापी ग्रान्दोलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विरोधी दलों की इस कारवाई के विरुद्ध सख्त कदम उठाये जायें । प्रधानमन्त्री ने यह भी बताया

कि इन कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ असन्तोष भी पैदा हो सकता है लेकिन हम लोगों को इस असन्तोष को दबाने हेतु उचित कारवाई करने के लिए तैयार रहना होगा । यदि विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करना पड़े तो भी हिचकिचाना नहीं चाहिए । मुझे यही संदेश कर्नाटक के मुख्यमन्त्री को भी पहुंचाने का निर्देश दिया गया । इसलिए मेरे लिए आई० ए० एफ० के हवाईजहाज की व्यवस्था की गई । मैंने बंगलौर रुक कर तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री देवराज अर्स को सारी स्थिति से अवगत करा दिया । श्री देवराज अर्स ने भी शाह-आयोग के समक्ष उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकारा है ।

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री पी० सी० सेठी ने बताया कि वे 25 जून को प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर गये । श्री ओम मेहता तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री ने प्रधानमंत्री निवास-स्थान पर उन्हें कुछ व्यक्तियों को 25-26 जून की रात्रि को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये । श्रीमती गांधी भी इस समय उपस्थिति थीं । राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी से भी सम्पर्क करने का प्रयास किया गया । लेकिन वे उस समय बांसवाड़ा में थे । इसलिए श्री पी० सी० सेठी को निर्देश दिया गया कि वे बांसवाड़ा जाकर श्री जोशी को भी स्थिति से अवगत करा दें । श्री सेठी के बयानों को सही मानते हुए श्री जोशी ने बताया कि उन्हें माही रैस्ट हाउस, बांसवाड़ा में प्रधानमन्त्री का टेलीफोन 24–6–75 को रात्रि के 8–10 बजे मिला । उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी । 25 जून को सवेरे 11 बजे मुझे सूचित किया गया कि श्री सेठी उनसे मिलने के लिए बांसवाड़ा आ रहे हैं । श्री सेठी करीब 1 बजे बांसवाड़ा पहुंचे । उन्होंने मुझे बताया कि विरोधी पार्टियां प्रदर्शन तथा घेराव करने की योजना बना रही हैं । इनसे निबटने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए । श्री जोशी ने बताया कि वे उसी हवाई जहाज द्वारा उसी शाम को जयपुर पहुंच गये । उन्होंने मुख्य सचिव, गृह आयुक्त तथा आई० जी० पी० को घर बुला कर आवश्यक निर्देश दिये ।

श्री एस० के० मिश्र ने, जो श्री बन्शीलाल के मुख्य सचिव रह चुके थे, बताया कि 25 जून को 12 से 2 बजे के बीच श्री बन्शीलाल ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया था कि वे श्री वानर सिंह डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) को कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सूची बनाने को कह दें ।

25 जून को विरोधी पार्टियों ने रैली का आयोजन किया जिसे

श्री जयप्रकाश नारायण ने भी सम्बोधित किया । इसमें प्रधानमन्त्री से त्यागपत्र की मांग की गई थी । श्री किशन चन्द ने बताया कि वे 25 जून को सायंकाल प्रधान-मन्त्री के निवास-स्थान पर गये । श्री मेहता तथा श्री बन्शीलाल भी श्री धवन के कमरे में बैठे थे । मुझे श्री मेहता ने निर्देश दिया कि श्री जयप्रकाश नारायण सहित विभिन्न बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए । मुझे गिरफ्तार किये जाने वाले नेताओं की सूची भी दी गई । मुझे यह भी कहा गया कि श्री नारायण और श्री देसाई को हरियाणा राज्य के रैस्ट हाउस में रखा जाना चाहिए । मुझे समाचार पत्रों के विद्युत् कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिया गया ।

तत्कालीन गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने आयोग को बताया कि 25 जून को रात्रि 10–30 बजे उन्हें फोन द्वारा प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर आने को कहा गया । प्रधानमन्त्री ने उन्हें बताया कि देश में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि आन्तरिक आपातकाल की घोषणा कर दी जाए । उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही आपातकाल लागू है, इसके अन्तर्गत निहित शक्तियों के द्वारा ही इस स्थिति से निबटा जा सकता है । इस पर उन्होंने कहा कि वे इस सम्बन्ध में दूसरे व्यक्तियों से विचार-विमर्श करेंगी और उन्हें सूचित कर दिया जायेगा । इसके पश्चात् वे अपने घर लौट आये । करीब आधा घण्टे बाद फिर टेलीफोन आया । वे प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर गए वहां श्री सिद्धार्थ शंकर रे आये, उन्होंने मुझ से संविधान की धारा 352 के बारे में विचार-विमर्श किया । इसी समय प्रधानमन्त्री भी आ गईं और उन्होंने बताया कि आन्तरिक आपातकाल की घोषणा करना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि जैसा आप उचित समझें । इसके पश्चात् उन्हें एक पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया । श्री रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र एक सादे कागज पर था तथा उस पर पत्र संख्या इत्यादि अंकित नहीं थे ।

राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री अख्तर आलम ने बताया कि 25 जून को रात्रि 10 बजे उन्हें प्रधानमन्त्री निवास से टेलीफोन मिला । उन्हें बताया गया कि एक महत्वपूर्ण पत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जा रहा है । रात्रि 10–30 बजे पत्र मेरे निवास-स्थान पर पहुंचा । राष्ट्रपति ने पत्र पढ़ने के पश्चात् श्री के० बाल चन्द्रन को बुलवाने के लिए कहा । श्री बालचन्द्रन के आने के पश्चात् राष्ट्रपति ने इस विषय पर उनसे विचार-विमर्श किया । उस पत्र की भाषा में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया । श्री बालचन्द्रन ने आयोग को बताया कि 25 जून को रात्रि 11–15 बजे उन्हें राष्ट्रपति-भवन बुलवाया गया । राष्ट्रपति ने उन्हें

एक पत्र पढ़ने के लिए दिया। इस पत्र पर (Top Secret) लिखा हुआ था। यह पत्र प्रधानमन्त्री का था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि "आन्तरिक अव्यवस्था से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि राष्ट्रपति इस स्थिति से सहमत हैं तो संविधान की धारा 352 (1) के अन्तर्गत आन्तरिक आपातकाल की घोषणा कर दी जानी चाहिए।" प्रधानमन्त्री ने यह भी लिखा था कि इस विषय पर वह मन्त्री-मण्डल से विचार-विमर्श करना चाहती थीं लेकिन समयाभाव होने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है। मैंने उन्हें इस पर कारवाई करना अनुचित बताया। उन्होंने मुझे संविधान देखने के लिए कहा। उस समय तक श्री नीलकण्ठ, उपशासन सचिव राष्ट्रपति सचिवालय, भी आ गये थे। उनसे भी इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ। श्री बालचन्द्रन ने उन्हें (राष्ट्रपति) बताया कि संविधान के अनुसार उन्हें मन्त्रीमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करना है न कि स्वयं की इच्छा या सन्तुष्टि पर। इसलिए इस पत्र के शब्दों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करना उचित समझा गया। इसके पश्चात् वे अपने कार्यालय में आ गये। करीब 10 मिनट पश्चात् वे फिर राष्ट्रपति के कमरे में गये। राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि श्री धवन आये थे तथा उन्होंने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। श्री नीलकण्ठ ने भी उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकारा है।

तत्कालीन मन्त्री-मण्डल सचिव श्री बी० डी० पाण्डे ने बताया कि उन्हें 26 जून की सुबह तक आपातकाल की घोषणा के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें भी इस घोषणा पर बहुत आश्चर्य हुआ था।

श्री आत्मा जयराम तत्कालीन निदेशक (Intelligence Bureau) ने भी बताया कि उन्हें 26 जून को सवेरे पता चला कि पुलिस ने 25 जून की रात्रि को कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। श्री सुन्दर लाल खुराना, तत्कालीन गृह सचिव ने बताया कि 25 जून को रात्रि 10–30 से 11 बजे के बीच उन्हें देहली के लैफ्टीनेंट गवर्नर ने टेलीफोन पर और अधिक पुलिस की व्यवस्था के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि साम्प्रदायिक दंगों की सम्भावना नजर आती है। 26 जून को सवेरे 3 बजे राजस्थान के मुख्य मन्त्री का टेलीफोन आया। उन्होंने गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछताछ करनी चाही थी। उन्होंने कहा कि गृहसचिव होने के नाते वे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वे इससे चिन्तित अवश्य हो गये। एक घण्टे पश्चात् श्री एम० पी० माथुर मुख्य आयुक्त चन्डीगढ, ने भी कुछ जानकारी चाही। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है? 26 जून को प्रातः 6 बजे उन्हें सूचित किया गया कि प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान पर मन्त्री मण्डल की बैठक का आयोजन किया गया

है । उन्हें प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री ने बुलाकर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा दी । उन्हें निर्देश दिया गया कि राज्य-सरकारों को शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये जाएं ।

श्री एच० आर० गोखले, तत्कालीन कानून मन्त्री ने बताया कि उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी 26 जून को मन्त्री मण्डल की बैठक में ही प्राप्त हुई । उन्होंने बताया कि न तो उनसे और न उनके मन्त्रालय से ही इस सम्बन्ध में कोई राय ली गई ।

आर्थिक दृष्टि से भी आपात-काल की घोषणा करना उचित नहीं था । चूंकि 1975–76 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 25 जून 1975 से पहले ही आवश्यक वस्तुओं के भाव गिरने लग गये थे । मूल्य सूचकांक भी गिर रहा था । इसके अतिरिक्त मजदूर-क्षेत्र में भी शान्ति थी ।

कानून एव व्यवस्था की स्थिति में भी कोई गिरावट नहीं आई थी । विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की अर्द्धमासिक रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 75 तक शान्ति तथा व्यवस्था कायम थी । (Intelligence Bureau) ने भी बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी । गृह-मन्त्रालय ने भी प्रधानमन्त्री को व्यवस्था कायम करने के लिए आन्तरिक आपातकाल की घोषणा करने का सुझाव नहीं दिया था । आपात-काल की घोषणा के दौरान गृह-मन्त्रालय को यह भी जानकारी नहीं थी कि क्या प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति को इस प्रकार का सुझाव भेजा है ?

प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति को भेजे गये पत्र में यह स्वीकारा है कि उन्होंने भारत सरकार के कानून 13 का उल्लंघन किया है ।

गृह-मन्त्रालय के अनुसार आपातकाल की घोषणा की सिफारिश गृह-मन्त्रालय द्वारा ही की जानी चाहिए थी । आपातकाल से सम्बन्धित सभी विषयों पर गृह मन्त्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था । साधारण प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा केबिनेट-सचिवालय को नोट तैयार कर भेजा जाना चाहिए । इस नोट में उन प्रस्तावों का जिक्र होना चाहिए जिन पर मन्त्री मण्डल की स्वीकृति प्राप्त की जानी है । इसके पश्चात् ही उस पर मन्त्री-मण्डल द्वारा विचार-विमर्श कर स्वीकृति देनी चाहिए । अगर समयाभाव हो तो प्रधान-मन्त्री की स्वीकृति ले ली जाती है तथा इसके पश्चात् सम्बन्धित मन्त्री को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये जाते हैं । चूंकि गृह मन्त्रालय को संविधान के

अनुसार आपातकाल की घोषणा करने का कार्य सौंपा गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालय से ही भेजे जाने चाहिए थे। लेकिन मन्त्रीमण्डल सचिवालय को गृह-मन्त्रालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन परिस्थितियों से विद्यमान कानूनों द्वारा ही निबटा जा सकता था। इस प्रकार का विचार तत्कालीन सूचना प्रसारण मन्त्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल तथा तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम ने भी प्रकट किये हैं। लेकिन श्रीमती गांधी को न देश की चिन्ता थी और न ही 60 करोड़ भारतवासियों की। अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु उन्होंने भारतीय जनता के नागरिक अधिकारों को छीनकर उन्हें दासता की बेड़ियों में जकड़ना ही उचित समझा।

---:o:---

अध्याय 2

लोक-संघर्ष

देश की तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन कर श्री नारायण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बिहार जैसा आन्दोलन दूसरे प्रान्तों में भी आरम्भ किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनमानस को शिक्षित करना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया तथा लगभग 200–300 विशाल आम सभाओं को सम्बोधित कर अपने सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन की जानकारी दी। देश के नवयुवक एवं विद्यार्थी-वर्ग पर श्री नारायण के प्रगतिशील विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जनता के अपार उत्साह को देखते हुए श्री नारायण ने प्रत्येक प्रान्त में आन्दोलन चलाने हेतु लोक-संघर्ष समिति गठित करने का निश्चय किया। लोक-संघर्ष समिति को व्यापक आधार देने हेतु वे सभी वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहते थे ताकि लोक-संघर्ष समिति द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन में प्रत्येक वर्ग अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग प्रदान कर सके।

राजस्थान के सर्वोदयी नेता श्री गोकुल भाई भट्ट ने श्री नारायण को सन् 1974 में उनके जन्म-दिवस पर जयपुर आमन्त्रित किया। भला लोकनायक जनता की इस मांग को कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। उनके जयपुर आगमन पर राजस्थान की जनता ने एक थैली भेंट कर उनके जन्म-दिवस पर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया।

इस अवसर पर श्री नारायण ने राजस्थान-विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवा कर विधिवत् उसका उद्घाटन भी किया। छात्रों को सम्बोधित करते हुए श्री नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने हेतु उनका आह्वान भी किया। श्री नारायण ने इस अवसर का समुचित लाभ उठाते हुए विरोधी राजनैतिक दलों के नेताओं से लोक-संघर्ष समिति बनाने के लिए विचार-विमर्श किया और फलतः लोक-संघर्ष समिति बनाने का निर्णय

लिया गया, जिसके संयोजक सर्व श्री गोकुल भाई भट्ट एवं मा० म्रादित्येन्द्र मनोनीत किये गये ।

श्री नारायण इस म्रान्दोलन में छात्रों एवं युवा वर्ग का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने छात्रों एवं युवाओं की म्रलग-अलग पार्टियों से मुलाकात कर उन्हें संघर्ष में पूर्ण सहयोग देने को प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी का जन्म हुम्रा । इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्धित छात्रों एवं युवकों को सम्मिलित किया गया था ।

प्रान्तीय लोक-संघर्ष समिति ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में भी इस प्रकार की समिति बनाने का निर्णय लिया । सन् 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों पर म्रनाज के रूप में लेवी लगाने का निर्णय लिया गया था । लोक-संघर्ष समिति ने इसे किसान विरोधी कदम की संज्ञा देकर इसका विरोध करने निश्चय किया । लोक-संघर्ष समिति का विचार था कि लेवी केवल बड़े किसानों से ही वसूल की जानी चाहिए । इसलिए लोक-संघर्ष समिति ने इस कदम का विरोध करने के लिए प्रान्तीय स्तर पर लेवी विरोधी म्रान्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया । सरकार की लेवी नीति का विरोध राजस्थान किसान-युनियन तथा म्रन्य विरोधी दल भी कर रहे थे । लोक-संघर्ष समिति ने इस मांग के साथ-साथ पंचायतों के चुनाव जल्दी करवाने की मांग भी रखने का निश्चय किया । इस प्रकार से राजस्थान में भी श्री नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति हेतु चलाये जाने वाले म्रान्दोलन की भूमिका तैयार हो रही थी ।

उधर 12 जून 75 को श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करते हुए न्यायमूर्ति श्री सिन्हा अपना निर्णय दे चुके थे । इस निर्णय ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी । विरोधी राजनैतिक दलों के नेताम्रों ने श्रीमती गांधी से त्यागपत्र की मांग की । लेकिन श्रीमती गांधी ने नैतिकता को ताक में रखकर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना उचित समझा । सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें "सशर्त स्थगन" म्रादेश प्रदान किया इस निर्णयानुसार वे मुकदमें का फैसला होने तक लोकसभा में मतदान के म्रपने म्रधिकार से वंचित रहेंगी । लेकिन प्रधानमन्त्री के रूप में कार्य कर सकेंगी । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने विरोधी राजनैतिक दलों के नेताम्रों के मनोबल में म्रौर भी म्रधिक वृद्धि की । उन्होंने संयुक्त रूप से श्रीमती गांधी से त्याग-पत्र की मांग की । उधर श्रीमती गांधी तथा कांग्रेस पार्टी उनका पद पर बने रहने को न्यायोचित ठहराने के लिए सरकारी साधनों के माध्यमों से रैलियों, सभाम्रों एवं प्रदर्शनों का

आयोजन कर रही थी अर्थात् श्रीमती गांधी किराये की भीड़ को इकट्ठा कर यह बताने की कोशिश कर रही थी कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है इसलिए उनका पद पर बना रहना उचित है।

विरोधी दलों द्वारा भी त्यागपत्र हेतु प्रधानमन्त्री निवास-स्थान पर प्रदर्शन किये गये तथा विभिन्न स्थानों पर आमसभाओं का आयोजन किया गया और लोकसंघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रधानमन्त्री के त्यागपत्र के लिए देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा जाना चाहिए। जैसा कि पहले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, इस सबका श्रीमती गांधी पर कोई असर नहीं हुआ और अन्ततः उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और विरोधी दलों के प्रमुख नेताओं सहित श्री जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करवा दिया। इसी प्रकार की कारवाई विभिन्न प्रान्तों में भी की गई।

श्री नारायण द्वारा मनोनीत लोकसंघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट 25 जून को लोकसंघर्ष समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक में भाग लेने हेतु जोधपुर गये हुए थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य-सरकार को मांग-पत्र पेश करने हेतु उस पर विचार-विमर्श करना था।

दिनांक 26–6–75 को श्री गोकुल भाई भट्ट को आपातकाल की घोषणा के सम्बन्ध में जानकारी हुई। यह समाचार सुनकर वे हतप्रभ रह गये। उन्होंने सरकार के इस तानाशाही कदम का विरोध करने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने इस कदम का विरोध करने हेतु पर्चा निकाल कर जनता में बंटवाने का निश्चय किया। दादा धर्माधिकारी भी उन दिनों जोधपुर में ही थे जहां उनका इलाज चल रहा था। श्री भट्ट ने उनसे भेंट कर इस विषय पर विचार-विमर्श किया। जनता में बांटने हेतु पर्चे का ड्राफ्ट दादा धर्माधिकारी द्वारा तैयार किया गया। श्री भट्ट ने अपने अन्य मित्रों तथा पूर्णचन्द जी जैन से भी इस विषय पर बातचीत की। श्री भट्ट ने आपातस्थिति के विरोध में 27–6–75 को सोजती गेट जोधपुर में एक आमसभा के आयोजन का भी निश्चय किया। 26 जून को पर्चा बांटा जा चुका था जिसमें इस आम सभा का भी जिक्र था। इसकी सूचना मिलते ही जिलाधीश, जोधपुर ने श्री भट्ट से मुलाकात कर उन्हें सभा न करने के लिए कहा। लेकिन श्री भट्ट, जिन्होंने सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष किया था, अब भला पीछे कैसे रहते। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा "यह आम सभा तो अवश्य ही आयोजित की जायेगी, जनता आये या नहीं। मैं तो आपातस्थिति के विरोध में अवश्य ही भाषण दूंगा।" उनके इस निर्णय को सुनकर जिलाधीश

महोदय ने जोधपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी। अपने निर्णयानुसार श्री भट्ट सभा स्थल के लिए रवाना हुए लेकिन सभा-स्थल पर पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। जहां बरामदे में उनके सोने की व्यवस्था की गई। दिनांक 28–6–75 को कार द्वारा उन्हें जोधपुर जेल से जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। जयपुर में खातीपुरा जेल के नर्सरी रैस्ट हाउस में उन्हें रखा गया। यहां पर सर्व श्री मा० आदित्येन्द्र, भैरोंसिंह शेखावत, प्रो० केदार, श्रीमती उजला अरोडा आदि भी थे।

आपातस्थिति की घोषणा के साथ नेताओं की गिरफ्तारी का चक्र इतनी तेजी से चला कि वे सम्भल ही नहीं आये। प्रथम चरण में राजस्थान के मुख्य विरोधी नेता गिरफ्तार हो चुके थे। कुछ दिनों पश्चात् स्वयं सेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाते इस्लामी को भी अवैध करार देकर उनके नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र विचारधारा के पत्रकारों को भी पकड़ लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का कारण यह था कि सरकार उनसे भयभीत थी। वे पत्रकारिता के माध्यम से उसकी तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध कर सकते थे।

इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बड़े ही सुनियोजित ढंग से बनाई थी तथा उसे काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे थे। इन परिस्थितियों में विरोधी दलों के सामने दो ही विकल्प थे। प्रथम तो आपातस्थिति के विरोध स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दें या फिर भूमिगत रहकर सरकार के इस अनुचित कदम के विरोध में जनमानस बनायें। प्रथम कदम तो एक आत्मघाती कदम था इसलिए दूसरा कदम अर्थात् भूमिगत रहकर तानाशाही व्यवस्था के विरोध में जन-आन्दोलन संगठित करना ही वरेण्य था। चूंकि सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी गई और आपातस्थिति के फोरन बाद ही बड़े-बड़े शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। आम सभा या जुलूस निकालना इत्यादि की तो बात ही क्या 5 व्यक्ति किसी भी स्थान पर इकठ्ठे नहीं रह सकते थे। साधारण जनता में इतना अधिक भय व्याप्त था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे से राजनीति पर बात करना भी उचित नहीं समझता था। इसलिए विरोधी दलों के लिए अपने अस्तित्व को बनाये रखने का केवल एक ही मार्ग था और वह था भूमिगत रहकर जन-आन्दोलन को संगठित करना।

संघर्ष का आरम्भ

श्री नारायण द्वारा मनोनीत लोकसंघर्ष समिति के संयोजक श्री गोकुल भाई भट्ट और मा० आदित्येन्द्र गिरफ्तार हो चुके थे इसलिए अब इस समिति का पुर्नगठन आवश्यक था। सभी गैर कम्युनिस्ट विरोधी दलों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा सर्व सेवा संघ ने मिलकर श्री त्रिलोकचन्द जैन को प्रान्तीय स्तर की लोकसंघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया।

विरोधी दलों के इस निश्चय से सरकार बौखला उठी थी। उसे अपना विरोध समाप्त करने का एक मात्र इलाज लोकसंघर्ष समिति की कारवाइयों को रोकना ही लगा। श्री त्रिलोकचन्द जैन को भी गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन वे बराबर सरकार की आँखों में धूल झोंकते हुए लोकसंघर्ष का संचालन करते रहे। लगभग एक वर्ष तक जन आन्दोलन आपके नेतृत्व में चलता रहा जो अपने आप में एक महान् उपलब्धि था तथा सरकार के मुंह पर एक प्रकार से करारा तमाचा था।

इस आन्दोलन को चलाने के लिए एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता थी। इसको ध्यान में रखते हुए समस्त राजस्थान को विभागों में विभाजित कर प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक या दो व्यक्तियों को सौंपा गया। वह व्यक्ति अपने विभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों में संघर्ष हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी था। विभाग एवं जिला स्तर पर लोकसंघर्ष समिति के गठन हेतु श्री जे० पी० माथुर ने जोधपुर में कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंग बुलाकर जोधपुर विभाग में जन-आन्दोलन आरम्भ करने के विषय पर विचार-विमर्श किया। इस मीटिंग में जोधपुर विभाग का प्रभारी सर्व श्री ईश्वर सिंह चौधरी तथा लक्ष्मण सिंह शेखावत को नियुक्त किया गया। उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीन जोधपुर, नागौर, बाडमेर, जैसलमेर, पाली, जालौर तथा सिरोही के कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंग बुलाकर संघर्ष को तेज करने के प्रयासों पर विचार-विमर्श कर कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से तहसील स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक आवश्यक निर्देश पहुंचाने का कार्य करें। इसी प्रकार की एक गुप्त मीटिंग का आयोजन जयपुर में भी किया गया। जिसमें श्री जे० पी० माथुर के अतिरिक्त सर्व श्री ब्रह्मदेव जी तथा गिरिराज किशोर (दादा भाई) ने भी भाग लिया। इस मीटिंग में जनआन्दोलन आरम्भ करने तथा जनमानस को शिक्षित कर भयमुक्त करने के विषय पर विचार-विमर्श किया गया तथा विभिन्न लोक-संघर्ष समितियों का गठन हुआ। श्री शंकर जी अग्रवाल को बीकानेर डिवीजन, श्री ईश्वर सिंह चौधरी (वर्तमान में जनता युवा मोर्चे के

ग्रध्यक्ष) एवं श्री लक्ष्मरण सिंह शेखावत को जोधपुर डिवीजन, श्री परमानन्द जी को सवाईमाधोपुर, भरतपुर तथा ग्रलवर, श्री कृष्ण चन्द बन्सल को कोटा, बून्दी तथा झालावाड़, श्री महेश जी को जयपुर, सीकर तथा झुंझनू, श्री विजय कृष्ण नाहर को उदयपुर विभाग सौंपे गये। संघर्ष-समितियों के गठन के ग्रवसर पर यह भी निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात् किन-किन व्यक्तियों को कार्य करना होगा। श्री ग्रग्रवाल बीकानेर डिवीजन के प्रभारी की गिरफ्तारी के पश्चात् डा० इन्द्र कुमार तिवाडी को कार्य-संचालन का निर्देश हुग्रा। इसी प्रकार से श्री नाहर की गिरफ्तारी के पश्चात् श्री नरमोहन जी को उदयपुर विभाग की देख-रेख के लिए नियुक्त किया गया। उपर्युक्त व्यक्तियों को ग्रादेश-निर्देश देने के लिए प्रान्तीय समिति के संयोजक के अतिरिक्त सर्वश्री ब्रह्मदेव शर्मा, गिरिराज तिवाड़ी, जगदीश प्रसाद माथुर, प्रो० ललित किशोर चतुर्वेदी तथा भँवरलाल शर्मा को मनोनीत किया गया। प्रान्तीय समिति का केन्द्रीय लोकसघर्ष-समिति से सम्पर्क बनाये रखने का दायित्व सर्वश्री ब्रह्मदेव जी तथा जगदीश प्रसाद माथुर को सौंपा गया। केन्द्रीय लोकसंघर्ष-समिति के निर्देशों को प्रान्तीय संयोजक श्री जैन ग्रन्य विभागों के प्रभारियों तक पहुँचाने के कार्य के लिए उत्तरदायी थे।

जनमानस को शिक्षित करने तथा कांग्रेस सरकार के मिथ्या प्रचार का खंडन करने हेतु छपी हुई सामग्री का वितरण आवश्यक था। इसके ग्रतिरिक्त भूमिगत लोगों की सुरक्षा, उन तक संदेश पहुँचाना, बन्दियों के परिवारों की देखभाल तथा बंदियों ग्रौर नेताग्रों में सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रान्तीय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में सर्वश्री धन प्रकाश त्यागी, मोहन जोशी, सत्यनारायण पथिक, डा० इन्द्र कुमार तिवाड़ी, रामप्रसाद जी तथा रामेश्वर मूर्तिकार को मनोनीत किया गया।

विभाग-प्रभारियों को यह निर्देश था कि वे ग्रपने ग्रधीन जिलों के संयोजकों को ग्रावश्यक समाचार तथा बुलेटिन भेजें ताकि उनसे सम्पर्क रखा जा सके। इसके ग्रतिरिक्त विभागों के प्रभारी अपने अधीन जिलों के संयोजकों को आन्दोलन संबंधी विभिन्न सूचनाएँ इकठ्ठी कर प्रान्तीय समिति को भेज कर समस्त जिलों को ग्रान्दोलन सम्बन्धी पूर्ण जानकारी देने का कार्य भी करते थे। सूचनाएँ इकठ्ठी कर प्रभारियों को सौंपने का कार्य विशेष तौर पर संघ के कार्यकर्त्ता ही करते थे। जिला स्तर पर सत्याग्रह एवं ग्रान्दोलन चलाने हेतु जिला स्तर पर संयोजकों को आवश्यक निर्देश भी विभाग-प्रभारी से ही प्राप्त होते थे। इस प्रकार से प्रत्येक जिले की घटनाग्रों से प्रान्तीय समिति वाकिफ रहती थी।

नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् आय के साधन समाप्त होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का खराब होना स्वाभाविक था ही। खराब आर्थिक स्थिति मनुष्य को किसी भी अनैतिक कार्य करने को मजबूर कर सकती है अर्थात् बन्दी या कार्यकर्त्ता एवं उनके परिवार के मनोबल को तोड़कर उन्हें समर्पण करने को मजबूर कर सकती थी। इसलिए बन्दी परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचाना आवश्यक था। इस हेतु धन राशि चन्दे के रूप में ही इकठ्ठी की जा सकती थी। इसलिए धन संग्रह करने का कार्य भी कुछ गिने-चुने कार्यकर्त्ता करते थे। आवश्यक धनराशि-संग्रह या वस्तु के रूप में मीसा-बन्दियों के परिवारों को सहायता भी प्रदान की गई। धनराशि-संग्रह करने हेतु तथा दिल खोल कर चन्दा देने हेतु श्री जयप्रकाश नारायण ने अपील भी जारी की थी :—

"अनेक नागरिकों एवं राजनेताओं को बिना कारण बताये बगैर जांच-पड़ताल जेल में रहते हुए करीब डेढ़ वर्ष होने को आया है। इनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी आय से ही घर का सारा खर्च चलता था। कुटुम्ब में कमाने वाला व्यक्ति जेल में होने से ऐसे परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। ये निरपराध व्यक्ति डेढ साल से जेल में बंद हैं और उनके मूक बैठे परिवारों के व्यक्ति इन दिनों क्रूर अन्याय सह रहे हैं। इस प्रकार का विचार सहृदय व्यक्तियों के मन में आये बिना नहीं रह सकता।

कारावास भोगने वाले व्यक्तियों के परिवारों की क्या हालत हो रही है। इसकी चिन्ता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री से लगाकर सामान्य से सामान्य नागरिक तक के मन में उठनी चाहिए।

देश के प्रत्येक नागरिक को फिर वह चाहे किसी पक्ष, या मत को मानने वाला हो सभी को अपनी शक्ति के अनुसार बन्दी नागरिकों के निरपराध परिवारों की मदद करने के लिए हम आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं।"

आपके विनीत
जयप्रकाश नारायण
आचार्य दादा धर्माधिकारी
आचार्य वी० प्र० लिमये
अन्ना साहब सहस्रबुद्धे
केदार नाथ, गोविन्द राव शिन्दे

श्री तिवाड़ी ने बताया कि लोग प्रकट रूप में सहायता देने से तो डरते थे लेकिन गुप्त रूप से जनता की तरफ से आर्थिक सहयोग समय-समय पर प्राप्त होता रहा।

केन्द्रीय लोक-संघर्ष समिति के सचिव श्री रविन्द्र वर्मा ने 4-11-75 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री को पत्र लिखते हुए संघर्ष की भूमिका स्पष्ट की।

श्रीमती इन्दिरा गांधी,

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सब तरफ से यह जबर्दस्त मांग होने लगी कि आप प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि न्यायालय के निर्णय का आदर करने और स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा कायम करने के लिये यह आवश्यक था। जनतंत्रीय स्थिति में त्यागपत्र की मांग करना विरोधी दलों और आम जनता के लिये जनतांत्रिक और नैतिक अधिकार है। इस मांग को करने वाले विरोधी दल और उनके नेता श्री जयप्रकाश हिंसा में विश्वास नहीं रखते। वे शांतिपूर्ण व अहिंसक सत्याग्रह मे विश्वास रखते हैं और जनतांत्रिक व वैधानिक रीति पर चलना चाहते हैं। लेकिन हमारी उक्त मांग का जवाब आपने अर्धरात्रि में आपात-स्थिति लागू कर विरोधी दलों के नेताओं, बुद्धिजीवियों, वकीलों, प्रोफेसरों व हर प्रकार के कार्यकर्त्ताओं को जेलों में बंद करके दिया। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना आम जनता तक न पहुँचने देने के लिए समाचार-पत्रों पर सेंसर बैठा दिया।

आपने न्यायालय के निर्णय और प्रजातंत्र की परम्पराओं के सम्मान में त्यागपत्र देने की बजाय संविधान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संशोधन करवाये, चुनाव कानून में परिवर्तन करवाये, न्यायालय को अपनी चुनाव याचिका सुनने से वंचित कराया। इसके अलावा आपने अपने शासनकाल में जो असंवैधानिक और कानून के खिलाफ कार्य किये हैं उनके लिये आपके खिलाफ किसी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सके इसका संशोधन भी विधान में कराया। आप सब कानून से ऊपर हैं कोई कानून आप पर लागू नहीं हो ऐसी व्यवस्था अब करायी है।

आपके विरुद्ध बोलने वालों को बंद करने के लिए निम्न स्तर प्रयोग किया जबकि आपने लिखित में यह दिया कि मीसा का उपयोग राजनैतिक विरोधियों पर नहीं किया जावेगा। मीसा में बंदी नेताओं को जब उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ा जाने लगा तो न्यायालय को ऐसे मुकदमें सुनने से वंचित करने का अध्यादेश जारी कर दिया। यह है आपका आज का प्रजातंत्र ? स्वयं के बचाव के लिए संविधान में संशोधन व विरोधी दलों को न्याय मांगने से भी वंचित करना, आपका लोकतत्र में विश्वास किस प्रकार का है स्वतः प्रकट होता है।

आपने अपने भाषणों में कहा कि कानून की पालना करने वालें को तंग नहीं किया जायेगा मगर इसका निर्णय भी आप करेंगी कि कौन कानून की पालना

करता है और कौन नहीं, क्योंकि न्यायालय तो बंदियों के मुकदमें सुन नहीं सकते। अतः विरोधी तो स्वतः ही खिलाफ-कानून मान लिये गये। अब कोई भी किसी समय बंदी बनाया जा सकता है और कितने ही समय के लिए जेल में रखा जा सकता है, सरकार को किसी भी बंदी के उचित कारणों को साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं रही है, उन बन्दियों को निर्दोष साबित करने का भी अवसर नहीं दिया गया है।

आपने आपात-स्थिति की घोषणा के साथ ही समाचार-पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी। ऐसी सेंसरशिप ब्रिटिश शासनकाल में भी कभी नहीं लगाई गई। इन समाचारपत्रों को यह भी छूट नहीं कि वे बन्दियों के नाम प्रकाशित कर सकें। आज विरोध की सही व प्रमाणित बात भी जनता तक नहीं पहुँचाई जा सकती। केवल सरकार द्वारा दी गई सूचना ही जनता तक समाचार पत्र, रेडियो व टेलीविजन द्वारा दी जाती है। संसद व विधान सभा की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। विरोधियों द्वारा जो भाषण दिये गये उन्हें समाचारपत्र छाप नहीं सकते। संसद व विधान-सभा में सच्चाई मालूम करने का साधन प्रश्नोत्तर काल होता है उसे भी समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने जो कुछ कह दिया है वह ब्रह्म वाक्य व सत्य है।

आप कहती हैं कि विरोधी दलों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, मगर कोई भी विरोधी दल आम सभा करके अपनी बात जनता के सामने नहीं रख सकता आप यह बतलाना चाहती हैं कि विरोधी दल आपके आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा नहीं होने देते। इसलिये आपातस्थिति लागू करनी पड़ी। आपने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की है। इन आर्थिक कार्यक्रमों में कोई नई बात नहीं है सब पुरानी बातें हैं। अगर आप इन्हें ईमानदारी से लागू करना चाहती हैं तो पहले ही पूरा कर सकती थीं। किसी विरोधी दल ने इनकी बहुत सी बातों का कभी कोई विरोध नहीं किया। कुछ बातें तो पूर्ण रूप से प्रशासनिक हैं। अतः विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं है।

आपात-स्थिति की घोषणा किये आज चार माह से ज्यादा समय हो चुका है। हम इस बात की उम्मीद में थे कि आप में सद्भाव उत्पन्न होंगे और आप अपने इन गलत कदमों को वापस लेंगी मगर यह विश्वास गलत निकला। जब कि हमारे लिये न्याय के सब दरवाजे बन्द हो चुके हैं और बलिदानों से प्राप्त आजादी खतरे में है। हमारे लिए शान्तिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह के अलावा कोई साधन इनसे मुक्ति पाने का नहीं है। हम केवल मूक दर्शक बन कर बलिदानों से प्राप्त आजादी को गुलामी में परिवर्तित होने नहीं देंगे। न ही देश में तानाशाही शासन की स्थापना होने दे सकते। हमें फिर से नये प्रजातंत्र की स्थापना के लिये शांतिपूर्ण अहिंसक

सत्याग्रह शुरू करना पड़ रहा है। हमारे सत्याग्रह का उद्देश्य वही है जो 6 मार्च के संसद पर जनता मार्च के समय था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो नई स्थिति आपने उत्पन्न की है, इसके संबंध में निम्न मांगें पेश की जाती हैं।

1. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत कर अपने प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दो।
2. आपात-स्थिति वापस लो।
3. मूल अधिकारों को पुनः स्थापित करो।
4. किसी भी संगठन को बिना न्यायालय की जांच व निर्णय के प्रतिबन्धित न किया जावे व जिनको प्रतिबंधित किया है उन पर से प्रतिबन्ध हटाओ।
5. संविधान व चुनाव-कानून में जो संशोधन आपातस्थिति के बाद किये गये हैं उन्हें रद्द किया जावे।
6. समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कायम रखी जावे व सेंसरशिप समाप्त की जावे। हम आपको पुनः बतलाना चाहते हैं कि हमारा सत्याग्रह शान्तिपूर्ण व अहिंसक होगा। हमारा यह सत्याग्रह जनतंत्र की समाप्ति की साजिश के विरुद्ध है। हम इस साजिश में सहयोग की बजाय जेल में जाना ज्यादा पसन्द करेंगे।

भवदीय
(रविन्द्र वर्मा)
सचिव
लोक संघर्ष समिति, नई दिल्ली

लोक-संघर्ष का आरम्भ करते समय यह निश्चय किया गया कि तानाशाही के विरोध में जनमानस को शिक्षित कर एक शक्तिशाली विरोध उत्पन्न किया जाये।

इस संघर्ष के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये :—

1 समाचार बुलेटिन निकालना।

2 महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पेम्पलेट लगाना तथा नारे लिखना।

3 सत्याग्रह।

चूंकि प्रेस पर सरकार की सेन्सरशिप की कैंची चल चुकी थी। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक तानाशाही आलोचना से डरता है इसलिए वस्तुतः सारे देश में छोटे-बड़े कोई तीन सौ समाचार-पत्र बन्द कर दिये गये थे। पत्रकारों को मीसा एवं

डी० आई० आर० में गिरफ्तार कर मुकदमें चलाये जा रहे थे। प्रेस सम्बन्धी ऐसे कानून बनाये गये जो ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं बनाये थे। इन कारवाहियों के फलस्वरूप राष्ट्रीय प्रेस एक सरकारी प्रचार-तन्त्र बनकर रह गया था। श्री वी० सी० शुक्ला, तत्कालीन सूचना-प्रसारण-मन्त्री, ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी थी कि प्रेस को सरकारी नीति से हटने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन परिस्थितियों में जनता के मनोबल को बनाये रखने के लिए घटनाओं की वास्तविक एवं सत्य जानकारी देना आवश्यक था ताकि प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधियों एवं लोक-संघर्ष-समिति के क्रिया-कलापों को जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। वह माध्यम केवल समाचार-बुलेटिन ही था। इसलिए लोक-संघर्ष समिति ने जन-संघर्ष" नामक बुलेटिन निकालने का निर्णय लिया।

यह बुलेटिन गुप्त रूप से किसी प्रेस में छपवाया जाता था तो कभी साइक्लोस्टाइल निकाल कर हजारों की संख्या में इसकी प्रतियाँ निःशुल्क जनता में गुप्त रूप से वितरित की जाती थीं। पाठकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे पढ़कर उसे नष्ट न करें बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को दें। इससे स्पष्ट है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को सरकार की कारगुजारियों से परिचित करवाना था।

बुलेटिन को राजस्थान के समस्त भागों में पहुंचाने की व्यवस्था का भार तत्कालीन भारतीय जनसंघ के कार्यालय-मन्त्री श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी के बच्चों पर पड़ा। कार्य बड़ा नाजुक तथा महत्त्वपूर्ण था लेकिन उनके अथक प्रयास और सूझ-बुझ ने इस कार्य को बड़ी मुस्तेदी से निभाया। सरकारी मशीनरी इन बुलेटिनों के उद्गम-स्थान एवं बाँटने की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकी। श्री तिवाड़ी ने बताया कि निश्चित स्थान से बुलेटिन प्राप्त कर विशेष संदेश वाहकों के माध्यम से प्रान्त के भिन्न-भिन्न विभागों में भिजवाने का कार्य किया करते थे। बुलेटिनों को सभी कांग्रेसी मन्त्रियों, और विधायकों के घर पर भेजने की विशेष व्यवस्था थी। प्रत्येक सवेरे उनके घर के घास के लान पर या किसी झाड़ी में इस प्रकार का बुलेटिन अवश्य मिलता था जो वास्तव में उनके प्रशासन को एक चुनौती थी। इन बुलेटिनों को निकलने से बन्द करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाये। इनके निकलने का स्थान, वितरित करने की व्यवस्था आदि का पता लगाने के लिए पुलिस-अधिकारियों को आदेश प्रदान किये गये। इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। श्री जयदयाल बरचन्दानी को इस आरोप में गिरफ्तार कर उनकी दुकान भी सील कर दी गई थी। उत्तमचन्द, मोरी चार बाग, भरतपुर को भी पर्चों के बारे में पूछताछ करने हेतु गिरफ्तार किया गया था।

श्री तिवाड़ी ने बताया कि पर्चे निकालने का स्थान प्रायः प्रतिदिन बदल दिया जाता था इसी तरह पर्चे प्राप्त करने का स्थान भी हर रोज नया ही होता था। इसी कारण पूरे 19 मास सरकार की आँख में धूल झोंककर कार्यकर्त्ता यह कार्य कर सके।

15 जुलाई 75 से 30 जुलाई 75 तक समस्त राजस्थान में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक व्यक्ति आपातकाल के विरोध में नारे लगाता हुआ अपनी गिरफ्तारी देता था।

नागौर जिले को इस से मुक्त कर दिया गया था चूंकि अत्यधिक वर्षा के कारण नागौर जिले में बाढ़ का प्रकोप था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य दलों के कार्यकर्त्ता जिलाधीश महोदय के साथ बाढ़ राहत कार्य में संलग्न थे। इस कार्य के महत्त्व को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया था।

श्री ईश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए आतुर थी। एक दिन सी० आई० डी० के चार व्यक्ति श्री सिंह के घर आये, उन्होंने श्री सिंह से पूछा कि क्या श्री ईश्वर सिंह यहीं रहते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। सी० आई० डी० वाले उनके निवास स्थान के सामने वाली दूकान पर पूछताछ करने गये दुकानदार ने बताया कि वह व्यक्ति जो आपसे बातचीत कर रहा था वही तो ईश्वर सिंह था। चारों ने उसी समय फोन द्वारा पुलिस थाने से सम्पर्क किया, लेकिन उस समय तक श्री सिंह अपना सूटकेस लेकर अपना निवास-स्थान छोड़ चुके थे। घर से थोड़ी दूर एक मोटर साईकिल तैयार थी जिसके द्वारा वे नागौर से 10 कि० मी० दूर खरनाल घोड़ा नाम के गांव पहुंचे। वहां से बस पकड़ कर जोधपुर पहुंचे। एक सप्ताह तक जोधपुर में रहकर वे जयपुर आये। जयपुर आकर उन्होंने भारतीय जनसंघ के प्रदेश मन्त्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी से सम्पर्क किया। वे ललित जी से आन्दोलन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश लेने आये थे। लेकिन बातचीत के लिए कोई उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण श्री चतुर्वेदी ने अपना स्कूटर निकालकर उस पर बैठने का निर्देश दिया। दोनों स्कूटर द्वारा बाजार की ओर गये। घूमते-घूमते उन्होंने आन्दोलन सम्बन्धी बातचीत की तथा श्री चतुर्वेदी ने श्री भैंरोसिंह शेखावत का एक पत्र श्री सिंह को दिया, जिसमें आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान करने का निर्देश था। निर्देशों को कार्यरूप देने के लिए श्री चौधरी अपने मुख्यालय जोधपुर लोट आये। इस आन्दोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री चौधरी ने कभी अपने आपको रामसिंह सार्वजनिक निर्माण-विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता तो कभी अपने को नागौर जिले का भाटी राजपूत बताया। इस दौरान उन्होंने अपना भेष भी बदल डाला था, इसी कारण वे बराबर

19 मास तक पुलिस की पकड से बचकर आन्दोलन को उचित गति देने में समक्ष हो सके।

श्री चौधरी ने बताया कि समय-समय पर राजस्थान से बाहर के नेता भी आकर कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंगों को सम्बोधित करते थे। इन नेताओं में प्रमुख श्री सुन्दर सिंह भण्डारी, जे० पी० माथुर, प्रो० राजेन्द्रसिंह (रज्जुभैय्या) बापूराव मोघे, आर० एस० एस० के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख तथा माधवराव मूले, सर कार्य-वाहक आर० एस० एस० भी थे। इन नेताओं ने राजस्थान के भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा किया तथा कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित कर आवश्यक निर्देश देकर उनके मनोबल को बनाये रखा।

श्री दयाशंकर पानेरी भारतीय जनसंघ के विभागीय संगठन-मन्त्री थे। आपात-काल की घोषणा के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का वारन्ट कट गया था। लेकिन गिरफ्तार होना उचित न समझकर वे भूमिगत हो गये। 30 जून 75 को लड़की की शादी थी उसमें भी सम्मिलित होना आवश्यक था। पुलिस भी उनको गिरफ्तार करने को आतुर तो थी ही, इसलिए शादी के दिन उनके निवास-स्थान को पुलिस ने घेर लिया। चूंकि पुलिस को यह विश्वास था कि वे शादी में सम्मिलित होने तो अवश्य आयेंगे। श्री पानेरी जी भेष बदल कर शादी में सम्मिलित हुए, लेकिन पुलिस उन्हें पहचान नहीं सकी। शादी की रस्म समाप्त होते ही वे अपने निवास-स्थान के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गये। उनके जाने के बाद साथियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने लड़की को बिदा किया। पुलिस अपनी इस असफलता पर झुझंला उठी।

श्री पानेरी जी ने बताया कि भूमिगत आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु सर्वश्री नानाजी देशमुख, प्रो० ललित चतुर्वेदी, भंवर लाल शर्मा तथा सुन्दर सिंह भण्डारी उदयपुर आये। उनके निर्देशानुसार श्री पानेरी जी को जोधपुर भी जाना पड़ा। उदयपुर से जोधपुर जाने के लिए कई बार पैदल, साईकिल, ट्रक इत्यादि का प्रयोग किया। जोधपुर में उन्होंने विभाग के नेताओं से सम्पर्क कर आवश्यक निर्देश दिये तथा जानकारी प्राप्तकर पुनः उदयपुर लौट आये। उदयपुर में रह कर वे बराबर आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करते रहे। प्रान्तीय कार्यालय मन्त्री श्री इन्द्र-कुमार तिवाड़ी से पत्र के माध्यम से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के भीलों को सरकार का मुकाबला करने के लिए संगठित कर विशेष महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके ही प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र में जनता पार्टी को विशेष

सफलता प्राप्त हो सकी है। अन्त में श्री भंवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार श्री पानेरी ने 14 नवम्बर 75 को सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी।

सत्याग्रह

आपातकाल की घोषणा के तत्काल बाद लोक संघर्ष-समिति ने सरकार पर दबाव डालने एवं जनता को भयमुक्त करने हेतु सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह का प्रथम चरण 15 जुलाई से 30 जुलाई तक था। जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी देने वाले अखिल भारतीय जनसंघ (राजस्थान) के अध्यक्ष श्री भानुकुमार जी शास्त्री थे। उनकी प्रथम गिरफ्तारी ने आग में घी के समान कार्य किया। राजस्थान के विभिन्न जिलों में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वालों की होड़ सी लग गई। श्री शिखर चन्द जैन ने श्री भानुकुमार का अनुकरण कर जयपुर में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कर आपातकाल के प्रति विरोध प्रकट किया।

लेकिन वास्तव में इस सत्याग्रह का दूसरा चरण जो 14 नवम्बर 75 से 25 जनवरी 76 तक था, अधिक प्रभावशाली रहा। इस चरण को लोक-संघर्ष के नेताओं द्वारा "जेल भरो" अभियान की संज्ञा दी गई थी।

श्री मुकुट बिहारी लाल 14 नवम्बर का इन्तजार नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने 5 नवम्बर को ही अपने अन्य साथियों सहित सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दे दी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 नवम्बर 75 को राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस दिन सवाईमाधोपुर, महुआ, खण्डार में गिरफ्तारी दी गई। नवलगढ़ में श्री विशम्भर दयाल की अगुवाई में सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रही शांत थे लेकिन जनता में आतंक फैलाने के उद्देश्य से पुलिस ने उनसे मारपीट की। बीकानेर में कोटगेट के पास शान्त सत्याग्रहियों पर भी लाठी चार्ज हुआ। सर्वश्री मूलचन्द, गोविन्द सिंह, रामदयाल को तो थाने में ले जा कर पीटा गया। चूरू में टोपनदास, रिद्धकरण वशिष्ठ, भंवरलाल भ्रमर ने अपने को गिरफ्तार कराया। गंगानगर में डा० तुहीराम गुप्ता, सेठ सोहनलाल, ओमप्रकाश मोदी, बालकिशन कागजी, गंगाराम, मक्खन लाल, रामनिवास एवं रामप्रकाश ने सत्याग्रह किया। जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। सिरोही में पांच सत्याग्रहियों ने तथा मधुसूदन मंगल ने पावटा में सत्याग्रह किया।

श्री दयाशंकर पानेरी ने जो अब तक भूमिगत रहकर डूंगरपुर, बांसवाडा तथा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जनमानस को शिक्षित करने का कार्य कर रहे थे, श्री भंवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार 14 नवम्बर 75 को नाथद्वारा में सत्याग्रह

कर गिरफ्तारी दी। श्री पानेरी के अनुसार उदयपुर जेल के मीसा-बन्दियों के मनोबल में गिरावट आने का संकेत था, इसलिए उनके मनोबल को कायम रखने के लिए श्री शर्मा के अनुसार उनका जेल में जाना अति आवश्यक था। पार्टी के आदेशों की पालना करना ही कार्यकर्त्ता का परम धर्म है। इसी विचार के अनुसार उन्होंने सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी। इस जन-आन्दोलन से विद्यार्थी भी अपने आपको अछूता नहीं रख सके। खण्डार के श्री मोतीलाल जाट कक्षा 10 के विद्यार्थी ने अपने 6 साथियों सहित गिरफ्तारी दी। इसी प्रकार नागौर में कक्षा 8 व 9 के विद्यार्थियों ने इस सत्याग्रह में अपनी आहुति दी, जिनमें प्रमुख श्री ललित एवं प्रहलाद थे।

16 नवम्बर 75 को गंगापुर सिटी में रामकिशोर गर्ग ने अपने चार साथियों सहित 'भारत माता की जय' बोलते हुए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह शान्त होते हुए भी पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया। 17 नवम्बर 75 को को बीकानेर के श्री दत्त दुबे ने अपने 5 साथियों के साथ सत्याग्रह किया। उधर गंगानगर में श्री मिलखराज भूतपूर्व नगर पार्षद, द्वारका प्रसाद घी वाले तथा दीन दयाल ने आपातकाल का विरोध करते हुए सत्याग्रह किया। 19-11-75 को श्री चंपालाल पुत्र रिखबचन्द मुणोत ने जालौर में सत्याग्रह किया। 21 नवम्बर 75 को हरिनारायण के नेतृत्व में 5 व्यक्तियोंने 'जे० पी जिन्दाबाद' 'भारत माता की जय' बोलते हुए गिरफ्तारी दी। दौसा महाविद्यालय के छात्र श्री ललित किशोर शर्मा भी इस में कूद पड़े। 24-11-75 को श्री गंगानगर में मा. श्री राम, श्याम चुग तथा रमेश सेठी ने सत्याग्रह कर इस क्रम को बनाये रखा। 25 नवम्बर 75 को श्री बद्रीलाल शर्मा, राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र ने अपने अन्य साथियों श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, हेमराज नागर, कृष्ण मुरारी तिवाड़ी, सुरेन्द्र भण्डारी, बद्रीप्रसाद गौतम, ओमप्रकाश गौतम के साथ महाविद्यालय के प्रांगण में सत्याग्रह किया।

26 नवम्बर 75 को जयपुर में हाई स्कूल में 5 विद्यार्थीयों आपातकाल के विरोध में नारे लगाकर सत्याग्रह कर रहे थे। उन्हें देखकर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता अपने आपको नहीं रोक सके। उन्होंने भी नारे लगाकर बच्चों का साथ देकर गिरफ्तारी दी।

26 नवम्बर 75 को डीडवाना में छोटूलाल टांक के नेतृत्व में बी० काम० (अन्तिम वर्ष) के चार छात्रों ने, 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' संघ पर से प्रतिबन्ध हटाओ "आपात-स्थिति समाप्त करो' आदि नारे लगाते हुए अपने आपको गिरफ्तार करवाया। 30 नवम्बर को पाली तथा फालना में सत्याग्रह हुआ। पाली में सत्याग्रहियों पर लाठी-चार्ज हुआ।

1 दिसम्बर 75 को झुंझनू में पहले जत्थे ने सत्याग्रह किया जिसमें सर्वश्री विश्वनाथ, विजयकुमार, अटलबिहारी, सुगोलिया, सुरेश सोनी, विष्णुशर्मा, ओम, नेरू, सुरेश खेतान, राजेन्द्र मिश्रा तथा चन्दगीराम थे। 5 दिसम्बर को सर्व श्री बनवारी लाल और रामसुख ने तथा भीलवाड़ा में श्री रूपलाल सोमानी और श्री सम्पतलाल ने सत्याग्रह किया। 8-12-75 को सर्व श्री सुरेशचन्द तिवाड़ी, आसाराम डालमिया तथा सुरेन्द्र शर्मा ने सत्याग्रह किया। 9 दिसम्बर को जोधपुर में सर्व श्री रामचन्द्र, भुराजी तथा शान्तिलाल राठी ने तथा जयपुर में श्री बजरंग लाल जाट छात्र एल० एल० बी (अन्तिम वर्ष) ने सत्याग्रह किया।

श्री दीनदयाल दशोतरा ने 18 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक भीलवाड़ा, अजमेर तथा जयपुर की यात्राएं कीं। इन यात्राओं के अन्तर्गत उन्होंने अनेक व्यक्तियों से प्रस्तावित सत्याग्रह पर चर्चा की। तथा 27-12-75 को 10 बजकर 20 मिनट पर उदयपुर के घन्टाघर पर पुलिस थाने के सामने सत्याग्रह किया। उनकी पत्नी तथा अन्य साथी भी उनके साथ थे उनके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था। "आपातकाल हटाओ' प्रेस सेन्सर शिप हटाओ, 'बन्दी नेताओं को रिहा करो'

भारतीय जनसंघ के नेता श्री भंवर लाल शर्मा आपातस्थिति की घोषणा के साथ ही भूमिगत हो गये थे। भूमिगत रहकर वे लोकसंघर्ष-समिति द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर कार्यकर्त्ताओं के मनोबल को ऊंचा करके सत्याग्रह, पर्चे बंटवाना एवं नारे लिखवाने के कार्यक्रम को तेज गति प्रदान कर रहे थे। सरकार ने पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने की विशेष हिदायत दे रखी थी। जिसके फलस्वरूप उनकी तलाश जारी थी। कई बार इनके घर पर भी छापे मारे गये। लेकिन पुलिस का हर प्रयास असफल रहा। श्री शर्मा राजस्थान के विभिन्न भागों का दौरा करके कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क बनाकर उन्हें पूरी हिम्मत से संघर्ष में लीन होने का निर्देश देकर अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे थे। अन्त में उन्होंने 27-12-75 को जयपुर में चांदपोल पर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। एक दिन पहले इनके सत्याग्रह की सूचना छपवा कर वितरित कर दी गई थी यह सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस का उद्देश्य उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करने का था। लेकिन श्री शर्मा ने सत्याग्रह इस तरह किया कि चांदपोल पर भारी भीड़ इकठ्ठी हो गई। पुलिस काफी प्रयत्नों के पश्चात् ही उन्हें पकड़ सकी।

आपातकाल का विरोध करने तथा प्रजातन्त्र की रक्षा हेतु आरम्भ किये गये इस संघर्ष में स्त्रियां भी अपने आपको अछूता नहीं रख सकीं। 5 जनवरी 76 को श्रीमती विद्या पाठक के नेतृत्व में 5 बजे जयपुर में सत्याग्रह हुआ। स्त्रियां पूरे जोश में आपातस्थिति के विरोध में नारे लगा रही थीं। चूंकि महिला पुलिस उस समय उप-

लब्ध नहीं थी। इसलिए यह सत्याग्रह काफी देर तक चलता रहा। पांच बत्ती पर काफी भीड़ के इकट्ठी होने के कारण ट्रैफिक का आना जाना रुक गया था। काफी समय पश्चात् महिला पुलिस का बन्दोबस्त हो सका तब ही सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां सम्भव हो सकी।

इस जत्थे में निम्न स्त्रियों ने भाग लिया श्रीमती प्रमीला चतुर्वेदी, महताब, सत्यवती गुप्ता, विमला माथुर, आशा कंवर राठोर, कौशल्यादेवी, कुमारी सन्तोष आचार्य। 2-12-76 को गंगानगर में श्री हुलासमल चौपड़ा, मदनलाल सिंघल तथा गोविन्द टांटिया ने गिरफ्तारी दी।

कोटा के रामपुरा बाजार में विरोध स्वरूप सत्याग्रहियों द्वारा श्रीमती गांधी का पुतला जलाया जा रहा था। बालक नरेन्द्र प्रकाश जैन जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी इस तमाशे को देख रहा था। सत्याग्रहियों के नारों की आवाज ने उस बालक को भी नारे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। उसने भारत माता की जय बोली। इस अपराध के लिए उसे भी मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या 12 वर्ष की आयु के बालक से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था? यह घटना सरकार की बोखलाहट को प्रमाणित करती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, मोरी चार बाग, भरतपुर तथा भैरूलाल लखारा ने कांकरोली में सत्याग्रह किया। 12-5-76 को श्री द्वारकाप्रसाद गोरीसरिया, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी तथा जिसका बड़ा भाई श्री राधेश्याम गोरीसरिया भी गिरफ्तार था, ने रतनगढ़ के थाने के सामने नारे लगाकर गिरफ्तारी दी। 14 फरवरी 76 को श्री विजय दुबे ने जयपुर में गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में पर्चे बांटकर नारे बाजी की। जहां कुछ कांग्रेसियों तथा प्रदर्शनी के व्यवस्थापकों ने उसे पकड़ कर पीटा तथा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सरकार के दमन की चिन्ता किये बगैर जिस उत्साह से राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ता तथा अन्य युवक सत्याग्रह में भाग ले रहे थे उसका निम्न पक्तियों के माध्यम से कितना सजीव वर्णन किया गया है—

जब कर्त्तव्य ने पुकारा,
तो कदम कदम बढ़ गए।
जब गूंज उठा नारा
भारत माता की जय
तो जीवन का मोह छोड़,
प्राण पुष्पचढ़ गये।।

कदम कदम बढ़ गये ।।
टोलियों की टोलियां
जब चल पड़ी यौवन की, तो चोखट चरमरा गए
सिंहासन हिल गए ।
प्रजातन्त्र के पहरेदार
सारे भेदभाव तोड़,
मंजिलों पर मिल गए ।
चुनौती की हर पंक्ति को
सब एक साथ पढ़ गये ।।
कदम कदम बढ़ गए ।।
सारा देश बोल उठा
जयप्रकाश जिन्दाबाद,
तो दहल उठेत नाशाह,
भ्रकुटियाँ तन गईं,
लाठियां बरस पड़ी
सीनों पर, माथे पर,
चौराहे, गलियाँ, सड़कें
खून से सन गईं,
एक नहीं. दो नहीं, जाने कितने ही
ईंट पर ईंट रख समाधियां गढ़ गए ।।
कदम कदम बढ गए ।।
हथकड़ियां खन खना उठी
आजादी के बिखर गए तार तार
कुचल गए मौलिक अधिकार
जब न्याय थरथरा गया,
तो युग पुरुषबोल उठा ।
श्वासों की एक एक धड़कन के अर्पण से
रक्त की एक एक बूंद के तर्पण से
जब तक इस धरती पर
एक भी प्राणधारी रहेगा
तब तक समग्राक्रांति का
यह स्वातन्त्र्य-समर जारी रहेगा ।

काराओं की भित्तियों पर
उद्घोष मढ गए ।।

कदम कदम बढ गए ।

'राही'

पर्चों का वितरण

लोकसंघर्ष-समिति द्वारा 'जनसंघर्ष' नामक बुलेटिन जनता को आपातस्थिति तथा सरकार के विरोध में शिक्षित करने के उद्देश्य से निकाला गया था। यह उद्देश्य केवल उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता था जबकि उसका वितरण अधिक से अधिक हो। जनता तक पहुँचाने के लिए गुप्त रूप से कार्य करना भी आवश्यक था। चूंकि सरकार ने इसे रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाये थे। इसलिए इनका वितरण बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रत्येक विभाग का प्रभारी अपने-अपने जिलों में किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से पोस्टर भेजता था। जिला प्रभारी उन बुलेटिन्स को अपने जिले में तहसील एवं गांव स्तर तक भेजने का कार्य अपने विशेष दूतों के माध्यम से करवाता था। पोस्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य अधिकतर विद्यार्थी ही किया करते थे। विद्यार्थियों का उपयोग इस दृष्टिकोण से किया गया था कि उन पर पुलिस को आसानी से शक नहीं होता था। श्री भैंरोसिंह शेखावत की डायरी के अनुसार बालक अजय कुमार जैन को पोस्टर बांटते हुए पकड़ा गया था। 12 दिसम्बर 75 को सत्यनारायण गुप्ता के घर पर छापा मार कर जयप्रकाश नारायण समर्थक सामग्री की बरामदगी हुई थी। चाकसू कस्बे के छात्र रामशरण को भी पर्चे बांटने के आरोप में दिनांक 8 दिसम्बर 75 को गिरफ्तार किया गया। 27 नवम्बर 75 को बाड़मेर की पुलिस ने तीन बालकों को पर्चे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया। बीकानेर में भी पुलिस के जुल्मों के विरोध में पर्चे बांटने के कारण कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया गया।

इश्तिहार चिपकाना

समाचार-बुलेटिन निकालने के अतिरिक्त लोकसंघर्ष-समिति का अपने कार्यकर्त्ताओं को यह भी निर्देश था कि वे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सरकार विरोधी पोस्टर चिपकाएं तथा लोकसंघर्ष-समिति की मांगों से सम्बन्धित नारे लिखें। यह कार्य अधिकतर रात के अँधेरे में ही किया जाता था। इस कार्य को रोकने के लिए प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्थान पर पुलिस की गश्त लगती थी, लेकिन फिर भी उनकी आँखों में धूल झोंक कर राजस्थान भर में नारे लिखे जाते रहे व पोस्टर चिपकते रहे। चूरू

जिले के रतनगढ़ शहर में श्यामलाल चौधरी, राधेश्याम, पवनकुमार ने निश्चय किया कि शहर के मुख्य स्थानों पर नारे लिख कर जन-जागरण किया जाये। गहन रात्रि में पूर्ण गोपनीयता के साथ यह कार्य सम्पन्न हो गया। अगली सुबह शहर में तहलका मचा हुआ था। थाने की ओर से पुलिस के सिपाहियों को आदेश मिला कि वे तत्काल उन नारों को मिटा दें। नारे इस प्रकार थे....

"इन्दिरा तेरी जेल-कचहरी देखी है और देखेंगे"

"भारत माता करे पुकार, देश के जागो पहरेदार"

उसके पश्चात् वे स्टेशन रोड पर नारे लिखते हुए पकड़ लिये गये।

नागौर में 15 अगस्त को पोस्टर लगाने के आरोप में 6 व्यक्तियों (ओमप्रकाश, पूराराम, सत्यनारायण, रिखबचन्द, विनोदकुमार तथा गोविन्द) को गिरफ्तार किया गया। 16 जुलाई 76 को करौली में बजरंगलाल पोस्टर चिपकाता हुआ पकड़ा गया। 25 जून 76 को देशभर में काला दिवस के रूप में मनाया गया था। रात के गहन अन्धकार में दौसा के उप जिलाधीश कार्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस के काले कारनामों के पोस्टर लगाते हुए सुरेश चन्द्र शर्मा, कृष्ण अवतार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। गंगानगर जिले में नारे लिखने का कार्य सर्वश्री रामनिवास अग्रवाल व गोविन्द टांटिया अपने साथियों सहित करते रहे और अन्त में सत्याग्रह कर गिरफ्तार हुए।

प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाये जाने के बावजूद भी पर्चे निकालने एवं मुख्य स्थानों पर नारे लिखने का क्रम जारी रहा। इस क्रम के अनवरत रूप स चालू रहने का तात्पर्य सरकार की पूर्ण रूप से हार थी। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य-मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने अजमेर में आयोजित फासिस्ट विरोधी रैली को संबोधित करते हुए अध्यापकों से अपील की कि वे दीवारों पर लगने वाले ऐसे पोस्टरों को हटाने एवं नारों को मिटाने का कार्य करें। इस समय विद्यार्थियों की शिक्षा का विषय उनकी दृष्टि से गौण था। लेकिन यह अपील करते समय श्री जोशी यह भूल गये थे कि केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि समाज का प्रत्येक वर्ग उनकी ताना-शाही से तंग आकर तथा बड़े धैर्य से कांग्रेस सरकार को धराशायी करने के लिए उचित अवसर आने पर अपना पूर्ण योगदान देने हेतु तैयारी कर रहा था।

छब्बीस जून काला दिवस

लोकसघर्ष-समिति ने छब्बीस जून 76 को—आपातकाल के एक वर्ष के पूरे होने पर—काला दिवस मनानेका फैसला किया। 'जनसंघर्ष' पत्र में प्रकाशित आह्वान के सम्बद्ध अंश को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

एक ओर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, सर्वसत्तात्मक वृत्ति, कुर्सी की भूख बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर शहीदों की कतार लम्बी होती जा रही थी। ब्रिटिश काल में एक यतीन्द्रनाथ झा की जेल में मृत्यु हुई। लगा जैसे कोई अनहोनी बात हो गई। इस एक घटना से राजनैतिक बंदियों के साथ सरकार का रुख बदल गया, व्यवहार बदल गया था और अब इस तानाशाही व्यवस्था में आज इन्दिरा जी का पूरा प्रयास है कि संसार को पता नहीं लगे कि एक ओर जहां हजारों लोगों को जेल में ही घुट-घुट कर दम तोड़ने को मजबूर किया जा रहा है वहां दूसरी ओर जेल के बाहर उनके परिवारों को तिल तिल कर गलने को।

इन्दिरा जी विदेशी पत्रकारों को कहती हैं कि केवल स्मगलर और समाज विरोधी तत्वों के अलावा सबको छोड़ दिया गया है। वास्तव में मीसा बना ही ऐसे लोगों के लिए था पर उपयोग किया गया देशभक्तों के विरुद्ध, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध। अपने राजनैतिक विरोधियों को किसी को अति वामपंथी, किसी को नक्सलवादी, किसी को प्रतिक्रियावादी, किसी को दक्षिण-पंथी तो किसी को फासिस्ट बताकर तो किसी पर अन्य आक्षेप लगा कर बंद कर दिया गया।

इस अभूतपूर्व आन्दोलन को श्रीमती गांधी आन्दोलन मानने को भी तैयार नहीं हैं। हजारों लोगों को जेलों में ठूंसने के बाद यह कहा जाता है कि कुछ सौ लोग ही जेलों में हैं।

पर श्रीमती गांधी भयभीत हैं इस बात से कि तानशाही एवं अनियमित सत्ता के बावजूद भी उनके स्वयं के कथनानुसार एवं कल्पनानुसार उनका काम बंद हुआ है— प्रतिबंधित संगठनों का काम तेजी से बढ़ता जा रहा है। अध्यादेश, लाठी, गोली, जेल-यातनाओं के बावजूद भी समग्र क्रान्ति का रथ निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पहिये न रुक रहे हैं न विराम लेते हैं तथा ध्वनि आ रही है "संघर्ष जारी है– जारी रहेगा" और स्वर गूंज रहा है "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।"

इस सम्बन्ध में जे० पी० का सन्देश इस प्रकार था :—

देश में आपात-काल को लागू हुए लगभग एक वर्ष हो गया है। इस दिन ही श्रीमती गांधी ने नागरिक स्वतन्त्रताओं को समाप्त कर विरोधी नेताओं को बिना कारण बताकर गिरफ्तार कर एक दलीय तानाशाही व्यवस्था की स्थापना की थी। इस समय बेकसूर लोगों को जेल में सड़ने को मजबूर कर दिया गया है। इसलिए श्री नारायण ने 26 जून 76 को समस्त देश में "काला दिवस" मनाने का आह्वान

किया । उन्होंने बम्बई से 11-5-76 को इस अवसर पर निम्न सन्देश जनता के नाम प्रसारित किया । "देश की स्वाधीनता के पश्चात् 26 जून 75 भारत के इतिहास में काले दिन के नाम से स्मरण किया जायेगा । 25 जून 75 तक भारत में लोकशाही थी । किन्तु रातों रात इसको व्यक्तिगत तानाशाही में बदल दिया गया ।

श्रीमती गांधी फिर भी यह दावा करती हैं कि भारत में जो लोकतन्त्र है वही इसकी जागरूक प्रहरी है । मेरा सुझाव है कि जनता को खासकर युवकों को नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग कर सभाओं और जुलूसों का आयोजन करना चाहिए और इस प्रकार श्रीमती गांधी को परीक्षा में उतारना चाहिए । मेरा सुझाव है कि इस अवसर पर आम सभाओं के साथ-साथ अनेक प्रकार की विज्ञप्तियां, पुस्तिकाएँ तथा साहित्य प्रकाशित किया जाये और सारे देश में व्यापक रूप से वितरित किया जाये । नागरिक स्वाधीनता लोकतन्त्र तथा मानवीय समता का बुनियादी आधार है । इस बारे में 26 जून को व्यापक पैमाने पर लोक-शिक्षण किया जाना चाहिए ।"

26 जून 76 को काला दिवस मनाने के महत्त्व को बताते हुए श्री नारायण ने दिनांक 21 जून 76 को बम्बई से भारतीय जनता के नाम पुन: निम्न सन्देश प्रसारित किया—

"26 जून 76 को भारतीय जनता पर कांग्रेसी शासन द्वारा थोपी गई तानाशाही का एक वर्ष पूरा हो रहा है । इस बीच हमारे कई बंधु शहीद हो गये हैं हजारों बहादुर साथी जेल गये हैं और दूसरे प्रकार की यातनाएँ उन्होंने झेली हैं । आज भी उनमें से अधिकांश साथी देश के विभिन्न कारागारों में बन्द हैं । उनका अपराध यही है कि दुष्ट तानाशाही के सामने झुकने को वे तैयार नहीं हैं । भारतीय जनता के गले में नई गुलामी का यह शिकंजा दिनों दिन मजबूत बनाया जा रहा है । बंदी साथियों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे और सच्चे सत्याग्रहियों की तरह मरते दम तक पराजय कबूल नहीं करेंगे । हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा । इस मौके पर उन सभी साथियों को मैं अपना क्रांतिकारी अभिवादन भेजता हूं ।"

बाबूजी का सन्देश लोकसंघर्ष-समिति के लिए एक आदेश के समान था । इस आदेश-पालना हेतु राजस्थान लोकसंघर्ष-समिति ने भी राजस्थान में 26 जून 76 को काला-दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया । इसलिए समस्त राजस्थान में कार्यकर्त्ताओं ने पूरे उत्साह से इसे मनाने का निश्चय किया ।

समस्त राजस्थान में आपातस्थिति के विरोध में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर चिपका कर प्रजातन्त्र की वापसी की मांग की गई । कुछ स्थानों पर तो सभाओं

का आयोजन भी किया गया। इस दिन विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं ने प्रजातन्त्र की रक्षा के संघर्ष में भारत माता के जिन सपूतों ने अपनी शहादत दी थी उन्हें पुष्पाँजली अर्पित कर उनका सम्मान किया।

सरकार को विरोधी दलों के इस कार्यक्रम की भनक तो मिल ही गई थी। इसलिए इसे रोकने के लिए राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन संघर्ष-समिति की योजना तथा कार्यकर्त्ताओं की सूझबूझ के सामने सरकारी मशीनरी एक प्रकार से असफल नजर आ रही थी। जयपुर शहर में पुलिस को यह सूचना मिली कि 26 जून को प्रातःकाल रामनिवास बाग में आपातकाल के विरोध में एक भारी जुलूस निकलेगा। सरकारी आदेशों के पालनार्थ सारा शहर पुलिस छावनी में परिवर्तित कर दिया गया था। यह सब होते हुए भी कार्यकर्त्ताओं का मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नगर के कोने-कोने में बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर चिपका कर सरकारी व्यवस्था को असफल सिद्ध कर दिया। इन पोस्टरों पर निम्न शब्द अङ्कित थे। "प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी है, जारी रहेगा"। प्रदेश भर में लोकसंघर्ष-समिति के अनुसार 250000 पोस्टर चिपकाए गये। पुलिस इन पोस्टरों के लगाने को रोकने में असमर्थ हो गई थी, इसलिए अब ऐसे पोस्टरों को फाड़कर तथा नारों को मिटा कर ही सन्तोष कर रही थी। पोस्टरों के अतिरिक्त जयपुर शहर में 27 स्थानों पर रात्रि 8 से 8.30 बजे तक खूब नारे लगाये गये। पुलिस की इतनी अधिक व्यवस्था होने पर पोस्टरों का चिपकाना तथा नारों का लगना पुलिस के स्वाभिमान पर एक आघात था। घायल शेर की तरह से पुलिस सर्वोदय और राष्ट्रीय स्वयं सेवक-संघ के कार्यकर्त्ताओं के घरों पर झपट पड़ी। सारी रात विभिन्न स्थानों पर छापे पड़ते रहे। कुछ कार्यकर्त्ता गिरफ्तार भी हुए लेकिन अधिकतर भूमिगत होने में सफल हो गये। कार्यकर्त्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार न कर सकना सरकारी तन्त्र की दूसरी असफलता थी।

जेलों में पड़े स्वतन्त्रता के प्रेम पुजारी भी इस दिवस को मनाने में पीछे नहीं रहे। राज्य की विभिन्न जेलों में आपातस्थिति के विरोध में सामूहिक उपवास रखे गये तथा नारे इत्यादि लगाये गये। सभी जेलों में मीसा व डी० आई० आर० बन्दियों ने आपातस्थिति के विरोध में तथा प्रजातन्त्र की बहाली के पक्ष में प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भिजवाये। श्री सिद्धराज ढड्ढा जो इस समय अजमेर की आदर्श कारागार में बन्दी के रूप में थे ने बताया कि हमने निम्न प्रस्ताव पास कर सरकार को भिजवाये।

"देश में आन्तरिक आपातस्थिति लागू किये एक वर्ष का समय आज पूरा

हो गया है। इस कदम को उचित ठहराने के लिए सरकार की ओर से जो भी कहा जाता रहा हो यह स्पष्ट है कि न तो गत 26 जून को आपातस्थिति लागू करने का कोई कारण और औचित्य था, न अब इसे कायम रखने का। 25 जून 75 को कुछ विपक्षी दलों एवं स्वतन्त्र नागरिकों द्वारा सरकार की व सत्ताधारियों की उन नीतियों व कारवाइयों के खिलाफ जिन्हें वे गलत समझते थे विरोध प्रकट करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था तथा जनता का उसके समर्थन में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एवं सत्याग्रह का जो आह्वान किया गया था वह सर्वथा वैध था क्योंकि जनता को हमेशा ही खासकर जनतांत्रिक व्यवस्था में जो 25 जून 75 तक इस देश में कायम थी, इस प्रकार के विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार था। सेना या पुलिस को विद्रोह के लिए भड़काने का जो आरोप लगाया जाता है वह सर्वथा निराधार एवं झूठा है। आपातस्थिति लागू करके जिस तरह नागरिक अधिकारों को कुचला गया, अखबारों पर एवं अन्य प्रकार के प्रकाशनों पर सरकारी पैरवी करने के लिए दबाव डाला गया और स्वीकृत बातों के अलावा अन्य सामग्री छापने पर पाबन्दी लगाई गई है। अदालत द्वारा भ्रष्टाचार एवं अपराध घोषित की गई पुरानी कार्यवाहियों को अपराध न मानने तथा आगे भी प्रधानमन्त्री के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही न होने देने आदि के जो लज्जाजनक तानाशाही क़दम उठाये गये हैं इन सबसे यह साफ जाहिर हो गया है कि आपातस्थिति लागू करने का मुख्य उद्देश्य श्रीमती गांधी को प्रधानमन्त्री पद पर हर सूरत में बनाये रखना था। इस प्रकार देश में जनतन्त्र को समाप्त करके व्यक्तिगत तानाशाही कायम करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसलिए आज इस 26 जून को हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारी मांग है कि आपातस्थिति समाप्त करके सामान्य स्थिति लाई जावे"।

इस प्रकार जेलों व जेलों से बाहर प्रजातन्त्र की पुनः बहाली के लिए तथा आपातस्थिति के प्रति विरोध प्रकट करते हुए समस्त प्रान्तों में कड़े प्रतिबन्धों के बावजूद 26 जून 'काला दिवस' के रूप में मनाया गया। यह घटना संघर्षरत जनता के उच्च मनोबल व आत्मविश्वास की द्योतक थी।

'काला दिवस' सफलतापूर्वक मनाये जाने पर कार्यकर्त्ताओं के मनोबल को मजबूत बनाये रखने हेतु तथा भविष्य के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते हुए श्री नारायण ने वर्धा से पटना जाते समय दिनांक 14 जुलाई 76 को निम्न वक्तव्य जारी किया—

"लोक संघर्ष-समिति द्वारा वर्तमान तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष का जहां तक सम्बन्ध है वहां कोई समर्पण तथा कोई दुर्बलता नहीं है। यदि बीच में अवकाश है

तो उसका उपयोग जनता तक जाने में और उस देश पर क्या बीत रही है इसकी जानकारी देने में करना चाहिए। आखिरकार जनता ही है जो देश के भविष्य का निर्णय करेगी और यदि उसको विश्वास में लिया जाता है तो यह सहारा देगी। गतिमान संघर्ष में सफलता के लिए कोई जल्दी का मार्ग नहीं है उसे भय मुक्त तथा निरन्तर चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए पहले उसे निर्भय बनाना होगा। निर्भय जनता ही क्रूर कानूनों को तोड़ेगी और परिणामों को भी सहन करेगी। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघर्ष विदेशी राज्य से था अब एक घरेलू तानाशाही से है जिसको नष्ट करना है। मैं विश्वास नहीं करता कि श्रीमती गांधी वर्तमान अवरोध के लिए हल निकालने के हेतु गतिमान होगी क्योंकि यह स्थिति उनके अनुकूल है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में कोई भी बदल उनकी शक्ति को प्रभावित करेगी। वे चुपचाप रहना और तानाशाही के पुर्जों को कसते रहना चाहती हैं।"

जिस उत्साह से काला दिवस मनाया गया वह श्री दिनकर की निम्न पँक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है—

किसने कहा ? युद्ध की बेला गयी, शान्ति से बोलो।
ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो।
किसने कहा ? और मत देखो हृदय वन्हि के शर से,
भरो भुवन का अंग कुसुम से, कुमकुम से, केसर से।
कुम कुम ? लेपूं किसे ? सुनाऊं किसको कोमल गान ?
तड़फ रहा आँखों के आगे सारा हिन्दुस्तान।
समर शेष है। इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा।
जिस जनता का न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा।
धारा के मार्ग में अनेक पर्वत तो खड़े हुए हैं।
गंगा का पथ रोक इन्द्र के गज जो अड़े हुए हैं।
कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पायेंगे।
अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जायेंगे।

राजस्थान लोक-संघर्ष समिति के संयोजक श्री त्रिलोकचन्द जैन ने लगातार एक वर्ष तक जन-आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया। सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील था। कई बार इनके निवास-स्थान शिवदासपुरा एवं दुर्गापुरा पर पुलिस द्वारा छापे भी मारे गये, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लग रही थी। यह सरकारी तन्त्र के लिए स्पष्ट रूप से एक चुनौती थी। इसलिए

अब कारवाई तेज कर दी गई। फलस्वरूप 25 जून 76 को उन्हें शिवदासपुरा में उनके निवास स्थान पर गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस चौकी पर ही रखा गया। उनके द्वारा चाय मांगने पर पुलिस द्वारा चाय की व्यवस्था न करना ही पुलिस के व्यवहार को स्पष्ट करता है। दूसरे दिन पुलिस चौकी से उन्हें जयपुर कारागार में स्थानान्तरित कर दिया गया।

'काला दिवस' सफलता पूर्वक मनाया जाना कार्यकर्ताओं तथा जनता के उच्च मनोबल का प्रदर्शन था। इस सफलता से उत्साहित होकर श्री ब्रह्मदेव शर्मा ने जनता के नाम अपील जारी करते हुए जनसंघर्ष में अधिक सहयोग देने तथा बन्दियों की मदद का आह्वान किया।

अभिन्न हृदय बन्धुओं,

सस्नेह नमस्कार।

भगवत् कृपा से आप सपरिवार कुशलपूर्वक होंगे। गत एक वर्ष से हम सभी बन्धु एक कठिन परीक्षाकाल से गुजर रहे हैं। कष्टों तथा असुविधाओं से पूर्ण जीवन बिता रहे हैं। अपने हजारों भाई पूरे वर्ष भर से जेलों की यातनायें सह रहे हैं। उनका अपराध उनको बताया नहीं जाता, मुकदमें चलाये नहीं जाते, छोड़े भी नहीं जाते। परिवारों की भूखों मरने की स्थिति बन गई है तथा अपील, दलील, वकील कुछ नहीं। फरियाद भी नहीं, न्याय किसी कोने में पड़ा बिलख रहा है। कानून का आदर समाप्त हो चुका है।

ऐसी स्थिति देश की बनाकर तानाशाही शासक जनतंत्रवादी होने का दावा करते हैं। वे अब जनता के पास आना चाहते हैं। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य समाप्ति करके, मनुष्य की आजादी की हत्या करके, अखबारों का गला घोटकर, न्याय की दुर्गति करके, कानून को अपनी इच्छा का शिकार बनाकर, संविधान का सत्यानाश करके, चारों ओर आतंक फैलाकर ये लोग सज्जनता का बुर्का ओढ़कर जनता के पास जावेंगे। मेरा यह विश्वास है कि आज कोई यदि किसी कांग्रेसी या कम्युनिस्ट को समर्थन देता है तो वह जाने अनजाने में अत्याचारों का समर्थन ही करेगा, राष्ट्रीयता की हत्या का जिम्मेदार होगा, तानाशाही में देश को जकड़ने के पाप का भागी होगा। जिस राष्ट्रीयता की दुर्बलता के कारण हमने लगभग 800 वर्ष विदेशियों की गुलामी भुगती, उस राष्ट्रीयता को प्रबल करने का कार्य बहुत बाकी पड़ा है। उसको पूर्ण किये बिना शिथिल होने का विचार भी राक्षसी वृत्ति को प्रोत्साहन देना है।

आप सबसे मेरी आग्रहपूर्ण अपील है कि आप जो घरों में परिवारों में रहते हैं, अपने बन्दी सहयोगियों की याद रखिये, उनके अपमान का बदला लेने को

निर्भयता तथा प्रामाणिकता से सौगन्ध उठाकर परिश्रम करने को जुटें, अपने सब रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को जुटावें स्वयं जावें, उन्हें बुलावें, पत्र देवें, सम्पर्क करें, जुटने की प्रेरणा दें। हमें आज घर घर जाना होगा, लोगों की आँखें खोलनी होंगी, जी जान से जुटना होगा। आप यह स्मरण रखें कि हम हमेशा से आत्मनिर्भर रहे हैं और इसलिए ही आक्रामक की शक्ति सदा परास्त हुई। सभी दृष्टि से अपने साधनों को जुटाकर निस्वार्थ सेवा की भूमिका पर खड़े रहें। यही भावना आगे चलकर राष्ट्र को भी आत्मनिर्भर बनावेगी।

हमें आज भी राजनीति में रुचि नहीं है, वही राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कर सकती है यह विश्वास नहीं है। हमारी आस्था है हमारे सिद्धान्त पर अडिग रहें पर जब न्याय प्राप्ति की सारी अपीलें बहरे और अन्धे शासकों ने अनसुनी कर दी तो आपद् धर्म के नाते हमें देश को दुर्बल राष्ट्रीयता की भावना की स्थिति में न रखने के लिए यह सब हमें करना है। शासन नहीं सुनता तो भी जनता से कर्त्तव्य की अपील करना हमारा अधिकार है। कर्त्तव्य भी है बंदी बन्धुओं की अपीलें, उनके बच्चों तथा महिलाओं की अपील जनता तक पहुंचाना है। मेरी श्रद्धा है कि आप सब अवश्य ही मेरी छोटी सी मांग पर ध्यान देंगे।

जेलों से संघर्ष का बिगुल

लोकसंघर्ष-समिति द्वारा छेड़े गये आन्दोलन को व्यापक जन-समर्थन प्राप्त हो रहा था। सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय था। जनता को आन्दोलन से दूर रखकर ही संघर्ष को अपनी मौत मरने को विवश किया जा सकता था। इसलिए जनता में भय उत्पन्न किया जाना आवश्यक था।

इस हेतु सरकार ने सत्याग्रहियों को हथकड़ियां पहना कर बाजारों में से निकालना, कार्यकर्त्ताओं पर झूठे मुकदमें लगाना, शहरों को पुलिस-छावनी में परिवर्तित करना, शान्त प्रदर्शनों पर लाठियां बरसाना, सत्याग्रहियों की पुलिस थानों में पिटाई, जेलों में आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर उनके मनोबल को तोड़ने आदि की नीति अपनाई। इन सब का उद्देश्य बन्दियों को आत्म समर्पण के लिए मजबूर करना मात्र था।

जेलों में बन्द नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में प्रथम तीन मास तक किसी को जानकारी नहीं दी गई। बन्दियों के परिवारों में इस स्थिति से भय उत्पन्न हो सकता था ताकि वे भविष्य में इस संघर्ष हेतु किसी प्रकार की सहायता न दें तथा बन्दियों की मुक्ति के लिए सरकार से प्रार्थना करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति

के लिए ही इस प्रकार की अमानवीय नीति अपनाई जा रही थी। लेकिन इसका रचनात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। न तो बन्दी ही माफी मांग रहे थे और न परिवार वाले ही उनकी मुक्ति का प्रयास कर रहे थे। हां, वे इस स्थिति से दुःखी अवश्य थे लेकिन उज्ज्वल भविष्य की आशा में उन्होंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया।

जब बन्दियों से मुलाकात करने सम्बन्धी नीति में सरकार ने ढील दी तो बन्दियों तथा भूमिगत नेताओं के बीच विचार-विमर्श के लिए मार्ग खुल गया। बन्दियों के परिवार के सदस्य या अन्य मित्र उनके सन्देश लाने व ले जाने का कार्य करने लगे। यह सन्देश कभी-कभी मौखिक तो कभी लिखित रूप में भी आते-जाते रहे। इस प्रकार से बन्दी बाहरी गतिविधियों से परिचित रहकर संघर्ष में अपना योगदान दे सकते थे।

जेल में रहकर अपने उच्च मनोबल को प्रदर्शित करके वे भूमिगत नेताओं को संघर्ष तेज करने की प्रेरणा दे सकते थे। चूंकि अब स्थिति ऐसी ही थी। इसलिए विभिन्न जेलों से भूमिगत नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के नाम सन्देश आने आरम्भ हो गये।

बीकानेर जेल के बन्दियों ने दिनांक 22–11–75 को निम्न प्रस्ताव पास कर कार्यकर्त्ताओं के पास भिजवाया, "सरकार से हमारी मांग है कि दमन के घी से आजादी की मसाल को बुझाने की मूर्खता बन्द करे और अत्याचारी पुलिस और जेल-अधिकारियों का निलम्बन करे। आजादी के दीवाने नागरिकों और विद्यार्थियों का हम सर्व सम्मति से आह्वान करते हैं कि वे तानाशाही दमन से तनिक भी प्रभावित नहीं होवें, क्योंकि वह दमन जालिम की शक्ति का नहीं अपितु कमजोरी का प्रमाण है। इसलिए नागरिक बन्धुओं को सरकार के दमन से घबराना नहीं चाहिए।" जब इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसंघर्ष-समिति द्वारा कार्यकर्त्ताओं एवं जनता में वितरित हुआ तो अवश्य ही बाहर से संघर्ष को जारी रखने वाले कार्यकर्त्ताओं में एक नया जोश उत्पन्न हुआ होगा तथा अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई होगी।

श्री गिरिराज किशोर आचार्य ने श्री दिनेश जी को जेल से इस प्रकार का पत्र लिखा "नियति-नियम भी पुरुषार्थ से मनोनुकूल बनते हैं। अतः नियति के भरोसे सन्तोष करना कई बार प्रवंचना एवं अकर्मण्यता उत्पन्न करता है। पुंसत्व पर विश्वास है तो नियति पुरुष की चेरी है। आचार-विचार का समन्वय अपना करणीय है। मैं सभी दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ हूं। सभी के होंसले बुलन्द हैं।"

इस पत्र से स्पष्ट है कि श्री आचार्य जी ने बन्दियों की ओर से कार्यकर्त्ताओं को अधिक उत्साह एवं साहस से इस संघर्ष में अपना योगदान देकर सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया है। स्पष्ट है कि कार्यकर्त्ताओं एवं बन्दियों का मनोबल तोड़ने की नीति बिल्कुल असफल रही थी। इस असफलता ने सरकार को बन्दियों के प्रति अधिक कठोर एवं अमानवीय नीति अपनाने को बाध्य कर दिया। बंदियों से उनके परिवार के सदस्यों तथा मित्रों का मिलना ही असफलता का सबसे बड़ा कारण था। इसलिए सरकार ने बन्दियों को उनके निजी जिलों में स्थानान्तरित करने की नीति अपनाई।

इस प्रकार की नीति अपनाई जाने का उद्देश्य यह था कि बंदी नेताओं का अपने जिले के कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क टूट जायेगा। फलस्वरूप वे न तो संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और न ही इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे पायेंगे। परिवार के सदस्य भी अन्य जिलों में जाकर उनसे सम्पर्क नहीं कर सकेंगे। चूंकि दूसरे जिलों में जाना आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ेगा। कमाने वाले सदस्य जेल में होने के कारण बंदियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति तो छिन्न-भिन्न हो ही गई थी, इसलिए इस योजना की सफलता में काफी गुंजायश थी। इसीलिए ही बंदियों को एक जेल से दूसरी जेल में व्यापक स्तर पर स्थानान्तरित करने की नीति अपनाई गई।

इसके अतिरिक्त सरकार के पास यह भी सूचना थी कि नेताओं को जेल में अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ रखने से उन्हें विचार-विमर्श की सुविधा रहती है। परिणामस्वरूप नेता अपने साथी बंदियों के मनोबल को बनाये रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। भला सरकार को यह कब पसन्द था. इसलिए सरकार ने नेताओं को कार्यकर्त्ताओं से अलग वार्डों में रखने की नीति अपनाई। बंदी नेता सरकार की इस चाल को भांप गये और उन्होंने इस नीति का विरोध करने का निश्चय किया।

बंदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की छूट तो सरकार ने दे दी थी, लेकिन मिलने वालों की संख्या व दिन निश्चित कर दिये थे। सप्ताह में एक वार केवल तीन व्यक्ति ही किसी बंदी से मिल सकते थे। इस कारण बंदियों से केवल उनके परिवार के सदस्यों का ही मिलना सम्भव था। इस कारण बंदी नेताओं का जेल से बाहर कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क टूटने की सम्भावना थी।

इन सब परिस्थितियों का अध्ययन कर बंदी नेताओं ने इसका विरोध करने और संघर्ष की राह अपनाने का निश्चय किया। श्री गोकुल भाई भट्ट ने इस नीति

का विरोध किया। राज्य की अन्य जेलों में भी इसी प्रकार का विरोध हुआ। विरोध करने हेतु भूख-हड़ताल एवं उपवास का माध्यम अपनाया गया। जेलों में बढ़ते हुए असन्तोष को ध्यान में रखते हुए महा निरीक्षक, राजस्थान कारागार ने दिनांक 26–5–76 को सर्व श्री गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्डा तथा सतीशचन्द्र अग्रवाल से अजमेर की आदर्श कारागार में भेंट की। इस भेंट के दौरान उपर्युक्त सरकारी नीतियों पर विचार-विमर्श कर उन्हें निम्नलिखित मांगे पेश की गई। इस मांग-पत्र पर तीनों नेताओं ने हस्ताक्षर कर बंदियों का प्रतिनिधित्व किया।

1. अन्य राज-बंदियों से अलग एक छोटे से वार्ड में हम लोगों को रखा गया। मानवीय दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है। इसलिए हमारी यह न्यायोचित मांग है कि हमें अन्य बंदियों के साथ ही रक्खा जावे।

2. सरकार ने बंदियों को उनके निजी जिलों से अन्य जिलों में रखने की जो नीति अपनाई है उसका हम घोर विरोध करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि बन्दियों को उनके निजी जिलों में ही रक्खा जावे ताकि परिवार के सदस्य आसानी से मिल सकें।

3. सरकार ने केवल तीन ही व्यक्तियों को एक बार में मिलने की सुविधा प्रदान की है जो कतई अनुचित है। इसलिए हम मांग करते हैं कि कम से कम 6–7 व्यक्तियों को एक बार में मिलने की छूट प्रदान की जानी चाहिए।

जनता तथा कार्यकर्त्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा विरोधी दलों के विरुद्ध धुंआधार प्रचार किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर आपातस्थिति के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जनता में भय उत्पन्न कर आन्दोलन से अलग रखने के लिए सत्ता का दुरुपयोग भी किया जा रहा था। श्री गोकुल भाई भट्ट, जो लोकसंघर्ष समिति के प्रथम संयोजक थे, ने अजमेर जेल से सरकार के आरोपों का खण्डन करते हुए निम्न पत्र राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री को लिखा। इस पत्र को साईक्लोस्टाईल कर लोकसंघर्ष समिति द्वारा जनता में भी प्रचारित करवाया गया ताकि जनता वास्तविकता को पहचान कर अपने मनोबल को बनाये रख सके तथा भय से ग्रसित न हो।

आदर्श कारागृह,
अजमेर
दिनांक 4–7–76

द्वारा अधीक्षक

प्रिय भाई श्री हरिदेव जी

राजस्थान लोकसंघर्ष समिति के संयोजक के नाते यह पत्र मैं आपको लिख रहा हूं, आशा है आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान प्रदेश में भी आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत काफी बड़ी सख्या में प्रतिपक्ष के कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों तथा निर्दलीय समाजसेवकों को गिरफ्तार किया गया था। इस समय कितने लोग मीसा के अन्तर्गत जेलों में हैं यह कहना तो कठिन है, क्योंकि आज किसी भी मामले में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करना लगभग असम्भव नहीं है, फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार राजस्थान की विभिन्न जेलों में लगभग 3500 व्यक्ति नजर बंद हैं।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद ही सरकार की तरफ से यह प्रचार चल रहा है कि काफी संख्या में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया है तथा किया जा रहा है और इस समय जेलों में संख्या बहुत ही कम रह गई है, 70–75 प्रतिशत व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है और शेष बंदियों को शनै शनै छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के सन्दर्भ में अगर इस दावे पर विचार किया जावे तो यह आप भी स्वीकार करेंगे कि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। मेरा अनुमान है कि राजस्थान में आंसुका के तहत जिन व्यक्तियों को नजरबंद किया गया था उनमें से मुश्किल से 20 प्रतिशत को ही छोड़ा गया होगा इस एक वर्ष में जितने लोग छोड़े गये उससे ही अधिक लोगों को पकड़ा गया।

आपातकालीन स्थिति लागू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सरकार की तरफ से 'इमरजैन्सी क्यों' नामक एक अंग्रेजी पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था जो संसद सदस्यों एवं विधायकों को भेजी गयी थी। इस पुस्तिका में आपातकालीन स्थिति लागू करने के अन्य कारणों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि 26 जून 75 के पूर्व राजस्थान में बी० एल० डी० ने आन्दोलन चलाने की व्यापक तैयारी कर ली थी। लेकिन आप इस बात को भली भाँति जानते हैं कि उस समय

तक राजस्थान में बी० एल० डी० का विधिवत् गठन भी नहीं हुआ था और शायद आज तक भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बी० एल० डी० द्वारा आन्दोलन या सत्याग्रह चलाने की व्यापक तैयारी की बात कितनी हास्यास्पद है। जिस प्रकार राजस्थान के बारे में यह गलत तथ्य इस पुस्तिका में है उसी प्रकार देश के अन्य भागों के बारे में गलत बातें इसमें होंगी। परन्तु इस समय मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा का कोई वैधानिक आधार था या नहीं तथा इस कदम के उठाने से देश में लोकतन्त्र अधिक मजबूत तथा सारयुक्त बना है। इस बात का निर्णय तो भारत का भावी इतिहासकार ही करेगा।

इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पूर्व राजस्थान में कोई भी आन्दोलन नहीं चल रहा था। और न ही किसी प्रकार का आन्दोलन चलाने की योजना बनाई गई थी। हां, यह बात सही है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, मंहगाई, गलत शिक्षा-नीति तथा सरकार की पूँजीवादी नीतियों को सही दिशा में मोड़ने के लिए विभिन्न राजनैतिक दल तथा जनकल्याण के आकांक्षी कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता पूर्ण वैधानिक ढंग से सभा, सम्मेलन तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन आदि कर रहे थे। आन्दोलन या सत्याग्रह की स्थिति न होते हुए भी आपातकालीन स्थिति की आड़ में प्रतिपक्ष तथा अन्य प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को, जो कि सरकार की कतिपय नीतियों से सहमत नहीं थे, गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर विरोधी राजनैतिक दलों को ही नहीं, वरन् तमाम विरोध को ही समाप्त कर दिया जावे ताकि कांग्रेस को दीर्घकाल तक सत्ता में बनाये रखकर निहित स्वार्थों की सिद्धि की जा सके। गत एक साल से हम लोग बिना किसी अभियोग या मुकदमें के जेलों में बंद हैं। सरकार की ओर से निरन्तर यह कहा जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति लागू करने के बाद देश की जनता में अनुशासन की भावना आई है, विरोधियों के सारे षड्यन्त्र खत्म कर दिये गये हैं, मंहगाई गिर गई है, उत्पादन बढ़ गया है, शिक्षण-संस्थाओं तथा कारखानों में शांति है, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबाजारी सब काबू में है, विरोधी दलों को जनता समर्थन बिलकुल नहीं दे रही है तथा सारे समाचार पत्र अब रचनात्मक रुख अपना कर रास्ते पर आ गये हैं। फिर आप स्वयं सोचें कि ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को जेलों में डाले रखने का क्या औचित्य है?

अभी 2 जुलाई को प्रधानमन्त्री का एक साक्षात्कार समाचार-पत्रों में छपा है जो आपने भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आपातकालीन स्थिति में नौकरशाही के अधिकार अवश्य बढ़े हैं और कहीं-कहीं इन अधिकारों का दुरुपयोग भी हुआ है। परन्तु जब कभी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाये गये तभी

तत्काल उन्हें ठीक कर दिया गया। वैसे इन अधिकारों के दुरुपयोग के मामले राजस्थान में काफी होंगे। लेकिन इस समय प्रमाण के तौर पर मैं आपका ध्यान भरतपुर जिले के एक मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसकी आपको व्यक्तिगत जानकारी पहले से ही है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् भरतपुर में कुछ वकीलों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तत्कालीन जिलाधीश श्री वर्मा की मनमानी तोड़फोड़ की कार्यवाही का खुलकर विरोध किया था। वहां के विधायक श्री रामकिशन के अनुरोध पर आपने उस कार्यवाही पर रोक भी लगाई थी, परन्तु तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने इन सभी को गिरफ्तार करके जेलों में ठूँस दिया है। क्या यह अधिकारों के भयंकर दुरुपयोग की परिभाषा में नहीं आता, आप जरा शान्ति से सोचें ? क्या प्रधानमन्त्री के कहे अनुसार ये लोग इसी आधार पर मुक्त किये जाने योग्य नहीं हैं ? ऐसे और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं परन्तु नमूने के तौर पर यह एक ही लिखा है। इसी साक्षात्कार में प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा है कि कानून-व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी राज्य-सरकारों की है, किसको छोड़ा जाये, किसको गिरफ्तार रखा जाये, यह सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रधानमन्त्री जी की इस स्पष्ट बयानी के बाद वर्तमान स्थिति में जब राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सन्तोषजनक है तब फिर अकारण इतने लोगों को जेलों में रखना क्या आप स्वयं उचित समझते हैं ? यहां यह लिखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सरकार अगले माह 39 नगरपालिओं के चुनाव कराने जा रही है तथा निकट भविष्य में पंचायतों के चुनाव कराने का भी उसका इरादा है, क्या ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों तथा अन्य नागरिकों को इनमें भाग लेने से वंचित रखना न्यायोचित होगा ? आपातकालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् गत एक वर्ष से राज्य के सभी राजनैतिक दलों (सिवाय कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी) की राजनैतिक गतिविधियां ठप्प पड़ी हैं। उनके अधिकतर नेतागण एवं कार्यकर्त्ता इस समय जेलों में हैं। क्या इन सबको छोड़े बिना और पूर्व स्थिति बनाये बिना किसी भी लोकतांत्रिक परम्परा का मजाक नहीं बनाना है, तो फिर सरकार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए तथा प्रधानमन्त्री जी के उक्त कथन की मंशा के अनुसार सभी नजरबन्द व्यक्तियों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए।

आशा है आप मेरी भावनाओं को सही ढंग से समझेंगे और इस बाबत शीघ्रातिशीघ्र सही निर्णय लेंगे, कुशल होंगे।

सधन्यवाद। (गोकुल भाई भट्ट)

बन्दियों द्वारा इस संघर्ष में सक्रिय सहयोग देने की आवश्यकता अनुभव

करते हुए श्री सिद्धराज ढड्डा ने दिनांक 20–11–76 को राजस्थान की समस्त जेलों में बन्दी साथियों के नाम एक पत्र जारी किया । इस पत्र में निम्न बिन्दुओं का जिक्र था—

1. जहां तक सम्भव हो, 26 तारीख को या फिर 26 दिसम्बर को सभी जेलों में राजबंदी एक दिन का उपवास रखें और नीचे दी गई मांगों को पूरा करवाने के लिए सामूहिक प्रस्ताव तथा अपने संकल्पों की जानकारी प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार को भेजें ।

2. जब तक मांगें पूरी न हों तब तक उपवास की अवधि हर महीने क्रमशः एक या एक से अधिक दिन बढ़ाते चले जावें ।

3. हर महीने एक ही बार में उपवास की अवधि बढ़ाने की बजाय हर महीने उसी प्रकार उपवास की संख्या बढ़ाई जावे ।

4. जेल में प्राप्त होने वाले भोजन के अलावा बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करें ।

5. मुलाकात की सुविधा का त्याग करें ।

6. पत्र-व्यवहार की सुविधा का त्याग करें ।

उपर्युक्त विधि अपनाकर समस्त बंधु निम्न मांगें प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार को भेजें ।

1. आपातकाल समाप्त करो ।

2. नागरिक स्वतन्त्रता बहाल करो ।

3. कैदियों पर मुकदमें चलाये जावें ।

4. राजबंदियों के परिवारों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाये ।

श्री ढड्डा के इन सुझावों का सभी बंदियों द्वारा स्वागत ही नहीं किया गया बल्कि बंदियों ने इसके अनुरूप कार्य करके आपातस्थिति को जारी रखने के प्रति विरोध प्रकट किया । वास्तव में बंदियों का संघर्ष में यह सक्रिय सहयोग था, इसके अतिरिक्त इस विधि ने सरकार पर नैतिक दबाव भी तो अवश्य डाला ही होगा ।

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि जेल एवं जेलों से बाहर विरोधी राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ता अपनी पूर्ण क्षमता से इस आन्दोलन रूपी यज्ञ में आहूति देकर सरकार विरोधी अग्नि को प्रज्वलित रख रहे थे । दिनों-दिन सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन सरकार के पास इस

आन्दोलन से निबटने का रास्ता नहीं था। सरकार की स्थिति उस सांप की तरह हो गई थी जिसके मुँह में छछूँदर होता है।

इस संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त सर्व सेवा संघ तथा मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी विशेष योगदान रहा।

सर्व सेवा संघ

बाबू जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति के विचार पर सर्व सेवा संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ताओं में मतभेद उत्पन्न हो गये थे। चूंकि श्री विनोबा जी सरकार के विरुद्ध आरम्भ किये जाने वाले आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे। कुछ कार्यकर्त्ता, जो विनोबा जी के विचारों से सहमत थे, उन्होंने अपने आपको इस आन्दोलनों सेअलग रखा। लेकिन उनकी संख्या नाममात्र ही थी। बाबू जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित संघ के सदस्यों ने आपातकाल के विरोध में लड़े जाने वाले संघर्ष में अपना सब कुछ त्यागने का निश्चय किया।

राजस्थान के सर्वोदय नेता सर्वश्री सिद्धराज ढड्डा, गोकुल भाई भट्ट, त्रिलोकचन्द जैन, सोहनलाल मोदी, जवाहरलाल जैन इत्यादि ने आपातकाल का विरोध करने हेतु एक सशक्त आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। चूंकि वे इस आन्दोलन में अधिक से अधिक सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए राजस्थान सर्व सेवा संघ और प्रदेश के सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने मीटिंग कर यह निर्णय लिया कि समस्त कार्यकर्त्ताओं को गांधीजी के सम्पूर्ण राज्य-प्राप्ति के स्वप्न को पूरा करने के लिए "करो या मरो" की भावना से कार्य करना होगा तथा उन्हें अपनी पूरी शक्ति इस आन्दोलन को सफल बनाने हेतु लगा देने का संकल्प लेना चाहिए। गांधीवादी होने के नाते उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह आन्दोलन पूर्ण रूप से अहिंसक होना चाहिए। विभिन्न राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षा की गई कि वे अपने सामर्थ्यानुसार इस आन्दोलन को शक्ति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त राजस्थान के युवावर्ग के नाम अपील जारी करते हुए उन्होंने अपेक्षा की कि वे भी इस आन्दोलन में अपना सहयोग प्रदान करें।

आन्दोलन सम्बन्धी उपर्युक्त निर्णयों के अलावा संघ ने सरकार के समक्ष कुछ मांगें रखने का भी निश्चय किया। इन मांगों में कहा गया था कि भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी तथा जमाखोरी समाप्त करने के लिए सरकार को तत्काल सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि साधारण जनता को राहत मिल सके। शराब का

प्रयोग जो समाज की समस्त बुराइयों की जड़ है तत्काल कानूनन बन्द किया जाना चाहिए। भूमिहीनों तथा गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल भूमि का सही वितरण किया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति जो बेरोजगारी की जन्मदात्री है में तत्काल ग्रामूलचूल परिवर्तन कर इसे व्यावहारिक बनाया जावे ताकि युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

सर्वश्री सिद्धराज ढड्डा, श्री गोकुल भाई भट्ट, जवाहरलाल जैन तथा सोहनलाल मोदी गिरफ्तार हो चुके थे। लोकसंघर्ष-समिति के संयोजक तथा श्री जयप्रकाश नारायण के ग्रति नजदीक होने के कारण श्री त्रिलोक चन्द जैन ने न केवल लोकसंघर्ष-समिति के ग्रान्दोलन का नेतृत्व ही किया बल्कि श्री विनोबा भावे एवं देश के ग्रन्य सर्वोदय नेताग्रों एवं कार्यकर्त्ताग्रों को समय-समय पर पत्र लिखकर इस आन्दोलन की जानकारी देकर ग्रपना पूरा सहयोग एवं समर्थन देने की ग्रपील भी की। श्री सिद्धराज ढड्डा के निजी संग्रह का ग्रवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री जैन ने कितने स्पष्ट शब्दों में उन सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं को लताड़ा जो ग्रब तक ग्रपने ग्रापको इस आन्दोलन से ग्रलग रखे हुए थे।

मार्क्सवादी लेनिनवादी दल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने ग्रापातकाल का विरोध करने का निश्चय किया। इस दल का उद्देश्य तत्कालीन पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारावर्ग का शासन स्थापित करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनमानस को शिक्षित करना था। इसलिए इस पार्टी के नेता श्री सुमेर सिंह ने भूमिगत रह कर "ग्रभय" उपनाम से ग्रापातकाल के विरोध में पर्चे निकालकर जनता में उनका वितरण किया।

श्रीमती गांधी द्वारा जुलाई 75 में बीस सूत्र ग्रार्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई। श्री सिंह का कहना है कि इस घोषणा को सुनकर मेरे दल ने सोचा कि शायद ग्रब पूंजीवाद का तख्त डोलेगा। लेकिन श्रीमती गांधी ने 7–7–75 को निर्माताग्रों से ग्रपील की कि वे ग्रधिक से ग्रधिक उत्पादन करें तथा मजदूरों से ग्रपील की 'वे हड़ताल न करें।' इस ग्रपील से यह स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी ने पूंजीपतियों को मजदूर-वर्ग का पूर्ण रूप से शोषण करने का अधिकार प्रदान कर दिया है। इसलिए ग्रगस्त 75 में इस दल ने जनता से निम्न ग्रपील की "इस हत्यारे सत्तागुट को परास्त करना ग्रपना पहला राष्ट्रीय कर्त्तव्य हो जाता है, इसके लिए सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तियों को सारा पौरुष, ज्ञान तथा क्षमता लगानी होगी।"

"आज इस जनद्रोही राज्य सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का उपयुक्त अवसर आ गया है। देश भक्तों का यह राष्ट्रीय मोर्चा वर्तमान इन्दिरा मंडली की राज्य सत्ता की अवहेलना करे, असहयोग करे, समानान्तर सरकार गांव-गांव में कायम करे, जनशक्ति द्वारा वर्तमान सरकार को उखाड़ कर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की पूर्ण सत्ता कायम करे। इसके अलावा इस दल ने समाज के कृषक तथा मजदूर वर्ग से भी यह अपील की ऐसी स्थिति में गुप्त ढंग से बगावत की तैयारी करने के अलावा और कोई रास्ता मुक्ति का नहीं है।"

कांग्रेस सरकार आपातकाल की उपलब्धियों का धुंआधार प्रचार कर रही थी। इस झूठे तथा आधारहीन प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नवम्बर 75 में इस दल द्वारा कांग्रेस की नीतियों की इस प्रकार व्याख्या की गई—

1. वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा कारखानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा।

2. मजदूरों को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल, घेराव, सत्याग्रह तथा प्रदर्शन इत्यादि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी।

3. इस दल ने कांग्रेस की समाजवादी व्यवस्था का भण्डा फोड़ करते हुए बताया कि वर्तमान सरकार की घोषणानुसार लाइसेंस पद्धति में ढील देने का तात्पर्य पूंजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की छूट देना है।

4. वर्तमान सरकार द्वारा मजदूरों का बोनस 8·33 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर देना मजदूर-विरोधी नीति नहीं तो और क्या है?

5. सरकार द्वारा निजी उद्योगों के उत्पादन बढ़ाने के नाम पर सप्ताह में सात दिन काम करवाने का तात्पर्य क्या है? क्या यह कदम मजदूर-विरोधी नहीं है?

6. सरकार ने यह घोषणा की है कि वह कारखानों में मजदूर को साझेदारी दिलवाना चाहती है, यह महज एक दिखावा है।

7. काले धन को उजागर करने के लिए सामान्य दर से भी कम आयकर देना होगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है।

दिसम्बर 75 में इस पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया, "सच्चाई तो यह है कि तमाम स्वस्थ परम्पराओं को ताक में रखकर इन्दिरा मण्डली अपनी निरंकुश

व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहती है और जनता में यह भ्रम फैलाना चाहती है कि यह अमीर-गरीब की सैद्धान्तिक लड़ाई लड़ रही है।"

इस प्रकार से यह दल भी अपने सामर्थ्यानुसार आपातकाल के विरोध में संघर्ष लीन रहा। यह ठीक है कि इस दल के संघर्ष और लोकसंघर्ष समिति के जन-आन्दोलन में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं था। लेकिन दोनों का उद्देश्य अपने विरोधी "कांग्रेस सरकार" के विरुद्ध जनमानस को तैयार करना था।

श्रीमती गांधी द्वारा चुनाव की घोषणा पर इस दल ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की।

हम तमाम देश भक्तों के इस दृढ़ संकल्प में अपना नम्र सहयोग प्रदान करते हुए निम्न सुझाव देते हैं—

लोकतन्त्र व गरीबों की दुहाई देता हुआ वर्तमान इन्दिरा शासन वस्तुतः तानाशाही व पूंजीवादी शक्तियों पर टिका है।

तानाशाही ने देश की जनवादी तथा मजदूर व किसानों की वास्तविक सर्वहारा संगठन शक्तियों के विरुद्ध शत्रुता, दबाव व संघर्ष का वातावरण बना दिया है।

1. देश में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान इन्दिरा सरकार इस्तीफा दे तथा शोषित जनता के हाथों में सत्ता सौंपने हेतु संघर्षरत देश भक्तों के संघर्ष मंच की सरकार कायम हो।

2. प्रेस व प्रकाशन पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल समाप्त किया जावे।

3. नागरिक स्वतन्त्रता को बहाल किया जावे।

4. देश को पूंजीवादी, देशी व विदेशी शोषण से मुक्त किया जावे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् श्रीमती गांधी से त्यागपत्र मांगने वाले दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) भी सम्मिलित थी, इसलिए उसका भी आपातकाल के अन्तर्गत किये जाने वाले दमन का शिकार होना आवश्यंभावी था। पार्टी के नेताओं की धरपकड़ आरम्भ हो चुकी थी लेकिन बहुत से नेता सरकार का विरोध कर संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। राजस्थान की मार्क्सवादी पार्टी के मुख्य सचिव का० मोहन पुनमिया सहित अनेक नेता भूमिगत हो गये थे। पार्टी की

सेन्ट्रल कमेटी ने राजस्थान शाखा को निर्देश दिया कि नेतागण जहां तक सम्भव हो भूमिगत रहकर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं तथा शुभचिन्तकों के मनोबल को बनाये रखकर सरकार का विरोध जारी रखें। इन निर्देशों की पालना करते हुए राष्ट्रीय-स्तर पर भूमिगत नेताओं की एक कमेटी बनाई गई। का० त्रिलोक सिंह को इस कमेटी का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया कि श्री पुनमिया 12 जुलाई 75 को गिरफ्तार हो चुके थे। इस कमेटी में सर्व श्री मोहरसिंह विधायक, भंवरलाल वाफना, हेतराम धारनीया, सूरज मल यादव तथा विशम्भर सहाय थे। उपर्युक्त सभी व्यक्तियों के गिरफ्तारी-वारन्ट कटे हुए थे।

इस कमेटी का मुख्य काम भूमिगत रहकर पार्टी तथा पार्टी से सम्बन्धित श्रमिक युनियन, छात्र-युनियन इत्यादि को संगठित रखने के अलावा उनके मनोबल को बनाये रखकर सरकार विरोधी वातावरण तैयार कर प्रजातन्त्र की पुनः बहाली, नेताओं की रिहाई तथा प्रेस सेन्सरशिप समाप्त करने की मांग करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कमेटी के सदस्य भेष बदल कर प्रान्त भर का व्यापक दौरा कर रहे थे तथा पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की गुप्त मीटिंगों को सम्बोधित कर इस संघर्ष में पार्टी की भूमिका को निभा रहे थे।

पार्टी की केन्द्रीय कमेटी आपातकाल के विरोध में पर्चे निकाल कर जन-मानस को सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रही थी। ये पर्चे प्रान्तीय कमेटी को भी भेजे जाते थे। प्रान्तीय कमेटी उन पर्चों को अपनी विभिन्न शाखाओं को भेजकर जनशिक्षा का कार्य करती थी। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के कारण उनके परिवारों की हालत बिगड़ गई थी, इसलिए जरूरतमन्द परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई थी।

आपातकाल के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र आरम्भ होने पर विधायक श्री मोहर सिंह ने केन्द्रीय कमेटी से विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने सम्बन्धी निर्देश मांगा। केन्द्रीय कमेटी ने उन्हें विधान सभा में उपस्थित होकर तत्कालीन व्यवस्था का विरोध करने का निर्देश दिया। निर्देशानुसार श्री सिंह येन केन प्रकारेण विधान सभा के केन्द्रीय कक्ष में पहुंच गये। उनकी उपस्थिति देखकर सरकार आश्चर्यचकित रह गई, चूंकि उनकी गिरफ्तारी के वारन्ट कटे हुए थे तथा पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के सख्त निर्देश होने के बावजूद भी वे स्वतन्त्र थे। लेकिन सरकार उन्हें विधान सभा में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे विधान सभा की मानहानि होती। वैसे तो सरकार ने वैधानिकता को ताक में रख दिया था, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि श्री सिंह की

गिरफ्तार न कर सरकार ने कानून का पालन करने की क्यों सोची ? श्री सिंह ने विधान सभा में आपातकाल का विरोध करते हुए इसे तत्काल समाप्त करने की जोरदार मांग की। उन्होंने गिरफ्तारियों का कारण भी पूछा, लेकिन सरकारी पक्ष मूक बन कर यह सब सुनता रहा। तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जोशी को यह आश्वासन भी देना पड़ा कि श्री सिंह को अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् गिरफ्तार नहीं किया जावेगा। अब क्या था अब तो श्री सिंह अपनी पार्टी की गतिविधियों को बनाये रखने में सक्षम थे। सरकार के श्रमिक-विरोधी कदमों, ट्रेड युनियनों पर किये जाने वाले अत्याचारों का श्री सिंह ने डटकर विरोध किया। वैसे तो वे सरकार से समय-समय पर इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार भी करते रहे थे, किन्तु इसका सरकार पर कोई असर प्रतीत नहीं हो रहा था। सरकारी दमन उसी गति से चल रहा था।

मार्क्सवादी पार्टी की कार्यकारिणी के निर्देशानुसार किसी प्रकार का सत्याग्रह कर गिरफ्तारी देने की मनाही थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस पार्टी के 64 नेता मीसा में, 7 डी० आई० आर० तथा 350-400 के लगभग 107 में गिरफ्तार किये गये।

इसके अतिरिक्त इस पार्टी से सम्बन्धित श्रमिक संगठनों के हजारों मजदूरों को नौकरी से अलग कर उन्हे तरह-तरह से तंग किया गया।

पार्टी के कार्यालय मन्त्री श्री भंवरलाल बाफना ने बताया कि उनकी पार्टी और लोक संघर्ष-समिति के बीच किसी प्रकार का तालमेल नहीं था। लेकिन दुश्मन एक था, इसलिए उसे परास्त करना दोनों का एक समान उद्देश्य था। इसलिए इस पार्टी की सहानुभूति लोक संघर्ष-समिति द्वारा किये जाने वाले संघर्ष के साथ अवश्य थी जिसके कारण ही जेलों में पार्टी के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं ने बंदियों की सुविधाओं तथा अत्याचारों की समाप्ति के लिए लोक संघर्ष समिति द्वारा जेलों में किये जाने वाले सत्याग्रहों तथा उपवासों में भाग अवश्य लिया।

का० पुनमिया भूमिगत रह कर पार्टी का कार्य कर रहे थे लेकिन 12 जुलाई 75 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सैन्ट्रल जेल जयपुर में रक्खा गया। बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं, परिवारों के लिए भत्ता तथा पुलिस अत्याचारों की समाप्ति इत्यादि अन्य मांगों के लिए सैन्ट्रल जेल जयपुर में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। लेकिन सरकार ने उपर्युक्त वाजिब मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूर होकर संघर्ष कमेटी ने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। 1 सितम्बर 75 को श्री गोविन्द गुप्ता आमरण अनशन पर बैठ गये। लेकिन सरकार चिन्ता क्यों करती ? 6 सितम्बर तक सरकार द्वारा कोई

कदम न उठाने के विरोध स्वरूप श्री पुनमिया ने भी भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी। 11 सितम्बर को उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके कारण पार्टी के भूमिगत नेता चिन्तित हो गये। इसलिए श्री भंवरलाल बाफना को आदेश हुआ कि वे केन्द्रीय नेताओं से सम्पर्क हेतु देहली जावें। श्री बाफना ने देहली पहुंच कर केन्द्रीय नेताओं को सारी स्थिति से अवगत कराया।

केन्द्रीय नेता का० राममूर्ति ने इस मामले में हस्तक्षेप किया जिसके कारण सरकार को वाजिब मांगे मानने को बाध्य होना पड़ा तभी श्री पुनमिया ने भूख हड़ताल छोड़ी।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सभी विपक्षीदल इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध जनमानस को शिक्षित करने हेतु अपनी सामर्थ्यानुसार कदम उठाकर इस लोक संघर्ष को गति प्रदान कर रहे थे।

—:o:—

तथा आन्दोलन को जनता का गुप्त समर्थन भी अधिक मिलने लगा। परिणाम स्वरूप जनता में सरकार के रवैये के खिलाफ रोष बढ़ता गया। वैसे दिखावे में तो चारों तरफ शान्ति थी, लेकिन यह तूफान के आने से पहिले वाली शान्ति थी। जनता के रोष का अन्दाजा तो लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार से स्पष्ट लगाया जा सकता है।

आपातकाल की घोषणा के साथ ही साथ राज्य सरकार को विरोधी दलों, सर्वोदयी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने का आदेश केन्द्रीय सरकार से मिल चुका था। इस आदेश की पालना में सरकार ने 26 जून 75 के प्रातः से ही विरोधी दलों के नेताओं के घरों पर छापा मारकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राज्य की विभिन्न जेलों में रखा। राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ता होने के नाते इन्हें जेल में विशेष सुविधा मिलनी चाहिए थी। पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि प्रथम तीन मास तक किसी भी व्यक्ति को बन्दी से मिलने की स्वीकृति नहीं दी गई। बन्दी के परिवार वालों को यह भी सूचना नहीं दी गई कि उन्हें किस स्थान पर रखा गया है। बन्दियों को किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। उन्हें समाचार पत्र पढ़ने एवं रेडियो से समाचार सुनने की सुविधाओं से भी वंचित रखा गया।

श्री ईश्वर चन्द्र एडवोकेट को गिरफ्तार कर कोटा जेल में रखा गया। उनकी माताजी को उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर इतना भयंकर सदमा लगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके कारण उनका स्वर्गवास हो गया। इस खबर की सूचना जेलर को भिजवाई गई ताकि वे श्री ईश्वर चन्द्र को इस सम्बन्ध में जानकारी दे दें तथा उन्हें अपनी माता की शवयात्रा में सम्मिलित होने की स्वीकृति मिल सके। यह समाचार जेलर को 27 जून को 12 बजे मिल चुका था। लेकिन जेलर ने उन्हें तत्काल सूचित करना अपना कर्तव्य नहीं समझा। उसने बड़े ही रूखे शब्दों में रात को 9–30 बजे श्री ईश्वर चन्द्र को यह समाचार दिया। देर से समाचार देने का उसे कोई पश्चाताप नहीं था। मां की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वाभाविक रूप से दुःखी श्री ईश्वर चन्द्र ने अपने दुःख को कुछ हल्का करने के उद्देश्य से अपने घर टेलीफोन से बातचीत करने की इच्छा जेलर के सामने प्रकट की। लेकिन जेलर ने सरकारी आदेशों के अभाव में उनकी इस इच्छा को ठुकरा दिया। हिन्दू धर्म में माता-पिता के क्रियाकर्म में पुत्र का उपस्थित होना धार्मिक नियमों के अनुसार आवश्यक है। धर्म की पालना तथा माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने मुख्यमन्त्री तथा गृहमन्त्री को छूट देने के लिए निवेदन किया, लेकिन उनके इस निवेदन को भी ठुकरा दिया गया। अंग्रेजी शासन-

काल में तत्कालीन जोधपुर-नरेश ने श्री जयनारायण व्यास को प्रजा-मण्डल द्वारा आन्दोलन चलाने के आरोप में देश निकाला दिया था। लेकिन उनकी मां की मृत्यु पर उन्हें अपनी मां की शवयात्रा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु स्वतन्त्र भारत में श्री ईश्वर चन्द्र जी को इसकी स्वीकृति न देकर तत्कालीन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया था कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए वह भूतपूर्व देशी रियासतों की अपेक्षा अधिक कठोर और अमानवीय रुख अपना रही थी। श्री ईश्वर चन्द्र के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वे माफी मांग लें। लेकिन माफीनामा लिखने का अर्थ था अपनी जननी की कुर्बानी पर कलंक लगाना। एक गौरवशाली पुत्र होने के नाते उन्होंने सरकार की इस शर्त को ठुकराना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी महान् मां की आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना जेल में ही कर ली। धन्य है वह कोख जिसने ऐसे महान् पुत्र को जन्म दिया।

26 जून 75 को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर 6 नम्बर कोर्ट से श्री अजीत सिंह सागर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाईन में लाया गया, जहां सर्व श्री भैंरोसिंह शेखावत, सतीशचन्द्र अग्रवाल, तथा नाथुसिंह इत्यादि बन्दी के रूप में उपस्थित थे। उन्हें जयपुर-जेल में रखा गया। जेल में उन्हें घुटनों के दर्द, आँखों से कम दिखना तथा घबराहट रहने की शिकायत रहने लगी। उन्होंने अपने लिए चिकित्सा की व्यवस्था की मांग की, लेकिन जेल-अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर उन्होंने भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी। उनकी भूख-हड़ताल का अर्थ सरकारी दमन के प्रति विरोध प्रकट करना था। इस विरोध की लहर जेल के अन्य कैदियों में भी फैल सकती थी, इसी आशंका से भयभीत हो सरकार ने ऐसे तत्वों का जयपुर-जेल से अन्यत्र स्थानान्तरण करना ही उचित समझा। 10 सितम्बर 75 को उन्हें जयपुर से टोंक की जेल में भेज दिया गया। अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका गुरुमन्त्र तो था ही, इसलिए टोंक में भी सुविधाओं की मांग हेतु उनका आन्दोलनात्मक रवैया ही रहा। उनके कार्य से तंग आकर सरकार ने उन्हें 26-12-75 को सैन्ट्रल जेल जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया और उन्हें आतंकित करने हेतु दिवाली से तीन दिन पूर्व उनके मकान को बुलडोजर द्वारा गिरा दिया गया। सरकार का कहना था कि यह अनाधिकृत निर्माण है। इसका सीधा सादा अर्थ था कि श्री सागर सरकार से माफी मांग लें, लेकिन माफी मांगना तो उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा ही नहीं था। बंदी जीवन के प्रारम्भिक तीन महीने तक परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान नहीं की। इसलिए श्री सागर ने यह प्रण लिया कि वे जेल-

जीवन में अपने परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे। लगातार 19 मास तक जेल में रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की कोशिश नहीं की।

इसी दौरान उनके पिताजी का देहान्त हो गया। पिता अपने अन्तिम समय पर अपने पुत्र को देख भी नहीं सके। पुत्र भी इतना हठीला था कि वह माफी मांग कर अपने पिता की शवयात्रा में सम्मिलित होकर भारत-माता पर कायरता का धब्बा नहीं लगाना चाहता था। उनके इस कदम पर सहसा ही निम्न पंक्तियां याद आ जाती है—

"बढ़ आगे मत कांटे गिन, छाले मत सहला।
मत ठण्डे कर संकल्प, आंसुओं से मत नहला।
तुझसे ही यदि अग्नि-स्नान तो यह पुण्य महोत्सव है, तभी
मरण का स्वस्ति-गान जीवन गायेगा।
उस दिन साथी विजय हेतु फिर लहरायेगा।

मार्क्सवादी पार्टी के टोंक जिला-संयोजक श्री राज राजेश्वर सिंह के चाचा श्री लक्ष्मण सिंह जी को भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वे अपने भतीजे के लिए कोतवाली में चाय व नमकीन ले आये थे। उन्हें यह मालुम नहीं था कि उस शासन में विरोधी पार्टी के कार्यकर्त्ता के प्रति प्यार, सहानुभूति या हमदर्दी दिखाने के लिए कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि आपातकाल ने खून के रिश्तों को भी तोड़ दिया है।

जिला कोटा के बायला नामक स्थान के सत्याग्रहियों को पेशी के लिए बारां ले जाया जा रहा था। उस समय उन्हें यह मालूम हुआ कि बारां रैस्ट हाउस में तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री जुझारसिंह जी ठहरे हुए हैं। सत्याग्रहियों ने आपातस्थिति का विरोध प्रकट करने के लिए नारे लगाने का निश्चय किया, ताकि मन्त्री महोदय उनकी आवाज को सुन सकें। चूंकि बारां का रैस्ट हाउस अदालत के पास ही है, इसलिए सत्याग्रहियों ने अदालत के अहाते में प्रवेश करते ही नारेबाजी तेज कर दी। भला उन परिस्थितियों में वे विरोध को कैसे सहन कर सकते थे इसलिए आर० ए० सी० के जवानों को नारेबाजी तत्काल बंद करवाने के आदेश प्रदान किये गये। सत्याग्रहियों द्वारा आदेश का पालन न करने के कारण उन पर लाठी चार्ज किया गया। क्या यह सरासर अदालत की मानहानि नहीं थी? बन्दियों को अदालत की सीमा में भी सुरक्षा की गारन्टी प्राप्त नहीं थी। वकील समुदाय ने

पुलिस के इस कार्य का विरोध किया। सत्याग्रहियों के वकील ने पुलिस पर अदालत के अहाते में उन पर लाठीचार्ज का केस रजिस्टर किया। मजिस्ट्रेट महोदय ने केस की सुनवाई कर सत्याग्रहियों का डाक्टरी मुआयना करने का आदेश प्रदान किया। लेकिन तानाशाही व्यवस्था ने मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना कर सत्याग्रहियों को बारां थाने में ले जाकर बन्द कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने न्याय की सर्वोच्चता को भी अस्वीकार कर दिया था।

श्री हीरालाल अहीर, राजस्थान प्रदेश आदिवासी मोर्चे के संयोजक थे। आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना उनका नैतिक कर्त्तव्य था, लेकिन सरकार ने इसे सरकार विरोधी कार्य समझ कर उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारों के प्रति जागरूक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं था इसलिए उन्हें यातनाएं देना उचित समझा गया। बिजली के करेन्ट लगाकर मोर्चे से सम्बन्ध-विच्छेद करने को मजबूर किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उनका कहना है कि उन्हें डूंगरपुर की जेल में ऐसी कोठरी में रखा गया जिस पर प्रकाश और वायु के प्रवेश के लिए भी पहरा था। उनके गांव में उनके पास कुछ जमीन भी थी। वही मात्र उनके परिवार की जीविका का साधन था। लेकिन यह भी सरकार को असह्य था। इसलिए कुछ तत्वों को उनकी जमीन पर अधिकार करने के लिए प्रेरित कर वह भी उनसे छीन ली गई।

बूंदी कालेज के विद्यार्थी श्री राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर हथकड़ियां लगाकर शहर में घुमाया गया जैसे कि वह कोई खूंखार अपराधी हो। लेकिन इस कार्यवाही के पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, वह था कि इसे देखकर अन्य लोगों का, जिनकी सहानुभूति विरोधी दलों के साथ थी मनोबल टूट जाये, फलस्वरूप उन्हें आपातकाल विरोधी आन्दोलन से दूर रखकर आन्दोलन को शक्तिहीन बनाया जा सके। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया विपरीत ही हुई। समस्त जनता में इस कारण और अधिक रोष उत्पन्न हो गया। थाने में ले जाकर उन्हें उल्टा लिटा कर पीटा गया। उनके भविष्य को अन्धकारमय बनाने के उद्देश्य से कालेज से उनका प्रवेश भी निरस्त करा दिया गया।

श्री ईश्वर सिंह चौधरी, जिन्हें लोक संघर्ष-समिति के जोधपुर सम्भाग के आन्दोलन का प्रभारी नियुक्त किया गया था। भूमिगत रहकर इस आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। सरकार को इनकी तलाश थी, लेकिन सरकार के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उनको पकड़ने के उद्देश्य से इनके परिवार के सदस्यों को तंग करने का निर्णय लिया गया। उनके बड़े भाई

श्री ओमप्रकाश को उनके घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया गया। उनके साथ सर्व श्री पूराराम, सत्यनारायण, रिखबचन्द, गोविन्द, गोपीकिशन तथा विनोद-कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री ओमप्रकाश से उनके छोटे भाई श्री ईश्वर सिंह के बारे में पूछताछ की गई। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट करने के कारण रात्रि को जिलाधीश कार्यालय के पीछे नीम के पेड़ से उनको पशुओं की भांति रस्सों से बांध दिया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर इन्हें थाने में लाया गया जहां इन्हें उल्टा लिटाया गया, कन्धों पर दो-दो सिपाही बैठा दिये गये ताकि वे पिटाई का विरोध नहीं कर सकें। पैरों के तलवों को ऊंचा कर डण्डों से पीटना आरम्भ कर दिया गया। इन लोगों को सोने की भी सख्त मनाही थी। लेकिन नींद पर तो इनका अधिकार था नहीं, इसलिए जब कभी नींद इन पर विजय प्राप्त कर लेती तो ठण्डे पानी की बाल्टी इनके ऊपर उंडेल दी जाती थी। ठण्ड का मौसम होने के कारण पानी गिरने से नींद रफुचक्कर हो जाती थी। क्या यही मानवता थी ?

किसान-नेता श्री कुम्भाराम आर्य को दिनांक 26–6–75 का प्रात: 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। किसान-युनियन ने अनाज की जबरन लेवी-वसूली के विरोध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली सख्ती, दुर्व्यव-हार, अत्याचारों के विरुद्ध किसानों की पुकार को सरकार तक पहुंचाने के लिए आन्दोलन आरम्भ कर रखा था। उसी दिन भारतीय जनसंघ के नेता श्री गुमानमल लोढा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, चूंकि वे भी किसान-युनियन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। श्री लोढा का कथन है कि उनको तथा श्री कुम्भाराम आर्य को 27 जून को ही अजमेर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि जोधपुर के जेल अधीक्षक ने जिलाधीश की जुबानी आज्ञा पर हमें काल कोठरियों में डाल कर विशेष यातनाएं देना स्वीकार नहीं किया। अजमेर जेल को यों कहने को तो आदर्श कारागार का नाम दिया गया था लेकिन वास्तव में वह काला पानी के समान थी। इसलिए राजस्थान के बड़े-बड़े नेताओं को चुन-चुनकर वहां स्थानान्त-रित कर भीषण यातनाएं देकर उनके मनोबल को तोड़ने की कार्यवाही की गई।

श्री लोढा ने बताया कि अजमेर जेल में उन्हें व श्री कुम्भाराम आर्य को अलग-अलग कोठरियों मे अकेला ही रखा गया। कोठरी में एक लालटेन रख दी गई तथा कोठरी के दरवाजे पर लोहे व लकड़ी के डबल किवाड़ लगा दिये गये ताकि हम किसी भी इन्सान की सूरत न देख सकें। सूरत देखना तो बहुत बड़ी

बात थी हम किसी इन्सान की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। जेल-अधिकारियों का जेल के भंगियों को भी यह आदेश था कि वे हमसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करें। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हम कोई भयंकर अपराधी हों तथा सुरक्षा की दृष्टि से यह सब व्यवस्था की गई हो। लेकिन खतरनाक अपराधी को भी दिन में 3–4 घन्टे कमरे से बाहर निकाला जाता था, किन्तु विरोधी दल के नेता होने के नाते हमें इससे भी वंचित कर दिया गया था। जून के महीने की भीषण गर्मी में बिजली का पंखा तो क्या हाथ की पंखी भी नहीं दी गई। न अखबार, न कोई तेल साबुन, बल्कि टट्टी भी नहीं थी। अत: उसी बैरक में खुले में बच्चों की तरह टट्टी बैठने की ही व्यवस्था थी, पेशाब तथा स्नान भी वहीं करना होता था। हाँ, खाना खाने के लिए उस स्थान से कुछ कदम दूर बैठने की इजाजत अवश्य थी। खाने में मिरचे व कचरे की अधिकता होने के कारण खाते ही उल्टी हो गई। बैरक में रात को सोते समय तथा दिन में बैठते हुए कीड़े-मकोड़े झकझोर देते थे। जेल अधिकारियों को बुलाने के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। लेकिन सन्तरी को आदेश था कि खतरनाक कैदी से कोई बात न करे। इस प्रकार के वातावरण में जहां ऊंची-ऊंची दीवारें, कीड़े-मकोड़े तथा गन्दगी के अतिरिक्त हमारा कोई साथी नहीं था या तो पागल या फिर अन्धा होने के अतिरिक्त और कुछ सम्भव ही नहीं था।

श्री लोढा को रक्त-चाप की बीमारी थी लेकिन उन्हें इलाज हेतु किसी सफाखाने नहीं भेजा गया। डाक्टर को बैरक में ही बुलाकर दिखाने की कार्यवाही पूरी कर दी गई। इन यातनाओं से तंग आकर श्री लोढा ने मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा।

श्री कुम्भाराम आर्य ने बताया कि रात्रि को करीब 9 बजे हमें जोधपुर से अजमेर पहुंचा दिया गया। मुझे ऐसी बैरक में रखा गया जिसकी दशा बहुत खराब थी। चूंकि इन बैरकों की मरम्मत पिछले 19–20 साल से नहीं हुई थी, इसलिए जहरीले जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। सांप, बिच्छू तथा गोयरे जो सांप से भी अधिक जहरीले थे इन बैरकों में निवास करते थे। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचादि के स्थान मल के कीड़ों से भरे पड़े रहते थे। बिजली का पंखा भी नहीं था तथा बैरक के चारों ओर घन्घोर अन्धेरा रहता था। खाने के लिए बर्तन भी पूरे नहीं दिये जाते थे। चाय, पानी पीने के बर्तन में या दाल लेने वाली कटोरी में बनाते थे। बैरक के बाहर जमीन पर या अन्दर मिट्टी की पथरी पर सोना पड़ता था। 24 घण्टों में सवेरे-शाम केवल एक भंगी के दर्शन

होते थे जिसके पीछे भी एक सन्तरी होता था। भंगी को यह हिदायत थी कि वह हमारी तरफ देखे नहीं, इसलिए वह सफाई करते समय हमारी तरफ पीठ रखता था। कानून के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं व व्यवहार ताक में रखे हुए थे। बिमारी की हालत में अस्पताल ले जाना भी वर्जित था। आँखों से कम दीखने लगा था, इसलिए चश्मे की मांग की। चश्मा भी उस समय दिया गया जबकि घर वालों ने चश्मे की कीमत अदा कर दी। दवाइयां दी तो जाती थी लेकिन दिखावे के लिए। उनसे फायदा नहीं होता था, मुझे अपने जीवन की रक्षा हेतु रात भर जागना पड़ता था। जहरीले जानवरों से बचने के लिए रात्रि को नीचे नहीं उतरता था। इस प्रकार सावधानी बरती जिसके फलस्वरूप मैंने कई बिच्छु, सांप तथा गोयरे अपनी बैरक में मारे। धीरे-धीरे उनका अभाव होता गया। 3–4 महीने बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रात को नींद आने लगी लेकिन फिर भी चिन्ता तो बनी ही रहती थी।

चौधरी साहब के पुत्र के मोटर साईकिल दुर्घटना में ग्रस्त होने के कारण सरकार ने उन्हें 15 दिन के लिए पैरौल पर रिहा किया। चौधरी साहब के अनुसार पैरौल के समय गुप्तचर विभाग के कर्मचारी उनकी गतिविधियों पर निगाह रखते थे। भला चौधरी साहब जिन्होंने सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष कर स्वतन्त्रता-संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वे इन बातों से कब घबराने वाले थे। चौधरी साहब के एक मित्र ने उनसे कहा, "यदि आप प्रार्थना पत्र दें तो पैरौल की अवधि बढ़ाई जा सकती है।" चौधरी साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की, "मैं तो अपने सभी साथियों के साथ ही बाहर आऊंगा।" इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपने स्वार्थों को त्याग कर इस संघर्ष में अपना सब कुछ अर्पण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था।

सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्डा को बिहार में ही 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होते ही श्री ढड्डा ने केन्द्रीय सरकार को इस कार्यवाही का विरोध करते हुए एक वक्तव्य भेजा।

PATNA, 26, 1975.

"By arresting Sh. J. P. and many other top opposition Leaders, Mrs. Indira Gandhi has declared war on the people of India.

J. P. has become the voice and the conscience of the people and Mrs. Gandhi is mistaken if she thinks that by such dictatorial action she can stiffle this voice. I am sure the people of India will rise up and face this challange bravely and peacefully. Any report to other than non-violent methods on their part will only harm the cause. By her desparte action, Mrs. Gandhi has driven the last nail in the coffin of her own power, which is already devoid of all moral authority.

Sd/–Siddharaj Daddha.

भला सरकार इस विरोधी कार्य को क्यों पसन्द करने लगी। उन्हें पटना की फुलवारी कैम्प जेल में रखा गया गया। सितम्बर 75 में सरकार ने घोषणा की कि राजनैतिक बन्दियों के मामलों पर विचार कर उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका विरोध श्री ढड्ढा ने बिहार के राज्यपाल को लिखे गये निम्न पत्र में किया—

The Rajyapal Mahodaya, Bihar

Raj Bhawan, Patna.

Dear Sir,

We understand from press reports that the Govt. is reviewing the cases of political prisoners detained under Misa or the DIR in order to decide whether they should continue to be detained or set free.

We respectfully wish to convey to you that so being as civil liberties and the fundamental rights of citizen remain suspended and loknayak J. P. Narain and others national leaders continue to be under arrest it makes little difference to us whether we are kept in jail or are released in the much larger prison which India today is. We would rather prefer the former.

If the Govt. is really been on bringing about normalcy in the country, it can be done only by revoking the emergency, releasing Sh. J. P. and other leaders, and having a dialogue with them.

29 Sep. 75.

Yours sincerally,

Sd/-Siddhraj Daddha.

श्री सिद्धराज जी जयपुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। इन कारणों से श्री ढड्डा ने बिहार सरकार को अपना स्थानान्तरण जयपुर में करने के लिए निवेदन किया ताकि वे समय-समय पर अपने परिवार-जनों से मिल सकें। इसके अलावा उनकी चिकित्सा भी आयुर्वेदिक कालेज जयपुर के प्राध्यापक श्री रामदयाल जी शर्मा कर रहे थे। इस चिकित्सा को जारी रखने के लिए भी उनका जयपुर आना आवश्यक था। बिहार सरकार ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका स्थानान्तरण जयपुर खातीपुरा जेल में कर दिया। श्री ढड्डा ने राजस्थान सरकार को बिमारी के सम्बन्ध में लिखते हुए निवेदन किया कि वैद्य श्री रामदयाल जी को मेरा इलाज जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की जाये। लेकिन सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की जिसके कारण उनके इलाज में बाधा पड़ गई। परिणामस्वरूप इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। जयपुर की खातीपुरा जेल में कुछ समय तक रखने के पश्चात् इनका स्थानान्तरण अजमेर की आदर्श कारागार में कर दिया गया। जेल में रहते हुए श्री ढड्डा ने लोक-संघर्ष-समिति द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन को जीवित रखने का प्रयास न केवल जेल तक ही सीमित रखा बल्कि जेल से बाहर भी इस सम्बन्ध मे समय-समय पर अपने विचार पत्रों के माध्यम से भेज कर अपना योगदान दिया।

श्री ज्येष्ठानन्द परिहार को जोधपुर में 27-6-75 को प्रातःकाल 4-45 पर ही गिरफ्तार किया गया था। आप जनसंघ की स्थापना से ही इसके कार्यकर्त्ता रहे हैं। आपने सन् 1958 से 1965 तक भारतीय जनसंघ मजदूर शाखा में प्रान्तीय महामन्त्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में अन्य अपराधियों के साथ रखा गया। चूंकि बन्दियों के लिए राशन तथा लकड़ी पूर्ण मात्रा में जेल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई इसलिए इस सम्बन्ध में जेल अधीक्षक से बातचीत कर बाहर से आटा और लकड़ी मंगाने की स्वीकृति प्राप्त की। लेकिन फिर भी राजनैतिक बन्दियों को अनेक असुविधाओं का सामना

करना पड़ रहा था। इसी दौरान श्री गिरीराज किशोर आचार्य का स्थानान्तरण जोधपुर जेल में हो गया। राजनैतिक बन्दियों की हालत देखकर श्री आचार्य जी के रोष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भूख-हड़ताल करने का निर्णय किया। इसमें सर्व श्री आचार्य जी, रघुनन्दन व्यास, हीराचन्द बोहरा तथा शंकर राज लोढा सम्मिलित हुए। भूख-हड़ताल के पांचवें दिन इनके समर्थन में सर्व श्री ज्येष्ठानन्द परिहार, गोविन्द राम जी खत्री तथा मोहन लालजी ने भी भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी। आठ दिन की भूख-हड़ताल के पश्चात् जिलाधीश को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा, तब जाकर कहीं बन्दियों को कुछ सुविधाएँ मिलने लगीं।

लोक-संघर्ष-समिति द्वारा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गांधी-जयन्ती मनाने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी हमेशा एक निर्भिक सेनानी की तरह अन्याय की खिलाफत करते रहे थे। उनके इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया था। गांधी-जयन्ती पर "अन्याय के सामने झुकना कायरता है" के पेम्पलेट छपवा कर शहर के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर चिपकाने का प्रोग्राम था। लेकिन तथा कथित गांधीवादी सरकार गांधीजी के इस उपदेश को दीवारों पर लगा हुआ नहीं देखना चाहती थी। इसलिए इस प्रकार के पर्चे चिपकाना या बांटना भी एक जुर्म था। श्री भैरोसिंह शेखावत के अनुसार जोधपुर शहर में गांधी जयन्ती पर पर्चे चिपकाने के आरोप में कई गिरफ्तारियां की गई। इन बन्दियों को इस कार्य के आरोप में बिजली का करैन्ट लगाकर यातनाएं दी गईं। अलवर में भी गांधी जयन्ती मनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिलाधीश-कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कथनी और करनी में कितना अन्तर होता है। एक तरफ तो श्रीमती गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता अपने हर भाषण में महात्मागांधी की दुहाई देकर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रपंच रच रहे थे तथा दूसरी तरफ उनकी जयन्ती मनाने को भी गैर कानूनी करार दे रहे थे।

आपात काल के विरोध में पर्चे बांटना कानूनी जुर्म था। इसलिए इस कार्य में संलग्न लोगों की तलाश पूरे जोर-शोर से की जा रही थी। खण्डार में पर्चों को बांटने का कार्यक्रम जोर-शोर से चल रहा था। लेकिन पुलिस को पर्चों को बांटने वाले का पता नहीं चल रहा था। इसमें सफलता प्राप्त करने हेतु खण्डार के एक अध्यापक को पकड़ लिया गया। उससे रामपाल जाट के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। पुलिस को शक था कि यह सब कार्य रामपाल जाट ही कर रहा है। अध्यापक ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन पुलिस

इतने पर ही कब विश्वास करने वाली थी। पुलिस ने अध्यापक को बिजली के करैन्ट लगाकर यातनाएँ देनी आरम्भ की। गिरफ्तार होने के कारण बेचारे अध्यापक को सरकारी नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसके बच्चों की जीविका का साधन छीन लिया गया। क्या बच्चों ने कोई कसूर किया था, जिसके लिए उन्हें सजा दी गई ? अब पुलिस ने रामपाल जाट का पता लगाने के लिए उसके परिवार जनों तथा मित्रों को तंग करना आरम्भ कर दिया। पुलिस के इस दमन का मुकाबला कब तक किया जा सकता था। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को दण्ड दिलवाना रामपाल को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने 22 दिसम्बर 75 को स्वयं सत्याग्रह द्वारा गिरफ्तारी देकर अपने मित्रों एवं परिवार-जनों को पुलिस के अत्याचारों से बचाया।

डेगाना के श्री गंगाशंकर शर्मा को 6 जुलाई 75 को गिरफ्तार किया गया और नागौर जेल में रखा गया, जहां सायं 6 बजे कोठरी का ताला बन्द किया जाता था तथा दूसरे दिन प्रातः 6 बजे कोठरी का ताला खोला जाता था। रात्रि में 9 बजे के पश्चात् प्रत्येक घंटे के बाद कैदियों की गिनती की जाती थी। प्रत्येक कैदी को अपनी संख्या बोलनी पड़ती थी, नहीं बोलने पर डांट फटकार सुननी पड़ती थी। यह क्रम प्रत्येक घन्टे बाद चलता था, इसलिए रात्रि को बन्दी नींद भी नहीं ले सकते थे। श्री शर्मा बन्दी बनाये जाने से पहिले ही क्षय रोग से पीड़ित थे तथा बीकानेर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेल में उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं की गई। डाक्टर को दिखाने के लिए भी बार-बार कहना पड़ता था। दवा तथा अन्य सामान जेलर अपने कमरे में ही रखता था। कई बार माँगने पर वह उपलब्ध हो सकता था। बन्दियों की सुविधा हेतु श्री सोभाग्य मल जी नाहर लाडनू वाले ने आमरण अनशन किया लेकिन उन्हें काल कोठरी में बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री चांदमल जी रांकावत नागौर ने अनशन किया उसके पश्चात् नारायण जी मास्टर डीडवाना वाले ने नोटिस दिया। इन लोगों के इस साहस को देखकर जिलाधीश ने इनका अन्यत्र स्थानान्तरण करना उचित समझा। 25 अगस्त 75 को सर्व श्री गंगाशंकर जी शर्मा, नारायण जी डीडवाना, सौभाग्य मल लाडनू, मिश्रीलाल जी, रामनाथ जी तथा चांदमल जी रांकावत को बीकानेर जेल में भेजने का आदेश हुआ। भयंकर अपराधी की तरह हथकड़ियाँ लगाकर एक थानेदार तथा 6 पुलिस कॉन्सटेबिलों की देख-रेख में इन्हें बीकानेर पहुँचाया गया। बीकानेर में श्री शर्मा जी की हालत अधिक बिगड़ने लगी। उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन किया कि उनके इलाज करने वाले डाक्टर चावला को जेल में ही बुला कर दिखा दिया जाये, लेकिन यह निवेदन ठुकरा दिया गया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उन्हें टी० बी० क्लीनिक में भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सरकार के इन

कदमों से वे निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। आखिर कार 15 दिसम्बर 75 से इलाज की स्वीकृति सरकार को देनी ही पड़ी।

श्री राधाकृष्ण रस्तोगी, अभिभाषक सर्वोच्च न्यायालय, को दिनांक 24/7/75 को बिना कारण बताये गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रान्त संघ चालक होने के नाते इनको गिरफ्तार किया गया था। उनके अनुसार मानसिक पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से उनके रिश्तेदार व मित्रों को लगभग 8 मास तक मिलने नहीं दिया गया। छोटे पुत्र के साथ पत्र-व्यवहार भी रोक दिया गया था। जब मिलने की स्वीकृति दी गई तो वह भी सी० आई० डी० के व्यक्ति की उपस्थिति में ही। इसलिए खुलकर बात-चीत नहीं हो सकती थी। उनका कहना है कि जेल में बन्दियों को पशुओं से भी बदतर समझ कर रखा जाता था। शिकायत करने पर अधिकारियों को बन्दी के प्रति रूख और भी कठोर हो जाता था कभी-कभी तो शिकायत कर्त्ता बन्दी को मारा-पीटा भी जाता था। यह व्यवस्था रोकी जानी चाहिए। श्री राधाकृष्ण रस्तोगी ने डी० आई० आर० में बन्दियों की पिटाई के विरोध में आमरण अनशन किया जो एक सप्ताह तक चला। अन्त में सरकार को समझौता करना पड़ा। इसका प्रभाव यह हुआ कि जोधपुर में इस प्रकार के मामले बहुत कम हो गये।

लोक-संघर्ष-समिति द्वारा चलाये जाने वाले सत्याग्रह-आन्दोलन का विस्तार सरकार के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ था। इसे कुचलने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस-अधिकारियों को विशेष आदेश प्रदान किये गये थे। इसलिए सत्याग्रहियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अमानुषिक कार्यवाही करने मे किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। श्री भैंरोसिंह शेखावत की डायरी के अनुसार नवलगढ़ के सत्याग्रही श्री विश्म्भर दयाल को पुलिस ने इस निर्दयता में मारा कि उनके कान का पर्दा ही फट गया। बीकानेर के सर्व श्री गोविन्दसिंह व रामदयाल जी को थाने में बुरी तरह पीटा गया। बीकानेर के ही श्री मूलचन्द जी को पुलिस ने इतना मारा कि उनके शरीर पर नीले निशान पड़ गये। लेकिन सरकार ने उसकी मेडीकल जांच भी करवाना उचित नहीं समझा। ब्यावर के श्री गणपत लाल पुलिस की पिटाई से आधे पागल हो गये। जिला अजमेर की स्थिति के बारे आपका कहना है कि पुलिस-रिमाण्ड के अन्तर्गत सत्याग्रहियों की जमकर पिटाई की जाती थी, उनके मनोबल को तोडकर माफी मांग कर छूटने के लिए सरकार ने उन्हें भोजन व निद्रा से वंचित करना उचित समझा था। लेकिन सरकार की इन दमनकारी नीतियों से तो सत्याग्रहियों का जोश और भी बढ़ता गया। भूखे-प्यासे सत्याग्रहियों को प्राईमरी स्कूल के

बालकों की तरह हाथ ऊपर करके घन्टों तक खड़े रहने को बाध्य किया जाता था।

करौली में पोस्टर चिपकाने के आरोप में श्री बजरंग को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाने में ले जाकर उससे पर्चों के छपने और वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। किसी भी प्रकार की जानकारी न दिये जाने पर पुलिस अधिकारी आगबबुला हो गये। उन्होंने उसे पशु की तरह पीटना आरम्भ कर दिया, लेकिन इससे भी सफलता प्राप्त न होते देखकर उसकी मूंछे उखाड़ने का आदेश दिया गया। उसकी मूंछे उखाड़ी जाने लगीं। इस अपार पीड़ा को वह सहन नहीं कर सका, इसलिए दर्द से चिल्लाने लगा। मोतीलाल कक्षा 10 का विद्यार्थी जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी वह इस कुकृत्य को देख नहीं सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। श्री बजरंग की पिटाई के कारण मुंह व कानों से खून निकलने लगा। मानवता के नाते उनका इलाज करवाना चाहिए था लेकिन उन्हें हवालातमें बन्द करना ही उचित समझा गया।

भारतीय जनसंघ के नेता सर्व श्री जगदीश प्रसाद माथुर व भंवरलाल शर्मा भूमिगत रहकर आन्दोलन के लिए कार्य कर रहे थे। सरकार के लिए इनकी गिरफ्तारी आवश्यक थी, इसलिए इनके वारन्ट काट दिये गये थे तथा तलाश जारी थी। वारन्ट कट जाने के पश्चात् गिरफ्तार नहीं होना सचमुच में पुलिस-प्रशासन को खुली चुनौती थी। इसलिए जनसंघ कार्यालय से श्री नन्दकुमार वर्मा को पकड़ा गया। इसके पीछे श्री माथुर एवं भंवरलाल जी की जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य था, लेकिन उस बेचारे को इसका क्या पता था ? अनभिज्ञता प्रकट करने पर उसे पुलिस ने बुरी तरह पीटना आरम्भ कर दिया। इस पिटाई को वह सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। किसी तरह से इसकी सूचना खातीपुरा जेल-जयपुर में पहुंच गई। जहाँ सर्व श्री गोकुल भाई भट्ट, भैंरोसिह शेखावत, प्रो. केदार शर्मा, पं० रामकिशन, सतीशचन्द्र अग्रवाल, डॉ० उजला आरोड़ा व गिरधारी लाल भार्गव ने इसका विरोध किया। लेकिन इसकी जाँच की जाने में सफलता प्राप्त न होने पर उन्होंने भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी। इन नेताओं की भूखहड़ताल ने सरकार पर दबाव डाला।

जालौर निवासी श्री चम्पालाल मुणोत की गिरफ्तारी के पश्चात् इनकी दुकान भी इस आरोप में सील कर दी गई कि यह आर० एस० एस० की गतिविधियों का केन्द्र है। श्री ललित कुमार, दौसा महाविद्यालय के छात्र, का चिकित्सा के अभाव में निरन्तर स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। जेल से छूटने के बाद कमजोरी के

कारण टाईफाइड ने घर दबोचा, जिसने असाध्य रूप धारण कर लिया और उन्हें मृत्यु के मुँह में पहुँचा दिया।

राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र श्री बद्रीलाल शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रहियों को पकड़कर पुलिस थाने में ले जाकर नंगा कर दिया गया। उनकी चप्पलों से पिटाई की गई। उनके हाथ पैर बांधकर और उनमें डंडा फँसा कर पैरों के तलवों को पीटा गया।

जयपुर में श्री द्वारका दास गुप्ता को पहिले पीटते 2 पुलिस अधिकारी थक गये तो उनके बाल पकड़कर जबरदस्ती दीवारों के टक्कर मरवाई गई। बालों को इतनी ताकत से पकड़ कर खींचा गया कि बालों का गुच्छा ही पुलिस-कर्मचारी के हाथ में आ गया। पीड़ा को सहन नहीं करने पर वे चिल्लाने लगे तो उनके मुँह में मिट्टी भर दी गई।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत के अनुसार 27 नवम्बर 75 को बाड़मेर पुलिस ने तीन बच्चों को पर्चे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया। बच्चों को थाने में मुर्गा बनाकर उनकी पीठ पर भारी पत्थर रख दिये गये ताकि वे दुखी होकर पर्चे छपने व आने के स्थान की जानकारी दे दें। लगातार 10 दिन तक इस प्रकार की यातनाएं दी जाती रहीं लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। जोधपुर के श्री भूराराम को पुलिस द्वारा इतनी अधिक यातनाएं दी गईं कि उनकी हालत खराब हो गई। इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन फिर भी मेडीकल जाँच नहीं करवाई गई।

चाकसू के सर्व श्री महावीर जैन, देवकरण नाई, रामशरण कलवाल तथा नेमीचन्द जैन को हथकड़ी लगाकर उनके गले में पट्टियाँ लटकाई गईं जिन पर लिखा था "देश के दुश्मन देश के गद्दार"। ऐसी स्थिति में उन्हें चाकसू में घुमाया गया। लोकतन्त्र का समर्थन तथा आपातकाल व तानाशाही का विरोध करना क्या देश के प्रति गद्दारी थी ?

बीकानेर-जेल में सर्व श्री घेवरचन्द, मथुरादास, बद्रीप्रसाद, विजयकुमार, आसुराम, सत्यप्रकाश तथा शिखर चन्द को भयंकर यातनाएँ दी गई। यातनाओं के अलावा दिसम्बर मास में सात व्यक्तियों को केवल एक कम्बल ओढ़ने के लिए दिया गया। इसका अन्य बन्दियों ने विरोध किया तथा विरोध स्वरूप मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री, बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखे जिस पर सर्व श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, शिवशंकर तिवाड़ी, सोहन लाल

मोदी, दाऊदयाल आचार्य, कृष्ण स्वामी तथा हेतराम बेनीवाल ने हस्ताक्षर किये ।

कोटा के श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, को भी आन्तरिक सुरक्षा नियम में गिरफ्तार किया गया । इससे स्पष्ट है कि सरकार लोक-संघर्ष-समिति द्वारा चलाये गये आन्दोलन से किस प्रकार भयभीत तथा कमजोर हो चुकी थी । उसे कोटा जेल में भेज दिया गया । उसकी मां अपने पुत्र के बिछुड़ने को सहन नहीं कर सकी तथा सख्त बीमार पड़ गई । बालक ने अधिकारियों से अपनी मां से मिलने की इजाजत चाही लेकिन अधिकारियों ने उसकी यह प्रार्थना ठुकरा दी । 19 मई 76 को बालक को यह समाचार मिला कि उसकी मां का देहान्त हो चुका है लेकिन बालक ने हिम्मत नहीं हारी । उसने कहा "भारत माता की जय बोली तो जेल मिली । एक ही तो मां मरी है, देश में करोड़ों माताएं हैं । मैं उन्हीं में मेरी मां के दर्शन करता रहूंगा । आखिर मैं भारत माता का बेटा हूं ।"

श्रीमती गायत्री देवी जयपुर की भूतपूर्व महारानी विरोधी पार्टी की संसद-सदस्या थीं । राजस्थान की राजनीति में उनकी अपनी पैठ थी । उन्हीं के बलबूते पर राजस्थान में स्वतन्त्र पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी । आपातकाल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के विरोधियों को समाप्त कर एक पार्टी की तानाशाही को स्थापित करना ही था । इस उद्देश्य की प्राप्ति में श्रीमती गायत्री देवी एक मुख्य बाधा कम से कम राजस्थान में तो थीं ही । इसलिए उन्हें स्वतन्त्र घूमने देना कांग्रेस के हक में नहीं था । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई 75 की शाम को उन्हें तथा कर्नल भवानी सिंह, (भूतपूर्व महाराजा जयपुर)का देहली में गिरफ्तार कर लिया गया । इन दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया । श्रीमती गायत्री देवी के अनुसार तिहाड़ जेल में स्त्री कक्ष बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में था । उन्हें एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसमें सीलन और बदबू भरी हुई थी । वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई थी तथा नल पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी । डोल बाल्टी की सहायता से स्वयं कुएं से पानी खींचना पड़ता था । सफाई के लिए साबुन तक नहीं मिलता था । जिधर देखो गन्दगी और कूड़े के ढेर थे । कमरे के आगे-पीछे बदबू भरी नालियां बह रही थीं । बदबू के कारण रह-रह कर उबकाई आती थी, सिर फटता था । जेल में डाक्टर की व्यवस्था तो थी लेकिन चिकित्सा की सुविधा नहीं थी । आखिरकार श्रीमती गायत्री देवी को उस नारकीय जीवन से समझौता करना पड़ा जहां पाबन्दियां अधिक थीं तथा सुविधाएं कम ।

17 जुलाई 1975 को श्री राजेन्द्र गहलोत ने आपात-स्थिति के विरोध में जोधपुर में सत्याग्रह किया। उन्हें आपातस्थिति के विरोध में नारे लगाते हुए गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उन्हें सर्व श्री कृष्ण चन्द भार्गव, हीराचन्द बोहरा तथा सत्यपाल हर्ष के बारे में सही सही जानकारी देने को कहा। इसके अतिरिक्त उनसे साइक्लोस्टाइल से पेपर छपने की जगह तथा छापने वालों के नाम की जानकारी भी चाही। लेकिन श्री गहलोत ने इन सब बातों के लिए अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। इसके बाद पुलिस अधिकारी उसे एक अलग कमरे में ले गये। जहां एक तरुण घनश्याम डागा की पिटाई हो रही थी। श्री गहलोत उसकी इस निर्मम पिटाई को नहीं देख सके। उसे बचाने के लिए उसका सारा कसूर अपने ऊपर लेने का निश्चय कर उन्होंने कहा "इसे मैंने ही इश्तिहारा बांटने को दिये थे।" इस पर पुलिस कर्मचारी क्रोधित हो गये और कहने लगे, "अच्छा तो आप ही नेताजी हैं, तो नेताजी अब आपका ही नम्बर है।"

सिपाहियों ने कमरे में लटके हुए पट्टे खोले और पिटाई आरम्भ कर दी। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इससे भी सन्तोष नहीं हुआ। फिर उसे बिल्कुल नंगा कर दिया गया तथा उसे जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर बैठ गये तथा उसकी गुप्त इन्द्रिय के बाल नोंच-नोंच कर उखाड़ने लगे। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन निर्दयी अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं था। सब दानव बने हुए थे। जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होने कहा "नेताजी जुलूस निकालने में कैसा आनन्द आता है।" उसके बाद उसे उल्टा लिटाया गया। एक पुलिस कर्मचारी उसकी कमर पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ लम्बे कर दो पुलिस कर्मचारी बूट सहित उसकी हथेलियों पर खड़े हो गये। दूसरे कर्मचारियों ने उसके तलवों पर डन्डे मारना आरम्भ कर दिया।

आखिर इन्सान हो तो था। इस भयंकर मार को सहन नहीं कर सका तथा वह बेहोश हो गया। जब उसे दुबारा होश आया तो पुलिस कर्मचारियों ने फिर अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी। इस बार एक कदम और आगे बढ़कर बिजली के करैन्ट के झटके भी दिये गये। इस बार वह मरणासन्न हो गया। पुलिस अधिकारियों को अब यह निश्चय हो गया था कि वह मर जायेगा, तो उसे जीप में डालकर जोधपुर की सैन्ट्रल जेल में ले गये। उसकी मरणासन्न स्थिति को देखकर जेलर और डाक्टर ने उसे जेल में लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने जिलाधीश से सम्पर्क किया। जिलाधीश ने जेलर को श्री गहलोत को जेल में लेने के लिए टेलीफोन पर आदेश दिया। इस आदेश की पालना करते हुए श्री गहलोत को जेल में लिया गया।

जब इस घटना की जानकारी अन्य मीसा-बंदियों को मिली तो उन्होंने फौरन डाक्टरी जांच की मांग की। इस मांग के स्वीकार न किये जाने पर उन्होंने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। अन्त में मजबूर होकर अधिकारियों को श्री गहलोत की डाक्टरी जांच करवानी पड़ी, लेकिन फिर भी इस अन्याय के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नसीराबाद में मांगीलाल और दूसरे 8 विद्यार्थियों को पुलिस ने आपातकाल के विरोध में नारे लगाते हुए गिरफ्तार किया। उन्हें सर्दी की रात में पुलिस-स्टेशन पर नंगा करके उन पर ठण्डा पानी डाला गया और 3 दिन तक रात-दिन डन्डों से उनकी पिटाई की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी एडवोकेट सीकर, डी० आई० आर० की पैरवी करने झुंझुनू गये। उन्हें कोर्ट में बुलाकर पी० पी० कार्यालय में बंद कर उनके साथ भयंकर मारपीट की गई। जब वे बेहोश हो गये तो उन्हें ट्रेन में डाल दिया गया। श्री गुमानमल लोढा एडवोकेट, ने इस सम्बन्ध में सरकार व आई० जी० पी० राजस्थान को शिकायत की। इस सम्बन्ध में विधान सभा में सवाल भी रखा, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ।

15 अगस्त 75 को जोधपुर में स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जा रहा था जबकि वास्तव में लोगों की स्वतन्त्रता छीन ली गई थी। श्री लादूराम गुप्ता इस दिखावे को सहन नहीं कर सके और उन्होंने नारा लगाया "आपातकालीन स्थिति समाप्त हो।" इस पर पुलिस उन पर इस प्रकार टूट पड़ी जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्ध टूट पड़ते हैं। उन्हें पकड़ लिया गया तथा वहीं पर उन पर डन्डे बरसाने आरम्भ कर दिये। उन्हें अपमानित करने के लिए उनके सिर के आधे बाल काट दिये गये तथा एक तरफ की मूंछ भी काट दी गई। फिर उन्हें हथकड़ियां पहना कर जोधपुर के बाजार में से निकाला गया। यह वही दिन था जिस दिन 28 वर्ष पहले भारत को अंग्रेजी राज्य की गुलामी से छुटकारा मिला था, लेकिन आज समस्त समाज कांग्रेस की तानाशाही बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसे अपना दुःख भी व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं थी।

श्री सुमेर सिंह जी राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के नेता हैं। आपातकाल की घोषणा होते ही इन्होंने निश्चय किया कि वे भूमिगत रहकर आपातस्थिति के विरोध में जनजागरण करेंगे। पुलिस को इनकी तलाश तो थी ही, लेकिन वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो रही थी। पुलिस ने

किया गया जिसके वे भी एक सदस्य थे। इस संघर्ष-समिति के तत्वावधान में दो बार उपवास का कार्यक्रम भी रखा गया।

बीकानेर के श्री सोमदत्त श्रीमाली का कहना है कि उन्हें 24 जुलाई 75 को गिरफ्तार किया गया। आर्थिक भार व मानसिक वेदना से संतप्त होने के कारण उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था। फलस्वरूप दिनांक 16-10-75 को अचानक सीने में जोर का दर्द हुआ, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कई दिनों बाद उनकी असह्य वेदना को देखकर उन्हें बीकानेर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच करने के पश्चात् डाक्टरों ने इलाज आरम्भ ही किया था कि अचानक ए० एस० पी० पुलिस फोर्स के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने श्रीमाली जी को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। श्रीमाली जी ने उनसे प्रार्थना की कि इलाज हो जाने के पश्चात् जेल भेज दिया जाये। लेकिन तानाशाही व्यवस्था के प्रतिनिधि ने उनकी इस वाजिब मांग को ठुकरा दिया।

लेवी-विरोधी आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण श्री दौलतराम सारण सरकार की आँखों में खटक रहे थे। सरकार-विरोधी गतिविधियों के फलस्वरूप आपातकाल की घोषणा के साथ ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात् सरकार उन्हें बिना प्रार्थना-पत्र दिये पैरोल पर छोड़ने को तैयार थी, लेकिन श्री सारण ने अपने साथियों को जेल में छोड़कर जाना उचित नहीं समझा।

श्री निरंजन सिंह लवानिया एड्वोकेट भरतपुर, को 26 जून 1975 को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। आप भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य थे। 20 नवम्बर 75 को सरकार ने इन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। रिहा होने के पश्चात् आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु कार्य करने के आरोप में पुनः 6 सितम्बर 76 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। जेल में इन्हें सूचना मिली कि उनकी पत्नी की आंतों में घाव हो गये हैं। चूंकि इनकी अनुपस्थिति में उसका इलाज तथा देखभाल करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उनके सामने पत्नी को मौत के मुंह से बचाने का प्रश्न उत्पन्न हो गया। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैरोल की मांग की। लेकिन अपनी इस मांग पर उन्हें आत्मग्लानि अनुभव हो रही थी। इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अपने नेताओं से इस अनुशासनहीनता के

लिए क्षमा की प्रार्थना की। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितिवश ही उन्होंने यह कदम उठाया था।

श्री मनफूल दयाल जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बांसवाड़ा जिला प्रचारक थे। चूंकि संघ एक प्रतिबन्धित संस्था थी, इसलिए श्री दयाल जी को 2 जुलाई 75 को पुलिस ने उनके निवास-स्थान पर रात्रि 2-30 बजे छापा मार कर गिरफ्तार कर लिया।

प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री मिलाप चन्द माथुर, जोधपुर एवं श्री रघुवीर सिंह जी कोशल मीसा के अन्तर्गत राजबंदी थे। सरकार ने इनका पैरोल बढ़ाकर दूसरे मीसा-बन्दियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन दोनों ने ही सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

श्री रामस्वरूप मांजू डूंगर कालेज बीकानेर विधि संकाय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी थे। उन्हें पुलिस ने होटल में खाना खाते गिरफ्तार किया। उन्हें थाने ले जाकर आंसुका के तहत नजरबन्द करने के आदेश देकर जेल भिजवा दिया गया। भीलवाड़ा के श्री दयाराम जेठानी भूतपूर्व पार्षद को 26 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार ने स्वयं ही 1-1-77 को इन्हें रिहा किया।

श्री रामधन माहुर एडवोकेट टोंक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके जेल जाने के पश्चात् आय का स्रोत बंद हो गया जिसके फलस्वरूप घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि परिवार के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

श्री दयाल सामरिया श्रद्धानन्द बाजार ब्यावर के रहने वाले हैं। उन्हें जनसंघ समर्थक होने के आरोप में 11-9-75 को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अदालत से 15 दिन का रिमाण्ड प्राप्त कर ब्यावर पुलिस थाने में ही इन्हें रखा। उसके पश्चात् उनको आदर्श कारागार अजमेर में भेज दिया।

अजमेर के श्री महादेव, श्री भंवर जी को भी गिरफ्तार किया गया था। आप दोनों भाई हैं तथा घड़ीसाजी की दुकान करते हैं। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के कारण दुकान बन्द हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी माफी मांग कर आना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार अजमेर के ही

श्री ग्रचल राम वैद्य तथा श्री प्रेमलाल को भी गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया।

जैसलमेर के श्री ग्रमरलाल तथा उनके पुत्र श्री चन्द्रभान भी गिरफ्तार किये गये तथा जैसलमेर के ही श्री गोपाल पनवाड़ी को भी जेल काटनी पड़ी।

श्री भैंरोसिंह शेखावत की डायरी के ग्रनुसार पुलिस ने दिनांक 17-12-75 को उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें श्री विजय कृष्ण नाहर, विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो उस समय उदयपुर विभाग में भूमिगत ग्रान्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे तथा श्री नरेन्द्र जी भी थे जिन्हें डी० ग्राई० ग्रार० के ग्रन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। शेष 34 व्यक्तियों के लिए पुलिस ने पांच दिन का रिमाण्ड लिया। इन लोगों से ग्रान्दोलन तथा नेताओं की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस थाने में इनकी पिटाई की गई।

रतनगढ के श्री श्यामलाल चौधरी का कहना है कि नारे लिखने के ग्रारोप में उन्हें तथा उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। श्री राजेन्द्र बागड़ तथा विनोद कुमार ग्रादि कुछ युवक कार्यकर्त्ताग्रों को थाने में बुलाकर 3-4 घन्टे रोककर पर्चे छापने इत्यादि के बारे में पूछताछ की, लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उन युवकों को गालियां दी गईं। कुछ देर बाद उनके छोटे भाई श्री भगवती प्रसाद को भी पकड़ कर लाया गया। रात्रि को लगभग 1 बजे उन सब को एस० डी० एम० व जिला कांग्रेस ग्रध्यक्ष श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया के सामने हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक श्री संकरिया के बारे में पूछताछ की। वे भूमिगत रहकर रतनगढ़ में ग्रापातस्थिति के विरोध में कार्य कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की यातनाएं पाकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। 26 जनवरी 76 को डी० ग्राई० ग्रार० के ग्रन्तर्गत इन्हें जेल भेज दिया गया। उनसे मिलने ग्राने वाले व्यक्तियों से बुरा व्यवहार किया जाता था। थाने में ग्रपनी पिटाई की जांच के लिए उन्होंने भूख-हड़ताल भी की थी।

फागी के 6 बालकों ने सांगानेर में ग्रापातकाल के विरोध में प्रदर्शन किया जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर ग्रदालत में लाया गया। बच्चों को हथकड़ियां लगी देखकर एक वकील महोदय ने उन बच्चों की पैरवी करने का निश्चय कर बच्चों को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन बच्चों का स्पष्ट जवाब था "हमने ग्रापातकालीन स्थिति को हटाने तथा संघ पर प्रतिबंध हटाने की

मांग को लेकर सत्याग्रह किया है, हम किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं हम जेल में ही रहना चाहते हैं। पता नहीं आप क्यों और किस कागज पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं, इसलिए हम जमानत इत्यादि पर छूटने को तैयार नहीं हैं।" ये बालक मार्च 77 में ही जेल से से रिहा किये गये। धन्य है उन माताओं को जिनकी कोख ने इन वीर, साहसी एवं दृढ़ निश्चयी बालकों को जन्म दिया है।

श्री दयाशंकर पानेरी को सत्याग्रह करने के अपराध में 6 मास की सजा दी गई। सजा काटने पर ही उन्हें जेल से मुक्त किया गया। श्री पानेरी ने जेल में बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रखने के कारण 4 दिन की भूख-हड़ताल कर न केवल जेल-अधिकारियों को झुकने को मजबूर कर दिया बल्कि अपने साथियों के हौसले भी बुलन्द रखे। उन्होंने उदयपुर जेल में अपने साथियों सहित श्रमदान करके श्री संगेश्वर महादेव मन्दिर की स्थापना कर अपनी चिरस्थायी स्मृति छोड़ी।

राजस्थान जनसंघ के नेता श्री जगदीश प्रसाद माथुर, जो भूमिगत रहकर आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान कर रहे थे की तलाश भी जोरशोर से हो रही थी। अन्त में नवम्बर 76 में उन्हें दिल्ली पुलिस भारतीय जनसंघ के केन्द्रीय कार्यालय से गिरफ्तार करने में सफल हो गई। उन्हें मीसा बंदी के रूप में तिहाड़ जेल, देहली में भेज दिया गया। लगभग एक वर्ष छः माह तक भूमिगत रहकर आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान कर उन्होंने सरकारी तन्त्र की अकर्मण्यता को सिद्ध कर दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री रणछोड़ दास गट्टानी भी तत्कालीन स्थिति से असन्तुष्ट थे। उन्होंने भी इस आन्दोलन को समर्थन प्रदान करते हुए अपने चार साथियों सहित जोधपुर में अनशन आरम्भ कर दिया। लेकिन सरकार तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी विरोधी कदम को सहन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्हें तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री रामबक्स व्यास आपातस्थिति की घोषणा के समय रतनगढ़ मण्डल जनसंघ के अध्यक्ष थे। आपातकाल की घोषणा के पश्चात् उन्होंने कार्यकर्त्ताओं की एक गुप्त मीटिंग बुलाकर भावी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि गिरफ्तार होने की अपेक्षा भूमिगत रहकर सरकार के विरोध में कार्य करना चाहिए। इसलिए भूमिगत रहने हेतु उन्होंने अपना घर त्याग दिया। चूंकि परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका चिन्तित होना

अवश्यम्भावी था ही। रतनगढ छोटासा शहर होने के कारण वहां रहना मुश्किल था। इसलिए वे अजमेर पहुंचे। फिर वहां से उड़ीसा, कलकत्ता होते हुए आसाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसंघर्ष-समिति के पर्चों वगैरहा का वितरण जारी रखा। इसी दौरान उनके छोटे भाई की बहू का देहान्त हो गया था। लेकिन वे अपने भाई को सान्तवना देने के लिए रतनगढ़ नहीं जा सके। उन्होंने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा कठिनाइयां झेलते हुए भूमिगत कार्य करना अधिक श्रेष्ठ समझा।

सवाई माधोपुर जिले के हिन्डोन शहर में सत्याग्रहियों को पुलिस ने आठ दिन तक कोतवाली में रखा, जहां उनकी खूब पिटाई की गई। सत्याग्रहियों को न स्नान करने की इजाजत दी तथा न ही उन्हें सोने दिया। भरतपुर में पुलिस ने तीन विद्यार्थियों की तलाश में एक के पिता को, दूसरे के ताऊ को तथा तीसरे के घर पर आये एक पन्द्रह वर्षीय मेहमान को पकड़कर पीटा।

किशनगढ में लालूमल को थाने में भयंकर यातनाएं दी गईं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फतेहपुर (सीकर) नगर संघ चालक डालचन्द के घर में पुलिस दीवार फांदकर घुस गई। उनके पुत्र को पकड़ लिया और उसके साथ भी मार-पीट की।

श्री मनोहर लाल भुसावर को 24 जून 76 को रात्रि में 8बजे गिरफ्तार किया गया। थाने में पुलिस अधिकारियों ने उनकी पिटाई की। दो दिन बाद उन्हें बताया गया कि वे बस अड्डे पर पर्चे बांट रहे थे। इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके पश्चात् पुलिस उन्हें उनके कस्बे भुसावर ले गई, जहां हथ-कड़ियां पहनाकर उन्हें घुमाया गया। पानी मांगने पर गर्म पानी पीने को दिया गया।

डा० इन्द्रकुमार तिवाड़ी भारतीय जनसंघ (राजस्थान) के बीकानेर विभाग के संगठन मन्त्री थे तथा प्रदेश जनसंघ के सहमन्त्री भी रह चुके थे। इन्होंने बताया कि उनके बच्चे ने 19 जुलाई 75 को घबराई हुई मनःस्थिति में आकर बताया कि घर को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। वे बनियान पहने हुए बाहर आये, देखा कि आसपास चारों ओर छतों पर पुलिस खड़ी हुईथी, यानि कि मोहल्ला पूरी एक पुलिस छावनी बना हुआ था। मोहल्ले के पुरुष व स्त्रियां भी भयभीत थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी खूंखार डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई हो। सभी पुलिसमैन हथियारों से सुसज्जित थे। उन्होंसे डी० एस० पी० श्री लक्ष्मी

नारायण मीना व थानेदार प्रहलाद राम मीना से पूछा क्या बात है, किसकी खोज में हो। उन्होंने कहा, "तुम्हें ही खोज रहे हैं, पूरे जिले में ढूंढने के बाद अब हाथ आये हो।" उन्होंने कहा "ऐसा मैंने क्या जुल्म किया है, कौन सा डाका डाला है।" तब उन्होंने कहा आप विरोधी पार्टी के नेता हो, सरकार पलटने की योजना बना रहे हो, सरकार के खिलाफ इश्तिहार लाकर बांटते हो। उन्होंने पूछा क्या कोई वारण्ट है ? उन्होंने कहा आप खुद समझते हैं कि खाली वारण्ट पर हस्ताक्षर करवाये हुए हैं, हम उसमें चाहे जिसका नाम लिख सकते हैं।

पुलिस के जवान जब उन्हें थाने पर ले जाने लगे तब उन्होंने घर से निकलते हुए 'भारत माता की जय' बोली। सारे लोग इतने भयभीत थे कि किसी ने जय तक नहीं बोली। थाने में जाकर पुलिस ने उनकी तलाशी ली और अन्दर कोठरी में बन्द कर दिया। हवालात में वे बाहरी परिस्थितियों के विषय में अनुमान लगाने का प्रयत्न करते रहे। कुछ देर बाद उन्हे हवालात से निकाल कर हथकड़ियां पहना कर घर लाया गया। पूरे आठ घण्टे तक घर की तलाशी चलती रही। तलाशी के दौरान उनकी वृद्ध माता जी को उनका बक्स खोलने को कहा गया। कुछ देर चाबियां नहीं मिली तो पुलिस वालों ने गालियां निकाली और कहा मर क्यों नहीं जाते, हमें दुख देते हो। तलाशी के कारण नष्ट होती हुई घर की सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न करती हुई उनकी पत्नी को, जो उस समय गर्भवती थी, धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। बच्चे घबराये हुए बाहर देख रहे थे, वे भी खून की घूंट पीकर चुप रहने को मजबूर थे। उन्होंने तलाशी के बाद एक कागज पर लिखा कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने पर ले गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि पुलिस सर्व श्री श्रीराम रानिया वाले, हनुमान प्रसाद भूकरके वाले, प्रयाग चन्द चाचाण व सुरेश कुमार थिरानी को भी पकड़कर थाने पर लाई है।

तत्पश्चात् हथकड़ियां लगाकर उन सब को अदालत में ल जाया गया जहां रात को आठ बजे तक बैठाये रखा गया। फिर उन्हें थाने पर लाया गया खाने के के लिए कहा तो उन्होंने कहा अभी इसी गाड़ी से भादरा ले जाना जरूरी है। वे रात को 11 बजे भादरा पहुंचे। जेलर ने अन्दर लेने मे मना कर दिया और कहा कि जेल शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। उन्हें फिर भादरा थाना ले जाया गया, वहां रात भर वे रहे। सुबह जेल में बंद कर दिया गया। जेलर ने कहा, "खाना आप बाहर से मंगवा लें यहां नहीं मिलेगा।" जेल में उन्हें वहां रखा गया जहां औरतें बन्द थी। उन्हें हुक्म दिया गया कि जेल के गलियारे में, जिसमें पेशाब

की बदबू आती थी, पैर फैलाकर सो सकते हो। रात को एक साथी का जी घबराने लगा तो उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कुछ देर बाहर बैठा दो। लेकिन यह प्रार्थना ठुकरा दी गई। 22 तारीख को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री तिवाड़ी 25 तारीख को नहा धोकर डाक्टर के यहाँ जाने के लिए घर से निकले ही थे कि एक मित्र ने कहा कि पान खाकर अस्पताल चले जाना। इतने में ही पुलिस की दो जीपें जवानों से भरी हुई आईं और कहा कि जयपुर व गंगानगर से वायरलेस संदेश के आधार पर आप पुनः गिरफ्तार किये जायेंगे। फिर वही तलाशी का नाटक हुआ, पुलिस उन्हें फिर भादरा ले गई। भादरा में न्यायालय से पुलिस को सात दिन का रिमण्ड मिला। इन सात दिनों में जितने मिलने वाले थे उन्हें पुलिस सुबह थाने में बुलाती और रात को छोड़ती। उनके वृद्ध पिताजी को भी बुलाया गया और उन्हें तंग किया गया। एक फोटोग्राफर के यहां उनकी तस्वीर लगी थी उसे भी तंग किया गया बेचारे ने उनकी फोटो उतार कर फेंक दी। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया। पाखाने जाना होता तो भी जवान हथकड़ियां लगाकर ले जाते। उन्हें 31 जुलाई को फिर भादरा की अदालत में पेश किया गया। वहां पुलिस ने सात दिन का रिमाण्ड मांगा। न्यायाधीश ने सिर्फ तीन दिन का रिमाण्ड दिया। नोहर में थानेदार ने बुलाकर कहा "तुम्हारा बच्चा जो हायर सैकण्डरी में पढ़ रहा है उसका जीवन खराब कर दूंगा। वह मुझे अभी मिला नहीं है। कहां छिपा दिया है ?" उन्होंने कहा "राजनीति में मैं ही हूं, मेरे बच्चे व भाई ने क्या बिगाड़ा है ? उन्हें दण्ड क्यों ?" तब थानेदार ने कहा, "हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है।" पुलिस ने 2 अगस्त को उनके एक मित्र की टाइप मशीन लाकर कहा यह स्वीकार कर लो कि, "मैंने इस मशीन से इश्तिहार टाइप किये हैं और पूरे विभाग में बंटवाये हैं।" उनके कुछ कमजोर मित्रों ने कहा, "हमारा पिण्ड छुड़वाओ" अतः उन्होंने स्वीकार किया, "हाँ, यह वही टाइपराइटर है।" थाने पर ही बरामदगी के कागज बनाये गये। जिला कांग्रेस के मन्त्री व एक अन्य कांग्रेसी को गवाह बनाया। 2 अगस्त को फिर अदालत में पेश करके रिमाण्ड मांगा गया। न्यायाधीश ने रिमाण्ड मंजूर करने से इन्कार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश दे दिये।

कुछ दिनों पश्चात् फिर श्री तिवाड़ी जी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के पश्चात् वे जयपुर आये। पार्टी की तरफ से उन्हें आदेश हुआ कि वे पार्टी के कार्यालय के कामकाज की देखभाल तथा अन्य कार्य करें। पार्टी के

निर्देशानुसार श्री तिवाड़ी ने आपातस्थिति के शेष काल में अपना कार्य बड़ी बखूबी से निभाया।

श्री के० एल० बीका तथा उनके साथी श्री बद्रीप्रसाद को दिनांक 31–12–75 को सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कोटपुतली की जेल में रखा गया। उनका कहना है कि 4 महीना 23 दिन बाद उनकी पहली पेशी एस० डी० एम० के सामने हुई। लेकिन कोई गवाह पेश नहीं हुआ। यह भी शायद तब सम्भव हुआ होगा जबकि पेशी के लिए उन्होंने उच्चधिकारियों को पत्र लिखे थे। जबकि दफा 107–117 के बन्दी की 15 दिन के अन्दर-अन्दर पेशी हो जानी चाहिए थी। इससे तत्कालीन सरकार का कानून के प्रति आदर की स्पष्ट झलक मिलती है।

श्री भंवरलाल बाफना कार्यालय सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बताया कि दिनाँक 8–7–75 को पुलिस ने रात्रि 7–8 बजे के बीच उनके घर पर छापा मारा। पुलिस ने उनसे का० मोहन पुनमिया जी के बारे में जानकारी चाही चूंकि का० मोहन पुनमिया आपातस्थिति की घोषणा के तत्काल बाद भूमिगत हो गये थे तथा पुलिस के कठोर प्रयत्नों के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने श्री पुनमिया जी के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर पुलिस को क्रोध आ गया उन्होंने उन्हें पकड़ कर सी० आई० टी० यूनियन के कार्यालय के ताले तोड़कर तलाशी ली। इसके पश्चात् उन्हें थाने में ले जाया गया। थाने में पुलिस अधिकारियों ने उनसे तथा एक अन्य कार्यकर्त्ता श्री मुकुन्दसिंह से श्री पुनमिया के बारे में जानकारी चाही। लेकिन असमर्थता प्रकट करने पर उच्च पुलिस अधिकारी के कहने से घूंसों एवं डन्डों से उनकी पिटाई आरम्भ कर दी गई। लगभग डेढ़ घण्टे तक उन्हें लगातार पीटा जाता रहा। पुलिस के उच्च अधिकारी बार-बार कह रहे थे "इसे जान से मार डालो तथा इसकी नेतागिरी खत्म कर दो" अधिक पिटाई सहन न कर पाने के कारण श्री बाफना बेहोश हो गये। दूसने दिन सुबह करीब 4–5 बजे होश आने पर उन्होंने अपने आपको जंगले में बंद पाया। उन्हें 21-7-75 तक उसी जगले में बंद रखा गया। पानी मांगने पर सिपाहियों का कहना था बड़े साहब ने मनाकर रखा है लेकिन प्यास पर वे नियन्त्रण नहीं कर पा रहे थे इसलिए शाम को फिर पानी मांगा सिपाही ने कहा "मनाई है, परन्तु मैं पिला दूंगा किसी को कहना मत" जब पानी देने पर ही इतनी सख्ती थी तो खाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पुलिस ने दयालुता दिखाते हुए छठे दिन ही उन्हें खाना दिया गया।

दिनांक 21–7-75 को हथकड़ियां पहना कर उन्हें सांगानेर थाने में ले जाया गया। वहां उन्हें 11-8-75 तक बन्द रखा गया। उसके पश्चात् उन्हें थाना सदर में स्थानान्तरित कर दिया गया। दिनांक 16-8-75 को उनका चालान धारा 107, 116, 151 सी० आर० पी० सी० में पेश किया गया। बिना कोर्ट में चलान पेश किए हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। दिनांक 8-9-75 को उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया।

श्री बाफना के साथ किये गये व्यवहार से स्पष्ट है कि पुलिस मानवता एवं नैतिकता को भूल चुकी थी। इसके अलावा वैधानिकता को ताक पर रख दिया था। कानून के अनुसार गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन लगातार पांच सप्ताह तक उन्हें एक थाने से दूसरे थाने में स्थानान्तर कर पुलिस अपनी मनमानी कर रही थी।

दीनदयाल एवं सुरेश कुमार अशोका फाउन्ड्री में नौकर थे। इन दोनों श्रमिकों का सम्बन्ध सीटु से था इसलिए सरकार की निगाहों में गुनाहगार थे। इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल भेजने से 10 दिन पहले इन्हें थाने में ही रखा गया। श्रमिक दीनदयाल के पैर बांध कर लाठियों से उसकी पिटाई की गई और यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गये। दिनांक 4-7-75 को उन्हें थाने के ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बिजली का शाट लगाया गया। इसी प्रकार से श्री सुरेश सिंह को भी बुरी तरह पीटा गया।

दिनांक 25-7-75 को श्री रामसिंह, आसनारायण, विद्यासिंह, रामबचन चौधरी, मुरारी कुम्हार, पनेजी यादव को भी ड्यूटी पर ही गिरफ्तार किया गया। झोटवाड़ा पुलिस चौकी के इन्चार्ज ने उनसे त्याग पत्र देने को कहा। लेकिन उनके त्याग पत्र न देने पर पुलिस ने उनकी डण्डों से जमकर पिटाई की। इसके पश्चात् श्री रामसिंह को बिजली का शाट लगाया गया जिसके कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। बिजली का शाट लगाने का क्रम उस समय तक जारी रखा जब तक कि सारे श्रमिक त्याग पत्र देने को राजी नहीं हो गये। इसके पश्चात् उन्हें उनके क्वार्टरों पर ले जाकर उनके सामने उनका सामान बाहर फिकवा दिया गया। इसके पश्चात् उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया गया।

श्री श्रवण लाल मीणा स्माल स्केल कारखाना लेबर युनियन के संयुक्त मन्त्री व झोटवाड़ा क्षेत्रीय समिति के मन्त्री थे। उन्हें 26 जून 75 को दिन के 12 बजे

कारखाने में गिरफ्तार किया गया। उन्हें बनीपार्क थाने में लाया गया। थाने में उनकी पिटाई की गई जिसके कारण वे बेहोश हो गये। दो घण्टे बाद उन्हें होश आया तो सारा शरीर दर्द से दुख रहा था। रात को 12 बजे 3 सिपाही जो बुरी तरह शराब के नशे में धुत थे वहां आये और श्रमिक को बाहर निकालने के लिए वहां तैनात सिपाही से कहा "इसे बाहर निकालो इसकी खबर लेनी है।" श्री मीणा के कोठरी से बाहर निकलते ही एक सिपाही ने उनके लात मारी जिसके कारण वे गिर पड़े। फिर उन्हें उठा कर थाने के पीछे ले गये तथा वहां बुरी तरह से पीटा। यह क्रम दो रोज तक चलता रहा। उसके पश्चात् उन्हें जेल भेज दिया गया। उन पर यह आरोप लगाया कि वे "इन्द्रा राज मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे।

का० रमेश चन्द्र शर्मा का कहना है कि दिनांक 26–6–75 को पुलिस ने सायं 4 बजे उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी पत्नी तथा बच्चों को गालियां दी तथा उनके सामने ही पुलिस ने उनकी पिटाई की। बूटों की ठोकरें मारते हुए उनको घसीट कर घर से बाहर लाया गया। फिर उन्हें थाना बनीपार्क में ले जाया गया।

रात को करीब 10 बजे उन्हें हवालात से बाहर निकाला गया तथा थाने की ऊपरी मंजिल पर ले गये। वहां बैठे पुलिस अधिकारियों ने सीटु के भूमिगत नेताओं के बारे में जानकारी चाही उन्होंने नेताओं के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की जिसके परिणामस्वरूप उनकी डण्डों से पिटाई की गई। इस पर भी वे नेताओं की जानकारी नहीं दे सके तो उन्हें रस्सों से बांधकर उल्टा लटका दिया गया तथा पैरों के तलवों को डण्डों से पीटना आरम्भ कर दिया। उसके पश्चात् बिजली का करैंट लगाया गया जिसके कारण वे बेहोश हो गये। बेहोशी की हालत में उन्हें आदर्श नगर के थाने में भेज दिया गया। होश आने पर उनके सारे शरीर में दर्द था तथा भूख व प्यास लगी हुई थी लेकिन न खाने को खाना दिया और न पीने को पानी।

आदर्श नगर थाने में भी सीटु के नेताओं के बारे में जानकारी चाही गई बताने में असमर्थता प्रकट करने के कारण डण्डों एवं बूटों से पिटाई की गई तथा बिजली के करैन्ट भी लगाये गये। इस पिटाई के कारण उनके पैरों में कई स्थानों पर जख्म हो गये थे जिनसे खून बहने लगा। लेकिन उनके घावों पर किसी प्रकार की दवाई वगैरहा नहीं लगाई गई, उन्हें थाने की एक कोठरी में बंद कर दिया गया जहां तीन दिन तक वे उसी हालत में रहे। उन्होंने एक सिपाही से कहा "भैया मेरे घावों में दर्द है तथा मक्खियां बैठ रही है पट्टी तो करवा दो" उस बेचारे ने कहा

"मैं मजबूर हूं" फिर उन्होंने थानेदार से कहा तो उन्हें दया आई और वह आदर्श नगर की डिस्पैन्सरी हथकड़ियां लगाकर ले गया। वहां बिना स्लिप के ही उनकी ड्रेसिंग करवा कर वापस लाया गया। उसके पश्चात् उन्हें सांगानेर थाने में स्थानान्तरित कर दिया गया सांगानेर थाने में उनकी पिटाई तो नहीं की गई लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। दिन में दो बार पानी पीने को अवश्य मिल जाता था। उसके पश्चात् उन्हें सांगानेर से वापिस लाकर छोड़ दिया गया। उन्हें यह चेतावनी भी दी गई कि अगर वे किसी कोर्ट कचहरी गये तो जान से मार दिये जाओगे या किसी कत्ल के केस में फंसा दिये जाओगे।

आपातकालीन समय में राजनैतिक बंदियों के प्रति कठोर एवं पशुतुल्य व्यवहार वास्तव में उनके मनोबल को तोड़कर उन्हें क्षमा मांगने को तैयार करने हेतु था। लेकिन धन्य है उन बंदियों को जिन्होंने क्षमा मांगने की अपेक्षा सब प्रकार के अत्याचार सहन कर इस अग्नि परीक्षा में खरे उतर कर भारत माता के सच्चे सपूत होने का गौरव प्राप्त कर आपातकालीन रूपी दास्ता की बेड़ियों को काटने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

—:o:—

अध्याय 4

जेलों में असन्तोष

आपात स्थिति की घोषणा के साथ-साथ राजनैतिक एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय स्वयं[illegible] संघ, जमायते इस्लाम तथा सर्वोदय आदि, के नेताओं की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। सरकार ने सब प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी थी। किसी भी माध्यम से विचार व्यक्त करने पर भी रोक थी। समाचार-पत्रों को सेन्सर की गिरफ्त में लाकर उनका गला घोंट दिया गया था, प्रजातन्त्र के पक्षपाती विरोधी दलों ने सरकार की तानाशाही के विरुद्ध लोक-संघर्ष का बिगुल बजा दिया था, जिसका उद्देश्य सरकार की तानाशाही नीतियों एवं आपातस्थिति के पक्ष में मिथ्या प्रचार की पोल खोलना था। समाज के सभी वर्ग इस संघर्ष में अपना सहयोग दे रहे थे।

इसलिए यह आन्दोलन वास्तव में एक राजनैतिक आन्दोलन था जिसके अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को राजनैतिक बन्दियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। राजनैतिक बन्दी होने के कारण जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार अपेक्षित नहीं था तथा एक राजनैतिक बन्दी को दी जाने वाली सभी सुविधाएँ इन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं। लेकिन सरकार इन्हें राजनैतिक बन्दी न मानकर विद्रोही की संज्ञा दे रही थी। सरकार की इस नीति का एक उदाहरण देना अनुचित नहीं होगा। श्री रूपलाल सोमानी, जो भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान खादी ग्रामाद्योग बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने इस संघर्ष में अपनी आहुति देकर 5/12/75 को भीलवाड़ा में श्री सम्पतलाल के साथ 1 बजे सत्याग्रह किया तथा गिरफ्तारी दी थी। सरकार ने उन्हें लिखा 'चूंकि आप राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों के कारण गिरफ्तार होकर जेल में हैं, अतः खादी बोर्ड की आपकी सदस्यता क्यों न खत्म कर दी जाए' लोक-संघर्ष-समिति के संयोजक श्री गोकुल भाई भट्ट तथा श्री सिद्धराज ढड्डा ने एक संयुक्त पत्र आदर्श कारागर, अजमेर से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी को इस कदम का विरोध करते हुए 15-4-76 को पत्र लिखा जो नीचे दिया जा रहा है—

आदर्श कारागार, अजमेर (राज.)
15 अप्रैल 76

श्री हरिदेवजी जोशी,
मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
द्वारा–अधीक्षक आदर्श कारागार, अजमेर
प्रिय भाई श्री हरिदेवजी,

आप हमारे पुराने साथी-कार्यकर्त्ता हैं, इस दृष्टि यह पत्र हम आपको व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं। संयोग से आज हम लोग नजरबन्द हैं, लेकिन देश के सार्वजनिक जीवन का स्तर बनाये रखने और उनमें विकृतियां न आने पायें इस बारे में हमें और आपको समान रूप से चिन्ता होना स्वाभाविक है। अतः इस सिलसिले में दो बातों की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं।

कुछ दिन पहले भीलवाड़ा जेल में श्री रूपलालजी सोमानी से मिलकर आये हुए मित्रों से हमें मालूम हुआ कि श्री रूपलालजी को राजस्थान खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य होने के नाते एक पत्र राजस्थान सरकार की ओर से मिला है जिसमें उनसे यह पूछा गया है कि चूंकि वे "राष्ट्र-विरोधी" कार्यवाईयों के कारण गिरफ्तार होकर जेल में है अतः खादी बोर्ड की उनकी सदस्यता समाप्त क्यों न कर दी जाय? मालूम नहीं भाई रूपलालजी ने इसका क्या उत्तर दिया है या देगें, पर चूंकि यह प्रश्न सार्वजनिक है अतः सरकार के इस पत्र के बारे में हमारी भावना आप तक पहुंचाना जरूरी समझा।

जहां तक हमें मालूम है, कि रूपलालजी सोमानी भारत सरकार द्वारा नागरिक स्वातंत्रय और लोकतन्त्र के लिए आवश्यक अखबारी स्वातंत्रय आदि पर पाबन्दी लगाये जाने के विरुद्ध सत्याग्रह करने के कारण पकड़े गये थे। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सरकार की नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध या प्रतिकार नागरिक का अधिकार तो है ही, कभी-कभी वह कर्त्तव्यभी हो जाता है।यह विरोध कानून के अनुसार अपराध की कोटि में आता हो तो उसके लिए दी जाने वाली सजा को सत्याग्रही सहर्ष स्वीकार करता है, पर सरकारी नीतियों का विरोध "राष्ट्र-विरोध" की कोटि में हरगिज नहीं आता, यह तो आप भी स्वीकार करेंगे। 'राष्ट्र-विरोध, या 'देश-द्रोह' का आरोप किसी नागरिक पर लगाना अपने-आपमें बहुत गंभीर बात है, पर सरकार का कोई अफसर ऐसी अनर्गल बातें लिखे इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपके दल के बड़े से बड़े नेता आये दिन जिस प्रकार राजनैतिक मतभेद रखने वालों के खिलाफ निरन्तर गलत प्रचार कर रहे हैं, जिसका प्रतिवाद भी लिखने-बोलने आदि

पर लगाई गई पाबंदी और अखबारों का मुंह बन्द कर दिये जाने के कारण संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में अफसर लोग और बढ़-चढ़ कर अपनी कारगुजारी और वफादारी बताने की कोशिश करें यह स्वाभाविक है। एसे निरन्तर और एकतरफा प्रसार का कितना गलत परिणाम आ सकता है उसका यह एक नमूना है। अगर लिखने वाले ने "राष्ट्र-विरोध' जैसा आरोप लगाने की गंभीरता को समझे बिना यों ही लिख दिया है तो भी सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है कि ऐसे अफसर जिम्मेदारी के पद पर रहें। इस उदाहरण से यह समझने में भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इमरजेंसी के अन्तर्गत अफसरों ने अधिकारों का कितना और कैसा दुरुपयोग किया होगा। आशा है आप इस मामले की तहकीकात करके आवश्यक कदम उठायेंगे।

दूसरी बात-कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरूआ ने अहमदाबाद में ता० 9 अप्रेल को गुजरात के कांग्रेस जनों की सभा में कहा बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आनन्द मार्ग वालों को हमें जेल में डालना पड़ा क्योंकि "न तो उन्हें समुद्र में फैंक सकते थे न देश निकाला दे सकते थे।" (जो अंश क्रौंस में दिया गया है वह ता० 10 अप्रैल के दिल्ली के अंग्रेजी दैनिक'' इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में इसी प्रकार क्रौंस में दिया गया है। अर्थात् श्री बरूआ ने ये शब्द कहे इस बारे में शंका की गुंजाइश नहीं है।) मतभेद रखने वालों को 'समुद्र में फैंकने या देश निकाला देने पर भी इमरजेन्सी के कारण कोई प्रतिकार तो हो नहीं सकता था इसलिए उन्हें जेल में रखा जाय ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इस प्रकार की बातों से जो मनोवृत्ति जाहिर होती है वह कभी ऐसे काम करा भी सकती है यह असंभव नहीं है। यह भी सोचने की बात है कि क्या इस प्रकार की बातों से हिंसात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहन नहीं मिलता, और उसके लिए वातावरण नहीं बनता? प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले अपने एक भाषण में विरोधियों का जिक्र करते हुए कहा है कि केवल जबान से यह कहना काफी नहीं है कि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कहीं हिंसा होती हो तो उसे रोकना भी उनका फर्ज है। अतः कांग्रेस अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार लोग अगर ऐसी बातें करें जो उत्तेजना फैलाने वाली हों और उससे हिंसा उत्पन्न हो तो उसे रोकने का उत्तरदायित्व भी शायद 'विरोधियों' का ही माना जायगा? हमें खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में कुछ इस प्रकार कहा था जिसका असर पढने वाले पर तत्काल यह होता था कि 'हमने तो विरोधियों को जेल में ही डाला है यह गनीमत है, बंगला देश में तो ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया गया था।

सार्वजनिक जीवन में मतभेद होते आये हैं और रहेंगे भी। जनतन्त्रीय

टौंक जेल में सत्याग्रहियों ने 9 दिसम्बर 75 के दिन राजनैतिक बन्दी होने के नाते 'बी' श्रेणी की मांग की। सरकार उन्हें सी श्रेणी में रखे हुए थी। इसके अतिरिक्त जेल-अधिकारियों ने बन्दियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों से दुर्व्यवहार तथा उन्हें तंग करना भी आरम्भ कर दिया था। सरकार को जब इस कदम से भी सफलता प्राप्त नहीं हुई तो बन्दियों से मिलने की व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई। इन सब कारणों ने सत्याग्रहियों को हड़ताल करने को विवश कर दिया हड़ताल तुड़वाने के सब जायज और नाजायज तरीके फेल हो जाने के पश्चात् टौंक जिलाधीश तथा पुलिस उप महानिरीक्षक को जेल में आकर सत्याग्रहियों से मिलने को मजबूर होना पड़ा। न्यायोचित मांगे स्वीकार होने पर ही हड़ताल समाप्त की गई।

बीकानेर जेल में भी अपनी मांगों के समर्थन में सर्व श्री दाऊदयाल एडवोकेट, सोहनलालजी मोदी, रामकृष्णदास गुप्ता, श्योरतसिंह तथा किशनलाल ने 14-12-75 को सवेरे 11 बजे से16 तारीख सवेरे 11 बजे तक 48 घन्टे का गेट पर धरना दिया। जेल के किसी भी सदस्य को अन्दर या बाहर न आने दिया और न जाने दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट स्थिति का अध्ययन करने आया तथा उसने बंदियों से जिलाधीश से मिलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बंदियों ने ठुकरा दिया। 16 तारीख को इन पांचों ने अनिश्चितकाल की भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी। अन्त में जिलाधीश को जेल में आकर बंदियों से मिलने को मजबूर होना पड़ा तथा उनकी मांगे स्वीकार की गई।

दौसा महाविद्यालय के छात्रों को सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार कर थाने में बुरी तरह पीटा गया। रात को सोने के लिए कोई कम्बल या दरी नहीं दी गई तथा पेशाब-घर के पास कोठरी में उन्हें बन्द किया गया, जिसके कारण सत्याग्रही एक तो मार की चोटों से कराह रहे थे, दूसरी तरफ पेशाब की सड़ांध से एक मिनट भी पलक नहीं झपका सकें। दूसरे दिन इन्हें जयपुर जेल में स्थानान्तरित किया गया। श्री सुशील कुमार गुर्जर छात्र ने बताया कि निम्न स्तर के भोजन के विरोध में 100 सत्याग्रहियों ने सामूहिक अनशन किया। तीन दिन लगातार अनशन के पश्चात् जेल-अधिकारियों ने ठीक स्तर का भोजन देना स्वीकार किया। उनके अनुसार जेल-अधिकारियों ने सत्याग्रहियों को तंग करने का एक दूसरा रास्ता अपनाया। सत्याग्रहियों को बस द्वारा कोर्ट ले जाया जाता लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाये बिना ही वापिस लाया जाता। यह क्रम कई दिन चलता रहा। आखिरकार सत्याग्रहियों ने भी इसका इलाज ढूंढ निकाला। एक दिन सब सत्याग्रहियों ने जेल की बस पर अधिकार कर लिया तथा दिन भर बसमें ही बैठे रहे, अधिकारियों के

बहुत विनय करने के पश्चात् भी वे बस से नहीं उतरे। इस घटना के फलस्वरूप यह निश्चय किया गया कि सत्याग्रहियों को कोर्ट न ले जाया जाये बल्कि उनकी पेशी न्यायाधीश के सम्मुख जेल में ही करवा दी जाये। इसके पश्चात् ऐसा ही होता रहा।

जोधपुर के छात्र-नेता राजेन्द्र गहलोत के साथ थाने में अमानवीय व्यवहार तथा उन्हें बुरी तरह मारने के मामले की जांच को लेकर जोधपुर जेल में सर्वश्री राधाकृष्ण रस्तोगी, रघुनन्दन व्यास, शंकरराज लौढा, आचार्य गिरिराज किशोर व व हरिशचन्द बोहरा ने आमरण अनशन किया। लेकिन सरकार अपने अधिकारियों की रक्षा करने पर उतारू थी, इसलिए इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद श्री गहलोत तथा उनके साथी गोविन्दराम खत्री, जेष्ठानन्द परिहार और मुरली बिड़ला ने भी भूख-हड़ताल की। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई थी। बन्दी नेताओं के जीवन को बचाने के लिए भूख-हडताल समाप्त की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ने जेल-जीवन में अपनी डायरी में लिखा है कि झुंझुनूं जेल के बंदियों को काल कोठरी में डाल दिया। 16 फरवरी 76 को झालावाड़ जेल में पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार कुछ बंदी वस्त्र लेने के लिए जेल-कार्यालय में गये। लेकिन उन्हें वस्त्र देने से इन्कार कर दिया गया। इसके विरोध में वे दिन के साढे तीन बजे कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गये। शाम साढे 6 बजे सर्वश्री गिरीराज जी तथा प्रेम जी इत्यादि को बाहर निकलने पर गालियाँ दी गई। जेल-अधिकारियों ने मीसा-बन्दियों को रास्ते पर लाने के लिए अपराधियों की बैरक का ताला खोल दिया। वे बंदी राजनैतिक बंदियों से झगड बैठे। अच्छी खासी मारपीट हुई, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के सिटी मजिस्ट्रेट को घटना की जानकारी प्राप्त करने हेतु जेल में आना पड़ा।

पाली जेल में बंदियों ने अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में भूख-हड़ताल की।

(1) गर्मी की अधिकता के कारण रात को खुले में सोने की अनुमति दी जाये।

(2) जेल के बैरकों में रोशनी के लिए बल्ब लगाये जायें।

(3) बंदियों से मिलने आने वालों के प्रति जेल-अधिकारियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए।

(4) जेल में अस्वस्थ्य लोगों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाये।

लेकिन जेल-अधिकारियों ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 1 जून को अचानक थानेदार सहित अन्य पुलिस जन जेल में आये। जेल के 11 सत्याग्रहियों के हाथ तथा पैरों में हथकड़िया और बेड़िया डालकर लटका दिया गया तथा बेदर्दी से पीटा गया। रात को नंगा करके लटका दिया, चूंकि वे गर्मी की शिकायत कर रहे थे, खाने को भोजन भी नहीं दिया गया। इसके पश्चात् सत्याग्रहियों में से सर्वश्री ओमप्रकाश माथुर को जैतारण और अर्जुन सिंह योगेश्वर को सोजत भेज दिया गया। शेष सत्याग्रहियों को अलग काल-कोठरियों में रखा गया।

पाली जेल में हुए भयंकर मारपीट के मामले की खबर जब जोधपुर जेल के बंदियों के पास पहुंची तो उनमें भयंकर रोष उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रान्त संघ चालक श्री राधाकृष्ण रस्तोगी, श्री गिरिराज किशोर आचार्य एवं श्री अमृत आदि ने 10 जून से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। सरकार को आखिर झुकना पड़ा और 13 जून को पाली जेल के समस्त सत्याग्रहियों को जोधपुर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भूख-हड़ताल तोड़ी गई।

दिनांक 26-6-76 को बीकानेर जेल में हुये लाठीचार्ज में श्री सागरमल शर्मा, मीसा बंदी घायल हुए, जिसकी सूचना उनके पुत्र ने सरकार को तार द्वारा दी:—

Sagarmal Sharma Misa detenue my father injured by unauthorised lathi charge on 26 th june in jail Bikaner sustained serious injury in right hand medical aid other facilities denied upto 2 nd july. No action taken against jail authorities.

दिनांक 15-9-76 को बीकानेर जेल में ही श्री कृष्ण पारीक की व श्री रूपसिंह की धारा 302 के बंदी द्वारा पीटाई की गई। लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा कोई कारवाई न करने के कारण श्री पारीक ने अधीक्षक, जिला कारागार, बीकानेर को पत्र लिखा जिसकी प्रतियां उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई:—

जिला कारागृह बीकानेर

दि० 17-9-76

श्रीमान् अधीक्षक महोदय

जिला कारागृह बीकानेर

विषय:—दि० 15-9-76 को 302 के बन्दी द्वारा पिटवाया जाने के क्रम में आज दि० 17-9-76 से आमरण अनशन की सूचना एवं उचित कार्यवाही बाबत।

महोदय,

जिस दिन से हम मीसा-बंदियों को बीकानेर जेल में लाकर रखा गया है, जेल में होस्पीटल वार्ड के ऊपर का कमरा हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें हम लोग सामूहिक उपासना, प्रार्थना, सत्संग, नित्य कार्य आदि करते हैं। आज भी मैं उस कमरे में हूं। गत 6 माह से जप, पूजा, अनुष्ठान पर बैठा हुआ हूं वहां बराबर बैठकर दिन रात में करीब 16 घन्टे जप का कार्य करता हूं।

दि० 10-9-76 को एक 302 के बन्दी श्री रूपसिंह जयपुर जेल से बीकानेर जेल में आये जिन्हें ऊपर की मंजिल में हमारे साथ उसी सामूहिक सत्संग-भवन में रख दिया गया है। उनकी खाट आदि सारा सामान ऊपर लगवा दिया गया जबकि ऊपर के कमरे में अभी तक सभी मीसा बंदी बगैर खाट के सोते रहे हैं। उस कमरे में जूते ले जाना भी हम लोगों ने वर्जित कर रखा था।

दि० 15-9-76 को दिन में करीब 10 बजे रूपसिंह द्वारा वहां भोजन (मांस, अण्डे आदि) बनाने की तैयारी करने पर उससे निवेदन किया गया कि यह सत्संग-भवन है यहां यह सब नहीं करें। उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने को कहा और जानबूझ कर यह कह कर कि मैं जूते लेकर आऊंगा। मेरे मना करने पर मुझे बुरी तरह से थप्पड़ मुक्के व दिवार से टकरा कर पीटा। उसी समय मैं नीचे गेट पर आया और मैंने आपको बुलाने की सूचना दी। लेकिन आप नहीं आये। करीब ढाई या तीन बजे श्री बालचन्द्र जी जेलर आये। मैंने अपनी चोटें बताई व दिखाई और तुरन्त चिकित्सा की व्यवस्था करने तथा इस बारे में उचित कार्यवाही करने की और आपसे मिलने को कहा। इस पर श्री जेलर ने कहा कि मैं अधीक्षक महोदय को को लेकर आ रहा हूं।

सायंकाल 6 बजे तक न तो मेरी चिकित्सा की कोई व्यवस्था की गई, न आप मिलने आये । 6 बजे करीब जेल डाक्टर श्री व्यास के आने पर मैंने उन्हें अपनी चोटें दिखाई । उन्होंने शीघ्र पी० बी० एम० अस्पताल भेज कर मुआइना कराने हेतु कहा और अर्जेन्ट गार्ड बुलाने के लिए लिखा और वे कागजात उसी समय मेरे सामने ही आपको दिये । करीब रात्रि को साढे सात बजे आपने मुझे गेट के भीतर कमरे में बुलाया और मैंने सारी घटना की जानकारी आपको देते हुए अपनी चोटें दिखाई । आप ने जुबानी हमदर्दी दिखाते हुए श्री रूपसिंह को तुरन्त मेरे कमरे से अन्यत्र हटाने का आदेश जेलर को दिया तथा मुझे उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया और तार आदि देने तथा उपवास करने से मना किया और अपने कमरे में शान्ति से नित्य-कर्म करते रहने को कहा । लेकिन श्री रूपसिंह को उस बारे में कुछ नहीं कहा और न ही कमरे में से उसे हटाया । रात्रि को करीब 10 बजे फिर श्री रूपसिंह एक मीसा-बंदी श्री गोपीराम जाट जिला श्री गंगानगर निवासी को शराब पिला कर अपने साथ लेकर आये और मुझे कमरे से निकल जाने को कहा, गाली-गलोच की और जान से मारने की धमकी भी दी । इस पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही कमरे में आया और वह श्री गोपीराम व श्री रूपसिंह को नीचे ले गया । श्री रूपसिंह ने अपने आपको होम कमीश्नर का निजी आदमी तथा आई. जी. जेल का रिश्तेदार होने तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट मेरा कुछ नहीं करते तथा अपनी बहुत ऊंची पहुंच होने का कहा । कमरे से बाहर जाने को तथा मेरा सामान फैंक देने को कहा । रात्रि को फिर मारपीट करने की आशंका होने के भय से मैं फिर नीचे आया और मैंने जेलर श्री बालचन्द को सारी जानकारी दी । इसके साथ उसी दिन मेरे 30 रुपये गुम हो गये थे, इसक जानकारी भी मैंने श्री जेलर को दी । इस पर उसी समय मुझे जेलर के पास खड़े को पीटने के लिए मुक्का ताना गया और जेलर ने बीच बचाव कर मुझे बचाया ।

श्री जेलर ने मुझे फिर आश्वासन दिया कि श्री रूपसिंह को अभी कमरे से हटा देता हूं, लेकिन श्री रूपसिंह कमरे में चले गये और वहीं अपनी खाट लगाकर सोये । दूसरे दिन दि० 16-9-76 को सवेरे फिर आपको जानकारी दी गई, लेकिन आपने मुझे धोखा देने के लिए केवल जुबानी आश्वासन दिया और कोई कार्यवाही नहीं की । मुझे जेल डाक्टर के जरूरी तौर पर दिखा देने पर आज दि. 17-9-76 के सवेरे तक अस्पताल नहीं भेजा गया है । मुझे यह सोचने को मजबूर होना पड़ा रहा है कि आप जानबूझकर मुझे धोखे में रखना चाहते हो ।

कल दि० 16-9-76 को आपने इस बात से इन्कार करते हुए मुझे कहा था कि पंडित जी आप ऊपर ही रहें और मैं श्री रूपसिंह को अभी हटवा देता हूं ।

मुझे आश्वासन देकर उपवास न करने के लिए कहा। आप के कहने पर मैंने उपवास नहीं रखना तय किया, लेकिन दिनांक 16-9-76 को भी जो व्यवहार किया गया उससे मुझे यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि यह सब मार-पिटाई आपकी सहमति से की गई है और आप जानबूझ कर मीसा-बंदियों को पिटवान का षड़यन्त्र कर रहे हैं। अतः मुझे मजबूर होकर आज दि० 17-9-76 को सवेरे से उपवास (आमरण अनशन) करना पड़ रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको सद्बुद्धि दे।

संलग्न दो प्रति तार (टेलीग्राम)

प्रतिलिपिः—वास्ते जानकारी तथा उचित कार्यवाही हेतु

1. श्री मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्री होम कमिश्नर, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्री जिलाधीश महोदय, बीकानेर
4. श्री अधीक्षक पुलिस, बीकानेर

प्रेषक

श्री कृष्ण पारीक

मीसा बन्दी

जिला जेल, बीकानेर

भीलवाड़ा जेल में श्री हीरालाल पोखरणा की सुविधाएं बन्द कर दी गई। इसकी सूचना जिलाधीश को दी गई लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप सभी मीसा-बंदियों ने अनशन आरम्भ कर दिया। अन्त में 30 घन्टे के अनशन के पश्चात् सरकार को झुकना पड़ा तथा ए० डी० एम० की मध्यस्थता से मामले को निपटाया गया।

जयपुर जेल में सोशलिस्ट नेता मानक चन्द कागजी के साथ जेल-अधिकारियों ने मारपीट की। जन-संघर्ष के 1 नवम्बर 76 के अंक में यह भी शिकायत की गई कि जेल-अधीक्षक श्री राधाकान्त और अन्य अधिकारियों द्वारा बंदियों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जिसका सबूत श्री राधेश्याम, जो क्षय रोग से पीड़ित थे, के प्रति किया गया व्यवहार है। सत्याग्रहियों द्वारा इस व्यवहार के विरोध में अनशन की धमकी दी गई। अधिकारियों ने क्षमा-याचना में ही अपनी भलाई समझी तथा दोषी व्यक्तियों को निलम्बित भी किया।

जोधपुर के जेल अधिकारी के इशारे पर पुराने कैदियों ने राजनैतिक बन्दियों के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में जेल में सामूहिक अनशन हुआ। सरकार ने दोषी वार्डरों को निलंबित कर दिया। अजमेर तथा भीलवाड़ा जेल के जेलरों का रवैया भी अमानवीय था।

जेल में बन्दियों के प्रति किये जाने वाले अन्याय के विरोध में श्री हीरालाल जैन ने तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी को पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि "सरकार ने घोषणा की थी कि साधारण कैदियों की अपेक्षा राजनैतिक बन्दियों को सरकार विशेष सुविधाएं देगी, किन्तु यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि कोटा जेल के डी० आई० आर० के राजनैतिक बन्दियों की सभी सुविधाएँ समाप्त कर दी गई हैं, जो गत वर्ष खातीपुरा (जयपुर) जेल में बन्दी विरोधी दलों के नेताओं से बात-चीत कर सरकार ने स्वयं दी थी तथा अभी तक यथावत् चली आ रही थी। इसके समर्थन में कोटा जेल के सभी राजनैतिक बन्दी दिनांक 3-12-76 से भूख-हड़ताल रखेंगे तथा इसके पश्चात् भी सरकार द्वारा मांग न मानने पर अन्य वैधानिक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार की होगी।" कोटा जेल के सम्बन्ध में श्री ललित किशोर जी ने श्री अजीतसिंह (विधायक) भारतीय जनसंघ को दिनांक 5-12-76 को पत्र लिखा। "प्रशासन ने जेल की क्लास समाप्त कर दी है। उस कारण डी० आई० आर० के 25 बन्धु जो अन्दर हैं उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था में कष्ट होने लगा है। इस विषय में यहां सभी लोग आन्दोलित हैं। राज्य सरकार से करार हुआ था और उसी के कारण स्पेशल क्लास, सत्याग्रहियों को दी गई है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर मुख्यमन्त्री से मिलना श्रयस्कर होगा। बस डी० आई० आर० के बन्धु केवल कोटा में ही हैं।

रतनगढ जेल में श्यामलाल चौधरी, राधेश्याम तथा पवन कुमार ने पुलिस थाने में पिटाई के विरोध में भूख-हड़ताल की जिसके फलस्वरूप उन्हे बीकानेर जेल में स्थानान्तरित किया गया। श्री अजीतसिंह सागर बताते हैं कि सत्याग्रहियों को अनाज, कम्बल व दरियों के गोदामों में बन्द किया गया, उन्होंने मीसा-बन्दियों की सुविधाओं को लेकर एक बार तीन दिन, दूसरी बार चार दिन, और तीसरी बार आठ दिन जेल का सारा काम-काज ठप्प करने के अतिरिक्त 10 बार भूख-हड़ताल की और 21 बार पुतले जलाये।

श्री गिरीराज नागर बायला, कोटा, की पिटाई के विरोध में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी तथा कृष्ण कुमार गोयल ने जेल में भूख-हड़ताल की। अन्त में डाक्टरी मुआयना हुआ तथा अदालत में उसकी रिपोर्ट भेजी गई।

श्री मनोहर सिंह मेहता को 14 नवम्बर 75 को गिरफ्तार किया गया था। उनका कहना है कि जेल में पहुंचने पर उन्होंने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जेल-अधिकारियों ने कहा "क्या यह कोई होटल है" ? श्री मेहता जी पेचिश के रोगी थे। जेल में खाने में चने की दाल मिला करती थी इसलिए वे भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते थे। श्री मेहता के बार-बार कहने तथा डाक्टर की सलाह देने पर ही जेल-अधिकारियों ने उनके लिए खाने के साथ दही की व्यवस्था की। उनका कहना है कि अदालत में पेश करने के लिए उन्हें हथकड़ियाँ पहना कर पैदल ही लाया जाता था। शाम तक अदालत में बैठाकर तारीख बदलवा ली जाती थी। यह क्रम लगभग 4 मास तक चलता रहा। यह मात्र तंग कर मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से ही किया जाता होगा। लेकिन सरकार के सब प्रयास विफल हो गये। अन्त में अदालत ने मुकदमें की सुनवाई कर 5 मास की सजा दी। पूरी सजा काटने के पश्चात् ही उनकी जेल से रिहाई हो सकी।

अजमेर जेल में सत्याग्रहियों के स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती थी। इसका स्पष्ट उदाहरण ब्यावर निवासी श्री मूलचन्द हैं। वे मीसा के अन्तर्गत बन्दी थे। वे बीमार हो गये. उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी तबीयत दिन प्रति दिन बिगड़ती ही चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी उनका उचित उपचार नहीं करवाया गया।

जोधपुर जेल से बन्दियों ने न्यायालय में इस्तगासे भेजे, पर जेल-अधिकारियों ने उन्हें न्यायालय तक नहीं पहुंचाया तथा उन्हें न्याय से वंचित रखा गया। बन्दियों में से जिनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी, उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट को भी बदलवाने की कोशिश की गई।

श्री सागरमल शर्मा, मीसा बन्दी, ने बीकानेर जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण मुख्यमन्त्री को लिखे गये पत्र में किया है। जिसका अध्ययन कर प्रान्त की जेलों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

श्रीमान् मुख्यमंत्री जी,
राजस्थान सरकार, जयपुर

जिला कारागृह, बीकानेर
दिनांक 20-9-76

मान्यवर,

देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आपातकालीन स्थिति के

तुरन्त बाद 20 सूत्री योजना देश में लागू की गई जहां तक कि इस योजना का प्रश्न है इस में किसी को दो राय व शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि मिटें। शिकायत तो यह है कि यह कार्यक्रम अब से बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था तथा क्या सरकारी मशीनरी इसे कार्यान्वित करने के लिए नियत है ? यदि नहीं तो इस बात की शिकवा-शिकायत किसी से भी की जा सकती है ? और यदि की जा सकती है तो किस से ?

जब से आपात-स्थिति लागू की गई है मुझे भी मीसा में नजरबन्द कर बीकानेर जिला जेल में रखा जा रहा है। रेडियो और अखबार में हम आये दिन प्रधान मंत्री और नेताओं की जनता से इस बीस-सूत्री योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील सुनते रहे हैं।

इस योजना की सही कार्यान्विति में सहयोग देने की लालसा रखते हैं लेकिन जब तक जेल में हैं तब तक जेल के भीतर ही जिस सूत्र के लिए कार्य करना सम्भव है उसी में सहयोग देने की सोची है।

आजकल जेलों का नाम सुधारगृह रखा गया है लेकिन जेल में जितना बिगाड़ हो रहा है, उसमें जितना भ्रष्टाचार है, वह बाहर से बहुत ही अधिक तथा घिनौना है। केवल सुधारगृह नाम के अलावा बाकी कोई लक्ष्य सुधार के नहीं हैं। छोटे-छोटे नाबालिग बालक जिनकी दुर्भाग्य से सही परवरिश नहीं होती और गन्दी संगत में पड़कर बुरे कार्य करने के आरोप में जेल में ले आये जाते हैं, न उनके रहने के लिए जेल में अलग स्थान है न ही उनके सुधार के लिए कोई व्यवस्था है। न ही सुधार के लिए कोई जिम्मेवार ही है बल्कि जेल के वर्तमान वातावरण द्वारा उनको और पतित व समाज-द्रोही बनाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तथा उनका दुरुपयोग किया जाता है।

नियमानुसार जेल में रुपया-पैसे नहीं रखे जा सकते हैं लेकिन अधिकारीजी को 10% से 20 प्रतिशत दे देने पर चाहे जितनी भी राशि रखी जा सकती है। शराब, गांजा, भांग आदि नशीली चीजें तो स्वयं जेल-अधिकारियों द्वारा या उनके रिश्वत वसूल करने वाले एजेन्टों द्वारा सप्लाई की जाती है।

जेल से बाहर आज मिलावट-विरोधी अभियान की बड़ी गूंज है लेकिन जेल में आज बंदियों को जो खाने-पीने की वस्तुएं दी जाती हैं वह तो इतनी मिलावटी, खराब एवं गन्दी दी जाती हैं कि उसका सही चित्रण करना तो सत्य मानने में ही

शंका पैदा करता है। लेकिन वह भी पूरी बंदियों के हिस्से में नहीं आती जिन बंदियों को भोजनालय में इन्चार्ज लगाया जाता है उससे जेल अधिकारी 500/ रुपये तक तथा जिसकी ड्यूटी दूध-वितरण पर लगाई जाती है उससे 300/ रुपये तक तथा जिसकी ड्यूटी जेल के स्टोर पर लगाई जाती है उससे 200/ रुपये तक लेते हैं। अतः यह अशुद्ध वस्तुएं और भी ज्यादा अशुद्ध और मिलावटी बना दी जाती हैं तथा मात्रा में कम कर दी जाती हैं।

एक दिन कुछ आम बन्दियों ने धीरे से हमें कहा कि जो सब्जी हमारे खाने के लिए आती है वह बहुत ही सड़ी-गली तथा खराब आती है जी मिचलाने लगता है। इस पर हम कुछ लोग आम बन्दियों के भोजनालय में गये। सौभाग्य या दुर्भाग्य से उस समय तीन बोरियों में भरी तोरई की सब्जी आई हुई थी। हमने उसे देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हम बोरियों को उठवाकर बाहर ले आये। गेट के पास उन्हें उल्टा करके जेल अधिकारियों को दिखाई स्थिति यह थी कि उसके चित्रण को आप भी अतिशयोक्ति मानेंगे। यह वह तोरई थी जो सड़ जाने के बाद ठेले वाले और सब्जी-मण्डी वाले कूड़ा घर में फैंक देते हैं। आम बंदियों ने उसे देखी तो बौखला गये। सारी जेल में भूख-हड़ताल हो गई। सभी बंदियों ने जेल का भोजन नहीं लेने की घोषणा कर दी। एक सी० ओ० द्वारा उन्हें समझाने व डराने का प्रयास किया गया कि हमें उन्हीं अधिकारियों के नीचे रहना है। यह हमारा रिकार्ड बिगाड़ देंगे। हमें कमीशन नहीं देंगे। लोग क्रुद्ध हो गये। फिर बंदियों द्वारा इस सी० ओ० भंवर लाल को बुरी तरह से पीट दिया गया। स्थिति यहां तक आई कि जेल में जिलाधीश के प्रतिनिधि के नाते श्री गुमानसिंह एस० डी० एम० को आना पड़ा। श्री गुमानसिंह के जेल के भीतर आते ही उनकी त्यौरी बदल गई। सब्जी देखते ही वह सन्न रह गये। उसमें दुर्गन्ध व कीड़े देखकर और भी ज्यादा बौखला उठे। उन्होंने जिलाधीश को दिखाने व हैल्थ अधिकारियों को देने हेतु सब्जी का नमूना एक बोरी में डलवाया। जेलर व जेल में इसके लिए जुम्मेवार लोगों तथा इस सब्जी को खाने लायक प्रमाणित कर पास करने वाले मेडिकल इन्चार्ज व अधिकारी के बयान लिए गए तथाकारवाही करने की धमकी दी गई। बंदियों को कुछ राहत की सांस आई और उन्होंने उन मजिस्ट्रेट साहब के कहने पर भूख-हड़ताल तोड़ दी। लेकिन सही बात आज समझ में आई कि यह सब एक नाटक था। आजतक सब्जी के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी ऐक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इस घटना का आज कोई अस्तित्व भी नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद एक दिन कुछ बंदियों को दूध के बारे में शिकायत थी। उस दिन दूध का ठेकेदार दूध के साथ था उस दूध को चैक किया गया।

हो गये। जेल अधीक्षक महोदय को दिखाया गया और मांग की गई कि फूड-इन्सपैक्टर को बुलाकर इसका नमूना भराया जाय। बन्दियों ने नाराजगी प्रकट की फिर वही श्री सिंह मजिस्ट्रेट साहब जेल में पधारे। पर इस बार उनका वह पुराना नांटक दुबारा नहीं चल पाया। बन्दियों ने फूड इन्सपैक्टर द्वारा नमूने लेने तथा जांच की मांग की। फूड इन्सपैक्टर को बुलाया गया। इससेपहले की फूड-इन्सपै क्टर आकर नियमानुसार नमूना भरे और उस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर लेकर सेम्पल जांच के लिए भेजने हेतु वैधानिकता पूरी करे, श्री सिंह के सामने जेल अधिकारियों ने ठेकेदार को धीरे से जेल के फाटक से बाहर निकाल दिया ताकि नमूना जांच के लिए भेजे जाने पर और उसके अशुद्ध व मिलावटी साबित होने पर कानूनी कार्यवाही होने पर ठेकेदार उसकी कानूनी जिम्मेदारी से बच सके। ठेकेदार को निकाल देने पर बंदियों द्वारा फिर सख्त नाराजगी प्रगट की गई। श्री सिंह मजिस्ट्रेट साहब ने कागजों पर हस्ताक्षर किये। जांच के बाद रिपोर्ट भी आ गई। नमूना खराब तथा एड़ल्ट्रेटिड था। लेकिन आज तक कोई कारवाई नहीं हो सकी।

यह सब स्थिति मानवता को कलंकित करती है कि बीमार बंदियों के स्वास्थ्य-लाभ के लिए दूध दिया जाता है और वह दूध निम्न से निम्न स्तर का खराब हो, गर्म करने पर दूध नहीं रह सके। बिना गर्म किये दूध उसमें कुछ और पानी मिलाकर बिना चीनी मिलाए बीमारों को बांट दिया जाय, क्योंकि अधिकारियों को निश्चित मात्रा में रिश्वत देने के लिए चीनी चुराना व दूध कम लेकर उसमें पानी मिलाना व दूध गर्म करने के लिए जेल से मिलने वाली लकड़ियों की बचत करना तो इन्चार्ज की मजबूरी है।

अब तो आम बंदियों की अनेक समस्यायें सामने आने लगी। बंदियों के परिवार जनों की नियमानुसार मिलाई के लिए भी जेल-अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। नियमानुसार कमीशन के लिए भी, रिश्वत जमानत हो जाने पर भी, जेल से छोड़े जाने के लिए भी रिश्वत, अदालत के रिहाई के आदेश बावजूद भी रिश्वत न मिलने के कारण बंदियों को पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक जेल से नहीं छोड़ना, रिश्वत न देने के कारण विचाराधीन बंदियों तथा साधारण सजा वाले बंदियों से भी कड़ा श्रम लेना, यहां तक कि कई बंदी इतनी सजाएं काट चुके हैं कि यदि नियमानुसार बोर्ड की मिटिंग बुलाई गई होती तो वह कब के छोड़े जाकर आज परिवार में पहुंच चुके होते। लेकिन जब तक स्थानीय जेल अधिकारियों को रिश्वत की बड़ी राशि प्राप्त नहीं होती, इनके कागजात तैयार नहीं होने का बहाना करके, मिटिंग नहीं बुलाई जाती। कुछ बंदियों से इसके लिए सैंकड़ों रुपये वसूल किये गये और अब ऐसी चर्चा आ रही है कि 50 रुपये प्रति रिहाई प्रति बन्दी के लिए जाने पर ही बोर्ड की मिटिंग बुलाई जानी सम्भव हो सकती है, रिश्वत लेकर बन्दी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, दो तीन दिन बाहर रख कर फिर वापस जेल में ले लिया

जाता है, तारीख पेशियों पर सम्बन्धित बन्दियों को न भेजा जाकर अन्य गलत बन्दियों को जिनका उन नगरों की अदालतों से कोई सम्बन्ध नहीं होता को भेज देना तो बहुत साधारण सी बात हो गई है।

मीसा-बन्दियों द्वारा जेल में व्यापक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अनियमितता के बारे में जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से अनेकों प्रसंगों में लिखित शिकायत की गई। जिलाधीश जेल के विजिटर हैं तथा नियमानुसार इनको दोबार प्रति माह जेल में निरीक्षण हेतु आना अनिवार्य है। लेकिन करीब एक वर्ष तक बार-बार लिखने पर जिलाधीश जेल में नहीं आये।

माह जून 76 में जेल के स्टोर में खाने का तेल इतना खराब आया कि आम बन्दी ही नहीं बल्कि अनेक मीसा बन्दी भी अस्वस्थ हो गये। मीसा बन्दियों द्वारा तेल की जांच कराने तथा यह तेल लेने का नहीं कहने पर उस तेल की जाँच न करा कर स्टोर से गायब कराने की कारवाही की गई। विरोध करने पर मीसा बन्दियों पर 25 जून को लाठी चार्ज किया गया जिस में मेरे हाथ पर लाठी की चोट लगी। डाक्टर के लिखने पर भी कई दिनों तक चिकित्सा से लिए बड़े अस्पताल नहीं भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों को तार व चिट्ठी देकर जांच की मांग की गई, पता नहीं तार चिट्ठी जेल अधिकारियों द्वारा भेजी गई या नहीं, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिलाधीश को बार बार लिखने पर करीब दो माह बाद जिलाधीश जेल में आये। उन्होंने तीन दिन के भीतर-भीतर लाठी चार्ज की जांच कराने का आश्वासन दिया, लेकिन आज करीब तीन माह होने आये हैं किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं की गई। जेल में अव्यवस्था, अनियमितता तथा खुले रूप से होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधीश तथा अन्य लोगों को पत्र दिए गए। दि० 29-7-76 को श्री शर्मा उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर को जेल में बुलाकर मैंने लिखित सारी सूचना दी और उन्होंने चार पाँच दिन बाद फिर आने को कहा। लेकिन करीब दो महिने होने को आये वह भी आज तक वापिस नहीं आये, न कोई जाँच शुरू की गई। सम्भवत: सम्बन्धित शिकायती पत्र जेल अधिकारियों द्वारा दबा दिये गये हैं या सम्बन्धित अधिकारी वर्ग तक भेजे नहीं गये हैं। अन्त में जेल में मिलाई के समय आने वाले सी. आई. डी. के अधिकारियों को कहा गया। नोटों पर हस्ताक्षर करके रंगे हाथों पकड़ने का आग्रह किया लेकिन उनके द्वारा भी किसी प्रकार का सहयोग न करने से इन्कार कर दिया गया। इस पर इधर से निराश रोकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों जिलाधीश व सेन्ट्रल सी. आई, डी. के लोगों

को सीधे पत्र डलवाये गये, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दिनांक 10-9-76 को एक बीस साला कैदी श्री रूपसिंहजी अपने आपको होम कमिश्नर राजस्थान का निजी आदमी तथा महानिरीक्षक जेल का रिश्तेदार बताता है तथा उसको 'बी' श्रेणी दी हुई है को जयपुर से बीकानेर को स्थानान्तरण करके लाया गया और श्रीकृष्ण पारीक मीसा बन्दी के कमरे में उसके साथ रखा गया। दिनांक 15-9-76 को इस बन्दी द्वारा श्री पारीक (मीसा बन्दी) को बुरी तरह पीटा गया। जेल के डाक्टर को दिखाने पर उसने तुरन्त गार्ड बुलाकर मुआइने के लिए अस्पताल भेजने का लिखा गया। लेकिन उसको आज तक अस्पताल नहीं भेजा गया, उसी कैदी श्री रूपसिंह द्वारा मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है। जेल अधिकारी उसे इस बात के लिए उकसा रहे हैं तथा मेरे बारम्बार भ्रष्टाचार की शिकायत करते रहने के कारण व मुझसे सख्त नाराजगी के कारण मुझे पिटवाने तथा स्थानान्तरण करवाने की चेष्टा में है।

इस सबसे यह महसूस होता है कि प्रधानमंत्री की बीस-सूत्री योजना उन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ही सफल बना दी जावेगी। आज आपातकालीन स्थिति के बाद सरकारी अधिकारियों के हाथ में अधिक अधिकार आ गये हैं और वह इस नशे में इतने मदांध हो गये हैं कि जुल्म और भ्रष्टाचार करते इन्हें कोई भय नहीं लग रहा है ऐसे अधिकारियों का एक अलग वर्ग कायम हो गया है जो एक दूसरे का समर्थन करता है। अनेक प्रयास किए जाने पर जिलाधीश को इस चेलेन्ज के साथ कहा गया कि जेल अधीक्षक भ्रष्टाचार चला रहा है, यह प्रमाणित करने को हम तैयार हैं, प्रमाण सहित अनेक पत्र लिखे गये लेकिन ऐसा लगता है कि आपतस्थिति में सरकारी अधिकारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं यह इस प्रकार परस्पर संगठित हो गये हैं कि इनके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे पिटवाने की धमकी दी जा रही है, मुझे कभी भी पीटा जा सकता है, जान से मारने तक की स्थिति भी आ सकती है। इस जेल से मुझे अन्यत्र भी भेजा जा सकता है। इस बात की कोई चिन्ता नहीं, लेकिन चिन्ता इस बात की है आज कौन जुम्मेदार है जिससे यह सब कहा जा सके कि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी प्रधान मंत्री की घोषित इच्छाओं, आज्ञाओं और अपेक्षाओं को धूल में मिलाना चाहते है। इस स्थिति में रहते हुए मैं जेल में क्या कर सकता हूं यह नहीं समझ पा रहा हूं, अतः आप सबको सूचना दे देना अपना कर्त्तव्य मानकर यह सूचना आपको दे रहा हूं। आपको जो उचित लगे तदानुसार करना।

प्रेषक

सागरमल शर्मा (मीसा बन्दी), बीकानेर

जेलों में बन्द राजनैतिक बन्दियों की स्थिति एवं उनके मनोबल का सही मुल्यांकन कवि ने निम्न पंक्तियों में किया है।

श्वासों पर, पलकों पर, वाणी पर पहरा है,
पिजरे में अटके जीवन, के ताने-बाने ।
लोह श्रृंखलाओं में जकडी हुई भावना,
पर अडे हुए जो तुफानों में सीना ताने ।।
प्राण जेल के क्रुर सीखचों में बन्दी है,
दीपों की झिलमिल में उनको भूल न जाना ।।
सागर की लहरों के क्रुर थपेड़े जिनने,
गिन गिन कर अपनी पतवारों पर रोके ।
निश्चल अटल हिमालय से जो खडे हुए हैं,
बुझा सके जिनको न आंधियों के हर झोंके ।
जनता के न्यायालय के भी द्वार बन्द है,
जिन पर अत्याचार हुआ कैसा मनमाना ?
लोकतंत्र के अधिकारों के दीपस्तम्भ है,
आजादी के सपनों के स्वाप्निल आशा है ।
तानाशाही शासन को बन गए चुनौती,
प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति की परिभाषा है ।
अंधकार में संकल्पों के दीप जलाना
कदम कदम पर संघर्षों में साथ निभाना ।।
"रारी"

अध्याय 5

सत्ता का दुरुपयोग

आपातकाल की घोषणा के कारण संविधान के अन्तर्गत जनता को मिलने वाले अधिकारों को निलम्बित कर सरकार ने असीमित अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तत्कालीन सरकार ने इन अधिकारों का प्रयोग जन-कल्याण हेतु न कर अपने विरोधियों को कुचलने हेतु किया। विरोधी दलों द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन से जनता को अलग रखने के लिए भय व आतंक का वातावरण बनाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त विरोधी दलों की गतिविधियों पर पाबन्दी तथा उनके खिलाफ धुंआधार प्रचार भी तो आवश्यक था ताकि जनता में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो सके। घृणा तथा आतंक ही जनता को विरोधी दलों से दूर रखकर आपातकाल का समर्थन करने को बाध्य कर सकता था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन असीमित अधिकारों का दुरुपयोग अवश्यम्भावी हो गया था।

मीसा तथा डी० आई० आर० कानून जिनका निर्माण असामाजिक तत्वों से निबटने हेतु किया था लेकिन अब उसका प्रयोग विरोधी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। परिवार-नियोजन के कार्यक्रम को अनैतिक तथा गैरक़ानूनी ढंग से लागू कर एक व्यक्ति विशेष की सनक को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था। कर्मचारियों की जबरन सेवा निवृत्ति कर उन्हें सरकार के गलत कार्यों को कानूनी जामा पहिनाने को बाध्य किया गया।

आपातकाल के समर्थन में तथा विरोधी दलों के विरुद्ध प्रचार हेतु सरकारी तन्त्र तथा साधनों का खुलकर दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी की तानाशाही स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। श्री संजय जी के "नगरों के सौन्दर्यीकरण" के नारे की पूर्ति हेतु गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया गया। मजदूर आन्दोलन की समाप्ति हेतु मजदूर विरोधी विभिन्न कदम उठाकर पूंजी-पतियों को उनका शोषण करने की खुली छूट देकर तथाकथित समाजवादी सरकार ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

परिवार-नियोजन

भारत में आपातस्थिति की घोषणा के बाद राजनैतिक विरोधियों को कुचलने के लिए जो षड्यन्त्र रचा गया था, उसमें श्री संजय गांधी का प्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण हाथ रहा था। श्री गांधी की महत्वाकांक्षा भारतीय राजनीतिक जगत् पर छा जाने की थी। आपातस्थिति जैसे अवसर, जबकि सब प्रमुख विरोधी नेता जेलों में ठूंस दिये गये थे, वे छोड़ना नहीं चाहते थे। वे सदलबल अपने प्रभाव की अष्ट-भुज जकड़ को मजबूत करने में लग गये। पर इस कथा से पहले तत्कालीन प्रधान-मन्त्री की स्थिति और राजनीतिक वातावरण का दिग्दर्शन रुचिकर होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के पश्चात् प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी का कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की वफादारी पर विश्वास नहीं रहा था। इसलिए नये वफादार नेताओं की तलाश शुरू हुई। लेकिन यह कार्य इस प्रकार से किया जाना था कि सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। इसलिए प्रधानमन्त्री के गुट ने श्री संजय को यूथ-कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय राजनीति में लाने का निर्णय किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चण्डीगढ़ अधिवेशन के समय यूथ-कांग्रेस के अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में ही श्री संजय गांधी को अखिल भारतीय यूथ-कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य मनोनीति किया। कांग्रेस के सभी चाटुकार नेताओं ने श्री संजय द्वारा सक्रिय राजनीति में आने की घटना को भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ माना। उन्हें एक महान् विचारक, मनीषी तथा क्रान्ति के अग्रदूत की संज्ञाओं से सुशोभित किया गया। प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने भी यूथ-कांग्रेस को भारत का भविष्य बतलाया। इस प्रकार संजय गांधी का अहं बढ़ता गया और वे श्रीमती गांधी के समकक्ष अपनी भूमिका मानने लगे।

चूंकि श्रीमती गांधी ने आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कर गरीबी दूर करने का संकल्प दोहराया था। भला संजय अपनी माता से पीछे कैसे रहते? उन्होंने यूथ-कांग्रेस को सामाजिक क्षेत्र में गतिशील बनाने के लिए "पांच सूत्रीय" योजना रखी। कांग्रेसी नेताओं ने इन पांच सूत्रों को सामाजिक क्रान्ति का प्रतीक बता कर उनका स्वागत किया। प्रत्येक राज्य, जिसमें कांग्रेस-पार्टी सत्ता में थी, के मुख्यमन्त्री को इन सूत्रों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये। उन मुख्यमन्त्रियों की वफादारी की परख उन सूत्रों के क्रियान्वयन के आधार पर होनी थी। इन पांच-सूत्रों में एक सूत्र परिवार-नियोजन भी था। भारत की प्रगति के लिए बढ़ती हुई आबादी को हानिकारक बताते हुए

उस पर अंकुश लगाना आवश्यक समझा गया। यह बात सिद्धान्ततः सही है। केन्द्रीय सरकार ने अपनी परिवार-नियोजन सम्बन्धी नीति की घोषणा करते समय इसे ऐच्छिक कार्य बताया था। इस नीति को लागू करने के लिए राज्यों के मुख्यमन्त्रियों एवं स्वास्थ्य-मन्त्रियों से विचार-विमर्श किया गया तथा इस सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये। प्रत्येक राज्य के लिए नसबन्दी-आपरेशनों की संख्या निर्धारित कर दी गई। राजस्थान के लिए वर्ष 1976–77 में 1.75 लाख आपरेशन निर्धारित किये गये। इसलिए इस लक्ष्य-संख्या को प्राप्त करना आवश्यक था ही।

जैसा कि सब जानते हैं कि यह कार्य श्री संजय के पांच सूत्रों का एक अंग था। इसलिए प्रत्येक प्रान्त का मुख्यमन्त्री इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर श्री संजय जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी कुर्सी को सुरक्षित बनाना चाहता था। श्री संजय की नाराजगी के दो मुख्यमन्त्री पहले ही शिकार हो चुके थे। विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होते हुए भी उन्हें अपने पद छोड़ने पड़ गये थे। बस गनीमत थी कि उन्हें मीसा या डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्दी नहीं बनाया गया था।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे। इसलिए इस कार्यक्रम को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम की संज्ञा देकर घोषणा की कि देश में राजस्थान की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यद्यपि सरकार ने आबादी बढ़ने की दर पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाये हैं लेकिन उनमें आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस क्षेत्र में निर्धारित नीति की घोषणा कर इसे तेजी से लागू किया जाये ताकि संजय जी की सामाजिक क्रान्ति में राजस्थान भी अपना सहयोग दे सके, राजस्थान सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीति निम्न प्रकार होगी—

1. जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं, ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में भर्ती नहीं किया जायेगा।

2. तीन से अधिक सन्तान वाले व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

3. सरकारी ऋण तथा विद्युत इत्यादि की सुविधा भी तीन से अधिक बच्चों वाले लोगों को सुलभ नहीं होगी।

4. ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान आवासन-बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों का आरक्षण नहीं मिलेगा तथा मकानों के निर्माण हेतु उन्हें कर्ज भी नहीं दिया जायेगा ।

5. राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा ।

6. सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा ।

7. सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिलने वाली हर प्रकार की सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा ।

इस नीति के क्रियान्वयन तथा सम्बद्ध निर्धारित राज्य स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया । जिलाधीशों की मीटिंग में बोलते हुए मुख्यमन्त्री ने कहा "आप लोगों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का मुख्य आधार परिवार-नियोजन के क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य होगा ।" इससे स्पष्ट है कि जो जिलाधीश जितने अधिक आपरेशन करवायेगा वह उतना ही कार्यकुशल एवं योग्य समझा जायेगा । दूसरे शब्दों में जिलाधीशों को निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया गया था । प्रत्येक जिलाधीश को अपने जिले से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट भी भेजनी होती थी जिसका अवलोकन करने के बाद अन्य आवश्यक निर्देश दिये जाते थे ।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि इस अभियान को तीव्र गति से आरम्भ किया जाये । इसलिए जिलाधीशों ने अपने अधीनस्थ अफसरों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मौखिक एवं लिखित आदेश प्रसारित कर दिये । अधिकारियों के लिए उन आदेशों का पालन करना आवश्यक था अर्थात् अधिक से अधिक लोगों को स्वेच्छा से या जबरदस्ती नसबन्दी के लिए बाध्य किया जाये ।

सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीन शत प्रतिशत कर्मचारियों की नसबन्दी करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया । उन्हें अपने विभाग की परिवार-नियोजन से सम्बन्धित कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट भी सरकार को भेजनी होती थी । अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर विभागाध्यक्षों ने अपने अधीन कर्मचारियों का वेतन रोक कर, स्थानान्तरण करके तथा अन्य गैर कानूनी दबाव डालकर इस कार्य के लिए बाध्य किया, जबकि सरकार बार-बार यह दिखावटी घोषणा कर रही थी कि यह कार्य ऐच्छिक है । यदि यह कार्य वास्तव में

ऐच्छिक था तो अनिच्छुक कर्मचारियों के वेतन रोकने या स्थानान्तरण करने की क्या आवश्यकता थी ? क्या इस प्रकार से दबाव डालने की नीति ने इस कार्य को अनिवार्य नहीं बना दिया था ?

जिलाधीशों ने अपने-अपने जिलों में स्थान-स्थान पर परिवार-नियोजन के शिविरों का आयोजन किया । इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को नसबन्दी के लिए बाध्य करना ही था । राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने 6 सितम्बर 76 को कोटा की आम-सभा में बोलते हुए इस कार्यक्रय की अनिवार्यता को बतलाते हुए कहा कि परिवार-नियोजन सम्बन्धी सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया जायेगा ।

इस अभियान के अन्तर्गत केवल आंकड़ों को ही महत्व दिया गया । यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि नसबन्दी करवाने वाला व्यक्ति प्रजनन के योग्य है या नहीं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कोटा पूरा करना ही था । गांवों में परिवार-नियोजन का इस कदर आतंक फैल गया था कि सरकारी जीप देखते ही गांव के गांव खाली हो जाते थे । लोग गांवों से बाहर खेतों, जंगलों या वनों में रहने को बाध्य हो गये थे ।

व्यक्तियों के पलायन के कारण खेतों की बुवाई या कटाई इत्यादि समय पर सम्भव नहीं हो सकी । जो फसल उग चुकी थी उसमें समय पर पानी इत्यादि नहीं लगाया जा सका । इन सब कारणों से खेतों से होने वाली आय लगभग समाप्त हो हो गई । परिणामतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को भारी धक्का लगा ।

इस अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं । आपातस्थिति में प्रेस पर सैन्सर लागू होने के कारण इन घटनाओं की जानकारी सब को प्राप्त नहीं हो सकी । इसलिए साधारण जनता ने यही सोचा कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है । यहां विभिन्न जिलों में होने वाली घटनाओं की जानकारी देना आवश्यक होगा ताकि जनता स्वयं निर्णय कर सके कि एक व्यक्ति विशेष की सनक पूरी करने हेतु कितने लोगों की जानों से खेला गया, कितने बच्चों को जिन्दगी भर के लिए रोने-बिलखने को मजबूर किया गया तथा कितने ही अविवाहितों की जबरदस्ती नसबन्दी करके उन्हें न केवल जिन्दगी के प्रति निराश कर दिया गया बल्कि अनेक लोगों के तो वंश को ही समाप्त कर दिया गया ।

भरतपुर जिले के डीग, नदवई तथा बाडी कस्बों में नसबन्दी का कार्यक्रम तहसीलदार, बी० डी० ओ०, पुलिस तथा इन्फोरसमेंट आफीसर की देखरेख में

चलाया जा रहा था । इस अभियान की विशेषता यह थी कि सड़कों पर पड़े हुए पागलों की भी नसबंदी कर दी गई । इस अभियान-दल का कहना था कि कोटा तो पूरा करना ही है वरना वेतन रोक दिया जायेगा, पेट के लिए हमें सब कुछ इच्छा न होते हुए भी करना पड़ रहा है । स्कूल के अध्यापकों के लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक अध्यापक कम से कम पांच केस लाये अन्यथा उन्हें दशहरा या दिवाली की छुट्टियों में मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । व्यापारियों को भी केस लाने के लिए कहा गया, आनाकानी करने पर उनकी दुकानों पर सील लगा दी गई ।

बाडी के 65 वर्षीय रामचरण को जबरदस्ती नसबंदी शिविर पर ले जाया गया । इस घटना ने सारे कस्बे में सरकारी नीति के प्रति रोष उत्पन्न कर दिया । अपना रोष व्यक्त करने के लिए व्यापारियों ने हड़ताल की घोषणा कर बाजार बन्द कर दिया तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री को जबरन नसबंदी के विरोध में पत्र लिखे, लेकिन गरीब जनता की सुनवाई नहीं हुई । क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि परिवार-नियोजन के लिए सरकार हर कदम का समर्थन करती थी ?

भीलवाडा जिले में जबरन नसबंदी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26-8-76 को एक हरिजन जमादार की मृत्यु महात्मा गांधी अस्पताल में हो गई थी । इस घटना ने भीलवाड़ा के हरिजन-समुदाय को उत्तेजित कर दिया और लगभग 700 हरिजनों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस निकाल कर जबरन नसबंदी के प्रति विरोध प्रकट किया । उन्होंने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । इस मृत्यु के अतिरिक्त इसी अस्पताल में इस दिन पांच व्यक्ति जबरन नसबंदी के कारण और मर चुके थे, जिनमें से दो पुलिस मैन, एक महिला तथा दो हरिजन थे ।

इस प्रकार से होने वाली मृत्यु के कारण शहर में गहरा रोष व्याप्त था, लेकिन मीसा तथा डी० आई० आर० के सामने सब असहाय थे ।

झालावाड़ जिले में मुसलमान-समाज में नसबंदी को लोकप्रिय करने के लिए अधिकारियों ने एक तरकीब सोची । पिडावा के 60 (साठ) वर्षीय प्रतिष्ठित मुसलमान श्री मोहम्मद गनी से इस कार्य में सहयोग देने के लिए मुसलमानों के नाम अपील जारी करवाने का निश्चय किया गया । उन्हें थाने में बुलाया गया तथा इस प्रकार का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा गया । उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर

दिया। इन्कार करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई आरम्भ कर दी तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत झालावाड़ जेल में बंद कर दिया। यह समाचार आग की तरह सारे शहर में फैल गया। समाज के प्रत्येक वर्ग ने सरकार के इस कदम की निन्दा कर अपना रोष प्रकट किया।

झालावाड़ जिले के ही खानपुर तहसील के ग्राम ललावता में पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों को नसबंदी के लिए जबरदस्ती पकड़ लिया गया था। ग्रामीण जनता ने उन्हें पुलिस के चगुंल से छुड़वाने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाईं। पुलिस और ग्रामीणों की इस मुठभेड़ में चार ग्रामीण घटना-स्थल पर ही मारे गये तथा दो पुलिस वाले भी घायल हुए।

भवानी मण्डी से झालावाड़ आने वाली बस को अस्पताल के सामने रोक कर सब यात्रियों की नसबन्दी कर दी गई। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि व्यक्ति प्रजनन के योग्य है या अविवाहित है?

जिले में अभियान इतने व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा था कि पुरुष कम्पाउन्डरों की कमी हो गई, इसलिए पुरुषों के आपरेशन पर नर्सों को ही लगा दिया गया। एक व्यक्ति, जिसके हाथ-पैर पकड़ कर जबरदस्ती नसबन्दी की जा रही थी के चिल्लाने और तड़फड़ाने को एक नर्स देख नहीं सकी। इस कारण वह स्वयं बेहोश हो गई। इस घटना से स्पष्ट है कि डाक्टरों की दृष्टि में यह नसबन्दी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पशु की की जा रही थी।

जिला सीकर में लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसानों एवं व्यापारियों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से दबाव डाला गया। सफलता न मिलने पर व्यापारियों के लाइसेन्स रद्द करने की धमकी देकर उन्हें दुकानें बन्द करने को बाध्य कर दिया गया। किसानों के कुओं के बिजली के कनैक्शन काट कर उन्हें इस कार्य के लिए बाध्य किया गया। सीकर तथा लक्ष्मणगढ के कई व्यापारियों के बही खाते जब्त करने की कार्यवाही भी की गई।

इन अत्याचारों के खिलाफ सीकर जिले के गांवों, कस्बों तथा नगरों में व्यापक स्तर पर रोष फैल गया जिसके फलस्वरूप सीकर, चिराणा, झामड़, पिलानी, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, खण्डेला, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना तथा लोसल में समय-समय पर हड़तालें हुईं।

उदयपुर जिले में भुगाला पारदोला ग्राम के लोगों को नसबन्दी के लिए राजी करने लिए अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा कर इसके लिए

कहा । ग्रामीणों के न मानने पर डराने धमकाने का तरीका अपनाया गया । लेकिन उन्होंने सामूहिक नसबन्दी करवाना स्वीकार नहीं किया । इस पर पुलिस ने उन पर शक्ति का प्रयोग किया । जब उन्हे अपनी सुरक्षा खतरे में नजर आई तो कुछ ग्रामीणों ने ढोल बजाकर समस्त लोगों को इस खतरे की सूचना दी । फलस्वरूप सारे ग्रामवासी वहां इकट्ठे हो गये । प्रधान श्री रामचन्द्रजी भी सरकारी अधिकारियों के साथ थे । उन्होंने भी लाठी लेकर कुछ मीणों को पीटना आरम्भ कर दिया । अधिकारियों तथा प्रधान की इस जोर जबरदस्ती ने मीणों को उत्तेजित कर दिया । वे क्रोध से-आगबबूला हो गये । बस फिर क्या था ग्रामीणों ने प्रधान, सरपंच, तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों पर अपनी रक्षा हेतु आक्रमण कर दिया ।

इस संघर्ष में कुछ अधिकारियों को चोटें आईं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया । जब इस घटना की जानकारी उदयपुर पहुंची तो ग्रामवासियों को सजा देने के लिए उदयपुर जिलाधीश तथा एस० पी० साहब सेना के जवानों को साथ लेकर गांव पहुंचे । सेना के जवानों को गांव का घेरा डालने का आदेश दे दिया गया । लेकिन गांव के मीणों ने भी आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा मरना अधिक उपयुक्त समझा । परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए मोर्चाबन्दी कर ली । स्थिति को बिगड़ती देखकर जिलाधीश महोदय ने ग्रामीणों से बातचीत करना उचित समझा । इस बातचीत के अन्त में सरकारी अधिकारियों को यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वहां जबरदस्ती नसबन्दी नहीं की जायेगी ।

कोटा जिले की बारां तहसील के ग्राम किमल्या के कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने जबरन नसबन्दी के लिए पकड़ लिया था । पुलिस के इस कार्य का विरोध करने पर एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया । वह इस पिटाई के कारण अधमरा होकर बेहोश हो गया । जब इस घटना की जानकारी आस-पास के गांवों में पहुंची तो आठ-दस गांवों के लोग, जिनकी संख्या लगभग 2000 थी, मांगरोल आये । इन्होंने मांगरोल आकर जुलूस निकाल कर इस अमानवीय कृत्य के प्रति अपना विरोध प्रकट किया । तहसील तथा थाने के सामने प्रदर्शन भी दिया । पुलिस ने भीड़ पर अपना विरोध करने के कारण बेदर्दी से लाठी चार्ज किया, जिसके कारण बहुत से ग्रामीण घायल हुए । पुलिस का क्रोध केवल लाठीचार्ज से ही शान्त नहीं हुआ बल्कि 19 (उन्नीस) व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया । इन व्यक्तियों में 11 (ग्यारह) मुसलमान तथा आठ हिन्दू थे । इससे स्पष्ट है कि समाज का प्रत्येक वर्ग

चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो सरकार के इस अमानवीय कार्य के विरुद्ध एक जुट हो गया था।

पुलिस के इन अत्याचारों के विरोध में बारां की जनता ने 14–10–76 को समस्त बाजार बन्द रखकर अपना रोष प्रकट किया।

बूंदी जिले के बडोदिया गांव में दिनांक 26–10–76 को परिवार-नियोजन का कैम्प लगाया जाना था। गांव वालों को इसकी पूर्व सूचना मिल गई थी। इसलिए ग्रामवासियों ने गांव छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय लिया तथा महिलाओं को यह कहा गया कि वे परिवार-नियोजन वालों को अच्छा पाठ पढ़ा कर भेजें। परिवार-नियोजन की जीप पहुंचते ही महिलाओं ने जीप घेरकर अधिकारियों को जीप से जबरदस्ती नीचे उतार लिया तथा लाठियों व डण्डों से उनकी पिटाई आरम्भ कर दी। जीप ड्राईवर ने अपनी जान बचाने के लिए अधिकारियों को महिलाओं के हाथ पिटता छोड़कर भागना ही उचित समझा। बूंदी पहुंच कर जिलाधीश कार्यालय को इस घटना की सूचना दी गई। जिलाधीश ने तत्काल दो ट्रकों में पुलिस गांव के लिए रवाना कर दी। पुलिस ने घटना-स्थल पर पहुंच कर 14 महिलाओं को सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। धन्य है उन बहादुर स्त्रियों को जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए घर-बार छोड़ कर जेल जाना अधिक अच्छा समझा।

बूंदी नगर के पास ही रामनगर एक बस्ती है जिसमें मुख्यतया कंजर जाति के लोग रहते हैं। जिलाधीश महोदय ने इस सम्पूर्ण बस्ती की सामूहिक नसबन्दी कर इसे आदर्श बस्ती बनाने की घोषणा की। (आपातस्थिति में आदर्श गांव का मापदण्ड समस्त पुरुषों की नसबन्दी था)। इस घोषणा को पूरा करने के लिए बस्ती के लोगों की धरपकड़ आरम्भ हो गई उन्हें शिविर में लाया जाने लगा। जब इसकी जानकारी एक कंजरी को मिली तो वह दौड़ती हुई शिविर में पहुंच गई। उस समय उसके पति को नंगा करके आपरेशन की टेबिल पर लिटाया हुआ था। उसने आव देखा न ताव और अपने पति को उसी स्थिति में हाथ पकड़ कर नीचे उतार लिया। जिलाधीश महोदय ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उस औरत में न जाने कितना शौर्य था कि वह अपने पति को उनके बीचों बीच सुरक्षित निकाल कर ले गई।

बूंदी जिले की नैनवा तहसील के ग्राम लुहारपुरा के ग्रामीणों ने ग्रामसभा करके यह निश्चय किया कि वे नसबंदी करवा कर "गण्डिया नहीं बनेंगे" ग्राम

उलेडा में भी दिनांक 3 नवम्बर 76 को परिवार-नियोजन के अधिकारियों को ग्रामवासियों के हाथ पिटना पड़ा ।

टोंक जिले के प्रत्येक व्यापारी को नसबंदी के पांच-पांच केस लाने के लिए कहा गया अन्यथा उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जायेंगे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के आर्थिक कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का ढोल पीटा जा रहा था । यह सहायता भी उसी व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती थी जो नसबंदी का प्रमाण-पत्र दे । मण्डी में आने वाले ग्रामीणों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करने की घटना ने गांवों में इस कदर आतंक फैला दिया था कि ग्रामीणों ने मण्डी में खरीद-फरोख्त के लिए आना ही बंद कर दिया था । बाजार से गुजरने पर ऐसा लगता था जैसे छुट्टी या हड़ताल हो, लेकिन दुकानें खुली देखकर यह भ्रम भी दूर हो जाता था । उस समय सरकार की परिवार-नियोजन सम्बन्धी नीति के स्मरण से कुछ सच्चाई का पता लगता था ।

नियोजन-कार्यालय में नियोजन-कार्ड पर तरीख बदलवाने से पहले नसबंदी का प्रमाण-पत्र देना होता था चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित । नियोजन-अधिकारी का कहना था कि दो नसबंदी केस लाने पर ही किसी साक्षात्कार के लिए नाम निकाला जा सकता है ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में परिवार-नियोजन के क्षेत्र में दो महान् हस्तियों की होड़ लगी हुई थी । एक तरफ अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के महामन्त्री श्री जनार्दन सिंह गहलोत थे तथा दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी के सुपुत्र श्री दिनेश जोशी, जिन्हें संजय गांधी की तरह ही युवा-नेता के रूप में प्रस्थापित किया जा रहा था । दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे । एक की पीठ पर भारत के राजकुमार श्री संजय का हाथ था तो दूसरे के पास राजस्थान सरकार की सारी सरकारी मशीनरी थी । श्री जोशी अपने पुत्र को परिवार-नियोजन के क्षेत्र में विशेष ख्याति दिलवाकर श्री संजय के नजदीक लाना चाहते थे ताकि पुत्र के माध्यम से उनका सीधा सम्पर्क संजय से स्थापित हो जाये । वैसे तो श्री जनार्दन सिंह गहलोत को इस स्थान पर पहुंचाने में भी जोशी जी का ही हाथ था, लेकिन संजयजी का साथ मिलने के कारण अब गहलोत जोशी जी को कोई विशेष महत्व नहीं दे रहे थे । इसलिए जोशी जी काफी चिन्तित थे, इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी डर था कि कहीं श्री गहलोत उनके खिलाफ संजय जी को कुछ उल्टी सुल्टी बात न कह दें । इसलिए राजस्थान की युवा-कांग्रेस में जनार्दन सिंह का प्रतिद्वन्द्वी खड़ा करना आवश्यक था ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए पिता के इशारे पर श्री दिनेश जोशी ने हीराबाग में परिवार-नियोजन का एक विशेष शिविर लगाया। स्थान-स्थान पर 'हीराबाग चलो' के नाम-पट्ट लगाये गये। सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को "हीराबाग" में आपरेशन के लिए भेजा जाये ताकि उसका श्रेय श्री दिनेश जोशी को दिया जा सके। श्री जनार्दन सिंह इस चाल को भांप गये। उन्होंने भी अपना यूथ-कांग्रेस के नाम पर जौहरी बाजार में परिवार नियोजन का शिविर लगाया। दोनों कैम्पों की अपनी-अपनी विशेषताएं थी। श्री दिनेश जोशी द्वारा आयोजित कैम्प के मुख्य द्वार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय तथा श्री दिनेश जोशी के चित्र लगे हुए थे जो परिवार नियोजन के त्रिकोण की ओर संकेत थे। उधर श्री गहलोत के शिविर में श्री संजय, श्रीमती अम्बिका सोनी तथा श्री जनार्दन सिंह गहलोत के चित्र थे। हीराबाग से जौहरी बाजार तक जाने में त्रिकोण के निशानों में परिवर्तन इस बात का द्योतक था कि गहलोत और जोशी में ठन गई है। लेकिन बेचारे गहलोत राजस्थान में श्री दिनेश जोशी का मुकाबला कहां कर सकते थे ?

एक दिन बड़ी चौपड़ में विशेष दृश्य देखने को मिला। चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक पुलिस वाले रिक्शे वालों के पीछे भाग रहे थे। पुलिस से बचने के लिए कुछ रिक्शे वाले अपनी रिक्शा ही छोड़कर भाग गये थे। ऐसे रिक्शों को पुलिस के सिपाही चला कर एक स्थान पर इकट्ठा कर रहे थे। कुछ रिक्शे वालों को पकड़ कर पुलिस के ट्रक में बैठाया जा रहा था। सोचा कि शायद आपातस्थिति में रिक्शा चलाना अवैध घोषित कर दिया होगा; रिक्शे में व्यक्ति-व्यक्ति को खींचता है, इसलिए शायद इसे भी सामन्तवादी व्यवस्था का प्रतीक मान कर समाप्त करने का निर्णय लेकर वर्तमान सरकार प्रगतिशील होने का स्वांग रच रही हो। लेकिन पूछने पर कुछ और ही पता चला। रिक्शे वालों को पकड़ कर नसबंदी के लिए हीराबाग ले जाया जा रहा था। 'गरीबी मिटाओ' का नारा देने वाली सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये लोग जो अपना भोजन भी मुश्किल से कमा पाते हैं, कैसे दो-तीन महीने बैठकर खा सकते हैं। नसबन्दी के पश्चात् दो या तीन मास तक व्यक्ति रिक्शा चलाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन सरकार गरीबों को मिटा कर ही तो "गरीबी मिटाओ" अभियान को सफल करना चाहती थी।

इस अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए कारखानों तथा मिल-मालिकों को कहा गया कि वे अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष राशि इनाम के वास्ते उपलब्ध करायें। मिल-मालिकों को मजबूरी में सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इन सब का श्रेय श्री दिनेश जोशी को ही मिला।

पाली जिले में इस कार्यक्रम की अधिक मशहूरी के लिए सरकारी अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक स्कूल का एक दिन निश्चित किया जाये जिस दिन अध्यापकों को स्कूल के छात्रों को जुलूस बनाकर बाजारों एवं गलियों से निकालना होगा। इस जुलूस में अध्यापक तथा छात्र निम्न नारे लगायेंगे "हम दो हमारे दो" "नसबन्दी राष्ट्रीय कार्य है ?"

राजस्थान के तत्कालीन स्वास्थ्य-मन्त्री श्री चन्दनमल बैद चूरू जिले के रहने वाले थे इसलिए उनका यह परम कर्त्तव्य था कि उनका जिला इस क्षेत्र में पीछे न रहे। अन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में इस अभियान को विशेष तीव्र गति से चलाया गया। इस कारण उन्हें श्री संजय गांधी द्वारा एक विशेष ट्राफी इनाम के रूप में दी गई। चूंकि उनके जिले का लक्ष्य राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा कहीं अधिक था। इस जिले की केवल एक घटना से ही इस कार्यक्रम के चलाये जाने की विधि की जानकारी मिल सकती है।

एक दिन रतनगढ़ नगरपालिका के ई० ओ० तथा दो सिपाही यासीन काजी की नसबन्दी के लिए उसके घर पहुंचे। पता चला कि यासीन खेत में गया हुआ है। अधिकारी लोग जीप लेकर खेत में ही पहुंच गये। भला वे उसके घर लौटने तक का इन्तजार कैसे कर सकते थे? जीप को खेत की तरफ आती देखकर यासीन खेत में छिप गया। पुलिस ने यासीन के 12 वर्षीय पुत्र को पकड़ लिया। उन्होंने ऐलान किया कि यासीन खेत से बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे लड़के की नसबन्दी कर दी जायेगी। जब यह आवाज यासीन के कानों में पड़ी तो बेचारा घबरा गया। पुत्र की नसबन्दी होने का अर्थ था वंश की समाप्ति। इसलिए उसने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। खेत से बाहर आया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, परिवार नियोजन शिविर में उसकी नसबन्दी करने के बाद ही पुत्र को छोड़ा गया।

भारत सरकार ने वर्ष 1976–77 में राजस्थान सरकार के लिए परिवार नियोजन-आपरेशन की संख्या 1·75 लाख निर्धारित की थी। चूंकि यह प्रोग्राम श्री संजय जी के पांच सूत्री कार्यक्रम का भाग था इसलिए मुख्यमन्त्री का भाग्य इस क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली सफलता से जुड़ा हुआ था। फलतः इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम की संज्ञा देकर अनिवार्य बना दिया गया था। इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक एवं गैरकानूनी साधन अपनाकर निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक आपरेशन किये गये। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1976–77 में कुल 4 लाख आपरेशन कर श्री संजय जी से प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर लिया था। इस सफलता के कारण ही तत्कालीन मुख्यमन्त्री अपना पद सुरक्षित समझ रहे थे।

श्रीमती गांधी की राजस्थान यात्राएं

(i) भरतपुर-डीग यात्रा

श्रीमती गांधी भरतपुर तथा डीग यात्रा के दौरान घाना पक्षी बिहार एवं डीग के महलों को भी देखने गई। घाना पक्षी बिहार में घुमते हुए श्रीमती गांधी ने कहा "पक्षियों को आजादी से घुमने फिरने दिया जाना चाहिए" श्रीमती गांधी की नजरों में मनुष्य पक्षियों से भी गया-गुजरा था। क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने हजारों निरपराध व्यक्तियों को जेलों में सड़ने को मजबूर कर रखा था और भारत की 60 करोड़ जनता की स्वतन्त्रता छीन कर उन्हें गुलामों का सा जीवन व्यतीत करने को मजबूर कर रखा था।

(ii) हल्दीघाटी की यात्रा

राजस्थान सरकार ने 21 जून 1976 को हल्दी घाटी युद्ध 4 सौ वीं जयंती मनाने का निश्चय किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को आमंत्रित कर अपनी वफादारी का परिचय दिया। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में एक स्वतन्त्रता-प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य के स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखने के लिए मुगल बादशाह की आधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और जीवन भर इसके लिए संघर्ष करते रहे। स्वतन्त्रता हेतु लड़े गये युद्ध की जयन्ती किस वातावरण में मनाई जा रही थी जबकि लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई थी, तानाशाही की मार से हजारों की संख्या में स्वतन्त्रता-प्रेमी, जिनमें पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे सम्मिलित थे, मीसा या डी० आई० आर० के आरोप में बन्दी के रूप में घोर यातनाएं सहन कर रहे थे। क्या यह उस स्वतन्त्रता युद्ध व उसके नायक का अपमान नहीं था? हल्दी घाटी की जयन्ती मनाना तो केवल एक दिखावा था। इसका वास्तविक उद्देश्य राजनैतिक था अर्थात् सरकार यह बताने का प्रयास कर रही थी कि वह लोकतान्त्रिक सरकार है। इसलिए ही स्वतन्त्रता के लिए लड़े गये इस युद्ध की जयन्ती का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमन्त्री के स्वागत आदि पर अनाप-शनाप रुपया खर्च किया गया। हवाई अड्डे से लेकर स्टेडियम तक 200 स्वागत-द्वार बनाये गये। परम्परा तो यह रही है कि लोकप्रिय नेताओं के स्वागत हेतु द्वार जनता द्वारा ही बनाये जाते हैं। लेकिन इस समय यह सब कार्य सरकारी तन्त्र द्वारा किया जा रहा था। यह कार्य सार्वजनिक

निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को सौंपा गया। यह नमूना था प्रधानमन्त्री की लोकप्रियता का ? रास्ते में सरकार की ओर से रंगाई एवं पुताई का काम भी किया गया। रास्ते में करीब 100 स्थानों पर "इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद की पेन्टिंग लिखी गई परन्तु एक भी स्थान पर उस वीर का नाम नहीं था जिसने यह युद्ध लड़ा था। स्टेडियम एवं हल्दीघाटी की सभाओं में भीड़ इकट्ठी करने का उत्तरदायित्व भी सरकार का था। प्रान्त भर से प्राइवेट बसें, ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा अन्य वाहनों को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। उन वाहनों के चालकों को आदेश दिया गया कि वे स्थान-स्थान से लोगों को निःशुल्क बैठा कर लायें। जनता को भी मुफ्त भोजन एवं आने-जाने की व्यवस्था का झांसा दिया गया। यह भी श्रीमती गांधी की लोकप्रियता का प्रमाण था ?

समारोह आरम्भ होते ही आयोजकों ने श्रीमती गांधी की जयजयकार के नारे लगाये लेकिन उस वीर की जिसने हल्दीघाटी की मिट्टी को अपने खून से सींचा था उसकी जयजयकार का एक भी नारा नहीं लगाया गया। प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में महाराणा प्रताप के बारे में बताने की अपेक्षा अपने विरोधियों पर आरोप लगाना अधिक ठीक समझा। लोग उनकी घिसी-पीटी बातों को रोजाना ही सुनते थे, इसलिए वे अब ऊब चुके थे। लोगों ने कई बार सभा से उठ कर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के डन्डों ने उन्हें बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया। कलेक्ट्री के सामने जो स्वागत-द्वार बनाया गया था उस पर गलती से महाराणा प्रताप का चित्र लग गया था। लेकिन बाद में इस गलती का आभास होने पर उनका चित्र हटाकर श्रीमती गांधी का चित्र लगाकर भूल को सुधार लिया गया था। यह काम श्रीमती गांधी के आने से एक घन्टे पहले ही कर लिया गया था, इसलिए मीसा या डी० आई० आर० के अन्तगत बन्दी बनाये जाने का खतरा टल गया था।

इस समारोह में महाराणा उदयपुर का सम्मिलित न होना प्रश्न वाचक चिन्ह छोड़ता है। मालूम नहीं, उनकी अनुपस्थिति उनकी इच्छानुसार थी या उन्हें निमन्त्रित ही नहीं किया गया था ?

(iii) अजमेर यात्रा

लोकप्रिय प्रधानमन्त्री के आगमन से पूर्व विरोध को समाप्त करने हेतु बड़े स्तर पर अजमेर में "विरोधियों को गिरफ्तार करो" अभियान चलाया गया। जिस रास्ते में श्रीमती गांधी को गुजरना था मार्गों पर स्थित मकानों की खिड़कियां तथा दरवाजे बन्द करवा दिये गये थे तथा छतों पर राइफल धारी आ० ए० सी० के

जवानों को तैनात कर दिया गया था। प्रधानमन्त्री के दर्शन करने हेतु अपने ही मकान की छत पर बैठने की मनाही थी।

श्रीमती गांधी को अपने ही दल के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके पुष्पहार भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। चूंकि तानाशाह को जनता की अपेक्षा अपने चाटुकारों से अधिक भय लगता है। इसलिए यह सारी व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझी गयी थी।

मेयो कालेज के चारों ओर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई। अपने भाषण में श्रीमती गांधी ने यह आशंका प्रकट की कि भावी चुनावों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप एवं विदेशीपन की सम्भावना भी नजर आने लग गई है। इस अवसर पर बोलते हुए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने चाटुकारिता का परिचय देते हुए कहा "आप बोलती हैं तो लगता है भारत माता बोल रही है।" श्री जोशी भी अपने आपको कांग्रेस-अध्यक्ष श्री बरुआ की श्रेणी में लाने को उत्सुक थे कि जो कहा करते थे "इन्दिरा इज इण्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा"। इस भाषण में वफादारी की अपेक्षा चाटुकारिता की गन्ध अधिक है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद उन्हें भी श्री बहुगुणा तथा श्रीमती सत्पथी की तरह ही अपने पद से वंचित होना पड़ सकता था। चूंकि अब मुख्यमन्त्री को बने रहने के लिए विधायकों के समर्थन की अपेक्षा श्रीमती गांधी और उनके पुत्र की कृपा आवश्यक थी।

नगरों का सौन्दर्यीकरण

आपातकाल में श्री संजय जी ने शहरों के सौन्दर्यीकरण की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री के लिए आदेश के समान थी। शहर को सुन्दर बनाने के लिए आवश्यक है कि कच्ची एवं गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार लाया जाये। लेकिन सरकार ने एक दूसरा उपाय ढूंढा, वह था कि कच्ची बस्तियों को शहर से बाहर बसा दिया जाये और देश के विभिन्न भागों में ऐसा ही हुआ। भला राजस्थान क्यों पीछे रहता ?

राजस्थान सरकार ने भी 'कच्ची बस्ती उजाड़ो' अभियान शुरू कर दिया जिसकी चपेट में राजस्थान का प्रत्येक बड़ा नगर आया।

जयपुर नगर के सांगानेर दरवाजे में प्रवेश करते ही दांई और शिकारियों का मोहल्ला नाम की एक बस्ती थी। इस बस्ती में रहने वाले लोगों के पास पुराने रियासती पट्टे थे अर्थात् उस जमीन पर उनका वैधानिक अधिकार था। लेकिन

सरकार भारत के राजकुमार श्री संजय गांधी को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम पर संजय-बाजार का निर्माण करना चाहती थी। इसलिए इस बस्ती के लोगों को उजाड़ना आवश्यक था। लोगों को सूचित किया गया कि उनका नाम कच्ची बस्ती सूची में है जबकि उनके पास अपने मकानों के रियासती पट्टे मौजूद थे। बस्ती के लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक श्री गफ्फार अली से भेंट कर उनसे प्रार्थना की कि बस्ती को उजाड़ा न जाये।

क्षेत्रीय विधायक इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हरिदेवजोशी से मिला, लेकिन उनका जवाब था कि अनाधिकृत निर्माण तो तोड़े ही जायेंगे। बेचारा विधायक मजबूर था, क्योंकि वे सी० पी० आई० पार्टी के सदस्य थे जो आपातकाल का समर्थन कर रही थी। यदि वह इसका विरोध करते तो पार्टी से तो निकाला ही जाता, बल्कि मीसा या डी० आई० आर० में बन्दी बनाया जा सकता था, जिसका परिणाम यह होता कि उसकी रोजी रोटी छिन जाती अर्थात् वकालात का धन्धा ठप्प हो जाता। विधायक ने जनता की रोटी-रोजी व मकान की अपेक्षा अपनी सुरक्षा आवश्यक समझी। इसलिए बस्ती के लोगों को आश्वासन दिया कि शहर के बाहर तुम्हें जमीन मिल जायेगी।

अचानक एक दिन सरकारी अधिकारी बुलडोजरों सहित पहुंच गए। जैसा कि श्री मूलचन्द जी भड़भूंजा ने बताया कि जिस समय उनके मकान पर बुलडोजर फिराया गया उस समय वह घर पर नहीं थे।

अनाज मण्डी के पीछे एक राजकीय स्कूल टीन के छप्परों के बरामदे में चल रहा था। वह स्कूल भी बुलडोजरों का शिकार होने से नहीं बच पाया।

इतिहास का विद्यार्थी जानता है कि महमूद गजनवी भारत आया था। उसने अपनी धन की भूख शान्त करने के लिए मन्दिरो का विध्वस किया था। धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली सरकार के नेताओं के हृदय में धार्मिक स्थानों का कोई महत्त्व नहीं था। एक तरफ तो कांग्रेसी नेता यह कहते हैं कि भारत सरकार का उद्देश्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के धार्मिक रीति-रिवाजों में रुकावट पैदा करना नहीं है और दूसरी तरफ इसी स्थान पर हनुमान जी के मन्दिर की दीवारों को गिराकर कांग्रेसी नेता अपनी वास्तविक तस्वीर जनता के समक्ष पेश कर रहे थे।

हिन्दू धर्म के अनुयायी कहते हैं कि शिव भोला भाला है। उस भोले नाथ को भी आपातकाल के हिमायतियों ने नहीं बख्शा और उसके निवास-स्थान को भी

मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार से मन्दिरों को तोड़ कर हिन्दू जनता के धार्मिक विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया गया।

हरिजनों की पक्षपाती कांग्रेस सरकार को उनकी बस्ती भी नहीं सुहायी। तीन सौ परिवारों की बस्ती में एक भी मकान नहीं छोड़ा गया। अनेक स्थानों पर तो 36 मीटर भीतरी भाग तक के मकानों को तोड़ा गया।

मिश्रा-मार्केट को लदाना हाऊस की गली से जोड़ने वाले भाग का दृश्य देखने से स्पष्ट है कि मकानों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया था। कुरेशियों की मस्जिद से दाइयों के रास्ते तक खण्डहर ही नजर आते हैं। एक स्थान पर तोएक पक्के मकान का केवल एक ही कमरा शेष है, वैसे यह मकान 150 वर्ष पुराना था। मकान मालिक अब्दुल रशीद को कच्चे झोंपड़े में भेज दिया गया। वाह री कांग्रेस सरकार ? क्या यही गरीबों की हिमायत करने का तरीका था ?

बेगम नाम की 70 वर्षीय बुढिया ने गालियां देते हुए कहा कि सत्यानाशी सरकार ने हमें बर्बाद कर दिया है, खुदा उन्हें गारत करे। एक तोड़े गए मकान के शेष बचे कमरे में विधवा ईदा ने पान की गिलोरी मुँह में दबाते हुए कहा "मैं इस मकान में पैदा हुई थी, विधवा होने के पश्चात् मैंने अपना खुद का मकान मस्जिद को सौंप दिया तथा मैं स्वयं अपने भाइयों के पास चली आयी, ताकि जिन्दगी के बाकी दिन सुख से बीता सकूं लेकिन इन सत्ताधारियों को किसी के सुख-दुःख से क्या लेना देना। "इन्होंने गरीबों पर इस कदर कहर ढहाया है, खुदा इन पर भी इसी कदर कहर ढायेगा।"

बस्ती के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक, कांग्रेसी नेताओं, राज्य के मुख्यमन्त्री तथा सरकारी अधिकारियों से यह फरियाद की कि हमारे मकान तोड़ने से पहले ही रहने के लिए उचित स्थान तथा रोटी-रोजी कमाने का साधन उपलब्ध करा दें। उन लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय के तत्कालीन निदेशक तथा नगर परिषद् के प्रशासक ने हमारे बिलबिलाते बच्चों और रोती हुई महिलाओं की चीखपुकार पर रहम नहीं किया। वे लगातार बुलडोजरों को आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। सर्दी के उस मौसम में हम लोगों को खुले मैदान में झोंपड़े बना कर दिए गये, जहां न पानी की व्यवस्था थी न रोशनी का प्रबन्ध था। शहर से बाहर जाने पर हमारी आजीविका का साधन भी समाप्त हो गया।

इस बाजार में सरकार का उद्देश्य 600 दुकानें बनाने का था। लेकिन अभी

तक 45 दुकानें भी बन कर तैयार नहीं हुई हैं । गन्दा नाला मकानों के मलवे से रुक गया जिसके परिणाम स्वरूप गन्दा पानी जगह-जगह भर गया है । इस गन्दे पानी की बदबू तथा मच्छरों ने आसपास के लोगों का जीवन नरक बना दिया है ।

इन्दिरा-बाजार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री के नाम पर अजमेरी गेट के बाईं ओर इन्दिरा-बाजार के निर्माण का निश्चय किया गया । इस स्थान पर बसी हुई बस्ती के लोगों के मकानों को बेरहमी से तोड़ा गया तथा बस्ती के लोगों को शहर से तीन मील दूर एन. बी. सी. के मैंदान में आकाश के नीचे छोड़ दिया गया, जहां पानी एवं प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी । बस्ती के लोगों का शिष्टमण्डल कई बार नेताओं और पुनर्वास आयुक्त से मिला । लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई ।

आमेर रोड़

इतिहास का विद्यार्थी जानता है कि रोम में एक बादशाह हुआ था जिसका नाम नीरो था । वह अपने सुन्दर शहर रोम को और भी सुन्दर बनाना चाहता था । इसलिए उसने आदेश दिया कि शहर में आग लगा दी जाय । जब आग की लपटें आकाश को छू रही थी तो वह आत्मविभोर होकर बंशी बजा रहा था । इसी घटना की पुनरावृत्ति जयपुर में 18 अगस्त 1976 को हुई । राजस्थान सरकार ने आमेर रोड़ को राष्ट्रीय मार्ग मानकर यहां तोड़-फोड़ का आदेश दिया । प्रातःकाल ही बुलडोजरों ने आमेर रोड़ पर अचानक विध्वंस-लीला आरम्भ कर दी । लोग न्याय की प्राप्ति हेतु मुख्यमन्त्री के निवास-स्थान पर गये । लेकिन वहां न्याय नहीं मिला, बल्कि कहा गया कि अनधिकृत निर्माण तो तोड़े ही जायेंगे । जब लोग वापिस आये तो उनकी दुकानें व मकान खण्डहरों मे बदल चुके थे । वहां के लोगों का कहना है कि कहीं तो 15 फुट तक की तोड़-फोड़ कर दी गई और कहीं 100 फुट तक का अभयदान दे दिया गया ।

उसी दिन समाजवादी नेता मा० रामशरण अन्तयानुप्रासी अपनी माता की मृत्यु के कारण पैरोल पर रिहा होकर आये थे । उन्होंने लोगों की पीड़ा देखकर कर मुख्यमन्त्री से टेलीफोन पर सम्पर्क किया । उन्होंने कहा कि इस तोड़-फोड़ के पीछे यह तर्क देना कि यह राष्ट्रीय मार्ग है गलत है । चूंकि राष्ट्रीय राज मार्ग तो बाई-पास बन गया है, अतः अब यह हिस्सा केवल मात्र लिंक रोड ही है । यह तर्क मुख्यमन्त्री को अकाट्य लगा जिसके फलस्वरूप तोड़-फोड़ का दायरा 100 से घटाकर 75 फुट कर दिया गया । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार कानून से अनभिज्ञ तो थी

ही साथ ही साथ इस कार्य में उसका तुगलकी अन्दाज भी नजर आता है । ऐसी स्थिति में सौ फीट तक की तोड़ी गई इमारतों के मालिकों को राज्य सरकार की अनभिज्ञता की सजा मिली ।

इस समय विपक्ष के नेता तो जेल में बन्द थे, इसलिए कांग्रेसी नेता ही जनता की आशा थे । लोगों का शिष्ट मण्डल राजस्थान विश्वविद्यालय के गैस्ट हाऊस में ठहरे हुए कांग्रेसी नेता के पास न्याय के लिए गये । लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला । जनता के रहनुमा बनने वाले कांग्रेसी नेता जनता को अपना 10 मिनट का समय भी नहीं दे सके । लोगों के मकानों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उन्हेंउनका मलवा तक उठाने की इजाजत नहीं दी गई । सरकार ने चन्द ठेकेदारों को मलवा उठाने की इजाजत देकर उन्हें चांदी बनाने का शुभ अवसर प्रदान किया ।

इस दिल दहलाने वाली कार्यवाही को सार्वजनिक निर्माण-विभाग, नगर-परिषद्, नगर-न्यास तथा पुलिस के सैंकड़ों कर्मचारी बड़ी विवशता के साथ कर रहे थे । उन कर्मचारियों के सिर पर अधिकारियों के आदेश रूपी नंगी तलवार लटक रही थी । इसी रोड़ पर एक फैक्टरी थी जो आज भी बिना किसी खरोंच के अपना मस्तिष्क गर्व से उठाये खड़ी है । इसके मालिक ने सार्वजनिक निर्माण-विभाग के सहायक अभियन्ता का गिरेबान पकड़ लिया और अनेक प्रकार की धमकियां दीं । लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ न तो कोई कानूनी कार्यवाही ही हुई और न ही उस इमारत को तोड़ा गया जिससे स्पष्ट है कि किसी बड़े कांग्रेसी नेता का उस पर हाथ था । लोगों ने इसे पक्षपात की संज्ञा दी । नेताओं के सामने यह बात लाई गई, लेकिन कौन सुनता था ऐसी बकवास को उस समय ?

आखिरकार जनता राजनीति से ऊपर रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की शरण में गयी । उन्होंने सार्वजनिक निर्माण-विभाग के एक उच्चाधिकारी से सम्पर्क कर आग्रह किया कि आप सात दिन तक इस कार्यवाही को स्थगित कर दें ताकि लोगों को इन इमारतों से अपना सामान इत्यादि निकालने का समय मिल जाये । दैत्याकार बुलडोजर लौट गये । 19-8-77 को शान्ति रही । लेकिन आपातस्थिति के मद में चूर अफसरों और नेताओं को यह शान्ति अच्छी नहीं लगी । 20 अगस्त को प्रातः 4 बजे जबरदस्त पुलिस फोर्स के साथ सैकड़ों कर्मचारी बुलडोजरों से उन शेष इमारतों पर टूट पड़े । यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया हो और वह सम्पूर्ण बस्ती को तहस-नहस करना सामरिक दृष्टि से आवश्यक समझता हो ।

इस कार्यवाही को देखकर जनता अपने रहनुमा के पास पहुंची । उसने सार्व-

जनिक निर्माण-विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क किया। लेकिन अफसर ने तोड़-फोड़ का औचित्य सिद्ध करने का ही प्रयास किया। असफलता लेकर जब वापिस लौटे तो कुछ शेष नहीं था न मकान था और न दुकान ही।

इस तोड़-फोड़ के परिणामस्वरूप लगभग सौ मकान व दुकानें प्रभावित हुईं। इनमें गुरुद्वारा और दो मन्दिर के हिस्से भी शामिल हैं। मन्दिर और गुरुद्वारे के पास वाली दो मन्जिल की इमारत अदालती स्थगन आदेश के कारण आज भी सुरक्षित है। जिन मकानों को तोड़ा गया उनके निर्माण की स्वीकृति सरकार ने दी थी। इन मकानों के मालिकों ने जब कागजात दिखाने का प्रयास किया तो उत्तर मिला कि इन कागजातों को भी बुलडोजर के नीचे ही डाल दो।

टोंक रोड़ पर गाँधी नगर के मोड़ पर भी कच्ची दुकानों को अतिक्रमण मान कर तोड़ दिया गया।

जयपुर की मुख्य सड़क पर ख्वास जी के बाग की दीवार के सहारे कुछ दुकानें वर्षों पुरानी थी। ये दुकानदार पिछले 20 वर्ष से सांगानेर तहसील में इन दुकानों का किराया चुका रहे थे, लेकिन सरकार ने इन्हें भी अतिक्रमण की श्रेणी में मानकर नष्ट करने का आदेश दे दिया। इन्दिरा जी का गरीबी हटाने का नारा कितना खोखला और भ्रामक नजर आता है।

राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाही नगरों के सौन्दर्यीकरण के नाम पर की गई। इस तोड़-फोड़ के समय न तो गरीब जनता का ही ख्याल रखा गया और न ही उन स्थानों पर नव निर्माण कर नगरों की सुन्दरता ही बढ़ाई गई। यह तो सरकार की एक सनक थी जिसे पूरा किया जा रहा था।

विरोधी दलों के खिलाफ प्रचार

अजमेर की फासिष्ट विरोधी सम्मेलन

राजस्थान सरकार ने आपातस्थिति का समर्थन करने के लिए अजमेर में अध्यापकों का एक फासिष्ट विरोधी सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अध्यापकों को भयभीत कर उनके द्वारा आपातस्थिति के समर्थन में जन-मानस तैयार करना था।

इस सम्मेलन को सरकारी सम्मेलन कहना इसलिए उचित है कि जिला

शिक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसके द्वारा प्रत्येक अध्यापक को इस सम्मेलन में उपस्थित होना आवश्यक था। तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने अजमेर के सरकिट हाऊस में जिला अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश भी दिया था कि यह सम्मेलन पूर्णरूपेण सफल होना चाहिए वरना वे उसके लिए उत्तरदायी होंगे। सरकारी अधिकारियों को सरकार के आदेश का पालन करना आवश्यक होता ही है, इसलिए जिले के समस्त अधिकारियों ने इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी ऐडी-चोटी का जोर लगा दिया था। चूंकि मुख्यमन्त्री ने उन्हें खुली छूट दे दी थी, इसलिए सम्मेलन की सफलता के लिए नाजायज तरीके अपनाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी।

इस सम्मेलन का आयोजन मोनीया इस्लामिया स्कूल के प्रांगण में किया गया तथा श्री केशरचन्द चौधरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजमेर को इस सम्मेलन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय इस्पात राज्यमन्त्री श्री चन्द्रजीत यादव को आमन्त्रित किया गया था। राजस्थान के मुख्य-मन्त्री श्री जोशी, शिक्षा मन्त्री श्री खेतसिंह राठोड़ तथा अखिल भारतीय युवा-कांग्रेस के महामन्त्री श्री जनार्दनसिंह गहलोत भी उपस्थित थे। राजस्थान के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व श्री बिशनसिंह शेखावत तथा श्री कुलदीपसिंह जी ने किया। श्री राजकुमार विलियम महामन्त्री राजस्थान शिक्षक संघ को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया।

संख्या की दृष्टि से यह सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा, चूंकि अजमेर जिले के लगभग 10,000 अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मजबूरी में इसमें उपस्थित होकर आपातस्थिति का समर्थन तथा फासिष्ट शक्तियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करना पड़ा। लेकिन यह उनकी असमर्थता थी जिसका नाजायज फायदा सरकार उठा रही थी।

इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री यादव ने आपात-स्थिति का समर्थन करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण को फासिष्ट बताया। उन्होंने श्री नारायण पर यह आरोप भी लगाया कि वे हर व्यक्ति को बेईमान तथा भ्रष्टा-चारी समझते हैं जबकि स्वयं हजारों रुपये मासिक केवल इत्र पर ही खर्च करते हैं। आर० एस० एस० को फासिष्ट संस्था बताते हुए देश में हिंसा का वातावरण फैलाने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके सबूत में उन्होंने उन लाठियों तथा तलवारों का का जिक्र किया जो संघ-कार्यालय से बरामद किये गये थे। श्री जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनका यह नारा एक खोखला नारा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि आज भी फासिष्ट शक्तियां शान्त नहीं है। वे लोग शहरों की दीवारें विभिन्न प्रकार के नारे लिख कर खराब कर रहे हैं। क्या इन नारों को मिटाने का कार्य मैं पुलिस से करवाऊं ? इस सम्बन्ध में अध्यापकों से उम्मीद करता हूं कि वे विभिन्न स्थानों पर लिखे गये नारों को मिटाने का कार्य करें। इस प्रकार से इन फासिष्ट शक्तियों की प्रजातंत्र के खिलाफ साजिश को रोका जा सकता है। सरकार ने आदर्श विद्यामन्दिर को हस्तगत करके फासिष्ट शक्तियों के एक बड़े गढ को ढाह दिया है। यदि इस प्रकार की कोई और संस्था हो तो सरकार के ध्यान में लाइये ताकि आवश्यक कार्यवाही हो सके। मुख्यमन्त्री ने अध्यापकों को यह भी चेतावनी दी कि अब किसी प्रकार की मांग का समय नहीं है। सरकार किसी भी आन्दोलन को सहन नहीं करेगी तथा उसे कुचल दिया जायेगा।

क्या यही प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों एवं मजदूरों से आन्दोलन का अधिकार छीन लिया गया था ? क्या यह तानाशाही की वकालत नहीं थी ?

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष श्री बिशनसिंह शेखावत ने फासिष्ट विरोधी सम्मेलन बुलाने के लिए मुख्यमन्त्री को बधाई देते हुए कहा कि आज भी हजारों आर० एस० एस० समर्थक शिक्षक सरकारी सेवा में हैं। उन्होंने मुख्यमन्त्री से अपील करते हुए कहा कि ऐसे अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने पूर्वी जर्मनी का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पूर्वी जर्मनी में नाजी समर्थक एक लाख अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया था। सरकार को ऐसा कदम उठाने में क्या हिचकिचाहट है ? मैं मुख्यमन्त्री को विश्वास दिलाता हूं कि सारे प्रगतिशील अध्यापक इस कदम का समर्थन करेंगे। अन्त में उन्होंने इस प्रकार की फासिष्ट विरोधी रैलियां राजस्थान के अन्य जिलों में निकालने का सुझाव भी रखा ताकि तानाशाही की समर्थक फासिष्ट शक्तियों को कुचला जा सके।

चूंकि यह सम्मेलन पूर्ण रूप से शिक्षकों का था, इसलिए शिक्षक संघ के नेताओं को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। राजस्थान शिक्षक संघ के महामन्त्री श्री राजकुमार विलियम वहां उपस्थित थे, लेकिन उन्हें अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया गया। शायद सरकार को उनकी वफादारी पर शक था। सम्मेलन के आयोजकों के इस कदम को श्री विलियम ने अपना अपमान समझा। इसलिये वह सम्मेलन के पश्चात् निकलने वाली रैली में सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि उसी समय जयपुर के लिये रवाना हो गये।

सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् इसने एक विशाल रैली का रूप धारण कर लिया। इस रैली में सरकार द्वारा जबरदस्ती पकड़े गये प्राइवेट वाहनों को भी सम्मिलित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने आये हुए अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की दयनीय हालत देखकर वास्तविक तानाशाही की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती थी, बेचारी अध्यापिकायें चेहरे पर उदासी लिये बगल में अपने बच्चे को थामें, थके कदमों से आगे बढ रही थीं। पेट-पालने के लिये तानाशाही व्यवस्था के हर जुल्म सहने को बाध्य थीं और उनके नेता अपने आपको तथा कथित प्रगतिशील बताकर सरकार के हर जुल्म को नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहे थे।

इस रैली में अजमेर जिले के सभी अधिकारी उपस्थित थे, शायद उन्हें भी इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे दिये गये थे। अजमेर की गोल प्याऊ के पास वाली मार्किट के मैदान में सायं ४ बजे यह रैली पहुंची। वहां इस रैली ने फिर एक आम-सभा का रूप धारण कर लिया। विभिन्न वक्ताओं ने श्री नारायण, विरोधी दलों तथा आर० एस० एस० की आलोचना करते हुए अपने-अपने विचार रखे।

क्या इस रैली से सरकार की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है, जिसने सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को सुबह ७ बजे से सायं ७ बजे तक उपस्थित रहने के लिये मजबूर कर दिया था ? क्या यह प्रजातान्त्रिक तरीका था? क्या कांग्रेस सरकार द्वारा अपना वास्तविक फासिष्ट मुखौटा उतार कर विरोधियों को जबरदस्ती नहीं पहनाया जा रहा था ?

जयपुर में रैली का आयोजन

अजमेर के सम्मेलन में श्री शेखावत के सुझावानुसार जयपुर में भी शिक्षकों की फासिष्ट विरोधी रैली निकालने का निश्चय किया गया। तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा इस मोके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। वे इस माध्यम से मुख्यमंत्री को राजी करके अपने सेवाकाल में अभिवृद्धि चाहते थे, चूंकि उनका सेवाकाल समाप्त होने ही वाला था। इसलिये उन्होंने सरकारी आदेश द्वारा जयपुर शहर के समस्त शिक्षकों का इसमें भाग लेना आवश्यक कर दिया। सरकारी आदेश में कहा गया कि सभी शिक्षकों की हाजरी सुबह 7 बजे चांदपोल के बाहर खण्डेलवाल स्कूल के प्रांगण में ली जायेगी। इसलिए न चाहते हुए शिक्षकों को वहां उपस्थित होना आवश्यक था।

यह रैली खण्डेलवाल स्कूल से चांदपोल बाजार होती हुई रामलीला मैदान में पहुंचकर एक आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। शिक्षकों की इस सभा

को मुख्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री श्री छंगानी, श्री गहलोत तथा श्री गोटेवाला ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने श्री नारायण की आलोचना करते हुए उन्हें फासिष्ट करार दिया। इस सभा में श्री संजय गांधी के पांच सूत्रों में से एक सूत्र "परिवार नियोजन" का महत्व बताते हुए इसमें सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षकों का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय कार्य होने के कारण इसे पूरा करने के लिए शिक्षकों का इसे विशेष उत्तरदायित्व बताया गया।

इस रैली से भी शायद श्री लक्ष्मीनारायण जी को अपना मनोरथ पूरा होता नजर नहीं आया, इसलिए विशेष पैमाने पर एक और रैली के आयोजन का निश्चय किया गया। संयुक्त निदेशक के आदेशानुसार इस रैली में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का भाग लेना आवश्यक था। इस रैली को भी खण्डेलवाल स्कूल से ही आरंभ किया गया तथा यह मुख्य बाजारों से होती हुई रामनिवास बाग के म्युजियम ग्राउण्ड में सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस रैली को तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री छंगानी ने सम्बोधित किया। मन्त्री जी अपना भाषण दे रहे थे लेकिन न तो अध्यापक और न ही विद्यार्थी उसे सुनना पसन्द कर रहे थे। यह सभा-स्थल नहीं था बल्कि एक गप्प-स्थल का रूप धारण किये हुए था। बेचारी अध्यापिकाएं जो कई मील पैदल चलकर आई थीं अपने भाग्य को कोसने के साथ प्रजातन्त्रवादियों के सत्यानाश की ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। आखिरकार ईश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ही लिया।

कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियन आन्दोलन का हनन

(1) **कर्मचारी एकता को समाप्त करना**—राजस्थान में लगभग 110000 अध्यापक कार्यरत हैं, यदि इतने बड़े समूह पर अधिकार स्थापित हो जाये तो कर्मचारी-एकता को नष्ट कर कर्मचारियों को अंगुली के इशारे पर नचाया जा सकता था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक-मंच की स्थापना का प्रस्ताव श्री यशपाल कपूर ने रखा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रविन्द्र मंच पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि फासिष्ट शक्तियों के विरोध में तथा प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करने के लिए इस संस्था का गठन आवश्यक है। इसके साथ यह भी घोषणा हुई कि अब राजस्थान शिक्षक-संघ नाम की संस्था का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि राजस्थान शिक्षक-संघ की कार्यकारिणी ने श्री यशपाल कपूर के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, इसलिए श्री राजकुमार विलियम, महामन्त्री राजस्थान शिक्षक-संघ, ने रोष प्रकट करते हुए राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक-मंच की स्थापना के तीन दिन पूर्व शिक्षक-संघ की प्राथमिकता सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया।

श्री यशपाल कपूर ने श्री भवंरसिंह चौधरी को इस मंच का संयोजक मनोनीत किया तथा उन्हें कार्यकारिणी मनोनीत करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया। श्री त्रिशनसिंह शेखावत इस मंच के महामन्त्री बनना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्री छंगानी से भी सम्पर्क किया था और जो इसके लिए सहमत भी हो गये थे। लेकिन श्री चौधरी श्री बिशनसिंह जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को महामन्त्री बना कर अपनी नेतागिरी को खोना नहीं चाहते थे अर्थात् पर्दे के पीछे जाना पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार से दोनों गुटों में रस्साकशी होने के कारण श्री भंवरसिंह अपनी कार्य-कारिणी की घोषणा ही नहीं कर सके और केवल मात्र संयोजक ही बने रहे। इस मंच के लिए धन-संग्रह हेतु जयपुर शहर के प्रत्येक अध्यापक से 5 रु. प्रति अध्यापक जबरन चन्दा भी वसूल किया गया। इन्कार करने पर उन्हें स्थानान्तरण का भय दिखलाया जाता था। लेकिन वह पैसा कहां गया इसकी जानकारी आज तक भी अध्यापकों को नहीं है।

इस मंच द्वारा धन संग्रह करने हेतु एक "नेहरू इन्दिरा" प्रदर्शनी का आयोजन रामनिवास बाग में किया गया। इस का उद्घाटन श्री यशपाल कपूर द्वारा कराया गया तथा मुख्य अतिथि का पद स्वयं मुख्यमन्त्री ने सम्भाला। इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सरकारी विभागों को अपने-अपने स्टाल लगाने को कहा गया। प्रत्येक स्कूल को भी स्टाल लगाने पर मजबूर किया गया था। बहुत से स्टाल खाली पड़े थे चूंकि व्यापारी लोगों की इसमें कतई रुचि नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे श्री यशपाल कपूर के हाथों "कारवाँ बढ़ता गया" प्रदर्शनी में अपनी जेब कटवा चुके थे। श्री कपूर आय के साधन ढूंढने में बहुत माहिर हैं। इसलिए उन्होंने यह सुझाव रखा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इस प्रदर्शनी को देखना आवश्यक कर दिया जाना चाहिए, जबकि इस प्रदर्शनी में शैक्षिक, वैज्ञानिक या अन्य रुचिकर स्टाल कतई नहीं थे। हाँ, स्थान-स्थान पर विभिन्न प्रकार के जुआ खिलाने के स्टाल अवश्य थे। मजबूरी की मारी अध्यापिकायें पकोड़े वगैरह तैयार कर रही थीं। क्या सरकार ने राष्ट्र के निर्माता को यही सम्मान देना उचित समझा था?

जयपुर शहर में लगभग 80000 विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी को देखा। प्रवेश शुल्क 8 आने प्रति व्यक्ति होने के कारण प्रदर्शनी के आयोजकों को 40,000 हजार से भी अधिक आय होने का अनुमान लगाया गया। इस राशि में से 28,000 का खर्चा दिखाने के बाद 12,000 की बचत होना बताया गया जो स्थानीय बैंक में जमा है।

(ii) **कर्मचारियों की जबरन सेवा-निवृत्ति**

आपातकाल में सरकार कोई रचनात्मक एवं वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकी थी। इसलिए दिन प्रतिदिन जनता में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा था। सरकार ने जनता को "स्वच्छ प्रशासन" देने का एक और नारा दिया। इस नारे का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन देना नहीं था बल्कि एक दिखावा करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने निश्चय किया कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को जबरन सेवा से निवृत्त, अक्षम और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, कर दिया जाये। इससे न केवल आर्थिक बचत ही होगी बल्कि जनता को यह झांसा भी दिया जा सकेगा कि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है। लेकिन सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ऊपरी स्तर से कारवाई आरम्भ नहीं की।

सरकार ने अधिकतर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के 3400 कर्मचारियों को अक्षमता तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धारा 244 (2) के अन्तर्गत जबरन सेवा से निवृत्ति के आदेश दे दिये। कर्मचारियों में आतंक फैलाने के लिए रोजाना ही कुछ कर्मचारियों की जबरन सेवा मुक्ति की घोषणा रेडियो से की जाने लगी। उन पर केवल अक्षम तथा भ्रष्ट होने का ही आरोप लगाया जाता था। श्री राजकुमार विलियम के नेतृत्व में कुछ कर्मचारी-नेता राज्य के मुख्य सचिव से इस सम्बन्ध में मिले। उन्होंने मुख्य सचिव से निवेदन किया कि घोषणा करते समय केवल एक ही आरोप को दोहराना उचित नहीं है, बल्कि उनका पूर्ण विवरण देना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि सरकार का उद्देश्य केवल भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाल स्वच्छ प्रशासन देना नहीं था बल्कि कर्मचारियों में आतंक फैला कर अपनी इच्छानुसार गलत कामों को करवाना था।

यदि सरकार का वास्तविक उद्देश्य भ्रष्टाचार समाप्त करना होता तो यह कार्यवाही उच्च स्तर से आरम्भ की जानी चाहिए थी, चूंकि भ्रष्टाचार तो ऊपर से आरम्भ होकर नीचे की ओर रिसता है।

क्या यह प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों को अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देने का भी अवसर नहीं दिया गया था? क्या वास्तव में आपातस्थिति का उद्देश्य गरीबी हटाओ के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन था? यदि हां, तो फिर गरीब तथा निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों? या फिर सरकार यह स्वीकार करे कि गरीबों को समाप्त करके ही तो गरीबी हटाई जा सकती है।

राज्य सरकार को आपातकालीन परिस्थितियों में प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग से वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी भी अछूते नहीं रहे। श्री मंगल बिहारी जी वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी को भी श्रीमती गांधी के निजी सचिव का कोप भाजन होना पड़ा। उनका कसूर था कि वे गैर कानूनी कार्य करके शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहते थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् श्रीमती गांधी के समर्थन में रैली का आयोजन किया गया। तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जोशी, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह चाहते थे कि राजस्थान की जनता अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। लेकिन यह सब तब ही सम्भव हो सकता था जबकि सरकारी तन्त्र का प्रयोग किया जाये।

श्री बिहारी उस समय राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अध्यक्ष थे। उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया कि वे विद्युत् मण्डल की ओर से 100 ट्रक तथा 10000 कर्मचारियों को इस रैली में भाग लेने के लिए भेजें। सरकारी वाहनों तथा कर्मचारियों का राजनैतिक पार्टी की रैली में भाग लेना कानूनी रूप से गलत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की। इसके अतिरिक्त श्री यशपाल कपूर कांग्रेसी सांसद की पत्नी ने जयपुर में पैसा बटोरने के दृष्टिकोण से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। यह प्रदर्शनी लगभग 3–4 माह तक लगी थी। इस प्रदर्शनी को मुफ्त विद्युत् देकर श्री कपूर को खुश करना तत्कालीन मुख्यमन्त्री के हित में था। श्री कपूर का प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी के बहुत नजदीक होने के कारण श्री कपूर की कृपा का अर्थ था श्रीमती गांधी का आशीर्वाद। मुफ्त विद्युत देने का प्रस्ताव जब श्री बिहारी के सम्मुख रखा तो उन्होंने इससे भी असहमति प्रकट की। अब क्या था, अब तो श्री बिहारी न केवल राज्य सरकार की निगाहों में खटकने लगे बल्कि प्रधानमन्त्री के घरेलू स्टाफ के भी दुश्मन समझे जाने लगे। भला श्री कपूर व श्री धवन (तत्कालीन प्रधान मन्त्री के निजी सचिव) उनकी इस गुस्ताखी को कैसे नजरअन्दाज करते। इसलिए श्री बिहारी को गैर कानूनी कार्य न करने के आरोप में उनकी ईमानदारी तथा कर्त्तव्यनिष्ठ के लिए पारितोषिक मिलना ही चाहिए था और वो मिला सजा के रूप में।

श्री धवन ने उन्हें दण्डित करने के लिए उन्हें आनन्द मार्ग से सम्बन्धित बतला कर 20–8–75 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री को टेलीफोन द्वारा श्री बिहारी को तत्काल कार्यभार से मुक्त करने का निर्देश दिया। श्री जोशी के लिए श्री धवन का निर्देश प्रधानमन्त्री का आदेश था। वफादार सेवक होने के नाते गैरकानूनी आदेश की पालना भी आवश्यक थी। इसलिए उस दिन से ही श्री बिहारी को कार्यभार से मुक्त करने के आदेश देकर उनसे कहा गया कि वे अग्रिम आदेश का इन्तजार करें।

सरकारी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताये इस प्रकार से कार्यभार से मुक्त करना सरासर सत्ता का दुरुपयोग नहीं था तो और क्या था ? श्री बिहारी सन् 1963 में आनन्द मार्ग के सम्पर्क में जरूर आये थे लेकिन उस संस्था की गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने सन् 1970 में इस संस्था से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था । 6 वर्ष पूर्व किसी संस्था के सदस्य होने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वे अब भी उन्हें सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं । गुप्तचर-विभाग ने भी पूर्ण जांच करने के पश्चात् इस बात की पुष्टि की थी कि श्री बिहारी पहले आनन्द मार्ग से अवश्य ही सम्बन्धित थे लेकिन अब नहीं हैं । क्या गुप्तचर-विभाग की रिपोर्ट सत्य नहीं थी, जिस पर सरकार को विश्वास नहीं हुआ ?

कार्यभार से मुक्त करने से ही सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई । सरकारी आदेशों द्वारा उन्हें लगातार 16 मास तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया, चिकित्सा बिलों का भुगतान रोक दिया गया, उनके प्रोवीडेण्ट फण्ड में जमा धनराशि के निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई । यहां तक कि उनके बैंक खातों से पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी ।

इन सब कारवाइयों का उद्देश्य केवल श्री बिहारी को आर्थिक रूप से तंग करके माफी मांगने के लिए तैयार करना था । लेकिन श्री बिहारी भी अलग ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने झुकने की अपेक्षा टूटना ही सीखा था । वे इस अन्धकारमय समय में अडिग रहे तथा केन्द्र में सत्ता पलटने के पश्चात् उन्हें ससम्मान पुनः सेवा में लिया गया ।

(iii) ट्रेड युनियन आन्दोलन का दमन

आपातकाल की घोषणा के पश्चात् 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई । इस कार्यक्रम में एक बिन्दु मजदूरों को कारखानों की व्यवस्था में भागीदार बनाना था । वास्तव में घोषणा तो श्रमिकों के हित में ही थी । लेकिन यदि सरकार की नीति का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में सरकार वास्तव में पूंजीपतियों के इशारे पर नाच रही थी ।

आपातकाल की घोषणा के साथ-साथ विरोधी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित श्रमिक युनियनों के नेताओं को मीसा या डी० आई० आर० में गिरफ्तार करने का चक्र चलाया गया । राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री भागीरथ सिंह शेखावत, हिन्दू मजदूर पंचायत के श्री हीरालाल जैन तथा सीटु के महासचिव का० दुर्गादास को गिरफ्तार कर लिया गया था । जो कुछ शेष नेता बचे थे वे भूमिगत

हो गये थे । इन परिस्थितियों में संगठनों की प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की गतिविधियां सम्भव नहीं थीं । विरोधी श्रमिक संगठनों के दमन का मुख्य उद्देश्य श्रमिक-वर्ग में कांग्रेस समर्थित संगठन (इंटक) का प्रभाव बढ़ाना था ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों को दिये जाने वाली बोनस-राशि की दर 8·33 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत निर्धारित कर दी थी । क्या यह कदम मजदूरों के पक्ष में था ? मजदूरों का शोषण के विरुद्ध हड़ताल करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था । कारखानों के मालिकों को वर्कलोड निर्धारित करने की छूट भी दे दी थी । इन सब कदमों का उद्धेश्य केवल पूंजीपती वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं था तो और क्या था ? मालिक मजदूरों के झगड़ों में समझौता वार्ता के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों को मालिक के सुझावों को मान लेनेको कहा जाता था, वरना उन्हें मीसा में गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती थी । उपरोक्त परिस्थितियों का लाभ इंटक के नेता अपना प्रभाव बढाने में लगे हुए थे । ये नेता लोग श्रमिकों से जबरदस्ती चंदा वसूल करना, विरोधी संगठनों के श्रमिकों को गिरफ्तार करवा कर उनमें आतंक पैदा करना, पुलिस द्वारा उन्हें पिटवाना तथा मालिकों से कहकर उन्हें नौकरी से निकलवा देना, श्रमिक संगठनों के कार्यालयों पर पुलिस द्वारा छापे मरवाना इत्यादि कदम उठा रहे थे । इन सब का उद्धेश्य विरोधी श्रमिक संगठनों से सम्बन्धित मजदूरों में भय उत्पन्न कर उन्हें इंटक का सदस्य बनने को बाध्य करना था । इंटक के नेताओं द्वारा उठाये गये उपरोक्त कदमों का सीटु के नेताओं ने मुख्यमंत्री, गृहआयुक्त इत्यादि को पत्र लिखकर कई बार विरोध प्रकट किया । लेकिन उनके किसी भी पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप विरोधी श्रमिक संगठन केवल नाममात्र के ही संगठन रह गये थे इंटक के नेतागण अपनी इस सफलता पर खुश हो रहे थे । लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि आपातकाल की समाप्ति के पश्चात् श्रमिक वर्ग उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ ।

आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार ने जयपुर, कोटा, किशनगढ़ तथा उदयपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी तो आरंभ कर ही दी थी । सीटु की राजस्थान राज्य कमेटी के अध्यक्ष का० मोहन पुनमिया, महामन्त्री का० दुर्गादास शिराली, तीन उपाध्यक्ष का० पूर्णानन्द व्यास, का० प्रहलाद कुमार, का० प्रभाशंकर झा, चारों मन्त्री का० प्रमेन्द्र हाडा, का० कृष्णकान्त वर्मा, का० महावीर सिंह, का० हेतराम बेनीवाल व कोषाध्यक्ष का० टीकमसिंह व कार्यकारिणी के का० गफ्फार, का० के एल० जैन, धनराज, टेकचन्द

मीसा के तहत बन्दी बना लिये गये थे। इसके अतिरिक्त उदयपुर के ट्रेड युनियन कार्यकर्त्ता अचलदास, बंशीलाल सिंघवी, ब्यावर के मांगीलाल भाटी, किशनगढ राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस के साथी गिरधारीदास, मजीद, भैंरो तथा हनुमान। स्माल स्केल कारखाना लेबर युनियन जयपुर के अध्यक्ष गोविन्द गुप्ता, कोटा के अब्दुल सत्तार, विजय शंकर, श्री नाथ, मुरलीधर, अमरसिंह, जगदीश मित्तल व एल० आई० सी० के त्रिपाठी आदि प्रमुख ट्रेड युनियन के कार्यकर्त्ता भी मीसा के तहत बन्दी बना लिये गये थे।

जयपुर व कोटा के प्रमुख ट्रेड युनियन कार्यकर्त्ताओं को कारखानों में काम करते हुए गिरफ्तार किया गया जिनमें स्माल स्केल कारखाना लेबर युनियन के प्रधान मन्त्री लतीफ, कमानी इन्डस्ट्रीज के रामनारायण भटनागर, एन० ई० आई० के विश्वम्भर सहाय, ए० पी० जे० के पान्चाल, वी० के० वर्मा आदि सूत मिलों के रामनारायण, पूर्णसिंह, कल्याण सिंह, राजेन्द्र मिश्रा आदि कई महत्त्वपूर्ण कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कार्यकर्त्ताओं की संख्या लगभग 70 थी। इन गिरफ्तार कार्यकर्त्ताओं के मामलों में पांच से दस हजार रुपयों की बड़ी जमानतें मांगी गई। बेचारे श्रमिक इतनी बडी जमानत कैसे दे सकते थे। कई मजदूरों ने किन्हीं साधनों द्वारा जमानत की व्यवस्था की तो उन्हें रिहा होते ही पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुकदमों की असत्यता तो इस बात से स्पष्ट है कि अधिकतर मुकदमें आगे चलकर खारिज हो गये।

सीटु के कार्यकर्त्ताओं पर लगाये जाने वाले मुकदमों की पैरवी करने वाले एडवोकेट चन्द्रशेखर पाराशर को भी पुलिस ने आपातकाल में धारा 107-116-151 में गिरफ्तार कर लिया। चूंकि सरकार और पुलिस यह नहीं चाहती थी कि उन द्वारा बनाए गए झूठे मुकदमें पैरवी के कारण खारिज हो जायें। जो श्रमिक गिरफ्तार किये गये उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। रिहा होने के पश्चात् नौकरी की मांग करने पर मालिकों ने पुलिस की सहायता से उन मजदूरों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करवाये। जयपुर स्पिनिंग मिल के करीब 600, पोद्दार मिल के 11, एन. ई. आई. के 17, जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा के 68, गोपाल मिल जयपुर के 15, जे. के. रोहतास इन्डस्ट्रीज जयपुर के 5, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, भवानी मन्ड के 10 श्रमिकों को बिना कानूनी जांच किए नौकरी से हटा दिया गया।

जयपुर के इन्डस्ट्रीयल ऐरिया झोटवाड़ा व जयपुर स्पिनिंग मिल के इलाकों में पुलिस व मालिकों की शह पर गुण्डों ने अपना आतंक जमाया हुआ था। गैर कानूनी ढंग से निकाले गए श्रमिक अपनी नौकरी पुनः प्राप्त करने के लिए मिल के गेट पर

पहुंचने का प्रयास करते तो ये पालतू व्यक्ति उन्हें बीच में रोक लेते थे और मारपीट करते थे । मजदूरों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पर कोई सुनवाई नहीं की जाती थी । कभी-कभी तो शिकायत कर्त्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता था । ऐसे किराए के लोगों ने दिनांक 6-12-75 को मान इन्डस्ट्रीज के श्रमिकों पर भी हमला किया जहां मजदूरों की एकता के कारण उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई । इस घटना की सूचना पाकर पुलिस तत्काल उस स्थान पर पहुंच गई । पुलिस ने कारखाने को रात भर घेरे रखा । किसी भी श्रमिक को बाहर नहीं निकलने दिया ।

दिनांक 8-12-75 को भी कारखाने को घेरा गया । पुलिस ने मेनेजमेन्ट से सीटू के कार्यकर्त्ताओं को हवाले करने की मांग की । जब इस की सूचना मार्क्सवादी विधायक श्री मोहर सिह को मिली तो उन्होंने तत्काल पुलिस-अधिकारियों से सम्पर्क कर इस अन्याय को रोकने को कहा । सदस्य महोदय के हस्तक्षेप के कारण ही उन अवांछनीय तथ्यों को गिरफ्तार किया गया । लेकिन थाने पर पहुंचकर उन्हें रिहा कर दिया गया, ताकि वे अपनी मनमानी न कर सकें ।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सरकार की नीति मिल-मालिकों एवं पुलिस की सहायता से ट्रेड युनियन आन्दोलन को समाप्त कर प्रत्येक कारखाने में सरकार की पिट्ठू युनियन इंटक का प्रभाव जमाना था । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मजदूरों की हितैषी बनने वाली सरकार वास्तव में पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली की तरह नाच रही थी ।

राजस्थान में श्री संजय की यात्राऐं

कांग्रेस के चण्डीगढ अधिवेशन के समय प्रधानमन्त्री के सुपुत्र श्री संजय गांधी को अखिल भारतीय यूथ-कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया था । श्री गांधी का उद्देश्य यूथ-कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को पछाड़ना था । यूथ-कांग्रेस की गतिविधियों से ही ऐसा सम्भव था ।

(1) बीकानेर यात्रा

इसलिए 24-3-76 को यूथ-कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक बीकानेर में आयोजित की गई । इस बैठक का धुंआधार प्रचार किया गया । राजस्थान का समस्त मंत्रीमण्डल एवं कांग्रेसी विधायकों को हिदायत दी गई कि वे सब बीकानेर पहुंच कर श्री गांधी का स्वागत करें । वैसे तो यह बैठक एक गैर सरकारी संस्था की थी, लेकिन

बैठक की तैयारियां तथा श्री गांधी के स्वागत की सब व्यवस्था सरकारी स्तर पर ही की जा रही थी। बीकानेर को सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा अलग से धन राशि स्वीकृत की गई। वह धन राशि रेल्वे रोड़ पर स्थिति मकानों को लाल रंग से पोतने में खर्च कर दी गई। श्री संजय के ठहरने की व्यवस्था बीकानेर के सर्किट हाऊस में की गई। चूंकि श्री संजय जी एक अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए सर्किट हाऊस का समस्त फर्नीचर तथा गलीचे वगैरह बदल दिए गए, जिस कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाने वाली थी उसकी विशेष रूप से सजावट की गई थी।

बीकानेर की जनता एवं सरकारी विभागों को यह आदेश दिया गया कि वे श्री संजय जी के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वागत-द्वार बनायें। डंडे के जोर के आगे सबने घुटने टेक दिए। रेल्वे स्टेशन से सर्किट हाऊस तक 100 तोरण द्वार बनवाये गए। सारा शहर नई दुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था। क्या यही समाजवादी व्यवस्था थी जिसका नारा श्रीमती गांधी लगातार दे रही थी? गरीब जनता का पैसा एक व्यक्ति विशेष, जिसकी संविधान के अनुसार कोई स्थिति नहीं थी, को खुश करने के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा था।

श्री संजय के स्वागत हेतु भीड़ इकट्ठी करने के लिए राजस्थान परिवहन निगम ने 57 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की। ये बसें नागौर, नोखा, देशनोक, सूरतगढ़, लूणकरणसर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, चुरू, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझनु, डूंगरगढ़, नापासर, कोलायत, तथा फलोदी से चलाई गई। इन बसों के अलावा प्राईवेट वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि भी जबरन पकड़ कर विभिन्न स्थानों से यात्रियों को लाने के लिए प्रयोग में लाये गये। जनता को बीकानेर लाने के लिए उन्हें मुफ्त यात्रा तथा भोजन का लालच दिया गया तथा कुछ स्थानों से तो लोगों को जबरदस्ती ट्रकों तथा अन्य वाहनों में धकेल दिया गया।

इस प्रकार गैरकानूनी तरीकों से लाखों लोगों की संख्या में जनता बीकानेर में इकट्ठी कर ली गई।

दिनांक 24-3-76 को प्रातः काल स्पेशल रेल द्वारा श्री संजय जी का बीकानेर स्टेशन पहुंचने का प्रोग्राम था। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री जोशी, मन्त्रीमण्डल के सदस्य तथा कांग्रेसी विधायक उनकी अगवानी के लिए स्टेशन पर उपस्थित थे। मन्त्रीमन्डल के सदस्य तथा विधायक-गण पंक्तिबद्ध खड़े होकर भारत

के महाराजकुमार के बीकानेर की धरती पर पदार्पण करने का बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे। ज्योंही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची श्री जोशी जी ने स्वयं नारे लगाने आरम्भ कर दिये, मन्त्रीमन्डल के सदस्यों तथा अन्य कांग्रेसी विधायकों ने उनका साथ दिया। यह कैसी विडम्बना थी कि एक प्रान्त का मुख्यमन्त्री अपने पद की गरिमा त्याग कितने निचले स्तर तक उतर चुका था। श्री जोशी ने उन्हे माला-अर्पण करने के लिए ज्योंही हाथ बढ़ाया उसी समय उनका हाथ झिड़क दिया गया। असहाय श्री जोशी ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया कि संजय जी को दिखावा पसन्द नहीं है। एक मात्र मन्त्री श्री छंगानी ही उन्हें माला पहनाने में सफल हो सके थे। इस सफलता से वे अपने आपको गौरवांन्वित अनुभव कर रहे थे।

श्री संजय के साथ यूथ-कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती अम्बिका सोनी भी थीं लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं थां। श्री संजय के स्टेशन से बाहर निकलने पर ही कांग्रेसियों को श्रीमती अम्बिका सोनी की याद आई।

स्टेशन से बाहर खुली जीप में उनका जुलूस निकाला गया। सड़क के दोनों किनारे खड़ी किराए की भीड़ सरकार द्वारा दी गई मालाओं को श्री संजय पर फैंक कर अपनी घृणा का परिचय दे रही थी। जिसका प्रमाण कांग्रेस पार्टी की लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में करारी हार है।

बीकानेर स्टेडियम में श्री संजय ने नागरिकों की एक आम सभा को सम्बोधित किया। उनका भाषण ही उनकी विद्वता का परिचय दे रहा था। उन्होंने अंग्रेजों का भारत में आगमन 100 वर्ष पूर्व बताया। उस समय भारत में सुई भी नहीं बनती थी अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ था। जबकि सारी दुनिया यह जानती है कि ढाका की मलमल ने तो ब्रिटेन में मशीन द्वारा तैयार किए गए कपडे को भी मात दे दी थी। इसके पश्चात् संजय जी ने हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कालोनी में बनाए गए फव्वारों का उदघाटन किया। श्री जोशी ने उनसे जनता के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने की प्रार्थना की। श्री संजय ने इसे ठुकराते हुए कहा, "अच्छा तो हम चलते हैं।"

देहली लौटते समय डुंगरगढ़ पर श्री संजय जी को बर्फ की आवश्यकता हुई लेकिन गाड़ी में बर्फ नहीं थी। इसलिये गाड़ी को स्टेशन पर रोक दिया गया तथा डुंगरगढ़ से एक विशेष जीप बर्फ लेने के लिए बीकानेर रवाना हुई। बर्फ आने के पश्चात् ही गाड़ी देहली के लिये रवाना हो सकी।

इस दूसरे अवसर पर बोलते हुए श्री जोशी ने कहा कि देश अगर आगे बढ़ सकता है तो श्रीमति इंदिरा गांधी और श्री संजय के नेतृत्व में ही। श्री गहलोत तत्कालीन महामंत्री, यूथ-कांग्रेस ने कहा, "यह स्वागत श्रीमती गांधी के पुत्र का नहीं है, बल्कि देश को नई दिशा देने वाले श्री संजय की नीतियों का है" केन्द्रिय राज्यमंत्री श्री पहाड़िया ने कहा कि श्री सजय गांधी युवकों के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता भी हैं।

उपर्युक्त भाषणों को सुनकर जनता मन ही मन में कांग्रेसियों की चापलूसी पर हंस रही थी, लेकिन कांग्रेसी नेता श्री संजय की चापलूसी में एक दूसरे को पछाड़ने में अपना हित समझ रहे थे।

श्री गांधी ने राजस्थान की तीन बार यात्राएं की। उन यात्राओं में सरकारी स्तर पर स्वागत करने हेतु करोड़ों की धन राशि पानी की तरह बहाई गई। वैधानिक दृष्टि से श्री संजय गांधी की क्या स्थिति थी? एक अवैधानिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए करोड़ों की धन राशि खर्च करना क्या राजस्थान की गरीब जनता के प्रति अन्याय नहीं था?

राजनैतिक गतिविधियों का दमन

अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा 21 अक्टूबर को समस्त देश में स्थापना-दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्रान्तीय शाखाओं को निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय जनसंघ का झण्डा निजी मकानों एवं कार्यालय पर फहराने का निश्चय किया गया। गंगानगर जिले की नोहर तहसील में कार्यकर्त्ताओं ने अपने निजी मकानों एवं कार्यालय पर झंडे फहरा दिये। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को जब यह मालूम हुआ तो आग-बबूला हो गये। उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर इसकी सूचना दी तथा तत्काल झंडे उतरवाने के लिए आदेश दिये। दिनांक 24 अक्टूबर को जनसंघ के कार्यकर्त्ता श्री कन्हैयालाल बंसल को स्थानीय थानेदार द्वारा सिपाही भेजकर बुलवाया गया। सिपाही ने उनके घर जाकर औरतों को डराया-धमकाया तथा झंडा उतारने के लिए कहा। श्री कन्हैयालाल प्रदेश जनसंघ के कार्यालय प्रमुख श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को साथ लेकर थाने गये तो थानेदार ने झंडा उतारने को कहा चूंकि यह प्रतिबन्धित संस्था का झंडा है। श्री तिवाड़ी ने उन्हें बताया कि यह प्रतिबन्धित संस्था नहीं है, बल्कि यह मान्यता प्राप्त दल है। थानेदार ने इस सम्बन्ध में डी० एस० पी० से फोन द्वारा बातचीत की। डी० एस० पी० का कहना था कि क्या करें, कांग्रेसी नेता

तंग कर रहे हैं। फिर 26 अक्टूबर को श्री कन्हैयालाल तथा तिवाड़ी जी के पुत्र को थाने में बुलाया गया। उन्हें झंडा उतारने के लिए धमकाया गया,वरना मीसामेंबंद कर दिये जाओगे। सिपाहियों को भेजकर जबरदस्ती झंडे उतरवा दिये गये। मुख्य बाजार में जनसंघ के नगर मंत्री श्री ललितमोहन गींदड़ा को भी दुकान से झंडा उतारने को कहा गया। इन्कार करने पर उन्हें भी थाने ले जाया गया। उपजिलाधीश, डी० एस० पी० तथा थानेदार ने कहा कि 27 अक्टूबर को मुख्यमन्त्री यहाँ आ रहे हैं। ऊपर के आदेशानुसार विरोधी दलों का कोई भी झंडा नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि झंडे नहीं उतारते हैं तो आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस पर भी उन्होंने इन्कार कर दिया तो पुलिस ने आकर दुकान से झंडा उतार कर फैंक दिया।

बांसवाड़ा जिले की घटोल तहसील के सेनावासा ग्राम में जिला जनसंघ के अध्यक्ष नागजी भाई के घर पुलिस गई। उनके बारे में पूछताछ की गई। घर वालों ने उनके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। पुलिस ने उनकी जानकारी लेने के लिए उनकी पत्नी को पीटना आरम्भ कर दिया। वह जोर-जोर से चिल्ला रही थी। जब गांव वालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो गांव वाले वहां इकट्ठे हो गये। उन्होंने पुलिस को इस कार्य से रोकने का प्रयास किया। पुलिस वालों के डंडे उन पर भी बरस पड़े। गांव वालों ने भी इसका मुकाबला किया जिसके फलस्वरूप दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गये।

दूसरे दिन गांव वालों को सजा देने के लिए सशस्त्र पुलिस गांव में गई। उन्होंने ग्रामीणों पर लाठी चार्ज किया। इस सशस्त्र संघर्ष में 200 ग्रामीण घायल हुए तथा जनसंघी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

खादी व ग्रामोद्योग कमीशन ने 24 अगस्त 76 को यह निर्णय लिया कि खादी व ग्रामोद्योग की कोई भी संस्था अथवा उसका कार्यकर्त्ता किसी भी राजनैतिक पार्टी या सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। यदि वह उसमें भाग लेना चाहेगा तो उसे पहले खादी व ग्रामोद्योग संस्था से त्याग पत्र देना पड़ेगा। कमीशन के सदस्य श्री जगतसिंह दुबे ने यह भी बताया कि कमीशन इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है कि खादी संस्थाओं के धन और कार्यकर्त्ताओं का खादी व ग्रामोद्योग के कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग करने दिया जावे अथवा नहीं।

वास्तव में उपर्युक्त घोषणा उन कर्मचारियों में आतंक और भय उत्पन्न करने के लिए की गई थी जो इस आंदोलन में श्री जे. पी. का समर्थन कर रहे थे। आपातकाल की घोषणा से पहले इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर राजनीति में भाग लेने के

लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अब प्रतिबन्ध लगाने का अर्थ सत्ता का दुरुपयोग कर सर सरकार के विरोध को समाप्त करना ही था।

सत्ता के इस दुरुपयोग द्वारा किये जा रहे अत्याचारों को जनता शान्त होकर अवश्य सहन कर रही थी लेकिन उनकी मन स्थिति निम्नलिखित कविता द्वारा प्रकट की जा सकती है। जो न केवल सत्ताधारियों को चेतावनी के भाव को ही प्रकट करती है बल्कि लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के माध्यम से उसकी सत्यता भी जाहिर होती है।

न जाने कौनसे क्षण ?
बदल जाये रूख हवाओं का ।।

कपट, छल-छदम की सत्ता,
किया करती है मनमाना।
सदा सर्वोच्च है जनता
इसे पर भूल मत जाना।

न बोलो झूंठ तुम इतनी,
न जाने कौनसे पल ?
बदल जाये रूख गवाहों का ।।

उजाड़ो मत गरीबों को
न ढाहो जुल्म जीवन पर।
न काटो पंख पौरुष के
छोड़ दो कफन तो तन पर।

बनाओ मत बहाना,
नित नई कर घोषणाओं का,
तुम्हारे 'सूत्र'-दावों का।

समय आता, कि लगती
काटने पर परछाईयां अपनी।
फूलों की जगह पर धूल
बरसाने लगे परछाइयां अपनी।

कलंकित मत करो दामन
न जाने क्या असर हो जाय ?
कब? कड़वी दवाओं का ।

न जाने कब निगल जाय,
कोई दीपक, अंधेरे को ।
तड़ित कब कोंध जाये ।
चीर कर बादल के घेरे को ।

न जाने कब उठेगा ज्वार,
जनता के अडिग विश्वास का,
मीसा में दबे उदास भावों का ।।

न जाने कौन सा हल,
हाथ में हंसिया उठा लेगा ।
क्रांति का साहस जुटा लेगा ।

न जाने किस घड़ी सिंदूर,
कब अंगार बन जाए ?
हृदय की टीस-घावों का ।।

कभीं अंगड़ाईयां लेकर
बदल जाता है जमाना
न मिलता ढूढंने से
चिन्ह कोई या ठिकाना है ।।

तुम्हारा व्यर्थ होगा रोकना,
उठते हुए तूफान का
बढते कारवाओं का ।।
न जाने कौनसे क्षण ?
बदल जाये रुख हवाओं का ।।

———

अध्याय 6

फैसला

आपातस्थिति की घोषणा के तत्काल बाद ही विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी, समाचार पत्रों पर सेन्सरशिप तथा राजनैतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी गई। जुलूस, प्रदर्शन तथा सभाओं को गैर कानूनी क़रार दे दिया गया। रेडियो तथा दूरदर्शन माध्यमों से विरोधी दलों को फासिष्ट तथा देश-द्रोही के रूप में चित्रित किया गया और राष्ट्रहित में उचित ठहराने हेतु इसका धुंआधार प्रचार किया जा रहा था।

विरोधी दलों द्वारा आपातस्थिति की घोषणा के विरोध में लोक-संघर्ष आरम्भ किया जा चुका था। साधारण जनता को इस आन्दोलन से दूर रखने का एक मात्र उपाय उनमें भय उत्पन्न करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने सख्त कदम उठाये जैसे सत्याग्रहियों को हथकड़ियां पहना कर बाजार में घुमाना, थानों में बर्बर पिटाई, जेलों में आवश्यक सुविधाओं से वंचित करना तथा भूमिगत नेताओं के सगे सम्बन्धियों तथा मित्रों को आतंकित करना इत्यादि था। लेकिन उपरोक्त कदम भी उनके मनोरथ को पूरा करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने देश के भिन्न-भिन्न भागों की यात्राएं कर आपातकाल के समर्थन में विशाल आमसभाओं को सम्बोधित करने का कार्यक्रम भी बनाया। इन सभाओं में जनता को जबरदस्ती या फिर कुछ आर्थिक सहायता देकर सरकारी तन्त्र द्वारा इकठ्ठा किया जाता था। ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जनता सरकार द्वारा उठाये गये कदम का समर्थन करती है।

कुछ स्वार्थी कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के शुभचिन्तक बनने के लिए कांग्रेस के चण्डीगढ़ अधिवेशन में उनके पुत्र श्री संजय गांधी को यूथ-कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय राजनीति में ले आये थे। अब श्रीमती गांधी यूथ-कांग्रेस के नाम पर बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को राजनीति से सन्यास लेने को बाध्य कर सकती थी। चूंकि कांग्रेसी बुजुर्ग नेता उनके लिए कभी भी कष्टदायक बन सकते थे, ऐसी शंका उनके मन में हमेशा ही बनी रहती थी।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रीमती गांधी ने यूथ-कांग्रेस की विशेष भूमिका का जिक्र करते हुए उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावशाली संस्था बनाने की इच्छा जाहिर की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ ने श्रीमती गांधी की हाँ में हाँ मिलाना ही अपने पद के हित में समझा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकारी तन्त्र एवं प्रचार-माध्यमों को श्री गांधी तथा यूथ-कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक प्रचार करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। अब क्या था, अब तो श्री गांधी ने यूथ-कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के समकक्ष बनाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा आरम्भ कर दिया। भारत के गृह मन्त्रालय ने विभिन्न राज्य-सरकारों को श्री संजय गांधी की सुरक्षा तथा उसके प्रति वी० आई० पी० का व्यवहार करने का आदेश दे दिया था। चूंकि श्री गांधी को खुश करने का सीधा-सादा अर्थ श्रीमती गांधी का आशीर्वाद प्राप्त करना ही था। इसलिए प्रत्येक राज्य का कांग्रेसी मुख्यमन्त्री इस दौड़ में अपने आपको प्रथम स्थान पर रखने के लिए उत्सुक था। उनके स्वागत के लिए सरकारी पैसा खर्च कर सरकारी तन्त्र द्वारा भीड़ इकट्ठी कर उन पर यह प्रभाव डाला जा रहा था कि वे न केवल यूथ-नेता हैं बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में भी पदस्थापित हो चुके हैं। इस उमड़ती हुई भीड़ के बारे में सुनकर श्रीमती गांधी भी फूला नहीं समा रही थी। किसी भी स्थान पर श्री संजय गाँधी के विरोध में एक भी आवाज नहीं निकलने का अर्थ था अवश्वमेध यज्ञ की सफलता। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो चुका था कि समस्त भारतीय जनता उनके द्वारा उठाये गये कदमों का समर्थन कर रही है। इसी प्रकार की सूचनाएं विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीगण भी दे रहे थे।

इसके अतिरिक्त विरोधी दलों की राजनैतिक गतिविधियां लगभग डेढ़ साल से बन्द थीं। इसलिए वे सब उनकी दृष्टि में प्रभावहीन हो चुके थे। उपरोक्त परिस्थितियों का अध्ययन कर उन्होंने लोकसभा के चुनाव कराने का निर्णय लेना उचित समझा। इसलिए 18 जनवरी 1977 को उन्होंने लोकसभा के चुनाव मार्च 77 में करवाये जाने की घोषणा कर दी। उनका उद्देश्य एक पत्थर से दो शिकार करना था। इस घोषणा के माध्यम से वह अपने आपको प्रजातन्त्र का पक्षपाती सिद्ध करना चाहती थी तथा चुनाव जीत कर पुनः सत्ता में आकर अपनी तानाशाही जकड़ को और अधिक मजबूत बना सकती थीं। चुनाव की तैयारी के लिए समय बहुत कम था। इसलिए विरोधी दलों द्वारा मुकाबले में ठहरना असम्भव ही था। चूंकि पिछले डेढ़ साल से उनकी राजनैतिक गतिविधियां बन्द थी। इसके अलावा

उनके पास साधन भी तो नहीं थे। इसलिए श्रीमती गांधी की जीत निश्चित ही थी।

चुनावों की घोषणा तो कर दी गई थी लेकिन आपातकाल को समाप्त नहीं किया गया था। केवल मात्र विरोधी दलों को सभायें इत्यादि करने की छूट अवश्य प्रदान की गई थी। पत्रों को भी सैन्सर का भय बना हुआ था, इसके अतिरिक्त विरोधी दलों को कमजोर बनाये रखने के लिए "धीरे-धीरे रिहा करो" की नीति अपनाई गई। चूंकि कार्यकर्त्ता किसी भी दल की आधार शिला हैं, इसलिए अधिकतर विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं को जेल में ही रखना उचित समझा गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में विरोधी दलों के नेता भी अपने आपको चुनाव लड़ने में असक्षम महसूस कर रहे थे। लेकिन वर्तमान युग के भीष्म पितामह श्री जयप्रकाश नारायण ने उन्हें श्रीमती गांधी की इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करने की सलाह दी। वे भारतीय जनता की नब्ज पहचान चुके थे। इसलिए उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं को कांग्रेस के विरोध में एक दल बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि विरोधी दलों के विलय के पश्चात् जनता के सम्मुख कांग्रेस पार्टी का विकल्प प्रस्तुत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप जनता को विरोधी दलों के प्रति आस्था व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न दलों के कारण जो मत-विभाजन होता है वह भी नहीं होगा। इसी मत-विभाजन के कारण कांग्रेस केवल मात्र 33 प्रतिशत मत प्राप्त करके भी शासक पार्टी बन जाती है। विरोधी दलों के विलय हेतु उन्होंने आपातकाल के दौरान एक बैठक का आयोजन बम्बई में भी किया था। लेकिन कुछ कारणों से उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। परन्तु अब परिस्थितियां विलय के पक्ष में थीं। विलय नहीं करने का अर्थ था विरोधी दलों की सदा के लिए मृत्यु तथा प्रजातन्त्र की समाप्ति। इसलिए श्री नारायण के सुझावानुसार सभी गैर साम्यवादी दलों ने दिनांक 19 जनवरी 77 को भावी चुनावों की रणनीति पर विचार-विमर्श हेतु एक संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में भारतीय जनसंघ के सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी और ओमप्रकाश त्यागी, भारतीय लोक दल के सर्वश्री बीजू पटनायक और पीलु मोदी, संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता तथा सर्व श्री श्यामनन्दन मिश्र और बनारसी दास, सोशलिष्ट पार्टी के श्री मधु दण्डवते व समर गुहा तथा युवा तुर्कों के प्रतिनिधि के रूप में सर्वश्री चन्द्रशेखर, कृष्णकान्त तथा श्रीमती लक्ष्मी कान्तमा ने भाग लिया। चुनावों के अतिरिक्त विपक्षी दलों ने श्री नारायण के सुझावानुसार मिल कर एक राष्ट्रीय दल बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। लेकिन विलय के

प्रश्न पर पूर्ण रूप से कोई समझौता न होने के कारण दिनांक 20–1–77 को बैठक का फिर आयोजन किया गया। इस मीटिंग में चार विपक्षी दलों ने मिलकर अपना विलय कर 'जनता पार्टी' के नाम से नया दल बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय की जानकारी संगठन कांग्रेस के नेता श्री मोरारजी देसाई ने देते हुए कहा कि संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक-दल तथा सोशलिस्ट पार्टी ने इस नये दल में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। श्री चन्द्रशेखर तथा उनके साथियों ने भी इस नये दल में सम्मिलित होने की घोषणा की। विलय के अतिरिक्त मीटिंग में यह निर्णय भी लिया गया कि गैर साम्यवादी विपक्षी दल अब 'जनता पार्टी' के नाम से ही आगामी लोक सभा के चुनाव में भाग लेंगे। श्री मोरार जी देसाई को इस नये दल का अध्यक्ष मनोनीत कर उन्हें केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया।

विपक्षी दलों के विलय ने कांग्रेसी खेमें में हलचल उत्पन्न कर दी। इसका आभास श्रीमती गांधी द्वारा कानपुर की सभा में दिये गये वक्तव्य से मिलता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया, "ये दल और समूह आगामी लोकसभा चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के निकट आये हैं जबकि उनके अलग-अलग सिद्धान्त हैं। इसलिए जनता पार्टी को राष्ट्रीय दल न कहकर खिचड़ी पार्टी कहना अधिक उपयुक्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन दलों के पास कोई आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। इन दलों की एकता के पीछे केवल मात्र सत्ता की भूख है।" उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी विपक्षी दलों को एक शक्तिशाली दल के रूप में देखने की अपेक्षा उन्हें छिन्न-भिन्न देखना अधिक पसन्द करती थी। जबकि लोकतन्त्र में विपक्ष का मजबूत होना एक जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा है। यदि श्रीमती गांधी वास्तव में लोकतन्त्र की पक्षपाती थीं तो उन्हें इस विलय का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन उनका विश्वास तो मात्र सत्ता में था जिसे येन केन प्रकारेण प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। विपक्षी दलों के विलय ने श्रीमती गांधी को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अब विरोधी दलों के बीच होने वाला मत-विभाजन नहीं होगा। यही मत-विभाजन कांग्रेस पार्टी की सफलता की कुंजी थी। परिणामस्वरूप अब कांग्रेस पार्टी की सफलता के आसार धूमिल अवश्य हो गये थे।

श्रीमती गांधी ने चुनावों की घोषणा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, "हम चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ग यह आरोप लगा रहे थे कि मैं हमेशा के लिए सत्ता में रहना चाहती हूं बल्कि इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस कार्य के लिए यह उपयुक्त समय है।" उनके

इस कथन से स्पष्ट है कि चुनाव कराने का उद्देश्य लोकतन्त्र को मजबूत करना नहीं था बल्कि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होना ही था। उनका यह सोचना भी ठीक ही था। चूंकि विपक्षी नेता एवं कार्यकर्त्ता पिछले 19 माह से जेलों में पड़े हुए थे। उनकी राजनैतिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थीं। चुनाव की घोषणा की तिथि तथा चुनाव की तिथि में इतना कम समय था कि इस अल्प समय में चुनावों की तैयारी करना उनके लिए असम्भव नहीं तो सम्भव भी नहीं था। इन सब बातों के अलावा उनके पास साधन नाम मात्र को भी शेष नहीं रह गये थे। इस उपयुक्त वातावरण का अध्ययन कर अपनी पार्टी की जीत के शत प्रतिशत आसार देखकर ही उन्होंने यह कदम उठाया था। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका यह कदम उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होने जा रहा है।

जनता पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने 30 जनवरी 77 को समस्त देश में चुनाव-अभियान का श्री गणेश करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार इस दिन प्रत्येक राज्य की राजधानी में आपातकाल के भय से ग्रसित जनता को भयमुक्त करने हेतु आमसभाएं करने की घोषणा की गई। चूंकि विरोधी दलों को यह भय था कि कहीं जनता शासक पार्टी के भय के कारण दिल खोलकर अपने मताधिकार का प्रयोग न करे, इसलिए सबसे पहले जनता को भयमुक्त करना आवश्यक था।

श्री चन्द्रशेखर को राजस्थान में चुनाव-अभियान आरम्भ करने का दायित्व सौंपा गया। पार्टी के निर्णयानुसार जयपुर में मानक चौक चौपड़ पर विपक्षी दल की एक आमसभा आयोजित की गई। 19 माह के पश्चात् विपक्ष की यह पहली आमसभा थी। जयपुर की जनता विपक्षी नेताओं को सुनने के लिए समुद्र की तरह उमड़ पड़ी थी। न केवल जौहरी बाजार ही पूर्ण रूप से भरा हुआ था बल्कि जनता मकानों की छतों तथा छज्जों पर भी बैठी हुई थी। सभा की विशालता ने कांग्रेसी नेताओं को दिल ही दिल में भयभीत कर दिया था। इस सभा में सर्वश्री चन्द्रशेखर, भैरोंसिंह शेखावत, सतीशचन्द्र अग्रवाल, अमृत नाहटा इत्यादि ने श्रीमती गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए आपातकाल की घोषणा करने का उत्तरदायी ठहराया। श्री चन्द्रशेखर ने जनता के सम्मुख पार्टी की आर्थिक स्थिति स्पष्ट करते हुए आर्थिक सहायता देने की अपील की। फलतः जनता की तरफ से पार्टी के कोष में लगभग 5 हजार रुपये इकट्ठे हो गये। यदि पार्टी की तरफ से चन्दा प्राप्त करने की उचित व्यवस्था होती तो सम्भवतः अधिक धन राशि प्राप्त हो सकती थी। यह वही जनता थी जो शान्त बैठकर पिछले 19 महीनों में

हुए अत्याचारों को सहन कर रही थी। लेकिन आज विपक्ष को आर्थिक सहायता देकर अत्याचारों का बदला लेने के लिए नेताओं का आह्वान कर रही थी।

चुनावों की घोषणा के पश्चात् तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजनैतिक दलों को चुनाव कार्य में राजनैतिक गतिविधियों हेतु सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इसके लिए यह आवश्यक था कि विपक्षी दल के नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाये ताकि वे राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी पार्टी के हित में कार्य कर सकें।

केन्द्रीय सरकार के अनुसार राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भी दे दिये गये थे, लेकिन फिर भी राज्य-सरकारें "धीरे-धीरे रिहा करो" की नीति अपना रही थीं, ताकि उन्हें राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका जा सके। इस तथ्य की स्वीकारोक्ति तत्कालीन गृह मन्त्री श्री रेड्डी ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करते समय की। उनका कहना था कि केन्द्र के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी राज्य-सरकारों ने बन्दियों की रिहाई के लिए तेजी से कदम नहीं उठाये हैं। क्या यह केन्द्रीय सरकार के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं था या फिर क्या राज्य-सरकारों को इस सम्बन्ध में गुप्त निर्देश दिये गये थे? सच्चाई क्या थी यह तो कांग्रेसी शासक ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी दलों के कार्यकर्त्ताओं एवं शुभचिन्तकों को धमकी या लालच देकर विपक्षी दल से विमुख करने का प्रयास भी किया जा रहा था। जयपुर से लोकसभा के उम्मीदवार श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के समर्थक श्री सतीश कुमार स्वामी को न केवल लालच ही दिया गया बल्कि उन्हें धमकी भरे पत्र भी प्राप्त हुए। लेकिन एक सच्चा कार्यकर्त्ता होने के नाते उन्होंने इसकी चिन्ता नहीं की। इसी प्रकार के उदाहरण राजस्थान में अनेकों इकट्ठे किये जा सकते हैं।

दिनांक 6 फरवरी 77 को देहली में एक ऐतिहासिक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, "इस चुनाव में किस पार्टी को विजयी बनाया जाये, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश में किस प्रकार की शासन-व्यवस्था हो। आप लोगों को यह फैसला करना होगा कि देश में तानाशाही हो या फिर लोकशाही। इस सभा को असफल करने के उद्देश्य से देहली परिवहन निगम की बसों का मार्ग बदल दिया गया था तथा दूरदर्शन पर 'बॉबी' फिल्म दिखाने का अचानक निर्णय लिया गया जैसा कि शाह कमीशन को बताया गया है। लेकिन जनता के दृढ़ निश्चय के सम्मुख शासक-दल का षड्यन्त्र सफल नहीं हो सका।

जयपुर में भी विपक्षी दलों ने माणक चौक चौपड़ पर आमसभा आयोजित की। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी भाग लिया। विभिन्न वक्ताओं ने जनता से कांग्रेस की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से सावधान रहने की अपील करते हुए लोक लोकतन्त्र के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस सभा में सर्व श्री लक्ष्मीचन्द बजाज, रघुवीर शरण निर्मल, सूर्यनारायण चौधरी, अजीतसिंह सागर, रामसिंह मनोहर, अनिल श्रीवास्तव, बकारउल अहद, सोभाग्यमल जैन तथा ओमप्रकाश गुप्ता ने भी भाग लिया। निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु सभी राजनैतिक बन्दियों की रिहाई तथा कार्यकर्त्ताओं को डराने-धमकाने की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए भी कहा गया। इसी प्रकार की मांग राजस्थान समग्र सेवा संघ ने भी की।

स्पष्ट है कि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा लोकतन्त्र बनाम तानाशाही बन गया था। विपक्ष का कहना था कि लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए कांग्रेस को हराना आवश्यक है। विपक्ष के इस नारे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा, "यह कोरा आडम्बर है और कहा कि वास्तव में मुकाबला तो जनतन्त्र और अनुशासनहीनता में है।" श्रीमती गांधी विपक्ष को अनुशासनहीनता का दोषी बतला रही थीं। कांग्रेस को लोकतन्त्र का पोषक बतलाकर भारतीय जनता को आपातकाल की ज्यादतियों से विमुख करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इसमें सफलता प्राप्त होती नजर नहीं आ रही थी।

जनता पार्टी के जयपुर से लोक सभा के उम्मीदवार श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा, "19 महीनों से हमारा शरीर कैद था, लेकिन आत्मा आजाद थी, आपका शरीर आजाद था लेकिन आत्मा कैद थी। अब वक्त आ गया है जबकि हम श्री नारायण के दिखाये रास्ते पर चलकर जनता पार्टी के माध्यम से कांग्रेस को सत्ताच्युत कर जनता का शासन जनता को सौंप दें।" राजस्थान में लोकसभा चुनाव के संचालक श्री भैरोंसिंह शेखावत प्रान्त का तूफानी दौरा कर जनता को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर रहे थे। इस प्रकार से दिन प्रति दिन चुनावी वातावरण गर्म होता जा रहा था।

19 फरवरी 77 को श्री नारायण ने रामनिवास बाग में विशाल जन-समूह को सम्बोधित करते हुए कहा, "हमें लोकशाही चाहिए या तानाशाही, यह निर्णय आप लोगों को करना है।" कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के परिणाम से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो श्रीमती गांधी संगीनों के बल जनता की छाती पर बैठकर शासन करेंगी" श्री नारायण ने जनता

पार्टी की आर्थिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता देने की अपील भी की। देखते-देखते लगभग 26 हजार रुपये कुछ ही समय में इकट्ठे हो गये। जयपुर से अहमदाबाद जाते हुए श्री नारायण ने जोधपुर और उदयपुर की जनता को जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने हेतु सन्देश भेजें।

श्री नारायण की विशाल सभा पर राजस्थान पत्रिका के सम्पादकीय में निम्न टिप्पणी की गई, "शासक वर्ग आज उनसे बेहद घबराया तथा डरा हुआ है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कांग्रेस का एक विकल्प खड़ा कर दिया है और देश में लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने का आह्वान किया है, ताकि देश में सत्ता पर एकाधिकार की दुष्प्रवृत्ति बदले व सत्ता व शासन में लोक-भावना की प्रतिष्ठा हो। शासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की उनकी अपील जन-मानस की पीड़ाओं को छूती है। कांग्रेस और प्रधानमन्त्री के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वह निरा आक्षेप या निन्दा नहीं, बल्कि राजनीति में नैतिकता तथा संवैधानिक शुचिताओं की अवगणना के प्रति उनकी व्यथा थी।"

देश के विभिन्न भागों का दौरा करके श्री लालकृष्ण अडवानी ने जनता पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि देश में जनता लहर बड़े प्रबल वेग से बह रही है। श्री चन्द्रशेखर ने भरतपुर में राजस्थान की जनता से अपील की कि बलिदानों की इस धरती पर दरबारियों का शासन नहीं आने दें।

विपक्ष के इस चुनाव-प्रचार के प्रत्युत्तर में श्री चह्वाण ने राजस्थान के विभिन्न शहरों में जनसमूह को सम्बोधित किया। उन्हाने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसकी नीति देश के विकास के लिए लाभकारी नहीं है। उनकी अजमेर चुनाव-सभा में अव्यवस्था इस हद तक हो गई कि कांग्रेस के मन्त्री श्री ओंकारसिंह को कहना पड़ा, "वोट देना न देना तो आपकी मर्जी है पर जरा हमें सुन तो लीजिए" लेकिन चुनाव-सभा में जे० पी० जिन्दाबाद के नारे लगते ही रहे। कुछ युवक इस प्रकार के नारे भी लगा रहे थे, "कांग्रेस की नसबन्दी कौन करेगा" इसके उत्तर में अन्य युवक कह रहे थे, "हम करेंगे हम करेंगे।"

कांग्रेसी सरकार चुनावी वातावरण के रुख को भांप गई थी। इसलिए चुनावी रियायतें देकर जनता का रुख अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया गया। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ रियायतों की घोषणा की गई। उदाहरणतया किसानों को बिजली तथा ट्रैक्टर ट्राली कर में छूट तथा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें इत्यादि दी गईं। श्री भैंरोंसिंह शेखावत ने इन रियायतों

को चुनावी स्टण्ट बतलाकर इनकी आलोचना की। उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्यपाल को पत्र भी लिखा जिममें मुख्यमन्त्री पर चुनाव आचार-संहिता की भावनाओं के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया। लेकिन ये रियायतें भी जनता के रुख को पलट नहीं सकीं जिसका स्पष्ट प्रमाण भरतपुर की आमसभा में श्री राजबहादुर द्वारा कहे गये शब्द हैं, "प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो" लेकिन कांग्रेसी नेता अभी भी हताश नहीं हुए थे। उनका विचार था शायद श्रीमती गांधी का दौरा जादू का का काम कर जाये। इसलिए श्रीमती गांधी द्वारा राजस्थान का दौरा करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। श्रीमती गांधी ने राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में आम-सभाओं को सम्बोधित किया। संख्या की दृष्टि से सभी विशाल सभायें थीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जनता को जबरदस्ती सुनने को मजबूर किया जा रहा हो। जयपुर की आमसभा में अपनी असफलता स्वीकार करते हुए विपक्षी दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "विपक्ष ने हमारी मुसीबतों का नाजायज फायदा उठाया है।" यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् विरोधी दलों द्वारा उनसे त्याग पत्र देने सम्बन्धी मांग की ओर स्पष्ट संकेत था। उन्होंने जनता से अपील की कि वह केन्द्र में मजबूत एवं स्थायी सरकार के लिए तथा देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ही मत दें।

श्रीमती गांधी की इन असफल चुनाव-सभाओं ने कांग्रेस पार्टी की आशाओं पर पानी फेर दिया। लेकिन इसे स्पष्ट रूप में व्यक्त भी तो नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में जीवित सांपों को छोड़ने पर भी जनता शान्त बैठी हुई अपने लोकप्रिय नेता को सुनती रही। उन्होंने कहा, "यह चुनाव कुर्सी की लड़ाई नहीं है, देश के भाग्य को बदलने का संघर्ष है। देश तकदीर के चौराहे पर खड़ा है, सवाल यह नहीं कि दिल्ली की राज-गद्दी पर कौन बैठे, किस पार्टी के हाथ में हकूमत हो। सवाल बुनियादी है। हमें तय करना है कि देश में कानून का शासन चलेगा या जंगल का, लोकतन्त्र चलेगा या तानाशाही।"

चुनावी वातावरण का अध्ययन कर राजस्थान-पत्रिका ने अपने सम्पादकीय में लिखा "मतदाता के रोष को देखकर सत्ताधारियों के सिंहासन हिल गये हैं और वे दंभ के स्थान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रतिदिन अनेक रियायतें तथा छूट देकर जनता को रिझा रहे हैं, अपने आपको जनता का सेवक बता रहे हैं, पर आपातकाल का अनुभव बिल्कुल ताजा और तीखा है और टीस की चुभन गहरी बनी हुई है। जन-

तन्त्र में जनता की प्रमुखता सर्वोपरि है। इस कथन को मतदाता ने पहचान लिया है।"

इस प्रकार से दिन प्रतिदिन जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता चला गया और आखिरकार लोकतन्त्र व तानाशाही के भाग्य का फैसला होने का दिन भी आ गया। विभिन्न मतदान केन्द्रों का दौरा करने पर यह स्पष्ट था कि जनता-पक्ष का पलड़ा भारी है। केवल यह निर्णय होना था कि जनता पार्टी कितने स्थान लेती है।

चुनाव-परिणाम की घोषणा लगातार जनता पार्टी के पक्ष में जा रही थी। इस प्रकार जनता पार्टी ने राजस्थान में 25 स्थानों में से 24 स्थान प्राप्त कर शासक-दल को केवल एक स्थान पर ही सन्तोष करने को बाध्य कर दिया। इन चुनावों की एक विशेषता यह थी कि जनता पार्टी ने 17 स्थानों पर 1 लाख से अधिक तथा 5 स्थानों पर 50 हजार से अधिक मतों से विजय प्राप्त कर भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

इसी प्रकार के परिणाम देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए थे। परिणाम स्वरूप केन्द्र में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया।

ये चुनाव परिणाम स्पष्ट करते हैं कि दरिद्र, अनपढ़ तथा गरीब भारतीय जनता ने मतदान द्वारा रक्तविहीन क्रान्ति कर तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ फैसला देकर लोकतन्त्र की जड़ों को पहले से अधिक मजबूत कर दिया।

इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी को अपनी गल्तियों के लिए पश्चाताप करने को मजबूर कर यह घोषणा करने को बाध्य किया कि भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए।

o:—:o

परिशिष्ट (I)

पत्र-व्यवहार

श्री मोहम्मद इस्माईल, संसद सदस्य द्वारा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कुचलने के विरोध में तत्कालीन मुख्यमन्त्री को लिखा गया पत्र ।

Md. Ismail
Member of Parliament
(lok Sabha)
Vice-President. CITU

4. Ashoka Road,
New Delhi—1
11 th August 1975

Dear Shri Joshi ji

I would like to draw your urgent attetion to :he mounting attacks on the CITU. CPI(M) fllowers in Rajasthan following the declaration of emergency.I visited Jaipur on 7th August 1975 and heard about the police repression on the CITU workers.

CITU which is one of the important trade union organisations in our Countrv is put under severe repression of the Rajasthan state police. Important leaders and trade union functionaries havc been detained under Misa and other punitive section ef Cr. P. C. and D.I.R. Citu head quarters in jaipur, Kota and in number of places have been sealed by the police and police pickets are being posted in front of the offices in order to threaten the CITU followers. CITU leaders and workers belong to CITU unions is each and everyfactory have been taken to police stations and subjected to therd degree tortures and forced to resign form thc CITU union and join the INTU union or resign from ihe factory itself. Particularly two police station in jaipur i.e. Banipark and Sadar where this lype of repression have been let loose. Police distance, intervening in trade union matters at the behest of the employrs who want to take away trade union rights of the workers and stiffle the voice

of the workers for the better living conditions. Workers who are refusing to resign from the CITU union are being sent to jail under various section of Cr.P.C. or DIR.

Let me give some concrete instances which explitcitly show to what extent the situation has gone.

1. In Nattonal Ball Bearing Company in Jaipur, The President aud Secretary of CITU union- which is the strongest and most representative union have been arrested. Secretary of the staff union has also been arrested. Goondas are threatening and abusing the workers who are members of CITU.

2. Inside the factory in presence of the police union executive committee members lives are being threatened with In Jaipur spinning and weaving mill where CITU union is the strongest union. President, Vice-President and the General Secretary were detained and repression is going on.

3. In Jhotwada,, two CITU union office were taken by the police forcibly and handed over to INTUC and AITUC union.

4. In Kamani Engineering Corporation Jhotwada, the CITU union offlice had been taken over by the police and Shri Satya Narayan who refused to resign from CITU union has been arrested under 302 Cr P. C.

5. In Cabanti metal which was under lock out since January 75 all 250 workers were dismissed from service and new hands have been recruited under police protection,

6. The head quarters of the state CITU at Sansar Chandra Road had been sealed by the police even without putting off the electric lights. They were burning night and day for about a month (Till 7th August)

There are few among many such instances. I do not think all these repressive activities of the police have been drawn to your attention and to your notice. Workers and employees are having every right to choose their union for a collective bargaining with the employers. This is one of the fundamental rights of our Constitution which connot be impaired by any one. The workers are having every right to choose their union on their own. But there is no justification for the interventlon of the police in trade union matters removing forcibly the duly elected leadership and foster the discredited, proemployer trade union leaders on the heads ofthe workers. People which will endange the very foundation of trade union movement in our country.

I would therefore request you to look in to this matter immediately and put an end to the naked police interference in the trade union matters and also release all these leaders and workers of CITU who were arrested under ficticious he charge. Please see that the normal trade union activities are insured without any hindrance.

An early reply is highly appreciated with regards.

Yours sincerely

sd/ Md. Ismail

Shri Hari Deo Joshi
Chief Minister of Rajasthan,
Jaipur.

श्री समर मुर्कजी, संसद सदस्य द्वारा श्रीमती गांधी को लिखा गया पत्र जिसमें ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कुचलने का विरोध तथा बन्दियों को जायज सुविधाएं देने की मांग की गई है।

Samer Mukherjee
Member of Parliament
(Lok Sabha)

4. Ashoka Road
New Delhi-1
7 th September, 1975

Dear Smt Gandhi

I here by draw your attention to the enclosed copies of two letters one written by Shri M. Ismail. M. P. to the chief minister of Rajasthan and another written by Shri GhanShyam Saran Sinha, the secretary of the Delhi Zonal Committee of the CITU to you and a note on the arrest and dismissals of the leaders of the associations of the State and Central Government employees in West Bengal. and Tripura etc. I am also enclosing two copies of memoranda submitted to the labour minister, West Bengal Government, one by the federation of the Metal and Engineering worker's unions and and another by Bengal Chatkal Majdoor union.

All these will help you to know on the basis of concrete facts how emergency is being used against the laboures and the employees and their union, particularly CITU in the intersts of the capitalists and employers by resorting to repressions and victimisations through lay offs, look-outs, closures, imposition of work loads and various other devices with the help and co-operation of the State Government. Some State Governments such as west Bengal, Tripura etc have not only arrested a good number of leaders and organisers of the associations of the government employees but dismissed them from services invoking section 311 (2) (c)

Neither the factory workers nor the government employees are right reactionary forces, on the other hand they are a part of the democratic forces. Attack on them, and their organisations in the interests of the monopolists and employers is an attack not against the right reactionary forces but against the genuine democratic forces. The facts of brutal repressions and use of third degree method against our party and CITU suporters in Rajasthan show how nakedly the Rajasthan State Government and local police are acting as the accomplice of Birla & Company and other employers.

The recent development in Rajasthen is that a batch of political prisoners detained in Jaipur jail have started continous hunger strike from 2nd September last on the demands for family allowance and same other issues. The rest will join this hunger strike in batches unless the demands are met. We feel concerned in view of the attitude of the state government and the conditions of the weak health of some of the prisoners particularly the health of Shri Mohan Punamiya, the member of the Central Committee and the our party, who is a heart patient. It is learnt that he will start hunger strike from to-day.

The demands of the prisoners are very just a d legitimate and in the past political detenues enjoyed the benfite of family allowance in various states.

The way the emergency is being used by the capitalists and the state government has caused terrible sufferings and hardships to the working class and the employees who have been the subject of attacks. Your silence on these matters will be an encouragement both to the eapitalist and the state government to pursue these attacks as mentioned in the le ers and momoranda.

I hope you will take appropriate steps to stop all these and help normalcy to be restored.

With regards

Yours Sincerely,

Samer Mukherjee

Encl :—

Smt. Indra Gandhi,

Prime Minister of India.

New Delhi.

श्री मदनमंदिर का सेण्ट्रल जेल बीकानेर से कोटा जेल की प्रकाश किरणों को पत्र:— जिसमें उन्होंने एक बन्दी की भावना को व्यक्त किया है।

सेण्ट्रल जेल—बीकानेर
2-1175

कोटा जेल की सभी प्रकाश किरणों को बीकानेर जेल के समस्त आभा पुञ्जों को दीपावली की राम राम

प्रिय श्री बिहारीलाल जी,

मेरी पत्नी कल यहां आई सैकड़ों मील चलने के बाद एक घन्टा नियमानुसार सरकारी पोशाकों की उपस्थिति में मिलाई हुई।

काफी क्षत विक्षत थी। आँखें ज्योति की कसोटी पर कमजोर थी मन से व्यथित ....। यह मिलन उसके हित में रहा उसे तसल्ली मिली कि मैं नजरबन्द स्थिति में हूं लेकिन चमक ही रहा हूं। मुझे पीड़ा हुई और जब मिल रहे थे तभी आपका दादा वाली पंक्तियों के साथ वाला कार्ड मिला एक साथ जैसे चार-पांच जने मिलने लगे कार्ड वहुत ही सटीक मिला। नवनीत चला गया ठीक ही रहा वहां 'आजाद' अकेला दुखी है झालावाड में।

दादा, रंगबल्लभ, माणकजी, शान्तीजी, भगवानसहाय, का. दर्शनसिंह, स्वर्ण जी, ओम से नमस्कार कहना। सारे ही दलों के समस्त अंग्रेजों को प्रणाम व नमस्कार हीराजी, मंत्रीजी को आशीष स्वीकार। अभी ऐसी रंजीका मनस्थिति है कि पत्नि जेल के फ्रन्ट फाटक पर अन्तिम मुलाकात के लिये खड़ी है और में भीतर से तड़फती स्थिति में मौके से देख रहा हुं। बन्दिशें कितनी यातनादायी है भोग रहा हु। वो वापस नहीं जाना चाहती। बच्चे सबबाबरे हो जायेंगे। शाम तक उसे पत्रों से मनाकर भिजवा दुंगा तब कहीं तसल्ली होगी।

प्रेस को भगवान ने सम्हाल लिया है हर्ष है— दुश्मनी हमले जारी है आप लागों की याद भी आती है। कभी कभी बहुत जौरों से। कहां तक क्या लिखें बस।

आपका
मदन मंदिर, बून्दी

राजस्थान के मुख्य नेताओं द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थय के सम्बन्ध में जानकारी चाहने हेतु पत्र—

खातीपुरा कैम्पजेल, जयपुर
दिनांक 16-11-75

होम कमिश्नर, राजस्थान
जयपुर

महोदय,

लोक-नायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थय की जानकारी प्राप्त करने हेतु परसों ता. 14-1-75 को एक पत्र हमने आपकी सेवा में भेजा था। 13 नवम्बर को अखबारों में अचानक श्री नारायण को पैरोल पर रिहा किये जाने की खबर छपी थी। उसके बाद आज तक उनके स्वास्थय के बारे में कोई जानकारी न सरकार की ओर से ही दी गई है न अखबारों में कुछ प्रकाशित हुआ है जिसके कारण हमारी चिन्ता बढना स्वाभाविक है। विश्वस्त जानकारी के अभाव में तरह-तरह की अफवाहें भी जोर पकड़ती है।

हमारी तरह देश के अन्य लाखों करोड़ों नागरिक भी अपने लोकप्रिय नेता के स्वास्थय के बारे में सही स्थिति जानने को चिन्तित होंगे। मालुम होता है कि सरकार ने श्री नारायण के बारे में किसी भी प्रकार की खबर के प्रकाशन पर पाबन्दी लगा रखी है वरना यह संम्भव नहीं था कि उनके पैरोल पर छूटने के बाद उनके स्वास्थय आदि के बारे में कोई समाचार प्रकाशित न होता। इस प्रकार नेताओं के स्वास्थय तक के बारे में सही जानकारी लोगों तक न पहुंचने देना सरासर गलत व अन्याय है।

इस पत्र के द्वारा पुन आपसे आग्रह पूर्व निवेदन है कि

1 लोक-नायक श्री जयप्रकाश नारायण कहां है उनके स्वास्थय की क्या स्थिति है आदि के बारे में विश्वस्त जानकारी अविलम्ब प्राप्त करके हमें अवगत कराने की कृपा करें।

2. उनके डाक्टरों की ओर से श्री जयप्रकाश जी के स्वास्थय के बारे में बुलेटिन प्रकाशित होने पर भारत सरकार ने कोई प्रतिबन्ध लगा रखा हो तो वह तुरन्त हटा दिया जावे।

3. अगर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हो तो सरकार की ओर से वैसा जाहिर कर दिया जावे।

कल ता० नवम्बर तक आपकी और से उपरोक्त बातों के बारे में समाधान-कारक उत्तर न मिलने की हालत में खातीपुरा कैम्प जेल में नजरबन्द हम सब लोग ता. 18 नवम्बर को अनशन करने पर बाध्य होंगे तथा उपरोक्त माँगों की पूर्ति तक हमारा अनिश्चितकाल तक अनशन चलेगा।

आपके विश्वासपात्र

गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्डा, केदारनाथ शर्मा
उजला अरोड़ा, भैंरोंसिह, आदित्येन्द्र, सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री शान्तिलाल जैन एडवोकेट का कोटा जेल से घनश्याम जी लाडला को पत्र दिनांक 21-12-75 जिसमें उन्होंने अपने बन्दी साथियों के सम्बन्ध में जानकारी दी है।

प्रिय मित्र बाणभट्ट लाडला — जिला कारागृह कोटा
को
बून्दी के पानी का शत-शत अभिवादन ।

परसों आपका पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आप, गुलजार जी और चंद्रशेखर जी नमकीन व मिठाइयों का रसास्वादन करते हुए उत्तर प्रदेश के सीमा-वर्ती बृजवासी नगर भरतपुर में सकुशल पहुंच गए। आपने यह मानकर पत्र लिखा कि बिहारी बाबू, कामरेड दर्शन, स्वर्ण भाटिया, कामरेड जगदीश एवं भगवान पंजवाणी यहीं होंगे। वास्तविकता यह है कि आपके जाने के पश्चात दूसरे ही दिन इन पांचों को भी विभिन्न स्थानों के लिए स्थानान्तरित कर दिया। इनमें से बिहारी लालजी जोधपुर, स्वर्ण अजमेर, दर्शन अलवर, पंजवाणी जयपुर व जगदीश को उदयपुर भेजा है। दर्शन व बिहारी जी का मुझे परसों पत्र मिला था वो वहां प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। इन लोगों के अतिरिक्त भी जाने के लिए कुछ और शेष रह गया था। किन्तु सच पूछो तो भावुक लोगों का तो स्थानान्तरण हो गया और चतुर लोग यहीं रह गए। आपके जाने के पश्चात सारा वातावरण बिल्कुल ही सूना-सूना लगा। मन को बड़ी ग्लानि भी हुई कि आप जैसे वीरों को तो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का अवसर मिला। किन्तु वह हमें नहीं मिल सका। इस पीड़ा के साथ संतोष इस बात का है कि इस बैरिक में बून्दी का पानी सबसे आगे रहा। बाबूजी, हीराजी व मंत्रीजी तथा माणक जी व दीगर साथी आपको बहुत याद करते हैं। आपके हिस्से के फल बाबूजी मुझे खिलाते हैं।

शेष कुशल।

आपका
शान्ति लाल जैन एडवोकेट
नेनवा

उदयपुर जेल से श्री हरीश शर्मा का श्री घनश्याम लाडला को पत्र दि. 15-1-76 का पत्र जिसमें भारत माता के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने का निश्चय दोहराया है।

आदरणीय लाडला सा०

सादर नमस्कार,

आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं एवं आदरणीय भा. सा. का आशीर्वाद मिला। हृदय प्रांगण गद गद हो उठा। वासन्ती किसलय मेरे मन के बाग में खिल उठे। नूतन वर्ष की आभा, नये आयाम लेकर आये। हर तरफ खुशियां बिखेर दे, मंगल वाद्य एवं नैसर्गिक गीत भूतल पर मानव को परमानन्द प्रदान करे। यहां सब प्रसन्न और स्वस्थ हैं। हमारे स्कूल में 29 छात्र हैं। आज सूचना मिली कि हमारा एक साथी जो केंसर से पीड़ित था पहले तो उसे उदयपुर हास्पिटल में रखा गया तत्पश्चात अहमदाबाद भेज दिया वहां उसने वीरता पूर्वक मकर सक्रान्ति को अपने प्राण त्याग दिये।

आप पत्र देते रहे सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। कोटा से डा० श्रुतिधर गुप्त का पत्र आया था उसमें लिखा था कि राज्य के नियमानुसार मुझे वहां स्थान नहीं मिलेगा। शायद फरीद को मिल गया। श्री जगदीश जी प्रसन्न और स्वस्थ हैं आप सब को याद करते हैं।

परम आदरणीय भा. सा. के प्रति मेरे दिल में अगाध श्रद्धा है। उनका स्नेह, हर परिस्थिति में एक-सा रहना, धीर, गंभीर उनके व्यक्तित्व के सजग प्रहरी हैं। भगवान ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया यद्यपि मत भिन्नता है। पर इससे क्या होता है, जहाँ निर्मलता एवं साहसिकता तथा धैर्य की पवित्रता होती है। वहां सब एकात्मक हो जाते हैं। उनके श्री चरणों में मेरा सादर शत-शत नमस्कार नमन्।

यहां मौसम अच्छा है। खिलते हुए गुल मोहर, गुलाबी गुलाब, चम्पा चमेली से वातायन में मधुरता प्रियता छाई रहती है ऐसी मस्ती की बस। इस मध्य मेरे पिताजी के तीन भाईयों (मेरे बाबाओं) का देहान्त हो चुका। सुना है नन्द जी भी वहीं हैं। उनसे कहना मस्त रहे। वीरों की तपो भूमि कारागृह सौभाग्यशाली पुरुषों को ही प्राप्त होती है। वीर सावरकर कर की सम्पूर्ण प्रतिभा अण्डमान के कठोर कारावास में और अधिक दैदीप्यमान हुई थी। अमरशहीद भगत सिंह का वजन फांसी के फन्दे पर बढ़ गया था वर्फ की शिलाएं भी उनके लिए सुखद शैय्या बन गई थी।

अतः संकटों और संघर्षों से ही अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर कल का अंशु माली शुभ संदेश लेकर आ रहा है। हमारे मित्र अग्रवाल जी अजमेर चले गए। जच्छे विद्यार्थी थे।

शेष क्या लिखं ? हमने पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया है कि हम हमारे ईश्वरत्व को प्रगट करें, इस हेतु निरन्तर अन्याय, दमन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करते रहें। चाहे फिर जो भी मूल्य क्यों नहीं चुकाना पड़े। मां के ऋण से उऋण होने का एक अवसर है क्यों नहीं सभी जागृतिक वैभव का मोह छोड़कर दीन, हीन, उत्पीडित मनुष्य जाति के अमर वैभव हेतु अपने आपको सम्पूर्ण कर दे।

प्रिय फरीद कम से कम तुम तो पत्र दिया करो यार, नन्द जी से भी पत्र देने को कहना आप दोनों एवं ढांढा सा० को मेरा नमस्कार तथा सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा विनम्र नमस्कार।

पत्र अवश्य ही दें।

आपका

हरीश शर्मा

श्री हुलासमल चौपड़ा का श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को पत्र दिनांक 26-2-76 इस पत्र में उन्होंने श्री तिवाड़ी से कुछ निर्देश चाहे हैं।

श्रातिवाड़ी जी।

सादर नमस्कार

श्री कन्हैयालाल गीदड़ा कल आया था और 107/151 के मुकदमों के फैसलों की नकल के लिए कहा मगर किस फैसले की नकल लेनी है यह कुछ नहीं बतलाया सो आप लिखें कि किस फैसले की नकल लेनी है।

श्याम कल रवाना होकर पहुंचने वाला था मगर बीमार होने से नहीं पहुंच सकेगा। आप वहां के निर्णय की बाबत पत्र से सूचित कर देवें श्री मोहनजी जोशी का पत्र आया था और यहां के डी० आई० आर० के मुकदमों की नकल मांगी थी नकल आपको दी थी वह आप उन्हें दिखला देवें। श्री दाउदयाल जी एडवोकेट 21 तारीख को जमानत पर रिहा हो गये। उनके मुंशी का पत्र कल आया था। सूरत-गढ़ वाले सत्याग्रहियों को 1-2 दिन में गंगानगर जेल में भेज दिया जायेगा ऐसा समाचार आया है। इन विद्यार्थियों पर 100 रु. जुर्माना की बाबत आपको भी श्री छाबड़ा जी ने बतलाया था अगर जुर्माना भरना है तो लिख देवें नहीं तो सजा भुगत

लेंगे जो निर्णय हो सुचित करें। मैं 1 तारीख की भाई की शादी में बीकानेर जाऊंगा। पत्र द्वारा समाचार सब लिखावें।

आपका

हुलासमल चौपड़ा

श्री गुरूशरण छाबड़ा ने सुरतगढ़ श्री से इन्द्रकुमार तिवाड़ी को दि. 13-3-76 को पत्र लिखा जिसमें सत्याग्रहियों की रिहाई के समाचारों से अवगत कराया है।

आदरणीय तिवाड़ी जी,

सादर नमस्कार।

आशा है आप सकुशल होंगे। मैं 6 मार्च को सुबह छूट गया था। कुछ दिन से बाकी के जो विद्यार्थी बीकानेर जेल में हैं उनके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और इसी लिए जयपुर नहीं आ सका।

बीकानेर में कुछ विद्यार्थी अपने सूरतगढ़ के थे जिनमें 5 आज सुबह छूट गये होंगे और सांयकाल 4 वाली गाड़ी से सूरतगढ़ पहुंच रहे हैं।

शेष 6 युवक बाकी है जिनको सजा मिली है करीब 2 माह बाकी हैं। उनकी अपील कर रखी है। शायद 2-4 रोज में ही फैसला हो जावे।

चिनियां जी अभी मिले थे और आपके हाल मालूम हो गए हैं। इसलिए मेरा शीघ्र ही जयपुर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। और अगर मेरे लायक कोई आवश्यक कार्य हो तो अविलम्ब पत्र लिख देना उसी समय पहुंच जाऊंगा।

यहां कार्यालय बन्द था जिसे पुनः शुरू कर दिया है मेरी तरफ से समस्त बन्धुओं को नमस्कार। कल मैं बीकानेर गया था और श्री टोपनदास जी मिले जमानत आदि है के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा आदेश नहीं मिला है। कृपया उनके सम्बन्ध में आप शीघ्र ही बीकानेर उनके पास समाचार भिजवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

आपका

गुरूशरण छाबड़ा

श्री हरिदेव जी जोशी,
मुख्यमन्त्री राजस्थान
जयपुर

विषय-राजस्थान की जेलों में नजरबन्द कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में,

प्रिय जोशीजी.

उपरोक्त विषय पर मैं कई दिनों से पत्र लिखने का विचार कर रहा था परन्तु मुझे सूचनाएें मिलती रही कि सरकार हमारी समस्यों को हल करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन जो इससे प्रतीत होता है कि जेलों में बन्द मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को जेलों में भी परेशान किया जा रहा है।

आपात स्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद प्रत्येक जेल में नजरबन्दी अपनी सुविधाओं तथा पारिवारिक भत्ते के सवाल पर भूख-हड़ताल करने पर मजबूर हुये थे। सभी दलों एवं संगठनों के नजरबन्द इसमें शामिल थे। इस आन्दोलन के दौरान सरकार ने कई कार्यकर्त्ताओं को दूर-दूर जेलों में बदल दिया था।

मेरे आमरण अनशन की समाप्ति के समय राज्य के गृह-आयुक्त ने जो विभिन्न आश्वासन दिये थे उसमें निम्न भी थे।

1. मीसा अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत नजरबन्द श्रमिकों और कर्मचा-चारियों को पुनः अपने स्थान पर नौकरी दिलाने में सरकार मदद करेगी।
2. सभी बन्दियों को अपने निवास स्थान के नजदीक की जेल में पुनः भेज दिया जायेगा।
3. सभी नजरबन्द कार्यकर्त्ताओं को परिवार निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

मुझे दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उपरोक्त आश्वासनों को विशेष तौर से हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में लागू नहीं किया जा रहा है।

(अ) फोजदारी कानून की धारा 107 आदि में गिरफ्तार जयपुर, कोटा, ब्यावर आदि के 200 के करीब श्रमिकों को कारखानों के व्यवस्थापकों ने नौकरी से हटा दिया था उन्होंने जेल से छुट्टी के प्रार्थना-पत्र नियमित रूप से भेजे। जमानत पर अथवा मुकदमों में दोष युक्त होने पर जब वे सभी प्रमाणों सहित कारखाने में काम पर उपस्थित हुए तो काम पर लेने से इन्कार कर दिया। जब इन श्रमिकों अथवा इनके संगठनों ने श्रम-आयुक्त या गृह-आयुक्त के पास अपनी शिकायत की तो उन्होंने उन श्रमिकों की मदद करने से इन्कार कर दिया।

(ब) विभिन्न क्षेत्रों के हमारे जिन नजरबन्द साथियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा था, उनमें से कई लोगों को पुनः अपने स्थानों पर नहीं भेजा जा

रहा है। जयपुर के साथी महावीर सिंह हाड़ा इसी मांग को लेकर अजमेर जेल में अनशन कर रहे हैं सीकर के विद्यार्थी किशन सिंह को उदयपुर जेल से रख छोड़ा है कोटा के साथी प्रभाशंकर झा व प्रमेन्द्र ढाढा भरतपुर जेल में है ! और भरतपुर के जिलाधीश के आश्वासन करने पर या भी वे कोटा नहीं भेजे जा रहे हैं। विद्यार्थी कार्य कर्त्ता फरीदुल्ला को भरतपुर से पुनः कोटा भेजने के बजाय जयपुर भेजा गया। बूंदी के साथी दर्शन सिंह को पहिले अलवर वहां से बूंदी तथा चार ही दिन में भरतपुर भेज दिया गया। कोटा के श्रमिक कार्यकर्त्ता श्रीनाथ को पहले बीकानेर और वहां से कोटा के बजाय अजमेर भेज दिया गया। कोटा के रेल्वे मजदूर कार्यकर्त्ता जगदीश प्रसाद उदयपुर जेल में हैं। बून्दी के साथी घनश्याम लाडला को कोटा से भरतपुर और वहां से अजमेर भेज दिया गया।

इसी तरह इन कार्यकर्त्ताओं को परेशान करने के पीछे क्या तर्क है यह समझना कठिन है। साथी प्रमेन्द्र ढाढा को उपचार के लिए भी जेल से बाहर अस्पताल भेजने पर पाबन्दी है। सरकार की इस नीति के फलस्वरूप इन नजरबन्द कार्यकर्त्ताओं के परिवार जन उन्हें महिनों नही मिल सके। कठिन आर्थिक परिस्थितयों में उन्हें पहिले ही दबा रखा है।

क्या यह सब कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए ही तो नहीं की जा रही है।

(स) हमारी पार्टी के कई कार्यकर्त्ताओं को अभी तक परिवार निर्वाह-भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जयपुर के कुछ अजमेर जिले के अधिकतर तथा कोटा के कई कार्यकर्त्ताओं के परिवार जनों को यह आर्थिक सहायता नहीं मिली है।

अंत में मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न की ओर आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। जैसा आपको विदित है मैं कई रोगों से ग्रस्त हूं और मुझे सूचना मिली है गृह-आयुक्त की अध्यक्षता में जेल ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बीच बैठक में यह निर्णय हुआ कि Oxyxen Gas Cylender, E. C. G. Machine तथां emergency उपचार की व्यवस्था जयपुर जेल में ही कर दी जायेगी। परन्तु आज तक इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। इससे क्या परेशानी हो सकती है, यह समझना कठिन हैं।

अंत में इन तथ्यों की ओर आपका ध्यान आर्कषित कर मैं अनुरोध करूंगा कि—

1. नौकरी से निकाले गये श्रमिकों को जेल से रिहा होने पर पुनः अपनी नौकरी पर जाने के वायदे को पूरा करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठायें।

2. सभी नजरबन्द कार्यकर्त्ताओं को तुरन्त पुनः अपने घर की नजदीक की जेल में भेजा जाये।

3. जिन कार्यकर्त्ताओं को अभी तक परिवार निर्वाह भत्ता स्वीकार नहीं किया है उन्हें तुरन्त यह भत्ता दिलाए जाने के आदेश दें।

मैं आशा करता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों को जेल में फिर सत्याग्रह का मार्ग अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।

तुरन्त आशाजनक उत्तर की प्रतीक्षा में।

केन्द्रीय कारागृह
जयपुर
ता० 9-3-76

भवदीय
(मोहन पुनमिया)

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा का बीकानेर जेल से श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को पत्र के माध्यम से बन्दी साथियों के उच्च मनोबल से परिचित कराया गया है—

जिला कारागृह, बीकानेर
मार्च 30, 1976

मा० तिवाड़ी जी,

एक लम्बे समय के पश्चात् यह पत्र लिख रहा हूं। वैसे प्रतापजी आपको बराबर समाचारों से अवगत करवाते रहे हैं। आपके द्वारा भी हमारी बराबर सम्भाल रही है। यहां के बन्धुवर इससे अनुग्रहीत हैं।

आज से दो दिन पूर्व यहां से श्री गोकुल प्रसाद पुरोहित (भू. पू. कांग्रेसी विधायक) राजगढ़ तहसील के दो मार्क्सवादी, विद्यार्थी परिषद के श्री रमेश खत्री (पैरोल पर) एवं एक बीकानेर से मीसा में रिहा किए गए हैं। हम सभी यहां निश्चित भाव से प्रसन्न चित्त हैं। सभी स्वस्थ एवं सानन्द हैं। वैसे तो प्रातः स्मरण और प्रार्थना का कार्यक्रम नियमित है ही और शेष समय कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यही विश्वास है कि अविवेक कभी थकेगा ही अथवा झुकेगा। यहां हमारी ओर से किसी को भी जल्दबाजी नहीं है। यह भी अति सुखद बात है कि अपने जिले में कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी बन्धु अपने स्थान पर दृढ़ हैं।

बनवारी जी (तारानगर) की अभी तक बेल नहीं हुई है। उनके पिताजी अस्वस्थ हैं। 107 के बन्दी होते हुए भी जमानत में विलम्ब कैसे हो रही है? प्रतापजी, टोपनजी, रिद्धजी सागरजी, त्रिवेदीजी, कृष्णजी (सरदारशहर) यहां से आपको सादर नमस्कार भिजवा रहे हैं। यहां सभी के मनोबल दृढ़ हैं।

और कोई विशेष समाचार नहीं है। अन्य सभी मान्यवरों को हम सभी का प्रणाम ।

कोई योग्य सेवा हो तो सूचित करें।

आपका अपना
जगदीश चन्द्र शर्मा

श्री सिद्धराज ढड्ढा जी का विनोबाभावे को पत्र, जिसमें उन्होंने आपातकाल की घोषणा के लिए कांग्रेस सरकार की निन्दा की है। सरकार द्वारा विरोधी दलों पर लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए विनोबा भावे को परिस्थितियों से अवगत कराया है—

आदर्श कारागार, अजमेर, राजस्थान
16 मई, 1976।

पूज्य बाबा,

चरणों में सादर प्रमाण !

गत 25 दिसम्बर को आपकी मौन-समाप्ति के पहले एक पत्र आपको लिखा था। उसके बाद भी कई बार लिखने का विचार आया, पर चूंकि आपने यह जाहिर किया था कि आप 'राजनीतिक' बातों में नहीं पड़ना चाहते, अध्यात्म और विज्ञान दो ही विषयों में कुछ कहेंगे या सुनेंगे, इसलिये नहीं लिखा क्योंकि कौनसी बात राजनीतिक मानी जाय कौनसी नहीं, यह समझना मुश्किल था। मेरे ख्याल से देश की जनता की आजादी-लिखने, बोलने, सभा-संगठन करने, विचारों को अभिव्यक्ति और उनके प्रचार-प्रकाशन आदि की स्वतंत्रता—ये राजनीतिक नहीं आध्यात्मिक प्रश्न ही हैं क्योंकि इस और ऐसी ही अन्य मूलभूत स्वतंत्रताओं के अभाव में जीवन कुंठित हो जाता है, मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाता ! ऐसा मैं मानता हूं, इसलिये यह पत्र लिख रहा हूं। मैं आपके पास आ सकता होता तो पवनार आकर प्रत्यक्ष में इन बातों की चर्चा कर लेता पर वह तो संभव नहीं है।

पिछले दो-ढाई वर्षों में श्रद्धेय जयप्रकाशजी के नेतृत्व मे मैंने—और मैं मानता

हूं कि देशभर में कई अन्य सर्वोदय सेवकों ने भी—जो कुछ किया वह इस बात से प्रेरित होकर किया कि इन्दिराजी की नीतियों और कार्यकलाप से उत्तरोत्तर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत में तानाशाही का, और अतः व्यक्तिगत आजादी की समाप्ति का खतरा बढ़ रहा है, जो 25 जून 1975 के बाद की घटनाओं से साबित भी हो गया। बीस-पच्चीस बरस तक आपके और जे० पी० के नेतृत्व में 'लोकनीति' का पाठ पढ़े हुए और अपने जीवन का अच्छे से अच्छा और इतना लम्बा अरसा उसकी उपासना में गुजरे हुए लोगों के बारे में यह मान बैठने का कोई कारण नहीं था कि वे किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्य से, अर्थात् सत्ताकांक्षा की दृष्टि से यह सब कर रहे थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कई साथियों ने और स्वयं आपने भी यह मान लिया कि हम "राजनीति" में उलझ गये हैं। शायद इतिहास की किसी भी कसौटी पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि जयप्रकाशजी के नेतृत्व में चलने वाला आन्दोलन सत्ताकांक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा था, चाहे इस प्रकार की आकांक्षा मन में रखने वाले कुछ व्यक्ति उसमें शामिल हो गए हों जैसा हर जन-आंदोलन में संभव है। बाद में भी इन्दिराजी से स्वयं हट जाने की मांग, या जन-तांत्रिक तरीकों से उन पर हट जाने का दबाव लाने के लिए जो आह्वान किया गया वह भी किसी व्यक्तिगत कारण से या अकारण उन्हें हटाने के लिए नहीं किया गया था। वह इसलिए हुआ कि यह स्पष्ट होता जा रहा था कि इंदिराजी का एकमात्र लक्ष्य किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता और पद को कायम रखने का था भले ही देश की जनता का या जनतंत्र का "जैसा भी लूला-लंगड़ा वह था जो भी हो। जे० पी० की रहनुमाई में चलने वाला आन्दोलन किसी व्यक्ति, दल या दल-समूह की सत्ताकांक्षा से प्रेरित था, या कि उसके कारण देश मे अव्यवस्था फैलने या टूटने का खतरा था यह सब इतना स्पष्ट झूठ है कि अगर यह सारा प्रचार इमरजेंसी के बहाने हथियाये हुए तथाकथित कानूनी अधिकारों की तथा सरकारी पक्ष, इंदिराजी और उनके समर्थकों के सिवा उनसे भिन्न राय रखने वाले अन्य सब नागरिकों या नागरिक संगठनों पर लगाई गई पाबन्दी की आड़ में उस झूठ को सुरक्षित कर लेने के बाद वह नहीं प्रचारित किया गया होता तो एक क्षण भी वह नहीं ठहर सकता था, न भविष्य में यह अस्वाभाविक परिस्थिति हट जाने पर ठहर सकेगा। दुःख इस बात का है कि आपकी ओर से भी इन तानाशाही कदमों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकला, बल्कि जो निकला उसका असर उल्टा ही हुआ। "अनुशासन-पर्व" वाले आपके कथन का जो दुरुपयोग इंदिराजी ने किया उसका प्रतिवाद भी अगर आपकी ओर से हो जाता तो सत्य को थोड़ा सहारा मिलता।

इस प्रसंग में मुझे अनायास ही इतिहास की ऐसी ही एक घटना का स्मरण हो आया जिसका उल्लेख मेरे आशय को स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं। सन्

1956 में रूस की फौजों ने हंगरी के नौजवानों की उमड़ती हुई स्वातन्त्र्य-प्रिय भावनाओं को कुचल दिया था। उनमें से बहुत से विद्रोही नौजवानों ने भाग कर पड़ौसी आस्ट्रिया में शरण ली थी। करीब दो साल बाद सन् 1958 में जब जयप्रकाश जी यूरोप की यात्रा पर गये तब आस्ट्रिया की राजधानी वियना में इन स्वातन्त्र्य-प्रेमी नौजवानों ने उनके सम्मान में एक सभा आयोजित की थी। प्रभावती दीदी तथा मैं इस सभा में जे० पी० के साथ हाजिर थे। जे० पी० ने अपने भाषण में हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में उन लगभग निहत्थे नौजवानों द्वारा रूसी टैंकों का मुकाबला करने की प्रशंसा की थी। सभा के अध्यक्ष ने अन्त में धन्यवाद देते हुए बड़े मार्मिक शब्दों में कहा कि उन दो दिनों में जब बुदापेस्ट के नागरिक रूसी फौजों का मुकाबला कर रहे थे उस समय भारत की आजादी की लड़ाई के एक सेनानी, भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री और स्वतन्त्र राष्ट्रों के एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता पं० जवाहरलाल नेहरू का एक शब्द भी अगर उनके समर्थन में निकल जाता तो शायद हंगरी के उस मुक्ति-संघर्ष का नतीजा दूसरा ही होता। ऐसी ही कुछ अपेक्षा इमरजेन्सी लागू होने और नागरिक अधिकारों तथा अखबारों आदि पर पाबन्दी लगने के बाद, खास करके 24 दिसम्बर और फिर 18 जनवरी के बाद, इस देश में सैकड़ों-हजारों लोगों को आप से थी। अगर यह मान लिया जाय कि आन्दोलन गलत था इमरजेन्सी लागू किये जाने की परिस्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी भी जयप्रकाश जी और विरोधी नेताओं की थी, तब भी जिस प्रकार से नागरिक स्वातन्त्र्य को कुचल कर सेन्सरशिप के द्वारा अखबारों का मुंह बन्द करके, लगभग लाख-दो लाख नागरिकों को जेलों में ठूंसकर तथा न्यायपालिका को धीरे-धीरे पंगु बानकर सारे राष्ट्र को सजा दी जा रही है और जनतन्त्र को समाप्त किया जा रहा है उसका क्या औचित्य है? क्या यह भारत की प्रजा के प्रति द्रोह नहीं है? क्या इसका विरोध भी 'राजनीति' की कोटि में आता है? भारत की जनता पर लादी गई इस तानाशाही के खिलाफ अगर आपका एक शब्द भी निकल जाता तो परिस्थिति शायद दूसरी ही होती।

स्वयं इन्दिरा जी और उनके साथी कितना सरासर झूंठ प्रचार कर रहे हैं यह आपके ध्यान में भी शायद आया होगा। अभी हाल का एक ताजा उदाहरण है। भारत के गृहराज्य मन्त्री श्री ओम मेहता अभी मैक्सिको गये थे। वहां के एक दैनिक 'एक्सेलसियर' को उन्होंने एक भेंट-वार्ता में जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट यहां की अब एक मात्र और भारत सरकार द्वारा अधिकृत समाचार एजेन्सी 'समाचार' द्वारा ता० 29 अप्रेल को प्रचारित होकर लगभग सभी राष्ट्रीय दैनिकों

में प्रकाशित हुई है। उसका एक कटिंग इसके साथ भेज रहा हूं। श्री मेहता ने इस भेंट में कहा है कि 'गत जून में इमरजेन्सी की घोषणा के बाद जो बहुत से लोग पकड़े गये थे।' उनमें से अधिकांश छोड़ दिये गये हैं, "ओनली दीज बिलीविंग इन टैररिस्ट मैथड्स वर स्टिल हैल्ड अन्डर डिटेन्शन।" श्री मेहता के अनुसार तो इस प्रकार हम सब भी आतंकवादियों की श्रेणी में ही आते हैं। आगे चलकर श्री मेहता ने फिर सेना और पुलिस को जे० पी० द्वारा भड़काये जाने के उस झूठे आरोप को दोहराया जिसका कोई प्रमाण आज तक भारत सरकार जे० पी० के भाषणों या लेखों से नहीं दे सकी है, सिवा उस झूठ को बार-बार दोहराकर उसे सच का जामा पहनाने की कोशिश करने के। लेकिन इस बार श्री मेहता ने यहां तक कह डाला कि जे० पी० पुलिस और सेना को "गेव एन औपन काल.....टू टेक पावर बाई फोर्स।" श्री मेहता की दृष्टि में तथ्यों का कोई मूल्य नहीं है। यह इसी भेंट के आगे के उस अंश से भी जाहिर है जिसमें उन्होंने यह कहा कि 'गुजरात में विरोधी दलों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चुने हुए प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया।' सब जानते हैं कि गुजरात में यह आन्दोलन छात्रों की नव-निर्माण समिति के हाथों में था और त्यागपत्रों के पहले जे० पी० गुजरात गये भी नहीं थे। पर श्री मेहता जानते हैं कि आज न कोई उनकी बात का प्रतिवाद करने का साहस करेगा और करेगा तो भी वह प्रकाश में नहीं आ सकेगा, इसलिए चाहे जैसी अनर्गल बातें वे कह सकते हैं।

श्रीमती गांधी और उनके साथी आये दिन गोलमोल शब्दों में और जनरल ढंग से ऐसे 'वाइल्ड' आरोप लगाते रहते हैं कि शब्दों में तो उनको कोई पकड़ न सके लेकिन पढ़ने और सुनने वाले पर जिनका सीधा असर यह हो कि वे बातें 'विरोधी' नेताओं के लिए ही कही गई हैं। इसी इन्टरव्यू में श्री मेहता ने विरोधी पार्टियों का जिक्र करते-करते साथ में एक बात यह भी कह दी कि—"दी गवर्नमेंट हैड आलसो डिस्कवर्ड ए कान्सपिरेसी टू डू अवे विथ दी प्राइम मिनिस्टर एण्ड अदर मेम्बर आफ हर केबिनेट इन जून लास्ट।" इस प्रकार के षड्यन्त्र का आरोप कोई छोटा-मोटा नहीं है। अगर सचमुच ऐसा है तो वह राष्ट्र की दृष्टि से भी गम्भीर बात है। ऐसी गम्भीर बातों को इस हल्के ढंग से दोहराते रहने की अपेक्षा सरकार को चाहिए कि जिन पर शंका हो उन पर अदालत में मुकदमें चलाये। विरोधी दल वालों ने भी शासक दल पर आरोप लगाये हैं पर ऐसे मौकों पर उन्होंने साथ-साथ सरकार से उनकी जांच करवाने की मांग भी की है। जांच कराने न कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रधानमन्त्री स्वयं भी अपने भाषणों तथा वक्तव्यों आदि में विदेशी सहायता, या हिंसात्मक कार्रवाईयों आदि के बारे में इसी तरह

जनरल आरोप लगाती रहती हैं। जाहिर है कि उनका उद्देश्य ऐसी कार्रवाईयों को रोकने का नहीं है, सिर्फ उन लोगों को बदनाम और "डिमोरेलाइज' करने का है जो उनकी नीतियों को राष्ट्र के हित में गलत मानते हैं और इसलिए उनका विरोध करते हैं। बिना किसी प्रकार का प्रमाण दिये, या सामने वाले को सफाई का मौका दिये, ऐसी गम्भीर बातें कहते रहना अन्याय तो है ही, राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन के लिए भी घातक है।

इन्दिराजी की 'पोलिटिकल डिसओनेस्टी' का एक और उदाहरण यह है कि जो बात गुप्त नहीं जग-जाहिर है—कि जे० पी० के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन में कौन-कौन से दल या संगठन शामिल हैं, उस विषय में भी वे अजानकार व्यक्ति की तरह इस आन्दोलन के साथ जमाते इस्लामी, आनन्द मार्ग और नक्सल-पंथियों को जोड़ती रहती हैं।

इन्दिरा जी ने शायद यह मान लिया है कि जो लोग उनकी नीतियों से या उनसे सहमत नहीं हैं उनके बारे में सामान्य सचाई या शिष्टाचार बरतने की भी जरूरत नहीं है न उनकी जान-माल, उनकी आजादी या उनके सामान्य अधिकारों की कोई कीमत है। अभी कुछ दिन पहले सत्ता-कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवकान्त बरुआ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आनन्द मार्ग का जिक्र करते हुए अहमदाबाद की एक सभा में कहा था कि 'हमें इन लोगों को जेल में डालना पड़ा क्योंकि "न तो उन्हें समुद्र में फेंक सकते थे, न देश-निकाला दे सकते थे।" ये शब्द इसी तरह उनके भाषण की रिपोर्ट में उद्धृत किये हुए थे। श्री ओम मेहता ने भी मैक्सिको वाली भेंट-वार्ता में गिरफ्तार लोगों का जिक्र करते हुए कहा बताया कि 'मुल्क में 60 करोड़ लोगों की आबादी के अनुपात में राजनैतिक बंदियों की संख्या नगण्य है।' श्री ओम मेहता ने या भारत सरकार ने शायद लोकतन्त्रीय व्यवस्था में कोई नया सिद्धान्त तय किया है कि आबादी के अनुपात में अमुक प्रतिशत तक संख्या में नागरिकों को बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाये और उन्हें किसी प्रकार के बचाव का मौका दिये बिना अनिश्चित काल के लिए जेलों में बन्द रखा जा सकता है। जहां साठ करोड़ लोग हों वहां लाख-दो लाख को अगर इस तरह जेल में डाल भी रखा तो क्या हर्ज है। लेकिन श्री ओम मेहता या श्री बरुआ जैसे लोग तो इन्दिराजी के इशारे पर चलने वाले हैं। वे स्वयं भी अपने से असहमत लोगों के प्रति क्या भावना रखती हैं यह कुछ दिन पहले उनके खुद के एक भाषण से जाहिर हुआ था, जब उन्होंने बंगला देश की अभी हाल की घटनाओं की याद दिलाते हुए कहा था कि 'हमने तो विरोधियों को जेल में ही डाला है, बंगला देश की तरह नहीं किया।' इस कृपा के लिए तो हम उनके कृतज्ञ अवश्य रहेंगे।

इस प्रकार की बातें क्या एक रोगी राजनैतिक मानस की सूचक नहीं हैं? जिस देश की प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण और शासक दल के अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार माने जाने वाले लोग इस तरह की बातें करें और अपने व्यक्तित्व का पद के साथ, अपने दल का सरकार के साथ और सरकार का देश के साथ समीकरण करें तब अधिकारी और कर्मचारी लोग राजनैतिक असहमति रखने वालों को देशद्रोही समझने लगे और उनके प्रति सामान्य न्याय भी न कर पायें इसमें क्या आश्चर्य है? आपको शायद मालूम हुआ होगा कि राजस्थान के पुराने और प्रतिष्ठित रचनात्मक कार्यकर्त्ता, श्री रूपलाल सोमाणी जो अभी जेल में हैं और जो राजस्थान खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य थे उन्हें राजस्थान सरकार के उप-सचिव की ओर से पत्र मिला कि "आपकी राष्ट्र-विरोधी कार्रवाईयों को ध्यान में रखते हुए.... आपको उक्त बोर्ड की सदस्यता से क्यों न पृथक् कर दिया जाय?" प्रधानमन्त्री तथा अन्य जिम्मेदार लोगों की ओर से जब ऊपर बताये अनुसार वातावरण बनाया जा रहा है तब सरकार के सचिव की निगाह में अगर 'सरकार का विरोध' और 'राष्ट्र-विरोध' एक ही चीज हो गये हों तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसी प्रकार भावनगर के सर्वोदय सेवक श्री कीर्तिकुमार कुछ अरसे से 'भूमिपुत्र' में से अपनी पसन्द का कोई उद्धरण बोर्ड पर लिखकर मोहल्ले के सार्वजनिक स्थान पर लगाते रहे हैं। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पुलिस दो बार उनके बोर्ड उठा ले गई। लिखित स्पष्टीकरण देने के बावजूद न तो पुलिस बोर्ड वापस देती है, न कीर्तिकुमार भाई पर कोई केस चलाती है, व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह जरूर देती है कि 'भाई, राज्य बदल गया, अब आप भी बदल जाइये न?' देश में कैसी लोकशाही चल रही है यह इस घटना से स्पष्ट है। लोकशाही हुई तो क्या हुआ, 'यथा राजा तथा प्रजा' तो पुरानी परम्परा है। ये घटनायें अपने-आप में शायद छोटी मालूम हों पर वे इस बात की सूचक है कि इमरजेन्सी ने देश में कैसा 'अनुशासन' पैदा कर दिया है।

पिछले कुछ सप्ताहों से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में एक और अत्यन्त आश्चर्यजनक 'फिनोमिनन' प्रकट हुआ है जिसका 'पैरेलल' शायद आधुनिक इतिहास में किसी देश में नहीं मिलेगा। मेरा श्री संजय गांधी से परिचय नहीं है। 'मारुती' के प्रसंग के अलावा कभी सार्वजनिक चर्चाओं में उनका नाम भी नहीं सुना था। व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं है, बल्कि कभी कभी उनकी स्पष्टवादिता ताजा हवा की तरह मालूम पड़ती है। पर जिस प्रकार इस 'संजय फिनोमिनन' का नाटक चल रहा है वह नितान्त अशोभनीय, शालीनता से रहित,

सार्वजनिक क्षेत्र में असाधारण चापलूसी को बढ़ाने वाला तथा उसकी गरिमा को गिराने वाला है। शासन-व्यवस्था एकायतन हो, बहुसंख्यायतन हो या सकलायतन, सार्वजनिक और व्यक्तिगत आचरण की कुछ मर्यादाएं, कोई स्तर रहेगा या नहीं? जिस बेशरमी के साथ 'संजय-फिनोमिनन' के प्रसंग में इन सब चीजों का उपहास, किया जा रहा है, उसे भी आप राष्ट्र के हित में मानते हैं क्या?

कई बार आपकी यह राय प्रकट हुई है कि खासकर आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस समय भारत की बागडोर इन्दिरा जी के हाथ में रहना श्रेयस्कर है। मेरी तरह शायद कई व्यक्तियों के मन में यह सवाल उठता होगा कि इन्दिराजी के हाथों जिस 'भारत' का हित होते आप देख रहे हैं वह 'भारत' आखिर है क्या? क्या इस देश के पहाड़, नदी, मिट्टी, पत्थर ही भारत हैं या हजारों वर्षों की तपस्या से निखरे हुए मूल्य, परम्पराएं, व्यक्ति का स्वातन्त्र्य, मनुष्य होने के नाते मनुष्य के अधिकार—इन संकल्पनाओं का भी कोई मूल्य है, या 'भारत' की उस तस्वीर में इनका भी कोई स्थान है?

पत्र बहुत लम्बा हो गया है उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कुछ अनुचित बात लिखी गई हो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पर ऊपर लिखे अनुसार कई प्रश्न हैं जो मन को व्यथित करते रहते हैं। जिनसे पिछले पच्चीस-तीस बरस से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन लिया है उन्हें यह सब व्यथा न लिखी जाय तो किसे लिखी जाय? एक बार आपने मुझे सन्देश भिजवाया था कि मन को शान्त रखूं। उसके महत्त्व को मैं समझता हूं, फिर भी जिस स्तर पर हूं उस पर रहते हुए ईमानदारी से जो महसूस करता हूं उसे आपके सामने रखा है। शायद आप मौजूदा अन्धकार में से कोई मार्ग बतलायें। मैंने ये प्रश्न किसी 'राजनीतिक' दृष्टि से नहीं उठाये हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए जीवन-मरण के प्रश्न हैं इसलिए इनकी चर्चा आवश्यक है। मेरे सोचने-समझने में कहीं भूल हो रही हो तो वह भी बतायें ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि शायद मेरी तरह कई अन्य साथियों के मन को भी ये और ऐसे प्रश्न व्यथित कर रहे होंगे।

विनीत,

सिद्धराज ढड्ढा

श्री हेतराम बेनीवाल बीकानेर जेल से श्री लाडला जी को पत्र दिनांक4-7-77 । पत्र में अनुभव भाविष्य की ओर संकेत किया है—

बीकानेर
4-7-77

प्रिय साथी लाडला जी,

लाल सलाम ।

आपका पत्र मिला है । आप जैसे बहादुर से हमें बहुत उम्मीद है । परिवार के कष्ट के समाचार भी मिले हैं । यह तो वास्तविक जीवन की अनुभूति करवाते हैं । माताजी की तबीयत का समाचार देना । जयपुर में सम्पर्क करके समाचार देते लेते रहना । अंधेरा काफी गहरा हो चुका है फिर भी सुबह तो होगी ही ।

जिस प्रकार शांत समुद्र में गम्भीर तूफान छुपा रहता है आज देश की जनता चुप है कब क्या होगा यह अपने जानते हैं । वक्त पर सब कुछ होगा । सभी साथी आपको याद करते हैं । मदन के माध्यम से हम सभी ने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है ।

आपका
हेतराम बेनीवाल

श्री महेश जी का श्री भंवरलाल शर्मा को पत्र, जिसमें प्रशासन की अकर्मण्यता का जिक्र है—

"बन्देमातरम्"

केन्द्रीय कारावास
जोधपुर
दि. 12-7-76

आ० वकील सा०

सा० प्रणाम ।

आपका कृपा पत्र एवं समाचारे प्राप्त हुए । आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है क्या ? श्री लाला जी के पत्र से ऐसा लगा । श्री विजय जी का स्थानान्तरण जोधपुर तय हो गया है । आरक्षण होते ही वे प्रस्थान करेंगे ऐसा उनका दि. 8 का

पत्र है उनके पेट के कष्ट को देखते हुए यह ठीक ही है। कोटा उन्हें पुनः कष्ट दे सकता था। आ. आचार्य जी कुछ दिनों औषधालय में थे परन्तु अब ठीक हैं। अपने लोगों के आग्रह से कल यहां एक आयुर्वेदाचार्य भी आये थे।

पाली वालों के मामले अभी तक प्राथमिक अवस्था तक भी नहीं आये। आपातकालीन अवस्था में प्रशासन की चुस्ती का अद्भुत उदाहरण है। सारे प्रांत के सत्याग्रही सजा काट कर निकल चुके अथवा निकलने वाले हैं परन्तु पाली वालों को अभी चार्ज भी नहीं सुनाये गये। अस्तु इस देश का भगवान ही रक्षक है।

श्री शारदा जी एवं शास्त्री जी के स्वास्थ्य के समाचार देते रहें।

श्री सतीश जी, आर्य जी एवं सब बन्धुओं को सा. प्रणाम कहें।

आपका ही
महेश

श्री महेश जी का श्री भंवरलाल शर्मा को दि. 20-7-76 को लिखा गया पत्र, जिसमें बन्दियों के लिए चिकित्सा सुविधा के अभाव का जिक्र है—

केन्द्रीय कारावास
जोधपुर

आ० बन्धुवर,

सा० प्रणाम।

श्री० विजय जी कल रात्रि को यहां प्रसन्नता पूर्वक पहुंच गये। स्वास्थ्य भी ठीक ही लगा। उनके अनुसार कोटा में 3 डी० आई० आर० एवं शेष मीसा बन्दी रहे हैं।

इस समय जोधपुर ही प्रथम है। डी० आई० आर० के 26 बंधु अभी हैं ही। इसमें पाली जिला सर्वश्रेष्ठ है। 7 माह से अधिक हो गया परन्तु चार्ज ही नहीं सुनाए गये हैं। देखें अपातकालीन यह चुस्ती क्या रंग लाती है?

आ० लालाजी, शिब्बनजी, मा० मनोहरजी तथा आ० शास्त्रीजी आदि का स्वास्थ्य कैसा है? श्री शारदा जी पैरोल पर हैं क्या? यहां आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा नहीं है तथा लगता है अधिकारी अत्यधिक बफादारी दिखाने के चक्कर में वास्तविक रोगियों की चिन्ता ही नहीं कर पा रहे हैं।

शेष शुभ। सब ही बन्धुओं को सा० प्रणाम कहें।

आपका ही
महेश

लाडीसा का श्री भंवरलाल शर्मा को पत्र, जिसमें उन्होंने उज्जवल भविष्य की कामना की है—

आदरणीय चाचाजी,

जयपुर

चरण स्पर्श ।

दि० 6-9-76

हम सब यहां कुशल पूर्वक हैं । आपकी कुशलता ईश्वर से नेक चाहती हूं । आपका पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ पढ़कर बड़ी खुशी हुई । हम पापा के पास से कल ही आये हैं, हम दस दिन वहीं रहे । पापा को राज्य सभा में आने की अनुमति नहीं मिली है ।

मैं दिल्ली में अटल जी से मिलकर आई । उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है । आपके पास रामसहाय हो तो उसे कहना उसको पापा बहुत याद करते हैं ।

चाचाजी भगवान कभी हमारी भी सुनेगा और यह आफत के दिन कट जायेंगे । यह एक तरह से परीक्षा चल रही है । सत्य की जीत जरूर होगी । सतीश जी चाचाजी कहां हैं ? उनको मेरी नमस्ते कहना । उनकी हमको बहुत याद आती है ।

पत्र शीघ्र देवें ।

आपकी
लाडीसा

श्री सिद्धराज ढड्ढा का श्री जे. पी. नारायण को पत्र । आन्दोलन को नया मोड़ देने हेतु सुझावों के साथ-साथ बन्दियों की आर्थिक स्थिति के बारे में ठोस सुझाव रखा है—

5 नवम्बर 76

श्रद्धेय जे० पी०

लोकसभा का कार्यकाल फिर से बढ़ाने की घोषणा हो गई है । चुनाव होने और परिस्थिति में कुछ लचीलापन आने की जो थोड़ी सी आशा थी वह भी फिलहाल समाप्त ही माननी चाहिये ऐसा लगता है । श्री ओम मेहता तथा रेड्डी जी के बयान में बदले और तिरस्कार की वही पुरानी ध्वनि है । ओम मेहता ने आन्दोलन वापस न लेने का Formal announcement न होने की स्पष्ट शिकायत की है । साथ में यह भी कहा है कि इमरजेन्सी में ढील जारी रहेगी । ये लोग कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी आशा, कभी निराशा का वातावरण जानबूझकर बनाते रहते हैं जिससे सामने

वाले हमेशा असमंजस में रहें और initiative न ले सकें। उनका संकल्प दृढ़ न होने पाये। इनकी मनशा जो भी हो लेकिन अगर बातचीत की कोई संभावना नजर न आती हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने और चुनाव स्थगित करने के कारण यह ऐसा मौका है जब हमें initiative लेना चाहिये। संसद और प्रदेश विधान-सभाएं एक व्यक्ति के हाथ का खिलौना और केवल उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का साधन मात्र रह गई हैं। इनमें बने रहकर उनकी Legitimacy के भ्रम को बनाये रखने का क्या अर्थ है? व्यावहारिक दृष्टि से यह जनहित के लिये की इसका कोई प्रयोजन नजर नहीं आता। पार्लियामेन्ट का कार्यकाल जब पहली बार बढ़ाया गया था तो श्री मधुलिमये और शरद यादव ने इस अनैतिक कदम के विरोध स्वरूप लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया था। उनका वह कदम उचित था, पर सामूहिक न होने से परिस्थिति पर उसका असर नहीं हुआ। हम लोगों की ओर से बराबर यह कहा जाता है कि पार्लियामेन्ट का कार्यकाल बढ़ाना अनुचित था। उसके बावजूद अब दुबारा बिना किसी Justification के उन्होंने फिर ऐसा किया है तो क्या हमें इस अनैतिकता से असहयोग नहीं करना चाहिये? इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ऐसा हमें लगता है (गोकुलभाई इस असहयोग के पक्ष में नहीं हैं अन्य साथी सहमत हैं) पर यह कदम सामूहिक निर्णय करके en masse उठाना चाहिये। इस असहयोग में संसद या धारासभा सदस्यों को मिलने वाली पेन्शनों तथा अन्य सुविधाओं को भी शामिल करना चाहिये। इस सामूहिक त्याग से हमारी तथा हमारे पक्ष की नैतिक शक्ति बहुत बढ़ जायगी। दुनिया में एक लहर पैदा होगी और शायद इंदिराजी को भी यह एक शोक होगा वे बेनकाब हो जायेंगी।

स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शनें, ताम्रपत्र, पद्मश्री आदि पदवियाँ वापस करने का आह्वान भी पार्लियामेन्ट के बहिष्कार के साथ या क्रमशः जैसा उचित मालूम हो किया जा सकता है। जब तक जनतन्त्र का और पार्लियामेन्ट आदि का unfettered functioning restore नहीं होता तब तक हमारा यह शांतिपूर्ण असहयोग जारी रहे। आम जनता को भी आह्वान किया जाय कि वह लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को कुचले जाने के विरोध में देश भर में एक साथ (किस दिन हो इसकी घोषणा पहले से हो जाये) एक दिन के उपवास, सामूहिक प्रार्थना, मौन जुलूस सभी आदि के द्वारा अपनी भावना प्रगट करें। जेलों में बन्द साथी भी उपवास, मुलाकात-त्याग, जेल के राशन के अलावा अन्य खाद्य-सामग्री के त्याग आदि के द्वारा इस प्रोटेस्ट में शरीक हों।

कुछ साथियों को लगता है कि धारासभाओं के बहिष्कार से इन्दिराजी और

उनके साथियों पर रहा-सहा अंकुश भी हट जायगा।और उन्हें मनमानी करने का अधिक मौका मिलेगा शायद इससे उनकी ताकत बनेगी। मेरा विश्वास है इस कदम से हमारी ताकत बढ़ेगी। उनकी नैतिक शक्ति तो घटेगी ही और human affairs में अन्ततोगत्वा नैतिक ताकत ही मुख्य आधार होता है चाहे ऊपर से कुछ भी नजर आता हो।

भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ हमारे संघर्ष में जो stalemate नजर आ रहा है उसे तोड़ने के लिए इस अवसर का उपयोग किया जा सकता है इन्दिरा जी ने आन्दोलन वापस लिये जाने को normalisation के मार्ग में रुकावट ाना है। हमें इस प्रकार की रुकावट न कर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमा उद्देश्य तो पोजेटिव है। जनतन्त्र कायम रहे और जनता की शक्ति बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। धारा सभा के बहिष्कार जैसे त्याग के नैतिक कदम की पृष्ठभूमि में किसी प्रकार की कमजोरी का असर डाले बिना हम आन्दोलन को direct political confrontation से हटाकर एक ऊंचे moral plane पर ले जायें। आजादी की लड़ाई के दिनों में भी ऐसे कई प्रसंग आये थे जब लगता था कि प्रतिपक्ष हावी हो गया है, संघर्ष का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऐसे मौकों पर बापू संघर्ष के स्थूल कार्यक्रम को मोड़कर उसे आगे लेजाते थे। दीखने में जो चीज छोटी या minimum लगती थी लेकिन वास्तव में जो सारी struggle की bed rock या आधारशिला होती थी, उस पर आकर वे डट जाते थे। वहां से फिर उन्हें कोई नहीं हिला सकता था। प्रतिपक्षी की परम्परागत strategy और हथियार बेकार हो जाते थे। इस समय हमारे संघर्ष का वह minimum बिन्दु नागरिक स्वतन्त्रता है जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता शामिल है। इस स्वतन्त्रता को और फलस्वरूप स्वयं जनतंत्र को जो खतरा उपस्थित हुआ है उसके प्रति जनता को सावधान करना और उसकी सेवा करके उसकी ताकत को बढ़ाना जिससे वह स्वयं अपने अधिकारों को assert कर सके, यह इस समय सबसे आवश्यक काम है। संसद और विधानसभाओं से बाहर आने वाले नेताओं के योजनापूर्वक इस बुनियादी काम में लग जाने से जनता में नई चेतना और शक्ति आ जायेगी। विरोधी पक्षों को मिलाकर एक मजबूत दल बनाने का काम भी इस प्रसंग में पूरा कर लिया जाय तो नये दल को भी केवल संसदीय काम की अपेक्षा सीधे जनता के बीच जाने और उनकी ताकत बढ़ाने के बुनियादी काम की दीक्षा मिलेगी।

एक और महत्त्व की बात है जो आपके ध्यान में भी होगी ही पर इस प्रसंग से याद दिला देता हूं करीब डेढ़ साल से हजारों साथी जेलों में बन्द हैं।

यह स्थिति अभी और कितनी लम्बी चलेगी, कहा नहीं जा सकता। जो समाचार मिलते हैं उनसे लगता है कि इन साथियों का मनोबल तो कायम है, पर उनमें से बहुत से लोगों के घरों की आर्थिक स्थिति नाजुक है। कुछ प्रदेश सरकारें मीसा-बन्दियों के घरवालों को मदद दे रही हैं लेकिन उसकी मात्रा नगण्य है। केवल घरवालों की परेशानी से किसी को मजबूर होने की स्थिति न आ जाय इसके लिए यह आवश्यक है कि जेलों में बन्द जो साथियों में से जो स्वयं अपनी गृहस्थी के आधार रहे हैं, उनके घरवालों को मदद पहुंचाने के लिए लोकसंघर्ष समिति केन्द्रीय या प्रादेशिक स्तर पर कोई संगठित योजना जल्दी अमल में लाये।

आशा है बीच में आपके स्वास्थ्य की प्रगति में जो बाधा उपस्थित हो गई थी वह अब दूर हुई होगी। हम सबके प्रणाम और शुभकामनाएं स्वीकार करें। बीच-बीच में लम्बे पत्र लिखकर आपको कष्ट देता हूं, पर आज की स्थिति में अपनी बात आप तक पहुंचाने का इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है।

स्नेहाभिलाषी
(सिद्धराज ढड्ढा)

श्री केदारलाल अग्रवाल ने बन्दियों के मनोबल से परिचित कराते हुए अन्तिम समय तक संघर्षरत रहने का निश्चय दोहराया है—

जयपुर
दि. 26-10-76

प्रिय श्री तिवाड़ी जी,

सा० नमस्ते।

ईश कृपा से आप सानन्द होंगे। रविवार को पत्र भेजा था। उत्तर नहीं आया क्या बात हुई? आपके पत्र से यह समझ नहीं आया कि स्थानीय कार्य-कर्त्ताओं से आपको किस प्रकार असन्तोष है। वैसे तो यह भी समझ नहीं आता कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं। आप ही कुछ स्पष्ट लिखें कि उनके न आने का ही कष्ट है, या कार्य करने की पद्धति में किसी प्रकार का मतभेद इसका कारण है या निर्णयों में बाहर ही या आर्थिक मामला तेज चल रहा है। कुछ स्पष्ट लिखिए। वैसे तो आप जैसे तपे तपाये बन्धु को इन सब से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिये यह तो परीक्षा का काल चल रहा है। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ अपनी अपेक्षाएं पूर्ण

करने में असफल होंगे । परन्तु वे क्रोध के नहीं दया के पात्र हैं, क्रोध का नहीं दुःख का विषय हो सकता है ।

नवम्बर में मुक्त होने की अफवाह का आधार क्या है ? वैसे आप जानते ही होंगे कि अभी श्री नाथुसिंह व राजेन्द्र जी ने पैरोल पर जाने से इसलिए इन्कार कर दिया था क्योंकि उसमें स्थान छोड़ने से पूर्व जिलाधीश को सूचना देने की शर्त थी (बौंड की नहीं थी) इसका अर्थ है कि अन्दर वाले हम लोगों का मानस सशक्त है । ध्येय सिद्धि तक निरन्तर साधना करने का सामर्थ्य है । क्योंकि आप जानते हैं कि मुक्त होना उद्देश्य नहीं है । अन्तिम लक्ष्य कुछ भिन्न है । वह कैसे प्राप्त होगा यह बाहर बैठे वे लोग जानते हैं जिन्होंने सारी परिस्थिति की नब्ज पर हाथ रखा हुआ है ।

एक बात आप कर सकें तो ठीक रहेगा—आप पत्र आदि जो कुछ भेजना चाहें शनिवार को उजला जी के घर से मिलने आने वालों के साथ या रविवार को मालती जी के साथ भेज दें । मैं गुरुवार को सुरेश के साथ उत्तर भेज दूं या इसका उलट ।

सब को नमस्ते ।

मातृ पूजा में साथी
केदारलाल अग्रवाल

श्री भैंरौसिंह शेखावत का विभिन्न विषयों पर सूचना देने सम्बन्धी पत्र—

प्रिय बन्धु,

दोनों पत्र मिल गये । नगर पालिका चुनावों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है उसमें और विचार करने की आवश्यकता थी । चुनावी चहल पहल से इस भय के वातावरण में कमी आती । साथ ही जनता एवम् कार्यकर्त्ताओं में एक उत्साह बना रहता है कि इतने दमन के उपरान्त भी विरोधी दलों ने पराजय स्वीकार नहीं की है । विधान परिषद् व राज्य-सभा के चुनावों में हम भाग ले रहे हैं । इससे नगर पालिका के चुनावों का बहिष्कार करने का कोई विशेष औचित्य नजर नहीं आता । हमारे सामने अब समस्या उपस्थित होगी कि हमारे समर्थकों व कार्यकर्त्ताओं को इस चुनाव से किस प्रकार दूर रखा जाये । चुनाव के वातावरण में वे निष्क्रिय नहीं रह सकते । किसी न किसी के साथ निश्चय ही अपनी कला दिखायेंगे । जनता चुनाव

का बहिष्कार करे यह भी सम्भव नहीं लगता। ऐसी स्थिति में कार्यकर्त्ताओं को चुनाव के बहिष्कार का पूर्ण औचित्य बताकर जनता का मनोबल नहीं गिरे इसकी चेष्टा करनी चाहिए। बहिष्कार के कारणों का एक ज्ञापन बंटवाया जाय। पिपाड़ में चुनावों के संदर्भ में कुछ गिरफ्तारियां हुईं उसका तथा ऐसे ही अन्य प्रसंगों का इसमें उल्लेख करना चाहिए।

गुमान जी के विषय में अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया जिसके कारण उनको दल से निकालना पड़ा। प्रदेश कार्यसमिति उनको सदस्यता से पृथक् कर सकती है। यह प्रश्न भी वह विवाद का विषय बन सकता है। इस समय इस प्रकार का वातावरण है कि सबसे ही त्याग तपस्या व कर्मठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिससे जितना बन पड़ता हो या जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही काम उससे लेने की अपेक्षा करनी चाहिए। परिस्थितियों के कारण कोई निष्क्रिय भी रहता है तो भी उसे सहन करना पड़ेगा। कई आत्मग्लानी के कारण मुंह छिपायेंगे उन्हें भी आत्मीयता के सहारे सम्बल देते रहना चाहिये। वरना यह संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो जायगी। यह सही है कि तपने के बाद सोना कुन्दन बन जाता है। लेकिन इस संकट से पार पाने में भी अधिक कुन्दन की ही आवश्यकता होगी।

यहां मेरी कल अटलजी से पारिवारिक भत्ते के विषय में बात हुई थी। उनका कहना था कि मिलता है तो ले लेना चाहिये। प्रचारक बन्धु नहीं ले रहे हैं यह भी उनको बताया। माननीय दिनेश का भी इस सम्बन्ध में संकेत था। मेरा अपना मत है कि अखिल भारतीय स्तर पर इस सम्बन्ध में संघर्ष करना चाहिए। भत्ता बढ़ाया जाय और बिना किसी प्रक्रिया के झंझट में पड़े मिलना चाहिये। इस प्रकार की मांगें करनी चाहिएं। मैं दिनेश जी को भी लिख रहा हूं। अटलजी भी बात आगे चलायेंगे। जेल में रहना है तो संघर्ष अनिवार्य है। रोहतक में जो नेता हैं उन्हें ही तैयार करता हूं। परन्तु अखिल भारतीय निर्णय चाहते हैं। हरियाणा के विधायकों को तो विधानसभा में वेतन भी नहीं मिलता नियम ऐसे ही हैं। मैं यहां 29 मई को आया था। जुलाई को डाक्टर्स ने डिसचार्ज कर दिया परन्तु सरकार ने सुना है यहां पर ही रखने का निर्णय लिया है। निर्णय कब बदल जाय कुछ पता नहीं।

बन्दी बन्धुओं के परिवारों की व्यवस्था की आप लोग चिन्ता कर रहे हैं यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि इस पर पूरा ध्यान दिया गया तो जो सोना जेलों में तप रहा है कुन्दन बनकर ही निकलेगा।

आचार्य विनोबा भावे का 10 सितम्बर से चलने वाला आंदोलन रंग ला रहा है। सरकार ने एक ओर तो उनकी भूख-हड़ताल की खबर को नहीं छपने दिया और दूसरी ओर उनके स्वयं के समाचार पत्रों को उनके आश्रम पर पुलिस ने छापा डाल कर जब्त कर लिया और दूसरी ओर गो हत्या के सम्बन्ध में तुरन्त प्रतिवेदन मांगा है। देखते हैं क्या होता हैं? बाबा अभी डटे हैं सर्वोदय संघ भंग किया जा रहा है। विरोधी दलों के विलय के प्रश्न को लेकर जे. पी. बहुत निराश हो गये हैं। देवी की खबर है कि 5 अगस्त तक नेताओं को छोड़कर शेष सब कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जायेगा। भंडारी जी के पास मैंने आपका व दिनेश जी का पत्र भेज दिया है उनका पत्र आया है पैर व घुटने में दर्द रहता है उसका होमेपैथिक उपचार चल रहा है। रोहतक में हरियाणा के नियमों के अनुसार बंदियों के बीच पत्र-व्यवहार नहीं हो सकता। परन्तु अपने यहां जेलों में क्या व्यवस्था है? इसका पता लगा कर लिखा जाये। मैं किसी प्रकार कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तथा जयपुर पत्र लिखना चाहता हूं। यहां ऐसे पते भी लिख देवें जिन पर पत्र लिखने से यथा समय पत्र पहुंच सकते हो।

अजीतसिंह जी ने बहुत ही साहस व धैर्य के साथ कार्य किया है यह पढकर बहुत ही आनन्द हुआ। ऐसे समय में ही परीक्षा होती है। उनमें उत्साह व लगन है। परन्तु जैसे मैंने ऊपर लिखा कि क्षमता से अधिक काम लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। उनसे मेरा नमस्कार कहें। आखिर क्षत्रिय ही ऐसे अवसर पर आगे आते हैं। भागीरथ सिंह जी, श्री गोपीनाथ जी व अन्य बन्धुओं को नमस्कार। गीता, सुनीता, बंटी को शुभाशीष। दिल्ली से 10 कार्यकर्त्ता व कुछ हरियाणा से छूटे हैं। समाजवादी पार्टी के मंत्री सुरेन्द्रमोहन छूट गये हैं। अन्य स्थानों के समाचार नहीं है। बम्बई में 60 वर्ष से ऊपर वालों को छोड़ने का निर्णय लिया है। परन्तु उसके साथ एक फार्म देते हैं जिस पर तो हस्ताक्षर नहीं करवाते परन्तु उस फार्म की रसीद मांगते हैं। फार्म में लिखा है कि हम कोई ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे जो जनहित के विरुद्ध हो। अभी किसी ने भी हमको स्वीकार नहीं किया है। लालाजी पर ही हैं या वापिस तिहाड़ चले गये हैं। कंवरलाल जी पैरोल पर हैं। घर के बाहर नहीं जा सकते।

यहां कुछ मित्र मिले थे उनका कहना था कि संजय बरुआ को हटाना चाहता है। देवी जगजीवनराम व चौहान से पिण्ड छुड़वाना चाहती है। राजबहादुर जी से भी मुक्ति चाहने की चर्चा है। केबोनेट में भारी उथल पुथल की चर्चा है। अधिकांश लोग संजय उवाच व देवी का पाठ कर रहे हैं। एक मंत्री लिफ्ट में मिल गया हाथ तो मिलाया परन्तु पसीने से तरबतर हो गये।

चंद्रराज के लिये सीधा ही पत्र लिख रहा हूं। परन्तु वह नहीं जाये गोपाल सिंह जी या अजीतसिंह को भेज दें। मैं यहां से किसी भी समय कहीं पर भी भेजा जा सकता हूं। जयपुर में पता लगाया जाय। यहां से उनके पास कागज गये हैं। रोहतक भेज दें तो अच्छा रहेगा। वैसे इसकी विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। सतीश जी के घर पर अवश्य आते-जाते रहना। मेरा सबको नमस्कार कहना।

भैंरोसिंह शेखावत

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी का श्री तिवाड़ी जो पत्र, जिसमें मनोबल बनाये रखने तथा कैदियों की रिहाई के समाचार से अवगत कराते हुए पार्टी के आदेशों को शिरोधार्य किया है—

आनन्द भवन
घंटाघर, कोटा

प्रिय तिवाड़ी जी,

सप्रेम नमस्कार,

आपके दोनों ही पत्र मिल गये। हिम्मत से ही यप समय निकलना है। मैं जानता हूं आर्थिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक सभी संकट उपस्थित होंगे। परीक्षा का जो काल है उसे धैर्य व साहस ही से पार करना होगा। यहां एक बन्धु मि॰ फरीदुल्ला की दो माह की पैरोल हुई है किन्तु वह अभी तक गया नहीं है। कन्डीशनल फार्म भरकर जाना नहीं चाहता। सुना है, जयपुर में 4 की पैरोल हुई है, अजमेर में 4 छूटे हैं एवम् 2 की पैरोल हुई है, टौंक में एक छूटा है। अलवर में 5 बंधु छूटे हैं। यह सभी समाचार उपरोक्त स्थानों से मिले हैं। ये सभी दि॰ 14 अगस्त को छूटे हैं। शेष इस दृष्टि से क्या समाचार हैं उनसे अवगत करा सकोगे ?

श्री कौशल जी का पत्र आया था, उसके अनुसार शायद वे उदयपुर चले गये होंगे। बहिष्कार के कारण श्री कृष्णकुमार गोयल साहब को कुछ अटपटा नहीं लगा। मुझे अवश्य लगा किन्तु जब ऊपर से निर्णय होता है तो सिर झुका कर स्वीकार करना होता है। कार्यकर्त्ता का यही गुण है। वरना कम से कम कोटा विभाग में तो बहिष्कार के निर्णय से हानि हुई है।

झालावाड़ से जो पत्र आया है उसके पीछे भी भय की ही भूमिका है और अधिक कुछ नहीं। वैसे वहां सब सम्पर्क चल रहा है, व्यवस्थाएं भी हो रही हैं ऐसे कुछ और भी बन्धु हों तो पत्र नहीं देना चाहिए उन्हें अभी।

शेष शुभ । आ० राम साहब को सादर नमस्कार । गीता को पास होने पर बधाई । आ० भाभी को नमस्कार । सभी बन्धुओं को नमस्कार

भवदीय
ललित किशोर चतुर्वेदी

श्री कौशल किशोर का श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को जेल से सूचना भेजने सम्बन्धी पत्र--

प्रिय बन्धु तिवाड़ी जी,

सादर नमस्कार,

दि० 18-7-76 रविवार को आपके द्वारा कुछ नवीन समाचार प्राप्त होंगे । ऐसी आशा थी किन्तु कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुए । अब दि० 25-7 को मेरी पत्नी मिलने आयेगी उसके साथ समाचार भेजने अथवा समाचार सहित गी[illegible] को भेजने की कृपा करें । जनता दल के बम्बई अधिवेशन का क्या हुआ ? श्री जयप्रकाश नारायण जी तथा श्री विनोबा जी की वार्ता का परिणाम क्या रहा ? क्या जयप्रकाश जी सकुशल पटना पहुंच गये ? दो दिन से यहां पर ऐसी अफवाह है कि श्री विनोबा जी को नजरबन्द कर दिया गया है इसमें सत्यांश कितना है । गीता के पिताजी कहां हैं ? उनकी ओर से क्या समाचार तथा आदेश हैं । कोटा से भी श्री विजय कृष्णजी नाहर का स्थानान्तरण जोधपुर हो गया है ऐसा समाचार वहां से आया है । पावटा के दो कार्यकर्त्ता डी० आई० आर० में आये हैं । इस प्रकार अब डी० आई० आर० के 6 बन्धु हो गये हैं । झालावाड़ मेरे क्षेत्र में नहीं है आपको गलत ध्यान रह गया (बांसवाड़ा है जहां के समाचार आपने दिए नहीं) श्रीपतिराय दवे एडवोकेट, बांसवाड़ा तथा श्री नागजी भाई, जिला अध्यक्ष, बांसवाड़ा के क्या समाचार हैं ? उदयपुर से भी वृद्धि चन्द जी जैन जिला कार्यवाहक, चित्तौड़ तथा श्री बंशीलाल जी बाहेती, संघ चालक, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जेल स्थानान्तरित हो गये हैं । बीकानेर जेल में आगे क्या हुआ ? यहां से भी श्री हीरालालजी पोकरणा दिनांक 28-7 को भीलवाड़ा को, गिरिराज शर्मा दिनांक 26-7 को चेतक से उदयपुर प्रस्थान करेंगे उनका स्थानान्तरण हो गया है । आप मिल लें । बहिन उजला जी का स्थानान्तरण भी अजमेर हो गया है । इसी मास में उनको भी जाना पड़ेगा ? श्री अडवाणी जी, अटल जी, जयप्रकाश जी, बालासाहब देवरस के आगे के लिए क्या आदेश और कार्यक्रम हैं ।

आपका
कौशल किशोर

श्री कौशल किशोर का श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी को नगरपालिका चुनाव के सम्बन्ध में विभिन्न कैदियों के विचारों से परिचित करना--

प्रिय बन्धु तिवाड़ी जी,

सप्रेम नमस्कार,

आपका कृपा पत्र तथा पत्रक मिला। श्री त्रिलोकचन्द जी जैन की अध्यक्षता में यहां सभी दलों के लोग नगरपालिका चुनावों के निमित्त बैठे थे। जनसंघ को छोड़कर शेष का विचार चुनाव बहिष्कार का था। एस०एस० पी० के श्री सूर्य-नारायण जी चौधरी तथा अलवर के श्री हरिशंकर जी गोयल तथा मास्टर रामशरण जी आजकल पैरोल पर हैं 12 को आयेंगे। श्री भार्गव साहब का भी विचार था कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। बहिन जी डा० उजला अरोड़ा का विचार था कि जनता मोर्चे के नाते ही चुनाव लड़ना चाहिए अगर बाकी घटक बहिष्कार करते हैं तो जनसंघ को भी करना चाहिए। श्री सांवरमल जी वर्मा, महावीरप्रसाद जी जैन चुनाव लड़ने के समर्थक हैं। श्री राधाकृष्ण जी बाहेश्वरी भी महिष्कार के पक्ष में थे। श्री जैन साहब ने सभी निर्णय, स्थितियों को देखते हुए, बाहर के कार्यकत्ताओं द्वारा ही करना सम्भव है, ऐसा विचार रखा। हमने जनसघ की ओर से निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु सभी मीसा बन्दियों की अविलम्ब रिहाई का पत्र मुख्यमंत्री महोदय को पहले ही भेज दिया था। अगर सम्भव हो तो मीसा बन्दियों की इस सभा की एक छोटी सी न्यूज बनाकर समाचार-पत्रों में भेजना, आनन्द रहेगा। बैठक दिनांक 5-7 को हुई थी। निष्पक्ष चुनाव हेतु अविलम्ब रिहाई की मांग लोकतन्त्र को जिन्दा रखना हैं। निष्पक्ष चुनाव लड़ने एवं संचालन हेतु आपातकाल, प्रेस सैंसर हटाओ अध्यक्षता श्री त्रिलोकचन्द जी जैन। आपने लिखा कि 13 के स्थगित हो गये। कौन कौनसी हैं जहां चुनाव होंगे और जहां स्थगित हो गए। मैंने उदयपुर जिले में श्री हीराराल अहारी, जोर्वासिह चौहान, रामप्रसाद लढ्ढा भीलवाड़ा श्याम सुन्दर सोमानी एवं बिरदी चन्द जी जैन चित्तौड़ को इस विषय में पत्र लिखे थे उत्तर भी आये हैं। डूँगरपुर, कपासन, चित्तौड़, प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, नाथद्वारा के चुनाव हैं या नहीं। भीलवाड़ा के अतिरिक्त और कहां स्थ-गित हुए। जिला बैठकें कहां सम्पन्न हुई क्या क्या हुआ कितने लोग थे। विस्तृत जानकारी दें। राजस्थान और विशेषकर उदयपुर विभाग से किस किस के त्याग-पत्र आये हुए हैं। सूची भेजने का कष्ट करें। इन लोगों को बाहर से चूड़ी भेजने की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। श्री मदनलालजी घुप्पड तथा हीरालालजी कटारिया के विषय में सुना आश्चर्य नहीं इन दोनों से अपेक्षा करने वालों की बुद्धि पर आश्चर्य

अवश्य है। श्री विजयसिंह झाला भूतपूर्व विधायक का त्यागपत्र प्रदेश को प्राप्त हुआ था ?

आप जितना जो भी कर रहे हैं प्रशंसनीय एवं स्तुत्य है। हम लोग तो अन्दर बैठकर केवल चर्चा मात्र कर सकते हैं पंख कटे हुए पक्षी की हालत हमारी है। बीकानेर जेल का एक चिन्ताजनक समाचार आया था कि वहां मीसा नजरबन्दी तथा जेल अधिकारियों में संघर्ष हो गया विस्तार से जानकारी दें। गीता परीक्षा मुक्त हो गई होगी उसके पिताजी कहां हैं। मेरी छोटी बहिन अजित का उदयपुर आयुर्वेद कालेज में डिमान्सट्रेटर के नाते नियुक्ति हो गई इस कारण मैंने भी स्थानान्तरण के लिए लिखा है। स्थानान्तरण होते ही पत्नी सहित उदयपुर आऊंगा। नन्दू को नमस्कार। अगर संभव हो तो गीता को रविवार को भेज देना। घर पर चांदपोल कहला देना ताकि अनुमति ले ले। पूरे समाचार की प्रतीक्षा में।

आपका ही

कौशल किशोर

श्री इन्द्रकुमार तिवाड़ी द्वारा कार्यकर्त्ताओं को उच्च मनोबल बनाए रख कर संघर्ष जारी रखने का आह्वान—

प्रिय बन्धुओं

सप्रेम नमस्कार,

आपको 11 अक्टूबर 76 को पत्र दिया था, उसमें 10 अक्टूबर को कार्य-समिति ने जो निर्णय लिया था। उसके बारे में लिखा गया था, 14 नवम्बर के पूर्व सभी जिला मण्डल एवं स्थानीय समितियों की बैठक हो जानी चाहिए। 21 अक्टूबर को जनसंघ-स्थापना-दिवस मनाया जावे। दोनों कार्यक्रमों की सूचना प्रदेश कार्यालय को भेजें। लेकिन कुछ स्थानों की सूचना प्राप्त हुई, जिन्होंने नहीं भेजी वे शीघ्र ही जानकारी भेजने का कष्ट करें।

अब पन्द्रह मास से अधिक समय हो गया है। हम घोर मुसीबत और संघर्ष की गहनता के बीच अड़ें हुए हैं। हमारे हजारों संघर्षशील भाई जेलों में हैं।

और कितने समय तक आपातकाल चलेगा ? यह प्रश्न हर एक के मन पर छाया हुआ है। यह स्वाभाविक है कि यह प्रश्न जो जेल में हैं उनको अति तीव्रता से कष्ट देता है क्योंकि कौटुम्बिक और सामाजिक सम्बन्धों से कटे हुए हैं। वासुदेव, बलवन्त फड़के, बन्धु भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, वीर सावरकर उनके मन में यह विचार एक क्षण के लिए भी नहीं आया कि संघर्ष कितना लम्बा चलेगा।

उन्होंने जीवन में कभी तनिक भी शिथिलता का लक्षण प्रदर्शित नहीं किया, जबकि उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़कर बलिदान को आलिंगन करना पड़ा था या दूर समुद्र-पार अन्डमान द्वीप में ऐकान्तिक कैद में जीवन भर सड़ने के लिए भेजा गया था। उन्होंने सर्वशक्तिमान को एक प्रार्थना की थी कि उन्हें इस पवित्र देश भारतवर्ष में बार-बार जन्म लेने का विशेषाधिकार मिले जिससे बार-बार मातृ-वेदी पर अपना जीवन उत्सर्ग कर सकें। ऐसे ही लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के गतिशील नेतृत्व के अहिंसक स्वातन्त्र्य-योद्धाओं की पीढ़ी के पश्चात् की पीढ़ी ने संघर्ष को जीवन का एक मार्ग मान लिया था। हमारी स्वतन्त्रता ऐसे बलिदानियों और योद्धाओं के खून से प्राप्त की गई थी और आज भी वह ऐसी ही वीर आत्माओं द्वारा कायम रखी जा सकती है। संक्षेप में यह अपरिहार्य है कि मुक्ति-योद्धा के लिए संघर्ष जीवन का मार्ग होना चाहिए।

आपका
इन्द्रकुमार तिवाड़ी

———

परिशिष्ट (II)

राजनैतिक बन्दियों की सूची

वैसे तो पुस्तक में सभी राजनैतिक बन्दियों के कार्य-कलापों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ बन्दियों के कार्य-कलापों का वर्णन जानकारी के अभाव में रह गया हो। इसलिए बन्दियों की सूची देकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए खेद है तथा इस कमी को द्वितीय संस्करण में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पाठकों से निवेदन है कि वे नई जानकारी प्रकाशक को भेजें।

क्र. संख्या	नाम	निवास स्थान	जिला	संगठन जिससे सम्बन्धित है	बन्दी बनाये जाने की तिथि
1.	श्री ओमप्रकाश	सिरोही	सिरोही	धार्मिक क्रिया कलापों में अग्रणी	2-7-75
2.	,, अमृतलाल भाटिया	जैसलमेर	जैसलमेर	—	19-8-75
3.	,, अमरलाल	,,	,,	—	8-5-76
4.	,, ओमप्रकाश मित्तल	हिण्डोन	सवाईमाधोपुर	जिला उपाध्यक्ष, जनसंघ	18-9-75
5.	,, ओमप्रकाश आर्य	,,	,,	भरतपुर विभाग कार्यवाहक संघ	,,
6.	,, ओमप्रकाश सारस्वत	चूरू	चूरू	विद्यार्थी परिषद्	24-1-76
7.	,, अमर कृष्ण व्यास	जोधपुर	जोधपुर	संयाजक, भा. लोकदल	26-6-75

8.	श्री ओम साहनी	जयपुर	जयपुर	सम्पादक, लोक जनवाद	11-7-75
9.	,, अजीतसिंह सागर	,,	,,	सदस्य, नगर पालिका, जनसंघ	26-6-75
10.	,, अनिल कुमार	,,	,,	छात्र नेता	,,
11.	,, अशोक	सीकर	सीकर	तहसील प्रचारक, संघ	9-3-76
12.	,, अब्दुल रशीद	सूरवाल	स० माधोपुर	जमायते इस्लामी	6-7-75
13.	,, अब्दुल मजीद	वजीरपुर	,,	नाजिमे, जिला जमायते इस्लामी	5-7-75
14.	,, ओंकार नाथ	पाली	पाली	भारतीय मजदूर संघ	24-2-76
15,	,, अमृत परमार	बाली	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	24-1-76
16.	,, ओमप्रकाश शर्मा	बून्दी	बून्दी	विद्यार्थी परिषद्	26-6-75
17.	,, अन्नराज	ब्यावर	अजमेर	सी. पी. एम.	26-7-75
18.	,, अमृतलाल कुमावत	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
19.	,, अशोक मुत्रेठी	कोटा	कोटा	,,	14- 12- 75
20.	,, अर्जुनलाल नागर	बायला	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	5-1-7
21.	,, उदयराम	जैतसर	बीकानेर		?
22.	,, उमरावसिंह	राजगढ़	चुरू	मार्क्सवादी	30-6-75
23.	श्रीमति उजला अरोड़ा	जयपुर	जयपुर	जनसंघ	26-6-75
24.	श्री उम्मेदीलाल	अलवर	अलवर	,,	17-7-75
25.	,, उदयपाल सिंह तंवर	बिजोलिया	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	19-7-75
26.	,, किशनसिंह भाटी	जैसलमेर	जैसलमेर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	18-8-75
27.	,, किशनसिंह भाटिया	,,	,,	,,	,,
28.	,, प्रोफेसर केदार शर्मा	गंगानगर	गंगानगर	विधायक संसोपा	26-6-75

92.	श्री काशीनाथजी	करोली	सवाईमाधोपुर	पत्रकार, लोकसंघर्ष समिति	26-6-75
30.	,, केदारलाल अग्रवाल	करोली	सवाईमाधोपर	विभाग संगठन मंत्री, जनसंघ	15-7-75
31.	,, किशनलाल शर्मा	गंगापुर	सवाईमाधोपुर	जिला कार्यवाहक संघ	27-10-75
32.	,, कैलाश मेघवाल	उदयपुर	उदयपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	1-7-75
33.	,, कौशल किशोर जैन	,,	,,	व्यापारी जनसंघ कार्यकर्त्ता	6-7-75
34.	,, कन्हैयालाल भावासर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	संगठन मंत्री	1-7-75
35.	,, केशवचन्द्र भ्राता	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	समाजवादी कार्यकर्त्ता	26-6-75
36.	,, कैलाश कौशल	,,	,,	समाजवादी कार्यकर्त्ता	जुलाई 75
37.	,, कृष्ण स्वामी	चूरू	चूरू	मार्क्स वादी	26-6-75
38.	,, कमलेश व्यास	सरदारशहर	चूरू	संसोपा	,,
39.	,, कृष्ण पारीक	सरदारशहर	चूरू	जनसंघ	,,
40.	,, कृष्ण भार्गव	जोधपुर	जोधपुर	प्रचारक संघ	16-4-76
41.	,, करतार सिंह	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर विश्वविद्यालय	?
42.	,, कुशलानन्द	जयपुर	जयपुर	आनन्द मार्ग	4-7-75
43.	,, आचार्य कुलदीप	,,	,,	,,	,,
44.	,, खुशीराम भम्मारणी	जयपुर	जयपुर	संघ चालक जयपुर, नगर संघ	1-4-76
45.	,, खेमचन्द	,,	,,	विभाग कार्यवाहक जयपुर, विभाग	,,
46.	,, किशनसिंह ढाका	सीकर	सीकर	राज० स्टूडेन्ट फेडरेशन	8-7-75
47.	,, कर्णसिंह	बाड़मेर	बाड़मेर	संघ	24-7-75
48.	,, घनश्यामलाल लाडला	बून्दी	बून्दी	पत्रकार, सी. पी. एम, सदस्य	26-6-75
49.	,, कृष्णकुमार गोयल	कोटा	कोटा	भू० पू० विधायक जनसंघ	,,

50.	श्री कुम्भाराम आर्य	जयपुर	जयपुर	किसान नेता	26-6-75
51.	,, करण शारदा	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	13-11-75
52.	,, थावर	अजमेर	,,	,,	17-4-76
53.	,, कैलाश व्यास	कोटा	कोटा	समाजवादी	26-7-75
54.	,, कृष्णकान्त	किशनगढ़	अजमेर	सी. पी. एम.	1-8-75
55.	,, कृष्णानन्द	कोटा	कोटा	—	21-11-75
56.	,, गेनाराम राठोड़	आहोर	जालोर	—	21-12-75
57.	,, गोपालदास खत्री	जैसलमेर	जैसलमेर	—	8-5-76
58.	,, गिरीराज किशोर	जयपुर	जयपुर	प्रदेश संगठन मन्त्री, जनसंघ	14-8-75
59.	,, गुलराजगोपाल खण्डेलवाल	भरतपुर	भरतपुर	भू. पु. जिलाध्यक्ष, जनसंघ	26-6-75
60.	,, गोपीराम	जैतसर	बीकानेर	—	?
61.	,, गोबिन्द बजाज	चूरू	चूरू	विद्यार्थी परिषद्	24-1-76
62.	,, गुरलदासजी	पाटन	झालावाड़	सहमंत्री, जनसंघ	4-7-75
63.	,, गोविन्द गुप्ता	जयपुर	जयपुर	कार्यालय मन्त्री, सी. पी. एम	20-6-75
64.	,, गोविन्दराम हुकमानी	,,	,,	जयपुर विभाग संघ चालक	28-6-75
65.	,, गिरधारीलाल भार्गव	,,	,,	विधायक जनसंघ	26-6-75
66.	,, गणेश बेरवाल	सीकर	सीकर	मंत्री, राज. स्टूडेन्ट फैडरेशन	4-7-75
67.	,, गिरीराज किशोर शर्मा	टोंक	टोंक	टोंक नगर प्रचारक, संघ	24-9-75
68.	,, गम्भीरमल बम	,,	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	31-7-75
69.	,, गोपालदास भार्गव	अलवर	अलवर	संघ	5-7-75

70.	श्री गुड्डीलाल	अलवर	अलवर	मार्क्सवादी	26-6-75
71.	,, गोविन्दराम	पाली	पाली	मू. पू. सरपंच, मारवाड जं.	5-4-76
72.	,, गोविन्दनारायण खत्री	बाड़मेर	बाड़मेर	उपाध्यक्ष, नगर पालिका बाडमेर	4-7-75
73.	,, गोकुल भाई भट्ट	जयपुर	जयपुर	सर्वोदय नेता	27-6-75
74.	,, गुमानमल लोढ़ा	जोधपुर	जोधपुर	जनसंघ विधायक	22-12-75
75.	,, गणपतलाल	ब्यावर	अजमेर	संघ कार्यकर्त्ता	5-7-75
75.A	,, गणपतलाल	छोटी सादड़ी	चित्तौड	—	4-12-75
76.	,, गोपीलाल	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	27-4-76
77.	,, गिरिराज नागर	वायला	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	?
78.	,, चम्पालाल	जालौर	जालौर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	19-11-75
79.	,, चन्द्रभान खत्री	जैसलमेर	जैसलमेर	—	7-7-75
80.	,, चन्द्रशेखर अग्रवाल	भरतपुर	भरतपुर	सदस्य प्रदेश कार्यसमिति, जनसंघ	26-7-75
81.	,, चन्द जेलमेरिया	जोधपुर	जोधपुर	मार्क्सवादी	,,
82.	,, चन्द्रशेखर आजाद	अलवर	अलवर	सोशलिस्ट	,,
83.	,, चिमनलाल सोमाणी	प्रतापगढ़	चित्तौड़	जनसंघ	15-7-75
84.	,, चिरजीलाल गर्ग	अजमेर	अजमेर	,,	26-6-75
85.	,, चैनसिंह	ब्यावर	,,	सी० पी० एम०	26-7-75
86.	,, चन्द्रभान	कोटा	कोटा	सदस्य अ० भा० प्रतिनिधि सभा, आर० एस० एस०	13-1-76
87.	,, छोटूलाल	,,	,,	—	19-1-76
87.A	,, जयदयाल वरन्दानी	गंगापुर	सवाईमाधोपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	18-9-75
87.B	,, चंचलकुमार आसवानी	निवाई	टोंक	नगर जनसंघ मंत्री	7-5-76
87.C	,, चाँदमल रांकावत	नागौर	नागौर	मन्त्री, जनसंघ नागोर	29-7-75

88.	श्री जोधसिंह चौहान	उदयपुर	उदयपुर	जनसंघ	26-6-75
89.	,, जगदीश शर्मा	रतनगढ़	चूरू	,,	,,
90.	,, ज्येष्ठानन्द परिहार	जोधपुर	जोधपुर	विभाग संगठन मन्त्री, जनसंघ	27-6-75
91.	,, जुगलकिशोर तापड़िया	,,	,,	जनसंघ कार्यकर्त्ता	16-8-75
92.	,, जरनेल सिंह	अलवर	अलवर	मार्क्सवादी	26-6-75
93.	,, जौहरीलाल	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	17-4-76
94.	,, जथेन भाई मीणा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	संसोपा	दिसम्बर 75
95.	,, जीतमलजैन	अलवर	अलवर	जनसंघ	26-6-75
95	,, ताराराम	जालोर	जालोर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	19-12-75
96.	,, त्रिलोकीनाथ शर्मा	भरतपुर	भरतपुर	जिला उपाध्यक्ष, जनसंघ	26-6-75
97.	,, टीकमसिंह	जयपुर	जयपुर	कोषाध्यक्ष राज. सी. आई. टी. यू.	12-7-75
98.	,, ठाकुरदास	कोटा	कोटा	विभाग प्रचारक, संघ	4-7-75
99.	,, ठाकुरदास टंडन	उदयपुर	उदयपुर	विभाग प्रचारक, संघ	17-12-75
100.	,, तुलसी	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	17-4-76
101.	,, टेकचन्द	किशनगढ़	,,	सी० पी० एम०	1-8-75
102.	,, धनराज	वायला	कोटा	,,	?
103	,, त्रिलोकचन्द जैन	जयपुर	जयपुर	सर्वोदय नेता	25-6-76
103.	,, देवीनारायण	स० माधोपुर	स० माधोपुर	भू. पू. जिला मन्त्री, जनसंघ	15-7-75
104.	,, दर्शनलाल	गंगानगर	गंगानगर	मार्क्सवादी	?
105.	,, दौलतराम सारण	ढाणी पाचेरा	चूरू	किसान यूनियन	26-6-75

106.	श्री देवराज बोहरा	जोधपुर	जोधपुर	—	26-8-75
107.	,, दामोदर जी बेग	जोधपुर	जोधपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	26-6-75
109.	,, दुर्गादास सिराली	जयपुर	जयपुर	सी. पी. एम.	13-7-75
108.	,, देवेन्द्र राघव	अलवर	अलवर	महाराज कुमार अलवर के वकील	22-3-76
109.	,, द्वारकेश जैन	बाडमेर	बाडमेर	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	4-7-75
110.	,, दाऊदयाल जोशी	कोटा	कोटा	कोटा जनसंघ मन्त्री	26-6-75
112.	,, दयाशंकर विजय	कोटा	कोटा	भू. पू. विधायक जनसंघ	18-8-75
113.	,, देवीदत्त गाड़िया	बांरा	कोटा	,,	26-6-75
114.	,, दिलीप कुमार जी	कोटा	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	अप्रेल 76
115.	,, दयाराम मेठानी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	10-7-75
116.	,, दिनेश त्रिपाठी	कोटा	कोटा	सी.पी.एम	9-8-75
117.	,, नन्दलाल खत्री	जैसलमेर	जैसलमेर	—	8-5-76
118.	,, निरंजनसिंह लवानिया	भरतपुर	भरतपुर	जिला मन्त्री जनसंघ	9-9-76
119.	,, नरेन्द्रपाल चौधरी	उदयपुर	उदयपुर	समाजवादी कार्यकर्त्ता	जुलाई 75
120.	,, नरेन्द्र कुमार मेघ	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
121.	,, नारायण दास रंगा	बीकानेर	बीकानेर	संसोपा	26-6-75
122.	,, निर्मल कुमार जी	पाटन	झालावाड़	मंत्री, जनसंघ	4-7-75
123.	,, नेमी चन्द कागला	पाटन	झालावाड़	अध्यक्ष, जनसंघ	,,
124.	,, नवनीत चतुर्वेदी	भवानी मंडी	झालावाड़	समाजवादी	26-6-75
125.	,, नाथूसिंह	जयपुर	जयपुर	अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद	,,

126.	श्री नारायणसिंह शेखावत	टाई	झुन्झुनू	सह विभाग कार्यवाहक, जयपुर	12-1-76
127.	,, नन्दलाल	झुन्झुनू	झुन्झुनू	छात्र नेता	20-7-75
128.	,, नजीर अहमद	स० माधोपुर	स० माधोपुर	नगर के अमीर मुकामी जमाते इस्लामी	4-7-75
129.	,, नारायण	बाड़मेर	बाड़मेर	–	,,
130.	,, नारायण प्रसाद	डीडवाना	नागौर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	7-7-75
131.	,, नन्दलाल शर्मा	कोटा	कोटा	अध्यक्ष, नगर विद्यार्थी परिषद्	2-7-75
132.	,, नवल राय	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	31-7-75
133.	,, श्रीनाथ	कोटा	कोटा	सी.पी.एम.	26-6-75
134.	,, नाथू लाल पटवारी	भीलवाडा	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	30 अप्रेल
135.	,, नरेन्द्र कुमार	कोटा	कोटा	—	5-1-76
136.	,, नन्दकिशोर सिंह	सरदारशहर	चूरू	—	?
136.	,, परशुराम त्रिवेदी	उदयपुर	उदयपुर	लोक-संघर्ष समिति	28-6-75
137.	,, पीयुश जैन	डूंगरपुर	डूंगरपुर	संघ कार्यकर्त्ता	1-7-75
138.	,, पुरुषोत्तम हर्ष	बीकानेर	बीकानेर	संसोपा	26-6-75
139.	,, पूर्णानिन्द व्यास	बीकानेर	बीकानेर	मार्क्सवादी	27-6-75
140,	,, प्रतापसिंह पूर्वा	चूरू	चूरू	जनसंघ	26-6-75
141.	,, प्रदीप शर्मा	चूरू	चूरू	संसोपा	,,
142.	,, फूलचन्द जी	पाटन	झालावाड़	उपाध्यक्ष, जनसंघ	,,
143.	,, प्रह्लाद कुमार	जयपुर	जयपुर	सी.आई.टी.यू.	13.7.75

144.	श्री प्रवीणा नन्द	जयपुर	जयपुर	आनन्द मार्ग	4-7-75
145.	,, परशुराम	सीकर	सीकर	संघ, जिला कार्यवाहक	7-4-76
146.	,, पुखराज गुप्ता	बाड़मेर	बाड़मेर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	24-7-75
147.	,, पुरषोत्तम मन्त्री	कोटा	कोटा	अध्यक्ष, लोक-संघर्ष समिति, कोटा	26-6-75
148.	,, परमानन्द	कोटा	कोटा	उपाध्यक्ष, जनसंघ	18-7-75
150.	,, प्रेमनारायण	बारां	कोटा	जिला सहमंत्री, जनसंघ	11-8-75
150.	,, प्रभुदास	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	7-8-75
151.	,, प्रेम लाल सुराना	अजमेर	अजमेर	,,	17-4-76
152.	,, पं. पुरुषोत्तम दास	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	14-11-75
153.	,, परशुराम	कोटा	कोटा	संघ कार्यकर्त्ता	13-1-76
154.	,, प्रमोदकुमार शर्मा	बारां	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	?
155.	,, परमेश्वर	अटरू	कोटा	,,	?
157.	,, श्रीपति राव दवे	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	जनसंघ कार्यकर्त्ता	7-1-76
157.	,, बंशीलाल भाटिया	जैसलमेर	जैसलमेर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	18-8-75
158.	,, विरदमल सिंघवी	जोधपुर	जोधपुर	अध्यक्ष, जिला जनसंघ	18-7-75
159.	,, ब्रह्मदेव बोड़ा	जोधपुर	जोधपुर	विद्यार्थी परिषद्	5-7-75
160.	,, बलराज मलहन	खेतड़ी	झुंझुनू	सी.पी.एम, यूनियन खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट	26-6-75
161.	,, बृज किशोर	झुंझुनू	झुंझुनू	जिला कार्यवाहक, संघ	16-7-75
162.	,, बालचन्द्र	जलवाड़ा	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	?

163.	श्री बनवारी लाल नागर	बायला	कोटा	—	?
164.	,, बंशीलाल काबरा	मांडल	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	?
165.	,, भानु कुमार शास्त्री	उदयपुर	उदयपुर	विधायक जनसंघ	15-7-75
166.	,, भागीरथ जोशी	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	1-7-75
167.	,, भवेशानन्द	बीकानेर	बीकानेर	आनन्द मार्ग	4-7-75
168.	,, भागीरथसिंह शेखावत	जयपुर	जयपुर	अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ	27-6-75
169.	,, भैरोंसिंह शेखावत	जयपुर	जयपुर	ससद सदस्य, जनसंघ	27-12-75
170.	,, भंवरलाल शर्मा	जयपुर	जयपुर	भू. पू. नगरपालिका अध्यक्ष, जनसंघ	27-12-75
171.	,, भंवरलाल अग्रवाल	सीदड़ा	टोंक	प्रचार मंत्री, अग्रवाल समाज टोंक	10-5-76
172.	,, भवानीसिंह आर्य	जसोदा	अलवर	आर्य-सभा	26-6-75
173.	,, भूदेव शर्मा	अलवर	अलवर	लोक-संघर्ष समिति	,,
174.	,, भेरूलाल	किशनगढ़	अजमेर	सी. पी. एम.	1-8-75
175.	,, भंवरलाल जागेटिया	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	10-7-75
176.	,, भैरूलाल कुमावत	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
177.	,, भंवरलाल हिरण	,,	,,	संघ कार्यकर्त्ता	30 अप्रेल
178.	,, भेरूशंकर दशोरा	,,	,,	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
179.	,, भूपेन्द्र कुमार	अटरू	कोटा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	19-11-75
180.	,, भंवरजी कोठारी	सांगानेर	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	19-11-75
180. A	,, भगवानदास शास्त्री	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	13-11-75
181.	,, मोहन चन्द्र यति	जालौर	जालौर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	25-7-75

182.	श्री गंगाराम	तखतगढ़	पाली	सामाजिक कार्यकर्त्ता	9-1-276
183.	,, महावीर	जालौर	जालौर	—	19-12-75
184.	,, महावीर प्रसाद	टोंक	टोंक	अध्यक्ष, नगर पालिका निवाई	15-9-75
185.	,, मास्टर आदित्येन्द्र	जयपुर	जयपुर	अध्यक्ष, संगठन कांग्रेस	26-6-75
186.	,, मुकुट बिहारी लाल	भरतपुर	भरतपुर	भू. पू. सोशलिस्ट विधायक	,,
187.	,, महेन्द्रसिंह	पथेना	भरतपुर	जिला अध्यक्ष, संसोपा	,,
188.	,, मदनलाल आजाद	भरतपुर	भरतपुर	पत्रकार, कार्यकर्त्ता	,,
189.	,, मक्खन जोशी	बीकानेर	बीकानेर	,,	,,
190.	,, माधव शर्मा	चूरू	चूरू	,,	,,
191.	,, मंगल चन्द सोनी	सुजानगढ़	चूरू	,,	,,
192.	,, मरला मनोहर बिड़ला	जोधपुर	जोधपुर	,,	16-8-75
193.	,, महेन्द्र नाथ अरोड़ा	जोधपुर	जोधपुर	,,	?
194.	,, मोहन पुनमिया	जयपुर	जयपुर	सी.पी.एम.	13-7-75
195.	,, मो. इस्माईल खां	जयपुर	जयपुर	जमायते इस्लामी	6-7-75
196.	,, मोलाना रहीम बक्ष	जयपुर	जयपुर	प्रधान जयपुर, जमायते इस्लामी	4-7-75
197.	,, मोलाना मुहम्मद मोशर	जयपुर	जयपुर	अमीर हल्का, जमायते इस्लामी	,,
198.	,, शिवनारायण मेहरा	अजमेर	अजमेर	संघ	27-7-75
199.	,, महावीरसिंह हाडा	सीकर	सीकर	महामन्त्री, सी. आई. टी. यू. राज.	26-6-75
200.	,, महेश चन्द्र	सीकर	सीकर	जिला प्रचारक संघ	1-8-75
201.	,, माणकचन्द माहेश्वरी	टोंक	टोंक	जिला प्रचारक, संघ	24-9-75
202	,, महावीर प्रसाद जैन	निवाई	,,	जनसंघ कार्यकर्त्ता	25-9-75

203.	श्री मेघसिंह आजाद	अलवर	अलवर	सोशलिस्ट	26-6-75
204.	,, मिलवर राम गांधी	,,	,,	संघ	5-7-75
205.	,, मिलापचन्द्र माथुर	डीडवाना	नागौर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	12-7-75
206.	,, मदन	बून्दी	बून्दी	समाजवादी	29-6-75
207.	,, माणकचन्द	नेनवा	बूंदी	जिला अध्यक्ष, सोशलिस्ट	28-6-75
208.	,, मनोहरलाल बाहेती	किशनगढ़	अजमेर	संघ	7-7-75
209.	,, महादेव	अजमेर	,,	,,	17-4-76
210.	,, माँगीलाल	ब्यावर	,,	सी. पी. एम	26-7-75
211.	,, मदनगोपाल शर्मा	कोटा	कोटा	—	19-1-76
212.	,, मोहनलाल	,,	,,	—	,,
213.	,, मोहन जी नागर	,,	,,	—	24-12-75
214.	,, मोहनलाल शर्मा	अटरू	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	17-12-75
215.	,, मिट्ठालाल लोढ़ा	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
216.	,, यशवंतकुमार	डूंगरपुर	डूंगरपुर	संघ कार्यकर्त्ता	1-7-75
217.	,, योगेन्द्रसिंह सिसोदिया	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	5-7-75
218.	,, यादव चन्द्र	पाटन	झालावाड़	जिला कार्यवाहक संघ	28-4-75
219.	,, रघुनन्दन व्यास	जालोर	जालोर	अध्यक्ष, जिला पत्रकार संघ, नागोर	27-7-75
220.	,, रूपलाल सोमानी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	5-12-75
221.	,, नागजी भाई मीणा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	जनसंघ	7-1-76
222.	,, राधेलाल	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	संघ कार्यकर्त्ता	5-7-75
223.	,, रमेश खत्री	बीकानेर	बीकानेर	विद्यार्थी परिषद्	26-6-75

224.	श्री रामकृष्ण दास गुप्ता	बीकानेर	बीकानेर	संसोपा	26-6-75
225.	,, रामगोपाल शर्मा	चूरू	चूरू	विद्यार्थी परिषद	24-1-76
226.	,, रमेश पोटलिया	सरदारशहर	चूरू	मार्क्सवादी	26-6-75
227.	,, रेवाचन्द जी	जोधपुर	जोधपुर	जनसंघ	26-6-75
228.	,, राधाकृष्ण रस्तोगी	जयपुर	जयपुर	सदस्य, अखिल भारतीय बार कौंसिल	24-7-75
229.	,, राजेन्द्र गहलोत	जोधपुर	जोधपुर	युवासंघ	17-7-75
230.	,, रामगोपाल राठोड़	पाटन	झालावाड़	संघ कार्यकर्त्ता	28-4-76
231.	,, रामकरण जी	झालावाड़	झालावाड़	जिला प्रचारक, संघ	10-4-76
232.	,, राधाकृष्ण माहेश्वरी	जयपुर	जयपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	1-4-76
233.	,, रामशरण अन्त्यानुप्राशी	,,	,,	संसोपा, प्रदेश मंत्री, राजस्थान	26-6-75
234.	,, राजेन्द्र कुमार	झुन्झुनू	झुन्झुनू	नगर प्रचारक, संघ	1-10-75
235.	,, रामकुमार टिक्कीवाल	टोंक	टोंक	जिला संघ चालक	4-7-75
236.	,, रामधन माहुर	,,	,,	जिला कार्यवाहक, संघ	20-7-75
237.	,, रतनलाल जैन	निवाई	,,	तहसील कार्यवाहक, संघ	7-5-76
238.	,, राधेश्याम	अलवर	अलवर	सोशलिस्ट	26-6-75
139.	,, रामजीलाल गुप्ता	,,	,,	मार्क्सवादी	,,
240.	,, रिखब दास	चोहटन	बाड़मेर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	11-5-76
241.	,, रामनाथ नामदेव	नागोर	नागोर	उपाध्यक्ष, जनसंघ	29-7-75
242.	,, रघुवीरसिंह	कोटा	कोटा	सदस्य ,प्रदेश कार्य० समिति, जनसंघ	26-6-75
243.	,, रंगबल्लभ चतुर्वेदी	बून्दी	बून्दी	जनसंघ	,,

244.	श्री मास्टर रामकिशन	भरतपुर	भरतपुर	समाजवादी विधायक	26-6-75
245.	,, राजकुमार गोयल	अजमेर	अजमेर	जनसंघ	13-11-75
246.	,, रामचरण शर्मा	,,	,,	,,	27-8-75
247.	,, रतनलाल यादव	,,	,,	,,	17-4-76
248.	,, रघुराज राजसिंह राणावत	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	14-11-75
249.	,, राजेन्द्र सिंह	कोटा	कोटा	विद्यार्थी	-1-76
250.	,, रामावतार गर्ग	,,	,,	—	,,
251.	,, रामप्रसाद सोनी	अटरू	,,	मंत्री, सोनी महासभा	?
252.	,, रामकल्याण	बायला	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	?
253.	,, राजनाथ सिंघल	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
254.	,, रामप्रसाद लड्ढा	मांडल	भीलवाड़ा	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	19-11-75
255.	,, रतनलालजी डाड़	सांगानेर	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	20-11-75
256.	,, रामेश्वर उपाध्याय	महुआ खुर्द	,,	,,	14-6-76
257.	,, राधाकृष्ण राठी	,,	,,	,,	5-12-75
258.	,, लक्ष्मीचन्द मेहता	सांचोर	जालौर	भू. पू. विधायक, जनसंघ	19-7-75
259.	,, लक्ष्मीचन्द अग्रवाल	भरतपुर	भरतपुर	अध्यक्ष, नगर जनसंघ	26-6-75
260.	,, लीलाधर	बीकानेर	बीकानेर	मार्क्सवादी	?
261.	,, लालचन्द जी	भवानीमंडी	झालावाड़	संघ कार्यकर्त्ता	28-4-76
262.	,, ललितकिशोर चतुर्वेदी	कोटा	कोटा	प्रान्तीय मंत्री, जनसंघ	10-9-75
263.	,, लक्ष्मी नारायण जोशी	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75

264.	श्री ललित प्रसाद माथुर	उदयपुर	उदयपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	16-12-75
265.	,, लालचन्दजी वेली	शाहपुरा	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	14-6-75
266.	,, वादुमल	जालोर	जालोर	,,	18-11-75
267.	,, बंशीसिंह चौहान	आहोर	,,	सामाजिक कार्यकर्त्ता	21-12-75
268.	,, विशम्भर दयाल	जालोर	जालोर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	9-1-76
269.	,, बृजेन्द्र बिहारी शर्मा	भरतपुर	भरतपुर	नगर मन्त्री, जनसंघ (भरतपुर)	.6-976
270.	,, विजय कृष्ण नाहर	उदयपुर	उदयपुर	संघ कार्यकर्त्ता	17-12-75
271.	,, विशन मतवाला	बीकानेर	बीकानेर	संसोपा	?
272.	,, विज्ञान मोदी	जोधपुर	जोधपुर	,,	?
273.	,, वीरेन्द्र बन्धु	जयपुर	जयपुर	मंत्री, सिविल लिवरटीज, राजस्थान	4-7-75
274.	,, विजय चावला	,,	,,	—	26-6-75
275.	,, वहीद अली	टांक	टोंक	जमायते इस्लामी	20-7-75
276.	,, बालकृष्ण महन्त	किशनगढ़	अजमेर	जनसंघ	4-7-75
277.	,, वृद्धि चन्द जैन	चित्तौड़	चित्तौड़	सामाजिक कार्यकर्त्ता	26-9-75
278.	,, बंशीलाल बाहेती	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	सामाजिक ,,	14-11-75
279.	,, बंशीलाल पटवा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजनैतिक कार्यकर्त्ता	10-7-75
280.	,, विजयसिंह चौहान	उदयपुर	उदयपुर	विद्यार्थी परिषद्	22-2-76
281.	,, सीताराम गुप्त	भरतपुर	भरतपुर	जनसंघ कार्यकर्त्ता, भरतपर	9-9-76
282.	,, सोहनलाल मोदी	बीकानेर	बीकानेर	सर्वोदय	26-6-75
283.	,, सोमदत्त श्रीमाली	,,	,,	जनसंघ	26-6-75
284.	,, सम्पत कोचर	,,	,,	संसोपा	26-6-75

285.	श्री सुन्दर दास	बीकानेर	बीकानेर	मार्क्सवादी	30-6-75
286.	,, श्योपतसिंह	मक्कासर	गंगानगर	मार्क्सवादी	4-7-75
287.	,, डॉ सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	गंगानगर	,,	संघ कार्यकर्त्ता	24-7-75
288.	,, डॉ. सुरेन्द्र जैन	,,	,,	,,	24-4-76
289.	,, शिवपूजन गुप्ता	चूरू	चूरू	रामराज परिषद्	26-6-75
290.	,, शिवशंकर त्रिवेदी	सरदारशहर	चूरू	जनसंघ	,,
291.	,, सागरमल शर्मा	रतनगढ़	,,	,,	,,
292.	,, शारदा शरण सिंह	जोधपुर	जोधपुर	रीडर, माइनिंग इन्जीनियरिंग कालेज जोधपुर विश्वविद्यालय	24-7-75
293.	,, शंकरराज लोढ़ा	,,	,,	उपाध्यक्ष, प्रबन्धक समिति आदर्श विद्यामन्दिर	15-7-75
294.	,, श्याम आर्य	,,	,,	विद्यार्थी परिषद्	3-10-75
295.	,, शंकरमल सिंघवी	,,	,,	जनसंघ	18-7-75
296.	,, सुधीर कुमार जी	झालावाड़	झालावाड़	,,	26-6-75
297.	,, सुदर्शन कुमार	,,	,,	,,	,,
298.	,, सत्यनारायण आजाद	भवानीमंडी	,,	समाजवादी	30-6-75
299.	,, सोहन सिंह	जयपुर	जयपुर	विभाग प्रचारक आर. एस. एस. जयपुर	29-11-75
300.	,, सूर्यनारायण	,,	,,	समाजवादी कार्यकर्त्ता	1-7-75
301.	,, सांवरमल	झुन्झुनू	झुन्झुनू	जिला मन्त्री, जनसंघ	22-9-75
302.	,, शीलचन्द गुप्ता	अलवर	अलवर	जनसंघ	26-9-75

303.	,, शिवदयाल गुप्ता	अलवर	अलवर	सोशलिष्ट	26-6-75
304.	,, सम्पत्तमल जैन	पाली	पाली	सामाजिक कार्यकर्त्ता	25-2-76
305.	,, सूरजमज सिंधी	,,	,,	सचिव, सिंधी पंचायत	27-5-76
306.	,, सौभाग्य चन्द नाहर	लाडनू	नागौर	सामाजिक कार्यकर्त्ता	7-7-75
307.	शान्तिलाल जैन	नैनवा	बून्दी	समाजवादी	28-6-75
308.	,, सिद्धराज ढड्डा	जयपुर	जयपुर	सर्वोदय	27-6-75
309.	,, सतीश चन्द अग्रवाल	,,	,,	जनसंघ	26-6-75
310.	,, श्याम सुन्दर सोमानी	चित्तोड़	चित्तोड़	राजनैतिक	14-7-75
311.	,, सोहन लाल पोखरना	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	राजनैतिक	14-11-75
312.	,, शिवकरण	कोटा	कोटा	—	19-1-76
313.	,, समुद्र सिंह	,,	,,	—	25-3-76
314.	,, सूरज सिंह	,,	,,	—	13-1-76
315.	,, श्यामलाल चंडालिया	उदयपुर	उदयपुर	संसोपा	दिसम्बर 75
216.	,, सम्पतलाल पारीक	जहाजपुर	,,	,,	5-12-75
301.	,, हरिशंकर राजपुरोहित	जालोर	जालोर	जनसंघ कार्यकर्त्ता	19-11-75
302.	,, हेमेन्द्र	सिरोही	सिरोही	,,	27-1-75
320.	,, हरिकृष्ण व्यास	जैसलमेर	जैसलमेर	,,	18.8-75
321.	,, हरीहर शर्मा	धोलपुर	धोलपुर	,,	26-6-75
322.	,, हीरालाल आहरी	उदयपुर	उदयपुर	,,	जुलाई 75
323.	,, हरिराम चौधरी	बीकानेर	बीकानेर	मार्क्सवादी	27-6-75
324.	,, हेतराम बेनीवाल	गंगानगर	गंगानगर	,,	,,
325.	,, हजारीमल धारन	सरदारशहर	चूरू	किसान युनियन	26-6-75
326.	,, हेमेश प्रसाद	नीम का थाना	सीकर	तहसील संघ चालक	7-4-76

327.	श्री हीराचन्द बोहरा	जोधपुर	जोधपुर	सहमन्त्री, जनसंघ	27-10-75
328.	,, हरिशंकर भामड़ा	डीडवाना	नागौर	जनसंघ	12-7-75
329.	,, हरि कुमार औदिच्य	कोटा	कोटा	जनसंघ	27-6-75
330.	,, हीरालाल जैन	,,	,,	अध्यक्ष, संसोपा	26-6-75
331.	,, हरिशंकर जोशी	,,	,,	जनसंघ	18-8 75
332.	,, हरीश शर्मा	,,	,,	अध्यक्ष, कोटा कालेज	27-6-75
333.	,, हीरालाल पोखरण	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सामाजिक कार्यकर्त्ता	5-12-75
334.	,, हरीशंकर जी	कोटा	कोटा	,,	19-1-76
335.	,, हेमराज मीना	बारां	,,	,,	—
336.	,, हरीशचन्द्र गट्टानी	बरूदनी	भीलवाड़ा	,,	24-6-75
337.	,, हरलाल सोमानी	,,	,,	,,	,,
338.	,, हनुमान	किशनगढ़	अजमेर	सी. पी. एम	1-8-75
339.	,, जवाहर लाल जैन	कामां	भरतपुर	भरतपुर-सर्वोदय	3-9-76
340.	,, धन्नालाल गुप्त	बयाना	,,	,,	24-8-76
341.	,, मनोहर लाल गुप्त	मुसावर	,,	,,	24-9-75
342.	,, गिरधारीलाल	,,	,,	,,	,,
343.	,, सुरेन्द्र कुमार	भरतपुर	,,	,,	4-9-76
344.	,, राजेन्द्र कुमार	,,	,,	,,	,,
345.	,, सेवादास हरिजन	,,	,,	,,	,,



Dr. Gyan Chand Sharma

Received education from Dehli, Haryana & Rajasthan.

He achieved his Doctorate (PHD) in **“Important Features of Adm. of Rajput States of Rajasthan”** in 1975 from the University of Rajasthan.

His major interest lies in Research and Writing articles about Historical Findings.

Many of the articles and research paper have found place in renowned National publications and National Newspapers like Dainik Bhaskar.

Research papers and articles are published by Rajesh Publications from Delhi.